

okf"kd i fronu 2012&13



i k8kk fdLe vks d"kd vf/kdkj I j {k.k i kf/kdj .k
df"k , oa I gdkfjrk foHkkx
df"k ea=ky;] Hkkjr I jdkj
, u, , I I h dkEi yDI] Mhi h, I ekx] ubZ fnYyh&110012
www.plantauthority.gov.in



सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

2012—13



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग


कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एनएएससी काम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली-110012

www.plantauthority.gov.in

विषय—सूची

	पृष्ठ संख्या
आमुख	v
आभार ज्ञापन	vii
विशिष्ट सारांश	ix
1. सामान्य पृष्ठ भूमि	1
2. पौधा किस्म रजिस्ट्री की प्रगति	5
3. कृषकों के अधिकारों से संबंधित क्रियाकलाप	39
4. डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास	45
5. भारतीय पौधा किस्म जरनल, पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर और प्राधिकरण के प्रकाशन	63
6. डेटाबेस, इंडस, नॉर्व और वैबसाइट का विकास	65
7. विधायी कोष्ठ तथा आरटीआई से संबंधी मामले	69
8. प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम	71
9. प्राधिकरण के सामान्य क्रियाकलाप	93
10. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	101
11. प्राधिकरण के वित्तीय विवरण 2012–13	105
12. नागरिक आचार संहिता	109
अनुबंध	
अनुबंध-I	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के सदस्य 111
अनुबंध-II	प्राधिकरण के स्वीकृत पद 112
अनुबंध-III	मानव संसाधनों का विवरण (मुख्यालय तथा शाखा कार्यालय) 113
अनुबंध-IV	वर्ष 2012–13 के दौरान प्राधिकरण द्वारा डीयूएस केन्द्रों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता 114
अनुबंध-V	वर्ष 2012–13 के दौरान नए डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई निधियों का विवरण 116
अनुबंध-VI	वर्ष 2012–13 के दौरान संदर्भ प्रयोगशालाओं को जारी की गई निधियों का विवरण 118
अनुबंध-VII	वर्ष 2012–13 के दौरान फील्ड जीन बैंक (बैंकों)/जीन बैंक को जारी की गई निधियों का विवरण 119
अनुबंध-VIII	वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न संगठनों के लिए जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु दी गई निधि संबंधी सहायता 120
अनुबंध-IX	वर्ष 2012–13 के दौरान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र 122
अनुबंध-X	संक्षिप्तियां 138



डॉ. आर.आर. हंचिनाल

अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
नई दिल्ली



आमुख

मुझे पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए), नई दिल्ली की वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है। प्राधिकरण देश में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। भारत एक ओर विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) के समझौते के प्रावधानों को पूरा करने और राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार पीपीवी और एफआर अधिनियम को *सू जेनेरिस* प्रणाली के रूप में लागू करने तथा दूसरी ओर आईटीपीजीआरएफए के प्रावधानों को अपनाने वाले विश्व के प्रथम कुछ देशों में से है।

प्राधिकरण ने पौधा किस्मों के संरक्षण, कृषकों, अनुसंधानकर्ताओं और पादप प्रजनकों के अधिकारों के लिए प्रभावी प्रणाली हेतु और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराया है। अल्प समय में ही प्राधिकरण ने पौधा किस्मों की विभिन्न श्रेणियों की सुरक्षा के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं सृजित की हैं तथा पौधा किस्म रजिस्ट्री, राष्ट्रीय जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक, डीएस परीक्षण केन्द्रों की स्थापना की है; विद्यमान किस्मों के डेटाबेस सृजित किए हैं; सामान्य ज्ञान की किस्मों और पंजीकृत किस्मों का भी डेटाबेस सृजित किया है तथा यह भारतीय पौधा किस्म जरनल प्रकाशित कर रहा है। इसमें रजिस्ट्री की सहायता तथा अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न न्यायालयों में प्राधिकरण के हितों का बचाव करने के लिए एक तकनीकी-विधयी कोष की स्थापना की है। प्राधिकरण ने 57 अधिसूचित फसलों/प्रजातियों की किस्मों के पंजीकरण के लिए अपने क्षेत्र का विस्तार किया है तथा इस क्षेत्र में शीघ्र ही पंजीकरण के लिए 15 फसलें/प्रजातियां और शामिल होने वाली हैं। उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण फलों, सब्जियों व अलंकारिक पौधों के संबंध में लगभग 2 दर्जन डीयूएस दिशानिर्देश विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

प्राधिकरण ने कृषि जैव-विविधता के हॉट-स्पॉट में संरक्षण के लिए कृषक समुदायों के योगदानों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय जीन निधि से 'पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों', कृषकों के लिए पुरस्कार व सम्मान' की योजना आरंभ की है। अंतरराष्ट्रीय जीवविज्ञानी विविधता दिवस की पूर्व संध्या अर्थात् 21 मई 2012 को प्राधिकरण ने नई दिल्ली स्थित एनएएससी परिसर के एपी सिंदे सभागार में चौथे पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर डॉ. चरण दास महंत, माननीय कृषि राज्य मंत्री और प्रो. एम.एस.स्वामीनाथन, मा. सांसद राज्य सभा ने चार कृषक समुदायों को पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार और देशभर के किसानों को सात पादप जीनोम संरक्षक सम्मान

प्रमाण-पत्र प्रदान किए। वर्ष के दौरान डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं की दो समीक्षा बैठकें डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं के नोडल तथा सह-नोडल वैज्ञानिकों के साथ विकास की समीक्षा करने व उनकी समस्याएं, यदि कोई थीं, तो उन्हें हल करने के लिए आयोजित कीं। प्राधिकरण ने देशभर के विभिन्न संस्थानों/स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और विभिन्न स्थानों जिनमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार; दिल्ली हार्ट; प्रगति मैदान भी शामिल हैं, में प्रदर्शनों, पोस्टरों व चार्टों तथा प्रकाशनों आदि के माध्यम से प्राधिकरण के क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए स्टाल लगाकर भाग लिया। इसके साथ ही पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की भूमिका को दर्शाने के लिए पम्फलेट/फ्लायर आदि निःशुल्क वितरित किए। प्राधिकरण पूसा परिसर नई दिल्ली में अपने स्वतंत्र कारपोरेट कार्यालय तथा आवासीय परिसर के निर्माण में भी लगा हुआ है।

मैं प्राधिकरण की वृद्धि और विकास के लिए मा. केन्द्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री शरद पवार द्वारा उपलब्ध कराए गए मार्गदर्शन और दिशानिर्देश के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री डॉ. चरण दास महंत और श्री तारिक अनवर द्वारा प्राधिकरण के प्रति दिखाई गई गहरी रूचि का भी अत्यंत आभारी हूं।

मैं श्री आशीष बहुगुणा, सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग और डॉ. एस.अय्यप्पन, सचिव, डेयर तथा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का दिशानिर्देश देने, नेतृत्व प्रदान करने और निरंतर सहायता देने के लिए ऋणी हूं। मैं श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग व डॉ. अतनु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव (बीज) का प्राधिकरण में उनकी गहन रूचि तथा बहुमूल्य सहायता के लिए आभारी हूं। मैं प्राधिकरण के उन सदस्यों व अन्य अधिकारियों की योगदानों की सराहना करता हूं जिन्होंने प्राधिकरण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायता की है तथा समर्पण के साथ विभिन्न समितियों/कार्य बलों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

मैं पूर्व अध्यक्षों का उनकी प्रेरणादायी भूमिका, दूरदृष्टि, नेतृत्व व उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण के प्रगामी विकास में निरंतर सहायता पहुंचाने के लिए अत्यंत आभारी हूं। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान को प्राधिकरण को इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक निःस्वार्थ सेवाएं व निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं गहरे सदभावों के साथ कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आईसीएफआरई, सीएसआईआर, विधि एवं न्याय मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को समय-समय पर सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो व उनके प्रभागों को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर सौंपे गए दायित्वों को सफलतापूर्वक निर्वाहित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं अपने प्रतिष्ठित बैंकरों अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक व सिंडिकेट बैंक को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं और सहायताओं के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सीएजी का समय पर उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता, मार्गदर्शन व दिशानिर्देश के लिए अत्यंत आभारी हूं।

मैं अपने प्राधिकरण के सहयोगियों को इस वार्षिक प्रतिवेदन के समय पर प्रस्तुतीकरण में प्रभावी समन्वय के लिए सराहना करता हूं।

आ. आ. हंचिनाल
(आ. आ. हंचिनाल)
अध्यक्ष

आभार ज्ञापन

मैं पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल का प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन 2012-13 को तैयार करने में उनके द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सुझाव, प्रेरणा तथा उत्साह के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष डॉ. पी.एल. गौतम तथा भा.कृ.अ.प. के उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) डॉ. एस.के. दत्ता तथा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष (19 दिसम्बर 2012 से) का उनके मूल्यवान सहयोग, मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

मैं श्री डी.एस. मिश्रा का प्राधिकरण की पिछले दो वर्षों के प्रतिवेदनों की पांडुलिपि को लिखने, उसका संकलन करने व उसे तैयार करने में उनके द्वारा किए गए गंभीर प्रयासों के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त पंजिकार का प्राधिकरण की वार्षिक प्रतिवेदन के लिए उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियां तथा बहुमूल्य सुझाव देने के लिए उनकी सराहना करता हूँ।

मैं डॉ. मनोज श्रीवास्तव सहित प्राधिकरण के अन्य रजिस्ट्रारों डॉ. तेजबीर सिंह एवं डॉ. रवि प्रकाश का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने में दिए गए आवश्यक योगदान के लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। मैं गुवाहाटी तथा रांची स्थित कार्यालय के दोनों गुवाहाटी उप रजिस्ट्रारों, श्री डी.एस.राजगणेश और श्री रवि रमन प्रधान, विधिक सलाहकारों, डॉ. डी.एस. पिलानिया, तकनीकी सहायक, सुश्री शिप्रा माथुर, श्री श्याम नारायण, श्री संजय गुप्ता, कम्प्यूटर सहायक तथा विशेष रूप से रजिस्ट्री के अन्य अधिकारियों के प्रति इस प्रतिवेदन में योगदान देने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अन्य परामर्शकों से टी.डी. तिवारी, श्री रोशन लाल, श्री वी.के. बंसल, श्री एलेकजेंडर ब्रेटी, सुश्री जसबीर कौर, श्रीमती भावना और सुश्री शिखा मल्होत्रा को धन्यवाद देता हूँ।

मैं श्री जतिन कुमार, कार्यालय सहायक को प्राधिकरण की 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन के टंकण, इसकी फार्मेटिंग तथा इसे सुंदर स्वरूप प्रदान करने में सचिवीय सहायता के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा।

2139
(आर. सी. अग्रवाल)
महापंजीकार

भारत विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार से जुड़े पहलुओं पर समझौते (ट्रिप्स) के सदस्यों में से एक है। ट्रिप्स के अनुच्छेद 27(3)(ख) में यह कहा गया है कि सदस्यों को सूक्ष्मजीवों के अतिरिक्त पौधों और पशुओं व गैर-जीवविज्ञानी और सूक्ष्म जीवविज्ञानी प्रक्रियाओं के अतिरिक्त पौधों या प्राणियों के उत्पादन के लिए अनिवार्य जीवविज्ञानी क्रियाओं को अपनाने की स्वतंत्रता है और इसके लिए उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। तथापि, ये सदस्य या तो पेटेंट द्वारा या प्रभावी सुजेनेरिस प्रणाली द्वारा अथवा इन दोनों के माध्यम से पौधा किस्मों की सुरक्षा के लिए प्रावधान उपलब्ध कराएंगे। भारत में 2001 में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी और एफआर) अधिनियम सुजेनेरिस प्रणाली अपनाकर लागू किया। पीपीवी और एफआर अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना तथा कृषकों और पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए पौधा किस्मों की सुरक्षा हेतु एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करना है। यह एक अनूठा अधिनियम है जिसमें जहां एक ओर खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि की भावना को पूरा किया गया है, वहीं दूसरी ओर उपोव, 1978 के समझौते को भी पूरा किया गया है। इसमें राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार प्रजनकों तथा कृषकों के अधिकारों के बीच एक संतुलन रखा गया है। इस अधिनियम के उद्देश्य से 11 नवम्बर 2005 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की स्थापना हुई। प्राधिकरण ने पौधा किस्मों के पंजीकरण, कृषकों के अधिकारों, राष्ट्रीय जीन निधि, राष्ट्रीय जीन बैंक आदि सहित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित कीं।

अब तक भारत सरकार ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की अनुशंसाओं पर पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु 57 फसल प्रजातियों को अधिसूचित किया है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान प्राधिकरण ने विभिन्न फसलों के लिए 15 नए डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है। इनमें से कटलेया, फेलीनॉप्सिस, अनार, कैसुरिना, यूकेलिप्टस, करेला, लौकी, खीरा-ककड़ी और कद्दू के नौ डीयूएस दिशानिर्देश संबंधित कार्य बलों द्वारा अनुशंसित किए गए हैं

तथा भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित भी हुए हैं। ये दिशानिर्देश केन्द्र सरकार के परामर्श से अधिसूचित होने की प्रक्रिया में हैं और इन्हें शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा। ये फसल प्रजातियां पुष्पों, फलों, वानिकी प्रजातियों तथा खीरा-ककड़ी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसी आशा है कि दो वानिकी प्रजातियां, कैसुरिना और यूकेलिप्टस वृक्ष प्रजातियों के पंजीकरण का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

वर्ष के दौरान 30 फसलों के 785 आवेदन पंजीकरण हेतु व अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किए गए। ये आवेदन 3 श्रेणियों में थे, नामतः नई (176), विद्यमान (243) और कृषक किस्में (359) तथा अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्में (7)। सर्वाधिक आवेदन कृषक श्रेणी (360) के अंतर्गत थे जिसके बाद क्रमशः निजी (297) और सार्वजनिक (128) श्रेणियों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का स्थान था। कुल 176 नई श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में से 16 आवेदन सार्वजनिक क्षेत्र से, 159 निजी क्षेत्र से (7 अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म सहित) तथा 1 कृषक किस्म की श्रेणी के थे।

प्राप्त किए गए आवेदन अनाजों, मोटे अनाजों, दलहनों, वाणिज्यिक फसलों, तिलहनों, सब्जियों, मसालों, फूलों और पुष्पों के थे। सर्वाधिक आवेदन अनाजों के प्राप्त हुए (429) जिसके पश्चात् क्रमशः रेशा फसलों (112), सब्जियों (105), तिलहनों (61), गन्ना (33) तथा अन्य (45) का स्थान था।

चावल की किस्मों, के संबंध में सर्वाधिक आवेदन (368) प्राप्त हुए और यह सूची में चोटी पर था जिसके पश्चात् क्रमशः कपास (111), बैंगन (53), मक्का (48), भारतीय सरसों (37), टमाटर (35), गन्ना (33), अरहर (12), बाजरा (11), गेहूँ (10) और अन्य (67) का स्थान था।

वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाले विद्यमान अधिसूचित किस्मों के 98 आवेदनों में से 67 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.), 23 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा 8 निजी क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे। अनुशंसित किस्मों के पासपोर्ट आंकड़े जन-सामान्य की सूचना तथा उनके विचार, यदि कोई हों तो प्रकाशन के 90 दिनों के अंतर्गत प्राप्त किए जाने के लिए भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किए गए। उसके पश्चात् आवेदकों से पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क तथा सुरक्षा की अवधि के दौरान राष्ट्रीय जीन बैंक

में मध्यावधि संरक्षण के लिए बीज सामग्री की विशिष्ट मात्रा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

खरीफ 2012 और रबी 2012-13 के दौरान विभिन्न डीयूएस परीक्षण केन्द्रों में प्रथम वर्ष विभिन्न फसलों की 455 प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण किया गया। इनमें 205 नई किस्में, 174 वीसीके, 8 अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्में और 68 कृषक किस्में थीं। इसके अतिरिक्त नई श्रेणी के अंतर्गत आने वाली 79 किस्में परीक्षण के दूसरे वर्ष में थीं। नई किस्म की श्रेणी के अंतर्गत 95 प्रत्याशी किस्मों ने डीयूएस परीक्षण के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्राधिकरण ने देश के विभिन्न भागों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के संस्थानों में स्थित नई परियोजनाओं सहित 114 डीयूएस केन्द्रों को सहायता प्रदान की है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को डीयूएस परीक्षण करने, डीयूएस मानदंडों/परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास करने व प्रजनन अनुरक्षण के लिए प्रयोगशाला व खेत सुविधाओं को सबल बनाने के लिए लगभग 620 लाख रुपये की राशि जारी की गई जिसका विवरण अनुबंध IV और V में दिया गया है।

प्राधिकरण ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 254 पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए (अनुबंध IX)। इनमें से 216 विद्यमान श्रेणी में आने वाली किस्मों तथा 34 नई किस्मों, 3 कृषक किस्मों और शेष अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न श्रेणी में आने वाली किस्मों के लिए थे। सर्वाधिक प्रमाण-पत्र चावल के लिए जारी किए गए (63), जिसके पश्चात क्रमशः मक्का (43), कपास (43), चपाती गेहूं (30), अरहर (16), चना और ज्वार (प्रत्येक के 14), गन्ना (11) व अन्य (23) थे।

राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर प्राधिकरण के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में रखा गया है और इसके साथ ही यह गुवाहाटी व रांची में शाखा कार्यालयों में भी है। सभी पंजीकृत किस्मों अर्थात् विद्यमान, नई व कृषक श्रेणी के अंतर्गत आने वाली किस्मों को कथित रजिस्टर में उचित रूप से प्रलेखित किया गया है।

प्राधिकरण ने सुरक्षित किस्मों के बीजों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त डॉ. बाला साहेब सावंत कोंकण विद्यापीठ, धपोली, महाराष्ट्र; बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड; अलैंगिक/

वानस्पतिक प्रवर्धित फसलों के लिए क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केन्द्र, मशोबरा (डॉ. वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत), सोलन, हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में शुष्क क्षेत्र प्रजातियों के लिए चार फील्ड जीन बैंक स्थापित किए गए हैं (अनुबंध VII)।

प्राधिकरण ने 12 नवम्बर 2012 को एक साधारण समारोह के रूप में अपना स्थापना दिवस मनाया जिसके पश्चात् प्राधिकरण द्वारा प्राप्त विभिन्न परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा करने व उनके बारे में अंतिम निर्णय लेने के लिए परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठक हुई।

प्राधिकरण ने डीयूएस विवरणों के सत्यापन, डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास तथा संदर्भ किस्मों के डेटाबेसों के सृजन के लिए अलंकारिक एवं बागवानी फसलों में नए डीयूएस केन्द्रों को स्थापित कर उन्हें सहायता प्रदान की है। इसके अंतर्गत आने वाली फसलें हैं – बोगेनवीलिया, ग्लेडियोलस, केन्ना, चाइना एस्टर, चमेली, ट्यूबरोज़ या रजनीगंधा, गेंदा, स्ट्राबेरी, बेर, खजूर, जामुन, आंवला, बेल, अनार, आड़ू, आलूचा, पपीता, शरीफा, अंगूर, मिर्च, स्वीट पेपर, पैपरिका, कुकरबिट, जीमीकंद और तारो।

प्राधिकरण ने डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार डेटाबेस विकसित किए हैं और भारतीय सूचना प्रणाली (इंडस) का अनुरक्षण किया है। इसने राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली के सहयोग से भारत की अधिसूचित व जारी किस्मों के डेटाबेस का अनुरक्षण भी किया है (एनओआरवी) तथा यह अधिकांश इसी प्रकार की संदर्भ किस्मों के चयन के लिए इन डेटाबेसों का अनुरक्षण कर रहा है तथा इनके आधार पर यह नामांकनों तथा अधिसूचना के विवरणों की जांच करता है। पौधा किस्मों के पंजीकरण के लिए ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने तथा भुगतान की प्रक्रिया का विकास अपने कार्यान्वयन की अंतिम अवस्था में है जिसे भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) द्वारा होस्ट किया जाएगा। प्राधिकरण अपना पोर्टल भी विकसित कर रहा है जिसमें रोल आधारित पहुंच के साथ गतिशील ढंग से वैबसाइट के अनुरक्षण के लिए विषय-वस्तु प्रबंध प्रणाली के सभी क्रियाकलाप उपलब्ध होंगे।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण की दो बैठकें हुईं तथा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनमें प्रमुख थे –

प्राधिकरण भवन का निर्माण, स्वस्थाने व बहिस्थाने संरक्षण के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग व संरक्षण में सहायता प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश व पंचायतों की क्षमता को सबल बनाना, डीयूएस परीक्षण शुल्क के लेखाकरण व उसे जारी किए जाने के लिए क्रियाविधि, विद्यमान किस्म निर्माण समिति की अनुशंसाएं, वर्ष 2011-12 के लिए प्राधिकरण के वार्षिक लेखों की स्वीकृति, वार्षिक तथा नवीकरण शुल्क की अदायगी से कृषकों को छूट देने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग के विचारार्थ एक प्रस्ताव की अनुशंसा, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार तथा वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्यरत अधिकारियों को नियमित करना।

प्राधिकरण के विधिक कोष्ठ ने भारत के विभिन्न न्यायालयों में दायर मुकदमों की पैरवी की। कोष्ठ ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत बनाए गए नियमों व विनियमों में संशोधनों के लिए मसौदे तैयार किए और भारत के राजपत्र में 11 अधिसूचनाएं प्रकाशित हुईं जो प्राधिकरण के विभिन्न विधिक मामलों से संबंधित थीं जिनका विवरण विधायी कोष्ठ के अंतर्गत अध्याय 7 में दिया गया है।

सूचना के अधिकार (आरटीआई) प्रकोष्ठ ने या तो प्रत्यक्ष रूप से या अन्य विभागों द्वारा हस्तांतरित होकर आए 31 आवेदन प्राप्त किए जिनमें आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी। मांगी गई सूचना निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार, प्राधिकरण से संबंधित 5 संसद प्रश्नों पर कार्रवाई की गई तथा उनके उत्तर समय पर कृषि एवं सहकारिता विभाग को दिए गए। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से समय-समय पर प्राप्त होने वाली मंत्रिमण्डलीय टिप्पणियों के मसौदों पर प्राधिकरण की टिप्पणियां कृषि एवं सहकारिता विभाग को प्रस्तुत की गईं।

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के कृषक कोष्ठ ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कृषकों के अधिकारों को कार्यान्वित किया तथा देशभर में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए विभिन्न संस्थाओं और स्टेक होल्डरों को धनराशि उपलब्ध कराई। प्राधिकरण ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित किसान मेलों, उत्सवों, कृषि मेलों में भाग लिया, ताकि विभिन्न पणधारियों के बीच पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों पर सूचना

उपलब्ध कराई जा सके। उड़ीसा राज्य से चावल की कृषक किस्मों को केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक; चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद; और तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर में ग्री आउट परीक्षणों के माध्यम से मूल्यांकित किया गया। पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों तथा व्यक्तिगत किसानों को सम्मान प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए (2011-12) आवेदनों की छंटाई और चयन की प्रक्रिया आरंभ की गई। देश के विभिन्न महत्वपूर्ण समाचार-पत्रों में तथा प्राधिकरण की वैबसाइट पर विज्ञापन के माध्यम से पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों-2012-13 के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए।

प्राधिकरण को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान/ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अपना परिषद तथा न्यायाधिकरण निर्मित करने के लिए पूसा परिसर में भूमि दी गई है।

प्राधिकरण ने आईटीपीजीआरएफए, सीबीडी, उपोव, डब्ल्यूआईपीओ तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय साधनों/समझौतों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों सहित विभिन्न तकनीकी मामलों पर कृषि एवं सहकारिता विभाग से परामर्श लिया। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा पीपीवी और एफआर के अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित एक अंतर मंत्रालयीन संयुक्त कार्यदल की बैठक आईसीएनपी-2 सहित आईटीपीजीआरएफए तथा सीबीडी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर देश की स्थिति तैयार करने के लिए आयोजित की गई। पणधारियों की संयुक्त बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने के लिए नियमित आधार पर संधि तथा सीबीडी से संबंधित मामलों पर गहन रूप से विचार करने के लिए भी यह संयुक्त कार्य दल कार्य कर रहा है। पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार समारोह 21 मई 2012 को एनएएससी परिसर स्थित नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री डॉ. चरण दास महंत ने वर्ष 2010-11 के लिए पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार तथा मान्यता प्रमाण-पत्र वितरित किए। ये पुरस्कार देने में संसद सदस्य, राज्य सभा प्रोफेसर एम.एस.स्वामीनाथन ने भी सहयोग दिया और ये पुरस्कार कृषकों, कृषकों के समुदायों व आदिवासी लोगों को प्रदान किए गए।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण के तीन अधिकारियों ने नीदरलैंड्स में प्रशिक्षण/बैठकों में भाग लिया। नीदरलैंड्स, जर्मनी तथा इक्वाडोर से विदेशी प्रतिनिधि मण्डलों ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के

कार्यालय का दौरा किया तथा यहां के अधिकारियों के साथ पौधा किस्मों की सुरक्षा, पादप प्रजनक अधिकारों (पीवीआर), डीयूएस परीक्षण, क्षमता निर्माण, पीवीआरएस आदि के क्षेत्र में द्वि-पक्षीय सहयोग पर चर्चा की।

प्राधिकरण ने 2012-13 के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग से अनुदान सहायता के रूप में 1602.33 लाख रुपये प्राप्त किए जिनमें से 1588.82 लाख रुपयों का 31 मार्च 2013

तक उपयोग हुआ और 13.51 लाख रुपये शेष है। प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग को समय पर अग्रेषित किया गया। वर्ष 2011-12 के लिए प्राधिकरण के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया गया, उनकी निर्धारित समय-सीमा में लेखापरीक्षा हुई तथा निश्चित समय-सीमा में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया।



1. सामान्य पृष्ठभूमि

पादप आनुवंशिक संसाधनों के अनुसंधान, व्यापार प्रबंधन तथा उपयोग को नियमित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराने; खाद्य, चारा, रेशा, ईंधन तथा अन्य जिंसों की उपयुक्त किस्में उत्पन्न करने में पौधा प्रजनकों तथा परंपरागत कृषक समुदायों द्वारा पादप प्रजनन में नवीनताओं के लिए कानूनी सुरक्षा को लागू करना। पादप प्रजनकों के अधिकारों को लागू करके पौधा किस्मों की सुरक्षा का मुद्दा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (गैट) के अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान में लाया गया था जिसके परिणामस्वरूप 1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना हुई। भारत ने डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) संबंधी समझौते की पुष्टि की है। अतः इससे यह अपेक्षा की गई थी कि यह पौधा किस्मों की सुरक्षा से संबंधित कथित समझौते के भाग ८ में अनुच्छेद 27 के पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ(ख) को प्रभावी बनाते हुए उसमें दिए गए प्रावधानों को लागू करे।

भारत सरकार ने आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नई पौधा किस्मों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए तथा पौधा किस्मों, कृषकों व पौधा प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सु जेनेरिस प्रभावी प्रणाली की स्थापना के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी और एफआर) अधिनियम, 2001 (2001 का 53) में लागू किया। पीपीवी और एफआर नियमावली 12 सितम्बर 2003 में अधिसूचित की गई। अंततः अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 11 नवम्बर 2005 को राजपत्र अधिसूचना सं० 1588(ई) के द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की।

1.1 पीपीवी और एफआर अधिनियम के उद्देश्य

उक्त अधिनियम के उद्देश्य हैं :

- पौधा किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना।
- नई पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप

आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने तथा किसी भी समय उसके संरक्षण व उसके सुधार में किसानों द्वारा दिए गए योगदान के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।

- नई पौधा किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक व निजी, दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु पादप प्रजनकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना।
- देश में बीज उद्योग की प्रगति को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

1.2 अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

यह अधिनियम एक स्यू जेनेरिस प्रणाली पर आधारित है और इस दृष्टि से अनूठा है कि इसमें प्रजनकों, किसानों, समुदायों व अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों को पूर्ण मान्यता दी गई है। इसके अंतर्गत किसी प्रजनक या उसके अधिकारी, उसके एजेंट या लाइसेंसी को पंजीकृत किस्म के बीज को उत्पन्न करने, बेचने, उसका विपणन करने, वितरण करने, आयात और निर्यात का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। जहां तक कृषकों के अधिकारों का संबंध है, यह अधिनियम कृषकों को किस्म उगाने वाले, संरक्षक और प्रजनक के रूप में मान्यता प्रदान करता है और यह प्रावधान कराता है कि कृषक किस्मों को पंजीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में पंजीकृत किस्म के अनिवार्य लाइसेंस का उस स्थिति में प्रावधान है जब बीज/रोपण सामग्री उपयुक्त मूल्य अथवा मात्रा में जन-सामान्य को उपलब्ध न कराई गई हो। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा कोई संगठन लाभ में भागीदारी का दावा कर सकता है, यदि पादप आनुवंशिक सामग्री उसकी हो तथा उसने पंजीकृत किस्म के विकास में भागीदारी की हो। अनुसंधानकर्ताओं को प्रयोग अथवा अनुसंधान करने के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म के उपयोग करने का अधिकार है तथा ऐसी किस्म का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा किस्म के आरंभिक स्रोत के रूप में अन्य किस्मों के सृजन के उद्देश्य से किया जा सकता है। भारत वह विशिष्ट देश है

जहां कृषकों के अधिकारों को स्थापित करने व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधान को लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक समुदाय के भूत, वर्तमान तथा भावी योगदानों को मान्यता प्रदान की गई है तथा इसमें समुदायों को कृषि-जैव विविधता के संरक्षण में किए गए उनके योगदानों के लिए पुरस्कृत करने का अवसर भी उपलब्ध कराया गया है।

1.3 पीपीवी और एफआर प्राधिकरण

प्राधिकरण एक निकाय कारपोरेट है जिसका वैधानिक दर्जा है तथा इसे चल तथा अचल सम्पत्तियों को अधिगृहीत करने, बनाए रखने तथा उनके निपटान का अधिकार है और साथ ही इसके लिए ठेका करने का भी अधिकार है तथा इस संबंध में यह कोई भी कानूनी कार्यवाही कर सकता है अथवा इस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह सोसायटीज ब्लॉक, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा परिसर, नई दिल्ली में किराए के भवन में कार्य कर रहा है। 31 मार्च 2012 को प्राधिकरण का एक अध्यक्ष तथा 15 सदस्य हैं।

1.4 पौधा किस्मों का पंजीकरण

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने 57 फसल प्रजातियों के विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है तथा उनका पंजीकरण किया है। ये फसल प्रजातियां अनाजों, दालों, मोटे अनाजों, तिलहनों, मसालों, सब्जियों, पुष्पों, औषधीय वाले पौधे और रेशा फसलों की हैं। प्राधिकरण ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पौधा किस्मों (नई, विद्यमान अधिसूचित और कृषक किस्म की श्रेणी में) के अंतर्गत 254 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैं। और अधिक आवेदकों को आकर्षिक करने के लिए प्राधिकरण विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लाभ के लिए नियमित रूप से जागरूकता तथा क्षमता निर्माण संबंधी कार्यक्रम आयोजित करता है।

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने पीपीवी और एफआर अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम के अंतर्गत देशभर में डीयूएस परीक्षण केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित किया है, ताकि आवेदकों द्वारा प्रत्याशी किस्मों के दावों को सत्यापित किया जा सके, अनुरक्षण प्रजनन

हो सके, बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत संदर्भ/उदाहरण किस्मों/अधिसूचित किस्मों के अनुरक्षण प्रजनन, प्रगुणन और डीयूएस फसल विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार किस्मों के गुणों के डेटाबेस का सृजन किया जा सके। इसके अतिरिक्त फसल विशिष्ट केन्द्रों में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण किए जा रहे हैं। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए आंकड़े और विश्लेषण के लिए इन केन्द्रों द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राधिकरण ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के परामर्श से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सक्षम फसल प्रजातियों की पहचान की है तथा परियोजनाओं को भी सहायता उपलब्ध कराई है। यह नियमित रूप से भारतीय पौधा किस्म जरनल प्रकाशित कर रहा है तथा मुख्यालय और अपने शाखा कार्यालयों में पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है।

1.5 पादप प्रजनकों के अधिकार तथा कृषकों के अधिकार

प्रजनकों का अधिकार इस अधिनियम का अत्यंत प्रमुख प्रावधान है जिसका भारतीय कृषि तथा वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रजनक को भी अपनी किस्म के विरुद्ध अनंतिम सुरक्षा का अधिकार है ताकि, पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने तथा प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बीच की अवधि के दौरान किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई गलत कार्य न किया जा सके। इसी प्रकार, अनुसंधानकर्ताओं को भी अधिकार दिए गए हैं। तथापि, किसी नई किस्म का बार-बार उपयोग करने पर उस पंजीकृत किस्म के प्रजनक से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है। जैसा कि इस अधिनियम में उल्लेख है पौधा किस्मों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और इसमें किसी नई किस्म के मामले में विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति निम्न श्रेणियों के अंतर्गत किसी भी किस्म के पंजीकरण हेतु आवेदन दे सकता है :

- अधिनियम की धारा 29(2) के अंतर्गत विशिष्टीकृत ऐसे गण या प्रजाति की है
- विद्यमान किस्म,
 - बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित,

- सामान्य ज्ञान की किस्म (वीसीके)
- कृषक किस्म
 - किसानों द्वारा उनके खेत में परंपरागत रूप से उगाई गई और विकसित की गई किस्म,
 - ऐसी वन्य संबंधी या भू-प्रजाति है जिसके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है।
- अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म (ईडीवी)

सुरक्षा की कुल अवधि फसलों के मामले में नई किस्म या सामान्य ज्ञान और कृषक किस्मों के मामले में पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष तथा वृक्षों और लताओं के मामले में 18 वर्ष है। विद्यमान किस्मों के मामले में यह अवधि बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा उस किस्म की अधिसूचना की तिथि से 15 वर्ष है।

इस अधिनियम के अंतर्गत किसानों को जो अधिकार दिए गए हैं वे निम्नानुसार हैं:

- बीज पर अधिकार: अपनी फसल के लिए अपने बीज को बचाना और इसे बुवाई, पुनः बुवाई, अदान प्रदान, बाँटने और अन्य किसानों को बेचने का अधिकार लेकिन किसान किसी सुरक्षित किस्म के ब्रांडयुक्त बीज को नहीं भेज सकते हैं
- अपनी किस्मों के पंजीकरण का अधिकार: किसान विकसित या संरक्षित परंपरागत किस्मों या उनके द्वारा विकसित नई किस्मों को पंजीकृत कराने के पात्र हैं
- पुरस्कार व सम्मान का अधिकार: किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या समुदाय द्वारा सम्मिलित रूप में फसल पौधों की किस्मीय संपदा को संरक्षित करने पर अब पुरस्कृत किया जाता है
- लाभ में भागीदारी का अधिकार: नई पौधा किस्मों

- के प्रजनन में किसानों की किस्मों की महत्वपूर्ण भूमिका के मामले में
- अज्ञानतावश कानून के उल्लंघन के प्रति सुरक्षा
- शुल्क अदायगी से छूट।

1.6 कृषकों/कृषक समुदायों को सम्मान तथा पुरस्कार

पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 के नियम 70(2) (क) के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 45(2) में विशेष रूप से कृषि जैवविविधता हॉट स्पॉटस के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों व उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार तथा परिरक्षण में लगे आदिवासी तथा ग्रामीण समुदायों के किसानों, किसान समुदायों को राष्ट्रीय जीन निधि से सहायता प्रदान करने तथा पुरस्कृत करने का प्रावधान है। इन प्रावधानों को परिचालित करने के लिए 2009-10 से पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष अधिकतम पांच पुरस्कार दिए जाते हैं। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपये नकद, एक उद्घरण तथा एक स्मृति चिह्न प्रदान किया जाता है। चार कृषक समुदायों अर्थात् श्याम सुंदर सिस्टर निवेदिता संघ, बर्दमान, पश्चिम बंगाल; पोक्काली राइस फार्मिंग कम्युनिटीज, एर्णाकुलम और वायनाड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एक्शन काउंसिल, वायनाड, केरल तथा तमिल नाडु हिल बनाना ग्रोवर्स फेडरेशन, डिंडिगल को वर्ष 2011-12 के लिए पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त सात किसानों को पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व टिकाऊ उपयोग में किए गए योगदानों के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन किसी विशेषज्ञ वैज्ञानिक के नेतृत्व में अत्यधिक व्यापक विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की समिति द्वारा किया जाता है।

2. पौधा किस्म रजिस्ट्री की प्रगति

2.1 फसल प्रजातियों के लिए फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का प्रकाशन

प्राधिकरण ने भारतीय पौधा किस्म जरनल में निम्नलिखित 9 फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण करने हेतु दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं।


सारणी 1. 2012-13 के दौरान प्रकाशित फसल प्रजातियां

क्र.	अंग्रेजी नाम	हिन्दी/स्थानीय नाम	वानस्पतिक नाम	प्रकाशित
1.	कटेल्या	ऑर्किड	कटेल्या लिंड्ल	नवम्बर 2012
2.	फैलीनॉप्सिस	ऑर्किड	फैलीनॉप्सिस ब्लूम	नवम्बर 2012
3.	पोमग्रेनेट	अनार	प्यूनिका ग्रेनेटम एल.	दिसम्बर 2012
4.	कैसुरिना	जंगली झाउ	कैसुरिना एल.	फरवरी 2013
5.	यूकेलिप्टस	सफेदा	यूकेलिप्टस कैमेलडुलें. सिस डेहेन यूकेलिप्टस टेरेटिकोर्नेस एसएम	फरवरी 2013
6.	बिटर गाउर्ड	करेला	मोमार्डिका चरेंशिया एल.	मार्च 2013
7.	बॉटल गाउर्ड	लौकी	लैगेनेरिया साइसरेरिया (मोल.) स्टैंडल.	मार्च 2013
8.	कुकम्बर	खीरा	क्यूक्यूमिस सेटाइवस एल.	मार्च 2013
9.	पम्पकिन	कद्दू/सीताफल	कुकरबिता मौस्काटा डच.एक्स पॉयर	मार्च 2013


ये फसल प्रजातियां फूलों, फलों, वानिकी प्रजातियों और कुकरबिट्स का प्रतिनिधित्व करती हैं। विदेशी प्रजनकों को अपनी फूलों या ऐसी किस्मों, विशेष रूप से ऑर्किड तथा अन्य फसल प्रजातियों को पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा जिनसे भारतीय किसानों तथा पादप प्रजनकों के लाभ के लिए नई किस्मों तथा प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता बढ़ सके। ऐसी आशा है कि जंगली झाउ और सफेदा, दो वन्य प्रजातियां कागज़ उद्योग से वृक्ष प्रजातियों के पंजीकरण हेतु अवसर उपलब्ध कराएंगी।

2.2 प्राप्त आवेदन

प्राधिकरण ने अधिनियम के अंतर्गत पौधा किस्मों की सुरक्षा के लिए 3 फसलों के 785 आवेदन प्राप्त किए (चित्र 1 और 2)। ये आवेदन नई (176), विद्यमान (243), कृषक (359) और अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न या ईडीवी (07) श्रेणियों के अंतर्गत थे।



चित्र 1 : श्रेणीवार प्राप्त आवेदन



चित्र 2 : क्षेत्रवार प्राप्त आवेदन

पंजीकरण हेतु पौधा किस्मों के संबंध में जो आवेदन प्राप्त हुए वे 13 विभिन्न कुलों से संबंधित किस्मों के थे जो इस प्रकार हैं :

सारणी 2: पंजीकरण हेतु प्राप्त फसलों के पौधों के कुलों की सूची

क्र.सं.	पादप कुल	फसलें
1	पोएसी	चपाती गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार और गन्ना
2	फैबेसी	अरहर, राजमा, सोयाबीन, मूंगफली
3	मालवेसी	कपास और भिण्डी
4	टिलिएसी	पटसन
5	सोलेनेसी	बैंगन, टमाटर और आलू
6	ब्रेसिकेसी	भारतीय सरसों, तोरिया, फूलगोभी और बंदगोभी
7	जिंजीबरेसी	हल्दी, अदरक और छोटी इलायची
8	एस्टेरेसी	सूरजमुखी, गुलदाउदी
9	यूफोरबिएसी	अरण्ड
10	पिडेलिएसी	तिल
11	पाइपरेसी	काली मिर्च
12	एमाराइलिडेसी	प्याज
13	रोसेसी	गुलाब

ये आवेदन विभिन्न स्वरूपों जैसे अनाजों, मोटे अनाजों, दालों, वाणिज्यिक फसलों, तिलहनों, सब्जियों, मसालो तथा पुष्पों व फलों के लिए प्राप्त हुए थे। सर्वाधिक आवेदन अनाज (429) के प्राप्त हुए थे जिसके पश्चात रेशा फसलों (112), सब्जियों (105), तिलहनी फसलों (61), गन्ना (33) और अन्य (45) फसलों के थे।

सारणी 3: पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों का फसलवार विवरण

फसल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कृषक किस्म	योग
उड़द	—	—	3	3
बैंगन	12	41	—	53

फसल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कृषक किस्म	योग
अरण्ड	1	1	—	2
चना	2	—	—	2
नारियल	—	—	1	1
खेत मटर	7	1	—	8
मूंग	—	—	2	2
मूंगफली	1	—	—	1
भारतीय सरसों	28	9	—	37
पटसन	1	—	—	1
सेम	1	—	1	2
मक्का	2	41	5	48
आम	—	—	1	1
भिण्डी	—	7	—	7
प्याज	—	—	1	1
बाजरा	—	11	—	11
अरहर	—	2	10	12
आलू	—	9	—	9
सरसों	8	1	—	9
चावल	5	33	330	368
गुलाब	—	2	—	2
कुसुम	3	—	—	3
छोटी इलायची	—	—	1	1
ज्वार	3	—	—	3
सोयाबीन	4	—	—	4
गन्ना	33	—	—	33
सूरजमुखी	4	1	—	5
चतुर्गुणिक कपास	—	111	—	111
टमाटर	10	25	0	35
चपाती गेहूं	3	2	5	10
कुल	128	297	360	785

सर्वाधिक आवेदन चावल के लिए (368) प्राप्त हुए जिसके पश्चात क्रमशः चतुर्गुणित कपास (111), बैंगन (53) मक्का (48), भारतीय सरसों (37), टमाटर (35), गन्ना (33), अरहर (12), बाजरा (11), गेहूं (100), तथा अन्य फसलों (67) के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे।

2.3 नई/अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों का पंजीकरण

प्राप्त 176 आवेदनों में से 16 आवेदन सार्वजनिक क्षेत्र से, 159 निजी क्षेत्र से और 1 कृषक किस्मों की श्रेणी के अंतर्गत थे। ईडीवी के अंतर्गत निजी क्षेत्र से 7 आवेदन दाखिल किए गए। नई/ईडीवी किस्मों के अंतर्गत दाखिल किए गए आवेदनों की जांच पादप किस्म रजिस्टरी द्वारा की गई और जहां कहीं आवश्यक था, स्पष्टीकरण मांगा गया। सामान्य रूप से यह पाया गया कि किस्मों की बिक्री के प्रमाण से यह पाया गया कि अधिकांश स्पष्टीकरण किस्मों की बिक्री के प्रमाण, पूर्वज सामग्री को कानूनी रूप से प्राप्त करने के प्रमाण, तकनीकी प्रश्नावली के विवरणों (समूहीकरण/विशिष्ट/अन्य गुण), पूर्वजता, प्रजनन तकनीकों, संदर्भ किस्मों की तुलना आदि से संबंधित थे। प्राधिकरण समस्याओं, यदि कोई हों तो हल करने के लिए विभिन्न मंचों का उपयोग करके बीज उद्योग सहित स्टेक होल्डरों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क बनाए हुए है। साथ ही पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने व उसे सम्पन्न करने के लिए भी सम्पर्क स्थापित किए हुए है।

अब तक बाजार से उत्पादों के वापस होने के कारण प्रजनकों द्वारा पंजीकरण हेतु दिए गए 62 आवेदन वापस ले लिए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 102 आवेदन भी बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत उनकी अधिसूचना की तिथि से सुरक्षा की 15 वर्ष की अवधि के पूरा होने पर निरस्त कर दिए गए हैं। अपेक्षाओं को पूरा करने वाले प्रत्याशी किस्मों के आवेदनों के मामले में पंजीकरण व डीयूएस परीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क के साथ-साथ बीज सामग्री की विशिष्ट मात्रा तथा प्राधिकरण के फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार बीज विश्लेषण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इसके पश्चात् संबंधित बीज नमूनों को संबंधित केन्द्रों को भेजा गया ताकि नई किस्मों के लिए दो स्थानों पर दो समान फसल मौसमों, सामान्य ज्ञान की किस्म के लिए एक फसल मौसम में डीयूएस परीक्षण किए जा सकें तथा कृषक किस्मों के लिए एक सीजन (ग्रे आउट टस्ट) किए जा सकें।

2.4 विद्यमान किस्मों का पंजीकरण

विद्यमान किस्मों में वे किस्में सम्मिलित हैं जो बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित हैं, या कृषक किस्में हैं या वे किस्में हैं जिनके बारे में सामान्य ज्ञान है। अधिनियम में बताया गया है कि कृषक का अर्थ कोई

भी वह व्यक्ति है जो, (i) अपनी स्वयं की भूमि जोतकर फसलें उगाता है, अथवा (ii) किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भूमि में खेती करने के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के द्वारा फसलों की खेती करता है अथवा (iii) कोई व्यक्ति अलग-अलग या सम्मिलित रूप से वन्य प्रजातियों या परंपरागत किस्मों को संरक्षित व परिरक्षित करता है अथवा (iv) उपयोगी गुणों की पहचान करके और चयन के माध्यम से ऐसी वन्य प्रजातियों या परंपरागत किस्मों का मूल्यवर्धन करता है।

अधिनियम के अनुसार कृषक किस्म का अर्थ है (i) वह किस्म जो परंपरागत रूप से किसानों द्वारा उनके खेत में उगाई जाती है या विकसित की गई है, (पप) किस्म की वन्य संबंधी या भू-प्रजाति है जिसके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने सामान्य ज्ञान की किस्म (वीसीके) को भी परिभाषित किया है जो भारतीय पौधा किस्म जर्नल के 3 सितम्बर 2009 के अंत में प्रकाशित की गई है। इसमें शामिल है (i) वह किस्म जो जारी नहीं हुई है और बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है, लेकिन प्रकाशनों के माध्यमों से भली प्रकार प्रलेखित है और किस्म की परिभाषा को संतुष्ट करने में सक्षम है या (ii) प्रत्याशी किस्म को या तो किस्मों के शासकीय रजिस्टर में प्रविष्ट होना चाहिए या वह प्रविष्ट होने की प्रक्रिया के अंतर्गत होनी चाहिए या (iii) प्रत्याशी किस्म को संदर्भ संकलन में स्थान प्राप्त होना चाहिए या प्रकाशन में उल्लिखित विशुद्ध परिभाषा के अनुसार होना चाहिए, या (iv) किसी भी अन्य तरीके से वह किस्म सामान्य ज्ञान की किस्म हो गई हो तथा किस्म उगाई जा रही हो या पंजीकरण के लिए आवेदन के दाखिल किए जाने के दौरान उसका विपणन हो रहा हो।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान विद्यमान किस्मों के अंतर्गत पंजीकरण हेतु 602 आवेदन प्राप्त हुए। अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए पीपीवी और एफआर विनियमन, 2006 के नियम, 6 के अनुसार बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत जारी की गई किस्मों के आवेदनों की जांच करने तथा पंजीकरण हेतु इन किस्मों की उपयुक्तता हेतु व अन्य तकनीकी मामलों में रजिस्ट्रार को अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकरण ने विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति (ईवीआरसी) गठित की है।

2.4.1 अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म (ईडीवी) विशेषज्ञ समिति

प्राधिकरण ने डॉ. बी.एस. दिल्ली, कुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना की अध्यक्षता में ईडीवी के

पंजीकरण हेतु विशेषज्ञ समिति पहले ही गठित कर दी है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान समिति ने चतुर्गुणित कपास की वीआईसीएच 5बीजी II (आरईजी/2010/210) नाम की प्रथम अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म (ईडीवी) के पंजीकरण की अनुशंसा की है। इसके लिए मैसर्स विक्रम सीड्स लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा किए गए आवेदन को अनुशंसित किया है और इसे 21 नवम्बर 2012 को पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 212 जारी किया गया है।

2.4.2 विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति (ईवीआरसी)

प्राधिकरण ने उपयुक्त किस्मों के पंजीकरण हेतु उनकी जांच और अनुशंसा करने के लिए सात सदस्यीय ईवीआरसी का गठन किया है।

अध्यक्ष

प्रो. डी.पी.रे, कुलपति, ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा

सदस्य

निदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली

डॉ. एस.आचार्य, अनुसंधान वैज्ञानिक, मुख्य दलहन अनुसंधान केन्द्र, एसडीएयू, सरदार कृषि नगर, गुजरात

डॉ. ए.के.सिंह, चावल प्रजनक, आनुवंशिक संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

डॉ. एस.के.त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड, बारा खम्बा रोड, नई दिल्ली

श्री जी.मुरलीधरन, तमिल नाडु कृषक संघ, आरयापुरम, मल्लियम डाकघर, मैलादुतुरई ताल्लुक, नागापट्टिनम जिला, तमिल नाडु

सदस्य-सचिव

डॉ. मनोज श्रीवास्तव, पंजीकार, पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली

ईवीआरसी ने 2012-13 के दौरान दो बैठकें आयोजित कीं तथा बीज अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण के उद्देश्य से 98 आवेदनों को अनुशंसित किया। इन 98 आवेदनों में से 67 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, 23 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा 8 निजी क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे। अनुशंसित किस्मों की फसलवार स्थिति नीचे दी गई है :

सारणी 4: फसलवार प्राप्त आवेदन


क्र.सं.	फसल	संख्या	क्र.सं.	फसल	संख्या
1	गन्ना	37	10	अरहर	2
2	चावल	17	11	सोयाबीन	1
3	गेहूं	9	12	कुसुम	1
4	मूंगफली	9	13	मक्का	1
5	ज्वार	6	14	चना	1
6	सूरजमुखी	4	15	बैंगन	1
7	बाजरा	3	16	भारतीय सरसों	1
8	फूलगोभी	2	17	गोभी सरसों	1
9	चतुर्गुणित कपास	2			

स्टेक होल्डरों की सूचना के लिए अनुशंसित किस्मों के पासपोर्ट आंकड़े भारतीय पौधा किस्म जरनलों में प्रकाशित किए गए। इसके साथ ही इन्हें प्रकाशन के 90 दिनों के अंदर यदि कोई आपत्ति हो तो उसे आमंत्रित करने के लिए भी प्रकाशित किया गया है। इसके पश्चात आवेदकों को सुरक्षा की अवधि के दौरान राष्ट्रीय जीन बैंक में मध्यम अवधि भंडारण के लिए बीज सामग्री की विशिष्ट मात्रा प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।

बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्मों का पंजीकरण मुख्यतः राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (नार्स) के अंतर्गत भा.कृ.अ.प./राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/अन्य अनुसंधान संगठनों और उद्योगों के अंतर्गत प्रजनित की जाने वाली फसल किस्मों की सुरक्षा और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत बहुस्थानिक परीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान उपलब्ध कराता है। ये किस्में केन्द्रीय बीज समिति द्वारा पहले से ही जारी की जा चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि यह समिति कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य कर रही है। यह विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में अथक रूप से कार्य करने वाले पादप प्रजनकों को सम्मानित करना है और इस प्रावधान का विस्तार करके पादप प्रजनकों/संस्थानों को उनकी किस्मों के लिए वैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है तथा ये लाइसेंस लेकर रायल्टी/राजस्व कमा सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रियाकलापों में हो सकता है।

2.4.3 विद्यमान किस्मों का पंजीकरण

वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न फसलों की 254 किस्मों के लिए प्रमाण-पत्र जारी किए गए (अनुबंध)। सर्वाधिक प्रमाण-पत्र चावल के मामले में जारी किए गए (63) जिसके बाद क्रमशः मक्का (43), कपास (33), चपाती गेहूं (30), अरहर (16), चना (14), ज्वार (14), गन्ना (11), पटसन (4), सूरजमुखी (3), तिल (3), अरण्ड (3), उड़द (2), मूंग (2), तोरिया (2), सूरजमुखी (1), फूलगोभी (1), छोटी इलायची (1) और सोयाबीन (1) का स्थान था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 254 प्रमाण-पत्र जारी किए गए जिनमें से 216 विद्यमान अधिसूचित किस्मों, 34 नई किस्मों, 3 कृषक किस्मों के लिए थे तथा शेष एक ईडीवी श्रेणी के लिए था।



2.5 सामान्य ज्ञान की किस्में (वीसीके)

सामान्य ज्ञान की किस्मों के पंजीकरण हेतु मानदंड भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित हुए और अंततः 30 जून 2009 को जी.एस.आर. 452 (ई) द्वारा अधिसूचित किए गए। किस्मों/संकरों तथा जनक वंशक्रमों के अंतर्गत आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं तथा आवेदनों की जांच के बाद प्रत्याशी किस्मों का दो स्थानों पर एक वर्ष के लिए डीयूएस परीक्षण किया जाता है।

2.6 विशेष परीक्षण

नियम 29(1)(ख) में प्रावधान है कि यदि डीयूएस परीक्षण किसी किस्म के लिए विशिष्टता को स्थापित करने में असफल हो जाता है तो प्राधिकरण आवेदक के अनुरोध पर जैव-रासायनिक परीक्षण के माध्यम से किसी विशेष गुण का पता लगाने के लिए विशेष परीक्षण कर सकता है। प्राधिकरण ने ऐसी संस्थाओं की पहचान से संबंधित मांग

पर एक कार्य दल का गठन किया है जो विशेष परीक्षण करने के लिए संदर्भ प्रयोगशालाओं का निर्देश दे सकता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने विशेष परीक्षण के लिए प्रस्तावों पर विचार किया तथा जैसा कि अनुबंध VI में दर्शाया गया है संदर्भ प्रयोगशालाओं के उद्देश्य से पांच संस्थानों को धनराशि जारी की गई है।

2.7 डीयूएस परीक्षण केन्द्र/परियोजनाएं

2.7.1 चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 112 सार्वजनिक क्षेत्र की जारी की गई चावल की किस्मों का अनुरक्षण प्रजनन किया गया। डीयूएस परीक्षणों के तीसरे सैट (2011) के अंतर्गत आने वाली चावल की 26 प्रत्याशी किस्मों का मूल्यांकन दूसरे वर्ष के लिए किया गया और इसके साथ ही डीयूएस परीक्षणों के चौथे सैट (2012) की 21 नई प्रत्याशी किस्मों का दूसरे वर्ष भी परीक्षण किया गया। इसके साथ ही नौ वीसीके (विद्यमान किस्मों) तथा 623 किस्मों को डीयूएस परीक्षणों व ग्रो आउट परीक्षणों में क्रमशः शामिल किया गया। इन डीयूएस परीक्षणों की निगरानी पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल द्वारा की गई।



इक्रीसैट परिसर में चावल अनुसंधान निदेशालय में डीयूएस निगरानी 5-6 नवम्बर 2012 को की गई। निगरानी दल के अध्यक्ष डॉ. एस.एस.मलिक और डॉ. एल.वी.सुब्बाराव, प्रधान अन्वेषक, चावल अनुसंधान निदेशालय, डॉ. तेजवीर सिंह, पंजीकार, पीपीवी और एफआर तथा निजी बीज कंपनियों के अनेक प्रतिनिधियों ने इस निगरानी में भाग लिया। प्रत्याशी किस्मों तथा संदर्भ किस्मों के फील्ड आंकड़ों, दावा किए गए गुणों तथा पर्यवेक्षित गुणों को एकत्र किया गया।

2.7.2 केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, (भा.कृ.अ.प.) कटक

यह केन्द्र चावल के डीयूएस परीक्षण के लिए उत्तरदायी है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की चावल की 32 संदर्भ किस्मों के एक सैट का अनुरक्षण प्रजनन किया गया। इसके अतिरिक्त चावल की 22 नई प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण किया गया और 50 संदर्भ किस्मों का दूसरे वर्ष के लिए डीयूएस परीक्षण किया गया। पर्यवेक्षण डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए तथा इन्हें समन्वयन केन्द्रों के अलावा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराया गया। सत्रह परीक्षण प्रविष्टियों (नई किस्म) और 31 संदर्भ किस्मों के अन्य सैट का डीयूएस परीक्षण के प्रथम वर्ष के लिए परीक्षण किया गया। पर्यवेक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए तथा उन्हें समन्वयन केन्द्र को उपलब्ध कराया गया। चार सामान्य ज्ञान की किस्मों के एक अन्य सैट का परीक्षण 11 संदर्भ किस्मों के साथ किया गया और पुष्पगुच्छ संततियों की समरूपता के परीक्षण के लिए 9 नई परीक्षण प्रविष्टियों के एक सैट का मूल्यांकन खेत में किया

गया। उपरोक्त के अतिरिक्त 607 कृषक किस्मों का ग्रो आउट परीक्षण किया गया। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार उनका गुण निर्धारण पूरा हो चुका है। इन प्रविष्टियों में से 535 कृषक किस्मों का उनकी समरूपता का पता लगाने के लिए पुष्पगुच्छ संतति कतार परीक्षण किया गया। पुष्पगुच्छ संततियों में विपुल संततियों की तुलना में अधिक समरूपता थी। 37 कृषक किस्मों के एक अन्य सैट का ग्रो आउट परीक्षण किया गया।

2.7.3 तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर

यह केन्द्र चावल के लिए डीयूएस परीक्षण करता है तथा सूरजमुखी के लिए सह-नोडल केन्द्र है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान डीयूएस परीक्षणों की प्रगति निम्नानुसार है :

चावल

भा.कृ.अ.प. और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की चावल की 14 संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण प्रजनन/गुण निर्धारण किया गया। चावल के लिए डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :


सारणी 5 : वर्ष 2012-13 के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति

फसलें	नई		वीसीके	एफवी	ईडीवी IV	कुल
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष			
चावल	1	-	5	6	3 (समरूपता परीक्षण के लिए पुष्पगुच्छ)	15
सूरजमुखी	14	22	3	-	16 (संदर्भ किस्में)	55

चावल के लिए डीयूएस परीक्षण की निगरानी डॉ. एस.आर. दुआ, प्रधान वैज्ञानिक, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक की अध्यक्षता में 6 दिसम्बर 2012 को की गई। फसल पुष्पन अवस्था में थी तथा डीयूएस परीक्षणों के अंतर्गत आने वाली अधिकांश प्रत्याशी किस्मों ने निगरानी के समय दावा किए गए गुणों को व्यक्त किया और उन्हें तदनुसार रिकॉर्ड किया गया।

सूरजमुखी

पीपीवी और एफआरए नई दिल्ली से प्राप्त सूरजमुखी के संकर और जनक वंशक्रम (A, B और R) तथा तिलहन अनुसंधान निदेशालय से प्राप्त संदर्भ किस्मों को रबी 2012-13 के दौरान डीयूएस परीक्षण के लिए खेत में उगाया गया। सूरजमुखी संकरों और उनके जनक वंशक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है।



सारणी 6 : डीयूएस परीक्षण के लिए सूरजमुखी प्रविष्टियों की संख्या

क्र.सं.	प्रविष्टियां	प्रविष्टियों की संख्या	बुआई की तिथि
1.	A, B तथा अन्य अंतर प्रजनित वंशक्रम प्रत्याशी प्रविष्टियां i. द्वितीय वर्ष परीक्षण ii. प्रथम वर्ष परीक्षण संदर्भ प्रविष्टियां कुल	 15 11 6 32	05 दिसम्बर 2012
2.	R वंशक्रम प्रत्याशी प्रविष्टियां i. द्वितीय वर्ष परीक्षण ii. प्रथम वर्ष परीक्षण संदर्भ प्रविष्टियां कुल	 5 5 5 15	10 दिसम्बर 2012
3.	संकर प्रत्याशी प्रविष्टियां i. द्वितीय वर्ष परीक्षण ii. प्रथम वर्ष परीक्षण संदर्भ प्रविष्टियां कुल	 2 1 5 8	14 दिसम्बर 2012
	महा योग	55	

2.7.4 गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल

ट्रिटिकम एस्टाइवम, टी.ड्यूरम, टी.डाइकोकम, ट्रिटिकेल की संदर्भ किस्में तथा चपाती गेहूं की उदाहरण किस्में

नोडल केन्द्र पर रखी गई हैं जो निम्न सारणी में उल्लिखित हैं।

सारणी 7 : गेहूं अनुसंधान प्रजनन/गुण निर्धारण की प्रगति

प्रजातियों की संख्या	किस्मों की संख्या
ट्रिटिकम एस्टाइवम	293
ट्रिटिकम ड्यूरम	45
ट्रिटिकम डाइकोकम	05
ट्रिटिकेल प्रजातियां	05

2.7.5 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर

सात नई और सात कृषक किस्मों अर्थात् 14 प्रत्याशी किस्मों (गेहूं की) का परीक्षण संदर्भ किस्मों के साथ 6 परीक्षणों में डीयूएस गुणों के लिए किया गया। डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़े एकत्रित किए गए तथा खेत परीक्षणों की निगरानी डॉ. तेजवीर सिंह, पंचिकार, डॉ. एच.एन. पाण्डे, पूर्व अध्यक्ष, भा.कृ.अ.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर की अध्यक्षता में 16 मार्च 2013 को की गई। निगरानी दल दावा किए गए किस्म के गुणों की खेत में अभिव्यक्ति से संतुष्ट था। कृषक किस्में जेपी 151, जेपी 197, जेपी 209, जेपी 8661 और कुदरत 7 को निगरानी दल द्वारा निगरानी के दौरान डीयूएस गुणों में समरूप नहीं पाया गया और इसकी पुष्टि गेहूं अनुसंधान निदेशालय में नोडल केन्द्रों द्वारा भी की गई। टी.एस्टाइवम, टी.ड्यूरम और टी.डाइकोकम की 130 संदर्भ तथा उदाहरण किस्मों का भी सह-नोडल केन्द्र में अनुसंधान किया गया।



35 किस्मों अर्थात् 6 प्रत्याशी किस्मों केआरएल 210, केआरएल 213, डीबीडब्ल्यू 39, एचपीडब्ल्यू 249, एनडब्ल्यू 72 और एनडब्ल्यू 404 व तीस संदर्भ किस्मों को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया था जिन्हें दूसरे वर्ष के लिए बोया गया। इस सामग्री का 36 आकृति विज्ञानी गुणों के लिए गुण निर्धारण किया गया तथा डीयूएस परीक्षणों के लिए आंकड़े एकत्र किए गए तथा संदर्भ किस्मों के आंकड़ों को एकत्र करके गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल और रजिस्ट्रार, पीपीवी और एफआर, नई दिल्ली को गेहूं में डीयूएस परीक्षण की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा गया।

सारणी 8 : वर्ष 2012–13 में डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत किस्मों की संख्या

फसलें	नई		कृषक किस्म	कुल
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
टी. एस्टाइवम	डब्ल्यू 07 एनवी 037	केआरएल 210 केआरएल 213 डीबीडब्ल्यू 39 एचपीडब्ल्यू 249 विनय (एनडब्ल्यू 404) अजय (एनडब्ल्यू 72)	जेपी 209 जेपी 197 जेपी 151 जेपी 8661 आस्था गोल्ड कुदरत 7 कुदरत 11	14
कुल	1	6	7	14

2.7.6 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना को 2011 से कपास के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र के रूप में निर्धारित किया गया है। यह केन्द्र कपास और गेहूं की विभिन्न प्रत्याशी किस्मों के साथ संबंधित संदर्भ किस्मों का उनके पंजीकरण व सुरक्षा के लिए परीक्षण करता है। कपास की 46 किस्मों तथा 27 प्रत्याशी किस्मों और 19 संदर्भ किस्मों को खरीफ 2012 के दौरान परीक्षण हेतु प्राप्त किया गया। फसल को डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार अनुशंसित डीयूएस विधियों का उपयोग करते हुए उगाया गया। सभी 38 गुणों व डेटा रिकॉर्ड किए गए।



सीआईसीआर, नागपुर के पूर्व निदेशक डॉ. एम.एस. कैरो की अध्यक्षता में निगरानी दल ने डॉ. गीता बरसी, सह नोडल अधिकारी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना केन्द्र की उपस्थिति में 8 अगस्त 2012 को कपास के डीयूएस खेत परीक्षणों का दौरा किया। डॉ. के.राथीनावेल, नोडल अधिकारी, डीयूएस परियोजना, सीआईसीआर, क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बतूर और डॉ. मनोज श्रीवास्तव, पंजीकार, एफपीपी और एफआरए, नई दिल्ली भी उपस्थित थे। दल ने पाया कि परीक्षणों का ले-आउट और रखरखाव बहुत अच्छा था तथा दल पर्यवेक्षणों के उचित रिकॉर्ड व निष्पादन से कुल मिलाकर संतुष्ट था।

गेहूं की 11 किस्मों और 3 प्रत्याशी किस्मों अर्थात् एचडी 2987 (पूसा बहार), एचडी 2985 (पूसा बसंत) और एचडी 2967 और संदर्भ किस्मों नामतः के 816, एचडी 1941, एचडी 1949; डब्ल्यूएच 542, डब्ल्यूएच 711, एचडी 2385, एचपी 1761 को रबी 2012–13 के दौरान परीक्षण के दूसरे वर्ष उगाया गया। विभिन्न गुणों पर डेटा रिकॉर्ड किए गए और डीयूएस परीक्षणों की निगरानी डॉ. एच.एन. पाण्डे की अध्यक्षता में डॉ. सुशीला कुण्डू, डीडब्ल्यूआर, करनाल, डॉ. गीता बरसी, पीएयू, लुधियाना और डॉ. रबी प्रकाश, पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने की।

2.7.7. मक्का अनुसंधान निदेशालय (भा.कृ.अ.प.), पूसा, नई दिल्ली

केन्द्र ने मक्का की 61 संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण व गुण निर्धारण किया है। ये किस्में राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा केन्द्रों की हैं। खरीफ 2012 के दौरान दो परीक्षण नामतः संकर और अंतर प्रजनित परीक्षण किए गए। 35 प्रत्याशी

किस्मों के संकर परीक्षण व 15 संदर्भ किस्मों के साथ छह खुली परागित किस्मों के परीक्षण किए गए। अंतर-प्रजनित में 17 प्रत्याशी अंतरप्रजनित तथा 9 अंतर-प्रजनित संदर्भ किस्में थीं। 82 प्रविष्टियों में से 58 प्रत्याशी किस्मों और 24 संदर्भ किस्मों का मूल्यांकन किया गया। इनमें से 4 संकरों तथा 2 खुली परागित किस्मों का मूल्यांकन नई श्रेणी के अंतर्गत डीयूएस परीक्षण के दूसरे वर्ष किया गया। 25 संकरों, 3 खुली परागित किस्मों और 15 अंतर-प्रजनकों का मूल्यांकन नई श्रेणी के अंतर्गत डीयूएस परीक्षण के प्रथम वर्ष किया गया। छह संकरों तथा दो अंतरप्रजनकों का मूल्यांकन वीसीके श्रेणी के अंतर्गत डीयूएस परीक्षण के पहले वर्ष के लिए किया गया। एक कृषक किस्म नामतः मोहिनी का कृषक किस्म के श्रेणी के अंतर्गत डीयूएस परीक्षण एक वर्ष के लिए किया गया। डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार 31 गुणों पर आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। नई श्रेणी के अंतर्गत एक सार्वजनिक-प्रजनित संकर नामतः एचएम 11, दो खुली परागित किस्मों, नामतः बजौरा मक्का 1 और

विवेक संकुल मक्का 35 ने खरीफ 2012 में डीयूएस परीक्षण का दूसरा वर्ष पूरा किया जबकि 5 संकरों नामतः डीएचएम 117, एचक्यूपीएम-4, विवेक मेज हाइब्रिड 39, विवेक मेज हाइब्रिड 43, पीएमएच 4 और तीन खुली परागित किस्मों नामतः विवेक संकुल मक्का 31, जवाहर पॉप कॉर्न 11 और विवेक संकुल मक्का 37 का दो स्थानों पर प्रथम वर्ष डीयूएस परीक्षण किया गया।

नई श्रेणी के अंतर्गत तीन स्वामित्वपूर्ण संकरों (एनएमएच-713, केएमएच-3426 और एनएमएच-731) ने डीयूएस परीक्षण का दूसरा वर्ष पूरा किया जबकि बीस संकरों तथा 15 अंतर-प्रजनकों का दो स्थानों पर पहले वर्ष डीयूएस परीक्षण किया गया। दो अंतरप्रजनकों नामतः एम 15-1 और एम 101 तथा 6 संकरों (बिस्को एक्स 5129, केएमएच-225, एम-34, एम 104, 31वाई45 और बीआईओ 2207 एच) ने सामान्य ज्ञान की किस्म की श्रेणी के अंतर्गत डीयूएस परीक्षण का प्रथम वर्ष पूरा किया। डीयूएस परीक्षण की प्रगति नीचे दी गई सारणी में प्रस्तुत है।

सारणी 9 : वर्ष 2012-13 में डीयूएस परीक्षणों के अंतर्गत किस्मों की संख्या

फसलें	नई		वीसीके	एफवी	संदर्भ	कुल
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
संकर	25 (5 सार्वजनिक + 20 स्वामित्व वाली)	4 (1 सार्वजनिक + 3 स्वामित्व वाली)	6 (स्वामित्व वाली)	—	15	50
ओपीवी	3 (सार्वजनिक)	2 (सार्वजनिक)	—	1	—	6
अंतरप्रजनित	15 (स्वामित्व वाली)	—	2 (स्वामित्व वाली)	—	9	26
कुल	43	6	8	1	24	82

डीयूएस परीक्षणों की निगरानी 27 सितम्बर 2012 को डॉ. साई दास, पूर्व निदेशक, मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में की गई। डॉ. तेजवीर सिंह, पंचिकार, फसल की वृद्धि श्रेष्ठ थी तथा गुणों को डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किया गया। संकरों में अधिकांश में उन खेत स्थितियों के अंतर्गत उनकी गुण प्ररूपी अभिव्यक्ति मेल खाती थी तथा खुली परागित किस्मों के मामले में ऐसा नहीं था। वर्ष 2012 के दौरान संकरों, नामतः बीपीसीएच-6 और एचएम 12 के लिए सुरक्षा हेतु

पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 के अंतर्गत दो आवेदन दाखिल किए गए।

2.7.8. ज्वार अनुसंधान निदेशालय (भा.कृ.अ.प.), हैदराबाद

यह निदेशालय ज्वार डीयूएस परीक्षण के लिए उत्तरदायी है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुल 43 प्रत्याशी किस्मों का खरीफ मौसम में डीयूएस परीक्षण किया गया तथा 12 प्रत्याशी किस्मों का संबंधित संदर्भ किस्मों के साथ रबी



2012-13 में परीक्षण किया गया। कुल 104 संदर्भ और उदाहरण किस्में (किस्में/जनक वंशक्रम/संकर) का रबी 2012-13 मौसम के दौरान रखरखाव किया गया। 2012-13 के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :

सारणी 10 : डीयूएस परीक्षण की प्रगति

फसलें	नई		वीसीके	एफवी	कुल
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष			
सोरघम बाइकलर (खरीफ)	7	15	20	1	43
सोरघम बाइकलर (रबी)	5	5	2	-	12
कुल	12	20	22	1	55

ज्वार पर डीयूएस परीक्षणों की निगरानी तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद के पूर्व निदेशक डॉ. डी.एम. हेगड़े की अध्यक्षता में 5 सितम्बर 2012 को खरीफ मौसम के लिए तथा 22 जनवरी 2013 को रबी मौसम के लिए की गई। कुल मिलाकर डीयूएस परीक्षण संतोषजनक थे। यह सुझाव दिया गया कि जिन प्रत्याशी किस्मों ने डीयूएस परीक्षण के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं और जिन्हें प्राधिकरण ने प्रमाण-पत्र दे दिया है उन्हें भावी परीक्षणों के लिए संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है। सभी प्रविष्टियों और प्लॉटों में पौधों की उपयुक्त संख्या रखी

जानी है। खेत के किनारों के लिए पर्याप्त स्थान रखा जाना चाहिए, ताकि छाया का प्रभाव न पड़े, जलमग्नता न हो आदि। प्रत्याशी किस्मों की फील्ड अभिव्यक्ति/गुणों के समूहकरण के आधार पर उचित संदर्भ किस्मों का चुनाव किया जाना चाहिए तथा आंकड़ों को प्रोफार्मा में शामिल किया जाना चाहिए, भले ही आवेदक ने इंडस डेटाबेस सर्च से संदर्भ किस्म के बारे में ऐसा न किया हो।

डीयूएस परीक्षण का निष्पादन पीपीवी और एफआरए के दिशानिर्देशों के अनुसार व संतोषजनक था। यह सुझाव दिया गया कि निगरानी के दौरान केवल संबंधित मौसम की संबंधित किस्मों को ही संदर्भ किस्मों के रूप में इस्तेमाल किया जाए। यद्यपि रबी अनुकूलन के लिए संदर्भ किस्में सीमित हैं, तथापि रबी की प्रत्याशी किस्मों की खरीफ के साथ तुलना करने के लिए अनुकूलित संदर्भ किस्मों की वांछित आवश्यकता से बचना चाहिए। सभी तीनों प्रविष्टियों और प्लॉटों में पौधों की उपयुक्त संख्या रखी जानी चाहिए। यदि अंकुरण कम हुआ हो तो दुबारा बुवाई करना बेहतर है लेकिन डीयूएस परीक्षणों के लिए खेत में खाली स्थानों को भरने की वकालत नहीं की जाती है।

संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण प्रजनन एमपीकेवी, राहुड़ी द्वारा किया जाना है और इसके साथ ही सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाली संदर्भ किस्मों को संदर्भ किस्म के बीजों के साथ प्रत्येक बार डीएसआर भेजा जाना चाहिए। प्रतिकृतियों की संख्या में कमी, प्रति प्लॉट कतारों की संख्या या पर्यवेक्षण के लिए प्रति प्रविष्टि पौधों की कुल संख्या को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पौधे की ज्यामितीय तथा अंतराल को कैसे एआईसीएसआईपी परीक्षणों में अपनाया जाना है, इसका भी सुझाव दिया गया। वे प्रत्याशी किस्में जो डीयूएस परीक्षणों में समान दिखाई देती हैं, उन्हें रिपोर्ट किया जाना चाहिए तथा रिपोर्ट में अनिवार्य/सामूहिक गुणों दोनों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि आवेदक द्वारा दावा किया गया हो तो नरवंध्य वंशक्रमों के मामले में दाने के गुणों को आवेदक द्वारा आपूर्त किए गए बीजों में पीपीवी और एफआरए के माध्यम से बुवाई या संबंधित आपूर्त अनुरक्षण प्रजनन के लिए किया जाना चाहिए।

2.7.9 महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी



यह केन्द्र ज्वार, बाजरा और चना के डीयूएस परीक्षण के लिए उत्तरदायी है। ज्वार और बाजरा की 88 प्रत्याशी किस्मों का खरीफ और रबी में परीक्षण किया गया और 2012-13 के दौरान बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान इकाई, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी में परीक्षण किए गए। ये परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए। सभी प्रतिकृतियों में परीक्षण के अंतर्गत प्रत्येक प्रविष्टि की संख्या उचित रूप से रखी गई। परीक्षण की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। प्रत्याशियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी गुणों व विस्तृत पर्यवेक्षणों को निर्धारित स्वरूप में रिकॉर्ड किया गया। रबी परीक्षणों को मध्य सितम्बर में रोपा गया, ताकि पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा रबी ज्वार का अगस्त तक पर्यवेक्षण किया जा सके।

2.7.10 अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना, मंदौर, जोधपुर

राज्य कृषि विश्वविद्यालय, भा.कृ.अ.प. के केन्द्रों तथा अन्य से बाजरा (पेनिसेटम ग्लाउकम एल.) की लगभग 64 किस्मों को खरीफ 2012 के दौरान अनुरक्षण प्रजनन व गुण निर्धारण के लिए निर्धारित किया गया। 19 नई किस्मों, 16 निजी क्षेत्र की वीसीके का प्रथम वर्ष डीयूएस परीक्षण किया गया तथा वीसी के श्रेणी में आने वाली शेष 18 किस्मों का भी उनके साथ डीयूएस परीक्षण किया गया। डीयूएस परीक्षण की निगरानी डॉ. साई दास की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 2012 को एक दल द्वारा की गई और निगरानी की संक्षिप्त तकनीकी प्रगति निम्नानुसार है :



- डीयूएस परीक्षण खरीफ 2012 के दौरान पीपीवी और एफआर के स्वीकृत दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए। दो प्रत्याशी किस्मों का दूसरे वर्ष के लिए और 35 प्रत्याशी किस्मों का पहले वर्ष के लिए 17 संदर्भ/उदाहरण किस्मों के साथ एआईसीपीएमआईपी मंदौर, जोधपुर और एमपीकेवी, राहुड़ी में परीक्षण किया गया।
- डॉ. साई दास की अध्यक्षता में निगरानी दल ने 6 सितम्बर 2012 को एआईसीपीएमआई, मंदौर में डीयूएस परीक्षण प्रयोगों तथा 1 अक्टूबर 2012 को राहुड़ी में इन प्रयोगों को देखा।
- बी वंशक्रमों (24), आर वंशक्रमों (16) और संकरों (24) सहित 64 जीन प्ररूपों का अध्ययन डीयूएस गुणों के लिए किया गया तथा इनका अनुरक्षण (केवल बी और आर वंशक्रमों का) एआईसीपीएमआईपी, जोधपुर में किया गया।

इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों के अंतर्गत 26 संकरों तथा किस्मों को पंजीकृत किया जा चुका है, जबकि 4 अन्य संकरों तथा किस्मों का पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में पंजीकरण किया गया।

2.7.11 केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर

एक नई टोसा पटसन किस्म सीओ-58 का परीक्षण 2012-13 में विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व का पता लगाने के लिए प्रथम बढवार चक्र के लिए सीआरआईजेएएफ, बैरकपुर और सीएसआरएसजेएएफ, बुदबुद परीक्षण किया गया। फसल विशिष्ट दिशानिर्देशों में निर्धारित सभी गुणों का, विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व के लिए आलोचनात्मक

पर्यवेक्षण किया गया। प्रत्याशी किस्म सीओ 58 को पत्ती की आकृति के मामले में विशिष्ट पाया गया। पटसन डीयूएस परीक्षणों के लिए निगरानी दल ने 16-17 अगस्त 2012 को बीसीकेवी, कल्याणी, पश्चिम बंगाल के पादप प्रजनन विभाग के पूर्व प्राध्यापक डॉ. एम.हुसैन की अध्यक्षता में निरीक्षण किया। सीओ-58 की एकरूपता तथा विशिष्टता की पुष्टि निगरानी दल ने दौरा करके 16-17 अगस्त 2012 को की। ओलिटोरियस पटसन की किस्में नामतः जेआरओ 632, जेआरओ 3690, जेआरओ 66, जेआरओ 524, जेआरओ 7835, जेआरओ 878, जेआरओ 8432, एस-90, जेआरओ 28, जेआरओ 620, चिसुरह ग्रीन, सूडान ग्रीन, तगनयिका-1, जेआरओ 36ई, जेआरओ 2345, केओएम 62, टीजे 40 और विधान रूपाली तथा कैम्पुलेरिस पटसन की किस्में जेआरसी 212, जेआरसी 80, जेआरसी 698, जेआरसी 7447, जेआरसी 4444, पद्मा, जेआरसी 321, मोनालिसा, यूपीसी 94, विधान पत 1, विधान पत 2, विधान पत 3, केसी 1, केटीसी 1 और डी 154 अनुरक्षित की गईं। 10 किस्मों (सफेद जूट की 6 किस्मों – जेआरसी 80, जेआरसी 698, मोनालिसा, विधान पत 1, विधान पत 2, विधान पत 3 और टोसा पटसन की 4 किस्मों – एस 90, जेआरओ 8432, जेआरओ 128, जेआरओ 66) को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण से विद्यमान किस्म के रूप में प्राप्त किया गया। केवल एक नई प्रत्याशी किस्म, सीओ 58 (सौरभ का परीक्षण 5 संदर्भ किस्मों नामतः जेआरओ 632, जेआरओ 128, जेआरओ 524, जेआरओ 7835 और जेआरओ 8432) का इस अवधि में परीक्षण किया गया।

2.7.12 केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), नागपुर

सारणी 11 : वर्ष 2012-13 के दौरान डीयूएस परीक्षण के तहत किस्मों की प्रगति

फसल	नई	वीसीके	कुल
गोसिपियम प्रजाति	14	3	22
			39

केन्द्र में भा.कृ.अ.सं./राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से संबंधित गोसिपियम आर्बोरियम के तहत कपास की 25 संदर्भ किस्मों तथा गोसिपियम हर्बेसियम की 3 संदर्भ किस्मों का लक्षण-वर्णन तथा रखरखाव किया है। वर्ष के दौरान डीयूएस गुण निर्धारण के लिए 39 अभ्यर्थी किस्मों सहित 30 संदर्भ किस्मों को उगाया गया। रेशा विशिष्ट लक्षणों के अलावा समस्त लक्षणों को दर्ज किया गया और डेटा शीट में इनकी प्रविष्टि की गई। लिंट नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण

के लिए भेजा गया। संदर्भ बीजों के लिए देसी कपास (ए. एरबोरियम तथा जी.हरबेसियम) की 28 किस्मों का रखरखाव किया गया। उक्त किस्मों के लिए गोसिपूल ग्लैंड सघनता का प्रलेखीकरण किया गया और संदर्भ किस्मों की स्वतः संतति में परीक्षण करने पर इसे स्थिर पाया गया। निगरानी दल ने पाया कि परीक्षण खेतों में खरपतवार निकालना तथा अतिरिक्त संरक्षण छिड़काव किया जाए।

डॉ. एम.एस.कैरों, पूर्व निदेशक, सीआईसीआर, नागपुर की अध्यक्षता में 28 सितम्बर 2012 को डीयूएस कपास परीक्षणों की निगरानी की गई। वर्तिकाग्र निष्कर्षण को पर्यावरण के साथ और एकल पादप में असंसर्ग तथा सन्निहित वर्तिकाग्र दोनों में अलग-अलग पाया गया।

2.7.13 केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बटूर

संदर्भ संग्रहण के रखरखाव को डीयूएस परीक्षण के सफलतम आयोजन में काफी महत्वपूर्ण पाया गया। जी. हिर्सुटम (145), जी.बारबाडेंस (6), जी.आर्बोरियम (28) तथा जी.हर्बेसियम (8) के पैतृक वंशक्रमों तथा किस्मों के बीज प्रगुणन को उगाया गया तथा अनुत्पादक (आफ-टाइप) को समाप्त करके इसका परिष्करण किया गया। तोड़े गए डोडों की ओटाई की गई तथा आगामी मौसम में किए जाने वाले परीक्षणों के लिए संदर्भ किस्म के रूप में उपयोग के लिए बीजों का भंडारण किया गया।

डॉ. एम.एस.कैरों की अध्यक्षता में 21-22 सितम्बर, 2012 को कपास डीयूएस निरूपण तथा परीक्षण रखरखाव की निगरानी की गई तथा निगरानी पर्यवेक्षण को डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुरूप संतोषजनक पाया गया। चतुर्गुणित (टेट्राप्लाइड) कपास की 54 अभ्यर्थी तथा 35 संदर्भ किस्मों को उगाया गया। इसके अलावा एक पृथक परीक्षण में 10 ईडीवी को तुलना के लिए इनकी आरंभिक किस्म के साथ उगाया गया। ईडीवी परीक्षण में जे.के. वरुण बीटी नामक एक किस्म में कोई अंकुरण नहीं पाया गया और इसमें कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की गई। फसल की वृद्धि मंद थी और ज्यादातर अभ्यर्थी किस्मों में आकृतिमूलक लक्षणों की अभिव्यंजकता बेहतर थी। चूषक नाशीजीव का प्रकोप पाया गया। यद्यपि परीक्षण कार्य के दौरान पादप संरक्षण तरीकों का उपयोग किया गया। खरपतवार से खेतों में खरपतवार नहीं था और पादप समस्त आकृति-मूलक लक्षण प्रदर्शित करने में सक्षम थे। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश के अनुसार आंकड़ों को दर्ज किया गया तथा डेटा-सीट का रखरखाव किया गया।

सारणी 12: वर्ष 2012-13 में डीयूएस परीक्षण की प्रगती

फसल	नई		वीसीके	ईडीवी IV		कुल
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		ईडीवी	IV	
गोसिपियम हिर्सुटम	27	3	25	10	10	75
गोसिपियम आर्बोरियम			1			1
कुल	27	3	26	10	10	76

परीक्षणों का आयोजन क्रमशः चतुर्गुणित तथा द्विगुणित कपास के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया। यादृच्छिक रूप से चयनित 10 पादपों में माप तथा दृष्टिगत मूल्यांकन के माध्यम से पौद चरण से आगे, पौद (हाइपोकटाइल पिग्मेंटेशन) के आकृति मूलक लक्षणों का पूर्ण दर्शन, पत्ती रंग, बाली निकलना, बनावट, गौसीपोल ग्रंथि, पोथी कोशिका, वृंत वर्णकता, बनावट, पादप वृंत हेमरीनैस, तना वर्ककतन, लंबाई, वृद्धि व्यवहार, ब्रैक्ट टाईप, फूल लगने का समय, पंखुड़ी रंग, पंखुड़ी धब्बा, स्टिगमा, परागकोष रंजकता, पराग रंग, नरबंध्यता, डोटा फलन व्यवहार, रंग, बनावट, सतह, शीर्ष की विशिष्टता, खुलना, बीज कपास का वजन, बीज रूआं, रूआं रंग, सूचकांक ओटाई प्रतिशत तथा रेशा रंग, लंबाई, शक्ति, सुस्पष्टता, समरूपता तथा परिपक्वता को दर्ज किया गया। लक्षणों की तुलना उन संदर्भ किस्मों से की गई जिन्हें अभ्यर्थी जीनोटाइप की उत्कृष्टता, समरूपता तथा स्थाईत्व के लिए उगाया गया। अन्य परीक्षण 10 अनिवार्य उत्पन्न किस्मों की दस आंशिक किस्मों के साथ तुलना करते हुए किए गए और समस्त परीक्षण को डीयूएस की स्थापना के लिए दर्ज किया गया।

विदेशी और नई कपास किस्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन दर्ज करने का कार्य 2008-09 के दौरान आरंभ किया गया। उस समय से 87 आवेदनों को राष्ट्रीय जीन बैंक में अपेक्षित शुल्क तथा बीजों के साथ जमा किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान कपास की 21 विदेशी किस्मों के लिए पादप किस्म पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए। इसके बाद 2012-13 में आठ प्राप्त हुए।

केन्द्र या राज्यों द्वारा सीवीआरसी द्वारा जारी किस्मों के डेटाबेस उपलब्ध, सामान्य जानकारी, कृषक किस्मों की जानकारी आदि का प्रलेखीकरण और अद्यतन किया गया। इस डेटाबेस में किस्म (किस्मों) के नाम, प्रजाति, अधिसूचना संख्या, अधिसूचना का वर्ष, जारी करने वाला, जिम्मेदार

संस्थान, जारीकर्ता राज्य, वंशावली, अधिसूचना की स्थिति, औसत पैदावार (क्वि./है.), ओटाई प्रतिशत, रेशा लंबाई (एमएम), बंडल शक्ति, मिक वैल्यू, स्पिनंग क्षमता (गणना), अनुकूलन क्षेत्र, जिसके लिए किस्म की सिफारिश की गई है। उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी से संबंधित जानकारी दी गई है। इस डेटाबेस में जी.हिर्सुटम (160), जी.बार्बाडेंस (3), जी.आर्बोरियम (15) किस्में; इंद्रा हिर्सुटम (50), अंतरविशिष्ट (19), इंद्रा आर्बोरियम (9) तथा हर्बेसियम (4) तथा आर्बोरियम संकर किस्मों के प्रलेखीकरण के साथ-साथ 91 किस्मों की सामान्य जानकारी शामिल है।

समग्र निष्पादन तथा कपास पर किए गए डीयूएस परीक्षणों को सभी स्थानों में संतोषजनक पाया गया। यद्यपि सीआईसीआर, नागपुर में दल ने डीयूएस खेतों से खरपतवार निकालने तथा अतिरिक्त पादप संरक्षण विधि अपनाने से संबंधित टिप्पणी दी गई।

2.7.14 चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू), हिसार

पिछले मौसम के दौरान केन्द्र द्वारा कपास पर डीयूएस परीक्षण आयोजित किए गए। चतुर्गुणित तथा द्विगुणित कपास दोनों की पैतालीस किस्मों (23 अभ्यर्थी किस्म + 22 संदर्भ किस्मों) का विभिन्न लक्षणों के लिए लक्षण-वर्णन किया गया। डॉ. एम.एस.कैरों की अध्यक्षता में निगरानी दल ने 7 अगस्त 2012 को डीयूएस परीक्षणों का निरीक्षण किया। इस निगरानी दल में डॉ. डी.के.समीनवल, नोडल अधिकारी (कपास), सीआईसीआर, कोयम्बटूर तथा डॉ. एस.एस. वर्मा, सहायक नोडल अधिकारी, एचएयू, हिसार भी शामिल थे। इस दौरान निजी बीज कंपनियों के प्रतिनिधि तथा प्रभागाध्यक्ष प्रो. आर.के.कश्यप भी उपस्थित थे। समिति ने यह पाया कि परीक्षणों का निरूपण और रखरखाव उत्कृष्ट था तथा इन्हें राष्ट्रीय जांच दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया।



2.7.15 भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), लखनऊ

केन्द्र ने रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान 104 संदर्भ संग्रहणों का रखरखाव तथा लक्षण-वर्णन किया, इसमें सीओ पंत 12221, सीओ पंत 12222, सीओ पंत 223, सीओ पंत 12224, सीओ पंत 12225, सीओ पंत 12226, सीओ पंत 03220, सीओएसई 03234, सीओएसई 05451, सीओएसई 01434, सीओएसई 08457, सीओएसई 01421, सीओ 0124, सीओ 0232, सीओ 0233, सीओपीके 05191, सीओ पंत 05224, सीओ 05011, सीओएस 07250, यूपी 05125, सीओ 98014 और बीओ 153 शामिल हैं। गन्ने की अर्थात् सीओ 0118, सीओ 0238, सीओ 0239 एसबीआई, करनाल तथा इस केन्द्र में डीयूएस परीक्षणाधीन हैं। एसबीआई, क्षेत्रीय केन्द्र करनाल में 7 फरवरी 2013 तथा लखनऊ में 11 फरवरी 2013 को निगरानी कार्य किए गए। फसल को मुख्य रूप से आईआईएसआर, लखनऊ में रोपित किया गया और इसे डीयूएस परीक्षण के दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित किया गया। निगरानी के समय ज्यादातर निर्दिष्ट डीयूएस लक्षण प्रदर्शित हुए और अभ्यर्थी किस्मों के प्रजनक उपस्थित थे। अभ्यर्थी किसम करण 4 (सीओ 0238) को अन्य किस्मों से भिन्न पाया गया। किन्तु शेष को अभ्यर्थी किसमें अर्थात् करण-2 (सीओ 0118) तथा करण-6 (सीओ 0239) को समस्त आकृति-मूल लक्षणों में सटीक रूप से समानरूपी पाया गया किन्तु यह संदर्भ किस्मों से भिन्न पाए गए। यह सिफारिश की गई कि डीयूएस परीक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान इन दो अभ्यर्थी किस्मों की गंभीर रूप से निगरानी की जाए।



विदेशी अधिसूचना श्रेणी के तहत पंजीकरण के लिए पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण को प्रस्तुत गन्ने की 36

किस्मों में से 11 किस्मों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया।

2.7.16 गन्ना प्रजनन संस्थान (एसबीआई), कोयम्बटूर

एसबीआई, कोयम्बटूर में गन्ने की 181 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया तथा 10 फरवरी 2013 को इनका रोपण किया गया। इस अवधि के दौरान 30 संदर्भ किस्मों का लक्षण-वर्णन दर्ज किया गया। यह कार्य पहले नहीं किया गया था। डीयूएस परीक्षण के लिए किसी उष्णकटिबंधी गन्ना किस्मों को शामिल नहीं किया गया। रखरखाव के प्रयोजन हेतु 12 फरवरी 2013 को 182 संदर्भ किस्मों का रोपण किया गया और इन किस्मों का जमाव बेहतर पाया गया।

2.7.17 गन्ना प्रजनन संस्थान, अनुसंधान केन्द्र (एसबीआईआरएस), अगाली, पालक्कड, केरल

उष्णकटिबंधी गन्ने की 176 संदर्भ तथा उदाहरण किस्मों के संग्रहण का क्लोनल पुनः रोपण के बाद खेत में रखरखाव किया गया। इन संदर्भ किस्मों की तमिल नाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के विविध गन्ना अनुसंधान केन्द्रों से उत्पत्ति हुई है। विभिन्न वृद्धि चरणों में संदर्भ किस्मों में डीयूएस लक्षणों के स्थायित्व का अध्ययन किया गया। कुछ डीयूएस लक्षण जो 10 या 12 माह बाद पाए गए थे। ये स्थाई नहीं थे या 8वें और 9वें भाग में फूल लगने के लिए इनकी निगरानी करना मुश्किल था। यह तब हुआ जब फरवरी के सामान्य सेवन समय में गन्ना रोपण किया गया। कली के लक्षण जैसे कली का आकार, वृद्धि रिंग के संबंध में कली शीर्ष, कली की कोमलता, वृद्धि रिंग की सुस्पष्टता को ज्यादातर किस्मों में 300 दिनों में स्थाई या समरूप नहीं पाया गया। समस्त संदर्भ किस्मों को एकल बाडिड सैट के तापीय उपचार के बाद पोलीबैग में उगाया गया और फरवरी 2013 के पहले सप्ताह में खेत में इसका प्रतिरोपण किया गया।

2.7.18 प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय (डीओजीआर), राजगुरुनगर, पुणे

डीओजीआर प्याज और लहसुन के डीयूएस परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। यहां व्यवस्थित प्रजनन तथा लक्षण-वर्णन के तहत प्याज के 49 किस्मों तथा लहसुन की 21 किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है। इनका विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

सारणी 13 : संदर्भ किस्मों के रखरखाव की प्रगति

प्रजातियों का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत
सामान्य प्याज (एलियम सेपा एल.)	19	भा.कृ.अ.प. और स्वयं
	7	भा.कृ.अ.प. और स्वयं
	23	राज्य कृषि विश्वविद्यालय/अन्य
प्रगुणित प्याज (एलियम सैपा एल.)	5	राज्य कृषि विश्वविद्यालय
लहसुन (एलियम सेटाइवम एल.)	4	भा.कृ.अ.प. और स्वयं
	2	भा.कृ.अ.प. और स्वयं
	15	राज्य कृषि विश्वविद्यालय/अन्य

इन किस्मों में से सीआईटीएच, श्रीनगर में दीर्घावधि प्याज तथा लहसुन किस्मों का रखरखाव टीएनएयू, कोयम्बटूर में प्रगुणित टाइप प्याज किस्मों तथा शेष किस्मों का रखरखाव डीओजीआर, पुणे तथा भा.कृ.अ.सं.नई दिल्ली में किया जा रहा है। प्याज किस्मों का खरीफ और रबी मौसम के दौरान अधिदेश के अनुसार रखरखाव किया जा रहा है जबकि लहसुन किस्मों का रखरखाव रबी मौसम के दौरान किया जाता है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान किसानों की एक किस्म अर्थात् बलवान प्याज का डीयूएस परीक्षण इसके पंजीकरण के लिए किया गया। प्याज की आठ किस्मों अर्थात् एग्रीफाउंड डार्क रैड, अर्का कल्याण, बी-780, भीम राज, भीमा रैड, भीमा शुब्रा, भीमा सुपर तथा एन-53 को 15 जून 2012 को उगाया गया तथा 3 प्रतिरूपण उठी हुई क्यारियों में 28 जुलाई 2012 को प्रतिरोपण किया गया। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुरूप समस्त टिप्पणियां दर्ज की गईं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान रबी प्याज की पैंतीस किस्मों अर्थात् एग्रीफाउंड रोज, एग्रीफाउंड व्हाइट, एग्रीफाउंड लाईट रैड, अर्का बिंदु, अर्का निकेतन, अर्का पीताम्बर, अर्का प्रगति, भीमा किरण, भीमा राज, भीमा रैड, भीमा शक्ति, भीमा श्वेता, अर्ली ग्रेनो, जीडब्ल्यूओ-1, हिसार-2, कल्याणपुर रैड राउंड, न 2-4-1, एनएचआरडीएफ रैड (एल-28), एनएचआरडीएफ रैड-2, पालम लोहित, पीकेवी व्हाइट, फूले सफेद, फूले समर्थ, फूले स्वर्ण, फुरुसुंगी लोकल, पीली पट्टी, जूनागढ़, पंजाब नरोया, पूसा माधवी, पूसा रैड, पूसा व्हाइट फ्लैट,



पूसा व्हाइट राउंड, तेलगी लोकल, उदयपुर-102, सुख सागर तथा वीएल प्याज-3 को 7 नवम्बर 2012 को उगाया गया और 3 प्रतिरूपण में 6 जनवरी 2013 को प्रतिरोपण किया गया। समस्त जरूरी टिप्पणियां दर्ज करने के बाद फसल को काटा गया। लहसुन के मामले में 16 किस्में अर्थात् भीमा ओमकार, भीमा परवल, जी-1, जी-41, जी-50, जी-282, जी-323, जी-386, जीजी-2, जीजी-3, जीजी-4, गोदावरी, उटी लोकल, फुले बसवंत, रानी बेन्मूर, लोकल तथा सिक्किम लोकल का रोपण 3 प्रतिशत में 23 नवम्बर 2012 को किया गया।

2.7.19 सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय (डीएसआर), इंदौर

भा.कृ.अ.प. तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से अधि प्राप्त तथा डीएसआर द्वारा स्वयं जारी लगभग 100 किस्मों का खरीफ, 2012 के दौरान रखरखाव प्रजनन/लक्षण-वर्णन किया गया। खरीफ, 2012 के दौरान सोयाबीन की सिर्फ दो किस्मों को डीएसआर तथा यूएसएस, धारवाड़ में डीयूएस परीक्षण के पहले वर्ष के तहत लाया गया। इसमें एक नई तथा दूसरी निजी क्षेत्र की वीसीके किस्म थी। अभ्यर्थी किस्मों की निगरानी (पुष्प लगाने के चरण में); एनएसओ 15 तथा एनएसओ 84 को डीएसआर, इंदौर में निगरानी दल द्वारा 22 अगस्त 2012 को की गई। इसमें अध्यक्ष डॉ. ओ.पी. जोशी, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, डीएसआर, इंदौर; श्री डी.एस. मिश्रा, संयुक्त रजिस्ट्रार, पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा डॉ. एम.के. कुछलान, नोडल अधिकारी, डीयूएस परियोजना, डीएसआर, इंदौर शामिल थे। इन परीक्षणों के डीयूएस जांच के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया तथा किस्मों में खेत स्तर पर दावा किए गए लक्षण प्रदर्शित हुए।



सोयाबीन की अभ्यर्थी किस्म 'एनएसओ 15' तथा 'एनएसओ 84' के डीयूएस परीक्षण की निगरानी 11 सितम्बर 2012 को यूएस, धारवाड़ में की गई निगरानी दल में अध्यक्ष, डॉ. ओ.पी.जोशी; डॉ. तेजबीर सिंह, रजिस्ट्रार, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली; डॉ. एम.के.कुछलान, नोडल अधिकारी, सोयाबीन पर डीयूएस परियोजना, डीएसआर इंदौर तथा एन.के.बिरदार पाटिल, सह-नोडल अधिकारी, डीयूएस परियोजना यूएस, धारवाड़ शामिल है।

2.7.20 मूंगफली अनुसंधान निदेशालय (डीजीआर), जूनागढ़

बीजों के ताजे स्टॉक प्राप्त करने के लिए मूंगफली की तीस संदर्भ किस्मों को प्रगुणित किया गया। इन किस्मों को संबंधित लक्षणों की अभिव्यंजकता, टहनियों के एक दूसरे से ऊपर परस्पर चढ़ने से बचने तथा फली को अच्छी तरह जमने के लिए तीन पंक्तियों को अलग से उगाया गया। फली को तोड़कर, साफ किया और अलग से पैक करके मध्यम अवधि भंडारण के 4⁰ से. तथा 30 प्रतिशत आरएच




Growth habit



Pod constriction



Pod reticulation



Kernel shape

में परिरक्षण किया गया। इसके अलावा समरूपता, उच्च पैदावार तथा उत्पाद तुड़ाई पर 50 एकल समरूप, यथार्थ स्वरूप (ट्रीयू टाइप) को आगामी प्रगुणन के लिए अलग से परिरक्षण किया गया।

मूंगफली की जारी कुल 175 किस्मों की खरीफ 2012 के दौरान उगाया गया। इन किस्मों का डीयूएस के लिए निर्धारित संदर्भ लक्षणों में लक्षण-वर्णन किया गया। समस्त तीस संदर्भित किस्मों के बीजों की वृद्धि की गई। निदेशालय में डीयूएस परीक्षण प्राधिकरण से तीन अभ्यर्थी किस्मों का सैट प्राप्त हुआ है। तीन नई क्रांतिक मूंगफली किस्में धीरज-101, वैस्टर्न वरदान तथा कृष्णा है। 17 उपयुक्त संदर्भ किस्मों के दो सैट तैयार किए गए। एक सैट डीजीआर के उपयोग के लिए और दूसरा सैट टीएनएयू, कोयम्बटूर के लिए था। बुवाई और संदर्भ किस्मों की जांच 11 जुलाई 2012 को यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन में तीन प्रतिरूपण के साथ की गई। स्पैनिश बंच टाईप के प्रत्येक प्रतिरूपण में 4-6 मीटर की पंक्ति थी जबकि वर्जीनिया बंच गुप में 7 मीटर लंबी छह पंक्तियां थीं। फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए कृषि क्रियाओं की सभी सिफारिशों का अनुसरण किया गया। दिनांक 21 अक्टूबर 2012 को डीयूएस परीक्षणों की निगरानी डॉ. के.एल.डोबरिया, प्रभागाध्यक्ष, तिलहन, जेएयू, जूनागढ़ की अध्यक्षता में की गई। इसमें डॉ. टी.राधाकृष्णन तथा डॉ. ए.एल.रामाकुमार, नोडल एवं सह-नोडल अधिकारी, डीजीआर जूनागढ़ तथा श्री डी.एस.मिश्रा, संयुक्त रजिस्ट्रार, पीपीवी एंड एफआर शामिल थे। दल ने अभ्यर्थी किस्मों के दावा किए गए। लक्षणों तथा संदर्भ किस्मों के अन्य डीयूएस संबंधी लक्षणों का पुष्प लगाने के चरण में क्रांतिक रूप से सत्यापन किया। संदर्भ किस्मों की प्रत्येक जांच की गई किमों सामूहिक लक्षणों में या दावा किए गए विशिष्ट लक्षणों के प्रति उपयुक्त नहीं पाई गई। ऑफ-टाइप को निर्धारित सीमा में बेहतर पाया गया और जांच किस्मों में आनुवंशिक शुद्धता की पुष्टि हुई।

2.7.21 जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय (जेएयू), जामनगर

बाजरा अनुसंधान केन्द्र, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर (गुजरात) अरण्ड, डीयूएस जांच के लिए सह-नोडल केन्द्र तथा तिलहन अनुसंधान निदेशालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद नोडल केन्द्र के रूप में काम कर रहा है। केन्द्र ने वर्ष 2012-13 के दौरान डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार पहली बार अरण्ड डीयूएस परीक्षण आयोजित किए। तीन अभ्यर्थी अरण्ड किस्में / संकर किस्में अर्थात

एनबीसीएच-2कृ8-2 (नई संकर किस्में), एनबीसीएच 206 (विदेश संकर किस्म) तथा डीसीएस 107 (नई किस्म) के साथ पांच संदर्भ किस्मों/संकर किस्मों की जांच खरीफ 2012 के दौरान बाजरा अनुसंधान केन्द्र, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर में की गई। यह परीक्षण का पहला वर्ष था। वर्ष 2012-13 के दौरा आठ जीनोटाइप, इनमें पांच संकर किस्में तथा तीन किस्में शामिल हैं, को यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन में तीन प्रतिरूपण के साथ 14 सितम्बर 2012 को उगाया गया। अरण्ड की उक्त आठ संकर किस्मों/किस्मों (अभ्यर्थी तथा संदर्भ) के 30 लक्षणों की निगरानी को अरण्ड डीयूएस दिशानिर्देश के अनुरूप दर्ज किया गया। डॉ. पी. आर.पाधार, अनुसंधान वैज्ञानिक (बाजरा), नोडल अधिकारी (डीयूएस), जेएयू, जामनगर की अध्यक्षता में 22 अक्टूबर 2012 को डीयूएस परीक्षणों की निगरानी की गई। इसमें प्राधिकरण के प्रतिनिधि के रूप में श्री डी.एस.मिश्रा, संयुक्त रजिस्ट्रार भी शामिल थे। इसके परिणाम डॉ. एन.मुक्ता, प्रधान वैज्ञानिक एवं नोडल अधिकारी (डीयूएस), तिलहन अनुसंधान निदेशालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद तथा पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए।

2.7.22 तिलहन अनुसंधान निदेशालय (डीओआर), राजेन्द्र नगर, हैदराबाद

निदेशालय अनेक तिलहन नामतः अरण्ड (रिकिनस कम्यूनिंस एल.), सूरजमुखी (हेलिअंथस एनस एल.) तथा कुसुम (कार्थामस टिन्कटोरियस एल.) के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार तथा पंजीकरण प्रदान करने के लिए डीयूएस परीक्षण आयोजित करने के प्रति जिम्मेवार है। एआईसीआरपी (बंगलौर) से एक पैतृक वंशक्रम तथा अरण्ड के चार पैतृक वंशक्रम का आकलन लक्षण-वर्णन तथा प्रजनन के रखरखाव के लिए। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान अरण्ड की तीन किस्मों तथा सूरजमुखी की उनतालीस किस्मों का परीक्षण किया गया। इसमें निजी क्षेत्र से 41 किस्में तथा सार्वजनिक क्षेत्र से अरण्ड की एक किस्म शामिल है।

अरण्ड का डीयूएस परीक्षण खरीफ 2012 में आरंभ हो गया। इसमें 3 अभ्यर्थी किस्में शामिल हैं जिसमें एक नई जबकि एक केवीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया। संकर किस्म के परीक्षण में 2 अभ्यर्थी प्रविष्टियां, किस्मगत परीक्षण में एक अभ्यर्थी किस्म के साथ-2 संदर्भ प्रविष्टियों को दो प्रतिरूपों में 3 जुलाई 2012 को उगाया गया। अरण्ड में डीयूएस परीक्षणों को व्यवस्थित प्रणालीबद्ध रूप में करने के

लिए केन्द्र की सराहना की गई और उत्कृष्ट पादप जमाव के साथ समस्त प्रविष्टियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन पाया गया।

रबी 2012-13 के दौरान सूरजमुखी के तीन पृथक प्रतिकृत परीक्षण आयोजित किए गए और संकर किस्म तथा आर-वंशक्रम परीक्षणों के लिए 20 नवम्बर, 2012 तथा ए-लाइंस के लिए 19 नवम्बर 2012 को बुवाई की गई। संकर किस्म परीक्षणों में 3 अभ्यर्थी किस्में शामिल हैं जिसमें 2 नई हैं जिसका दूसरा वर्ष लक्षण-वर्णन किया गया। इनमें एक वीसीके तथा 5 संदर्भ प्रविष्टियां भी शामिल हैं आर-वंशक्रम परीक्षण में 10 अभ्यर्थी किस्में शामिल हैं। इनमें से 5 को दूसरे वर्ष लक्षण-वर्णन किया गया और एक वर्ष के लिए 4 तथा 5 संदर्भ प्रविष्टि सहित एक किस्म वीसीके रूप में शामिल की गई। ए-वंशक्रम परीक्षण में 26 अभ्यर्थी किस्में शामिल हैं। इनमें से 15 का लक्षण-वर्णन दूसरे वर्ष 10 का पहले वर्ष तथा 1 का पीसी के रूप में 6 संदर्भ प्रविष्टियों के साथ किया गया।

रबी 2011-12 के दौरान सूरजमुखी की 12 वीसीके की डीयूएस डाटा की जांच की समेकित रिपोर्ट दो केन्द्र में भेजी गई। इसमें निर्धारित प्रपत्र पर सूचना तथा दावा किए गए लक्ष्यों की सहमति अपेक्षित है। अरण्ड की निगरानी डॉ. एस.एस. मलिक, पूर्व प्रभागाध्यक्ष, एनबीपीजीआर, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 11 नवम्बर 2012 को की गई जबकि डॉ. डी.के.हेगड़े, पूर्व निदेशक, डीओआर, हैदराबाद की अध्यक्षता में 22 जनवरी 2013 को सूरजमुखी की निगरानी की गई।

2.7.23 जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवीवी), जबलपुर

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान पीसी यूनिट (तिल एवं रामतिल), जबलपुर में तिल की किस्मों का लक्षण-वर्णन किया गया। अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न लक्षणों के लिए तिल की विदेशी किस्मों का आकलन किया गया। तिल की अधिप्राप्ति भा.कृ.अ.प. संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा स्वयं जारी अस्सी किस्मों का रखरखाव प्रजनन तथा लक्षण-वर्णन किया गया।

विदेशी किस्मों के आकलन के तहत व्यवसायिक खेती के लिए 50 किस्मों को नागपुर, टोकमगढ़ तथा जबलपुर में खरीफ 2012 में उगाया गया। विविधता विश्लेषणों में सभी स्थानों में बीज पैदावार के लिए प्रविष्टियों में काफी अंतर पाया गया। स्थानों के औसत से पता लगा है कि समस्त प्रविष्टियों में से टीकेजी-55 में 916 कि.ग्रा./है. की सर्वाधिक औसत बीज पैदावार दर्ज की गई। इसके बाद

अमृत (896 कि.ग्रा./है.), आरटी-35 (873 कि.ग्रा./है.) तथा सावित्री (789 कि.ग्रा./है.) का स्थान था। टीकेजी-55 में 39 दिन था। 50 प्रतिशत पुष्पन से एकेटी-101 तथा श्वेता में 48 दिन था जिसमें औसतन 43 दिन था। टीकेजी-55 (39 दिन), टीकेजी-22 तथा टीकेजी-21 (40 दिन), टीकेजी-306, आरटी-54, आरटी-103 तथा आरटी-125 (41 दिन) में 50 प्रतिशत पुष्पन के लिए सबसे कम दिन दर्ज किए गए। परिपक्वता के दिन आरटी-103 में सबसे कम 90 दिन से श्वेता तथा ई-8 में सबसे अधिक 102 दिन थे जो औसतन 96 दिन है। आरटी 103, एकेटी-64 तथा आरटी-125 में अगेती परिपक्वन पाया गया। उमा, कनक, वाईएलएम-17 तथा आरटी-54 में सबसे कम पादप ऊंचाई दर्ज की गई जबकि श्वेता, राजेश्वरी, ई-8, पूर्वा-1, हीमा तथा डीएसएस-9 में अधिक पादप ऊंचाई दर्ज की गई। प्रति पादप शाखाओं की संख्या अलग-2 थी जो पीकेवी एन-11 में 1.8 से एसवीपीआर-1 में 3.9 के बीच थी। इसमें सामान्य औसत 2.7 था। एसवीपीआर-1 तथा अमृत में सबसे ज्यादा शासन/पादप दर्ज किए गए। संपुट (कैप्सुल)/पादप की संख्या अलग-2 थी जो न्यूनतम आरटी-46 में 26 से आरटी-127 तथा एसवीपीआर-1 में 48 संपुट पादप थे। किस्मों के 1000 बीज वजन में अंतर था जो अमृत में 2.51 ग्रा. से प्राची सं. 3.43 ग्रा. था। इसका औसत 3.00 ग्रा. था। प्राची किस्म में सर्वाधिक 1000 बीज वजन 3.43 दर्ज किया गया। इसके बाद जेएलटी-408 में 3.35 ग्रा. तथा वीआरआई-2 में 3.31 ग्रा. था। समस्त प्रविष्टियों में से जेएलटी 408 में 51.28 प्रतिशत था। सर्वाधिक तेल तत्व पाया गया। इसके बाद टीकेजी-22 (50.76 प्रतिशत) तथा श्वेता (50.20 प्रतिशत) का स्थान था।

2.7.24 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), (भा.कृ.अ.प.), बंगलुरु

आईआईएचआर का सब्जी प्रभाग टमाटर, बैंगन, भिण्डी तथा मटर के डीयूएस परीक्षण के लिए जिम्मेवार है। चूंकि टमाटर और मटर दोनों उच्च स्वतः परागणकर्ता फसलें हैं, अतः बीजों के रखरखाव के हिस्से के रूप में चयनित पादपों से एकत्रित किया जाता है। बैंगन और भिण्डी के मामले में बीजों को स्वतः पुष्पों से एकत्र किया गया क्योंकि दोनों फसलें प्रायः क्रॉस-परागणकर्ता वाली है। टमाटर में 28 संदर्भ किस्मों को रखरखाव प्रजनन के लिए उगाया गया और डीयूएस प्रशिक्षण में आगामी उपयोग के लिए बीजों को प्रगुणित किया गया। बैंगन में 34 संदर्भ किस्मों को

रखरखाव प्रजनन के लिए उगाया गया और डीयूएस परीक्षण में आगामी उपयोग के लिए बीजों को प्रगुणित किया गया। भिण्डी में 10 संदर्भ किस्मों के रखरखाव प्रजनन के लिए उगाया गया तथा डीयूएस परीक्षण में आगामी उपयोग के लिए बीजों को प्रगुणित किया गया। जबकि मटर के मामले में 26 संदर्भ किस्मों को रखरखाव प्रजनन के लिए उगाया गया तथा डीयूएस परीक्षा में आगामी उपयोग के लिए बीजों को प्रगुणित किया गया।



रबी 2012-13 में टमाटर की 39 अभ्यर्थी किस्मों के साथ 3 संदर्भ किस्मों का आकलन सैंतालीस विशिष्ट लक्षणों के लिए किया गया, बैंगन में 23 अभ्यर्थी किस्मों के साथ 10 संदर्भ किस्मों का आकलन, सैंतालीस डीयूएस विशिष्ट लक्षणों के लिए किया गया और भिण्डी में कुल 8 अभ्यर्थी किस्मों के साथ 10 संदर्भ किस्मों का आकलन इकतालीस डीयूएस विशिष्ट लक्षणों के लिए किया गया। डॉ. के.आर.एम.स्वामी, अध्यक्ष निगरानी दल की तथा डॉ. मनोज श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार, पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण की उपस्थिति में 28 जनवरी 2013 को डीयूएस निगरानी की गई। टमाटर में निगरानी के दौरान यदि ऑफ-टाइप 3 प्रतिशत से ज्यादा होती है तो ऐसी प्रविष्टियां अस्वीकृत कर दी गई थीं। ठंडे मौसम के कारण भिण्डी फसल की वृद्धि पर्याप्त नहीं पाई गई और अन्य सभी निगरानी टिप्पणियों की पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार दर्ज किया गया। समिति ने यह सुझाव दिया कि अगला डीयूएस परीक्षण उचित आकृति-मूलक लक्षणों के प्रदर्शन के लिए किस्मों के समान रूपी सैट के साथ खरीफ 2013 के दौरान आयोजित किया जाएगा। सभी चार किस्मों में समस्त संदर्भ किस्मों के लिए डिजिटल पुस्तकालय के रूप में डेटाबेस

तैयार किया गया। विभिन्न सब्जियों में डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नवत है :

सारणी 14 : डीयूएस के तहत परीक्षण की गई किस्मों की संख्या

फसलें	नई		वीसीके	पीवी	ईडीवी IV (यदि कोई है)	कुल
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
टमाटर	39 + 3	-	-	-	-	42
बैंगन	23 + 10	-	-	-	-	33
भिण्डी	8 + 10	-	-	-	-	18
मटर	-	-	-	-	-	-
कुल	93	-	-	-	-	93

डॉ. विम सेंगस्टर, विशेषज्ञ (वेराइटी टेस्टिंग) ने कीटनबो, द नीदरलैंड की अध्यक्षता में एक उच्च प्रतिनिधि मंडल ने श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त रजिस्ट्रार, पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण के साथ मिलकर गुलाब, चमेली, टमाटर तथा फ्रेंचबीन पर आईआईएचआर के वैज्ञानिकों (45) तथा निजी बीज कंपनियों के 25 प्रतिनिधियों को 5-6 दिसम्बर 2012 के दौरान प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

2.7.25 केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान (सीपीसीआरआई), कैसरगोड

यह संस्थान नारियल (कोकस न्यूसीफेरा एल.) में डीयूएस परीक्षण के लिए जिम्मेवार है। 11 नारियल संदर्भ किस्मों के रखरखाव, प्रजनन/लक्षण वर्णन का कार्य प्रगति पर है। इनमें सीओडी, डब्ल्यूसीटी, कल्पा प्रतिभा, कल्प धनु, कल्प मित्रा, चंद्र कल्प, केरा चन्द्रा, चन्द्रा शंकर, केरा संकर, चन्द्र लाथा तथा भा.कृ.अ.प./रा.कृ.वि. द्वारा जारी कल्परक्षा शामिल हैं। अनेक किस्मों जैसे सीओडी, डब्ल्यूसीटी, कल्प प्रतिभा, कल्प धनु, कल्प मित्रा, चन्द्र कल्प, केरा चन्द्रा, चन्द्र शंकर, केरा शंकर, चन्द्र लाक्षा और कल्परक्षा के 50 स्वस्थ सीड नट उगाए गए तथा 30 स्वस्थ अंकुरण चयनित किए गए तथा पोलीबैग में स्थानांतरित किए गए। अधिसूचित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार नारियल पौधों में डीयूएस लक्षण-वर्णन को एक वर्ष पौध निगरानी के सघन प्रलेखीकरण को छह माह से लिया गया।

पौध लंबाई, पौध परिधि तथा उत्पादित पत्तियों की संख्या, स्प्लिट पत्तियों की संख्या को बुवाई के बाद 6, 9 तथा 12वें माह में दर्ज किया गया। निगरानी से पता लगा है कि केरा चन्द्रा को किस्मों में अलग पाया गया। इसमें

उच्च पादप ऊंचाई, परिधि तथा पत्तियों की संख्या तथा स्प्लिट पत्तियों की संख्या अधिक पाई गई। विभिन्न किस्मों में एकल पत्ती के उभरने में लगने वाले समय को भी पौध में दर्ज किया गया। औसत रूप में यह पाया गया कि एक वर्ष पुरानी पौध में एक पत्ती के संपूर्ण प्रकटन में लगभग 30-40 दिन का समय लगता है। इसके अलावा इन किस्मों के 8 मूल पाम में स्थल में डीयूएस लक्षण-वर्णन किया गया और डेटाबेस सृजन के लिए पुष्पक्रम, फल आकृति मूलक तथा कोमल गरी लक्षणों पर निगरानी टिप्पणियां एकत्रित की गई। पुष्पक्रम तथा कोमल गरी के विस्तृत अध्ययन किए गए, जिनसे पता लगा है कि किस्मों के बीच अंतर है। विशेष रूप से किस्मों की तुलना में संकर किस्मों में उच्च वैल्यू पाई गई। किस्मों में से चन्द्र कल्प में शूकिका और मृदा पुष्पों की संख्या अधिक थी जबकि कल्प प्रतिभा में कोमल गरी पानी अधिक था ओर सीओडी में उच्च टीएसएस के साथ मीठा कोमल गरी पानी पाया गया।

2.7.26 केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, (सीपीआरआई), शिमला

सीपीआरआई में 162 आलू (सोलानम ट्यूबरोसम) संदर्भ किस्मों सहित 46 स्वयंजारी किस्मों, 62 देसी किस्मों, 29 यूपीओवी किस्मों, 18 विदेशी किस्मों तथा 7 राज्य किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है। डीयूएस परीक्षण की प्रगति के संबंध में निजी क्षेत्र की तीन अभ्यर्थी किस्मों का परीक्षण पहले वर्ष में नई किस्म के रूप में किया गया। डॉ. पी.सी. पाण्डे, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, सीपीआरआई, मोदीपुरम की अध्यक्षता में डीयूएस परीक्षणों की निगरानी 4 मार्च 2013 को की गई।

2.7.27 राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, पाकयोंग, सिक्किम

सारणी 15: रखरखाव प्रजनन के तहत ऑर्किड किस्में

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या
साइम्बिडियम	30
डैंड्रोबियम	14
वेंदा	23
फैलोनॉप्सिस	30
कैटलिया	8
ओनसीडियम	24
पेफियोपीडूलम	137

राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, पाकयोंग, सिक्किम द्वारा साइमबीडियम, डैड्रोबियम तथा वंदा के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित किए गए। इन तीन प्रजातियों को पहले ही 27 मार्च 2012 को पंजीकरण के लिए अधिसूचित कर दिया है। उक्त फसल प्रजातियों की वर्तमान किस्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन को प्राधिकरण द्वारा 26 मार्च 2015 तक स्वीकार कर लिया है। केन्द्र ने ऑर्किड की 137 संदर्भ किस्मों का रखरखाव तथा लक्षण-वर्णन किया है जोकि ज्यादातर वीसीके या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से एकत्र की गईं। इनका विवरण निम्नवत है :

ऑर्किड लक्ष्य दल की पहली बैठक केन्द्र में पूर्वी हिमालय क्षेत्र, हेंगबंग, जिला सेनापति, मणिपुर के ऑर्किड जीन संरक्षण के लिए 20-21 मार्च 2013 को आयोजित की गई थी और पैफियोपेडीलम (76) तथा ऑनसीडियम (60) का आकृति मूलक विवरण तैयार किया गया।

2.7.28 भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (आईआईवीआर), वाराणसी

टमाटर

विभिन्न केन्द्रों से एकत्रित 81 टमाटर संदर्भ किस्मों का रखरखाव खरीफ-रबी 2012-13 के दौरान संस्थान में किया गया और डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार 47 आकृतिमूलक लक्षणों के आंकड़े दर्ज किए गए। इन किस्मों के अनेक केन्द्रों से एकत्रित किया गया जनमें आईएआरआई, नई दिल्ली; आईएआरआई क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई; आईआईवीआर, वाराणसी; बीसीकेवी कल्याणी; सीएसएयूए एंड टी कानपुर; डीएआरएल, पिथौरागढ़; यूएस, धारवाड़; जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर; एचएयू, हिसार; एचएआरपी, रांची; आईआईएचआर, मंगलुरु; जेएयू, जूनागढ़; पीएयू, लुधियाना; टीएनएयू, कोयम्बटूर; ओयूए एंड टी, भुवनेश्वर; एनईएच,



मेघालय; एनडी यूए एंडटी, फैजाबाद, वाईएसपीयूएचएफ, सोलन आदि शामिल हैं।

बैंगन

विभिन्न केन्द्रों से एकत्रित 89 बैंगन संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया। डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार 96 आकृतिमूलक लक्षणों को दर्ज किया गया। इन किस्मों को विभिन्न केन्द्रों से एकत्रित किया गया जिनमें आईएआरआई, नई दिल्ली; आईआईवीआर, वाराणसी; एपीएचक्यू, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद; सीएसएयूए एंड टी कानपुर; जेएयू, जूनागढ़; जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर; एचएआरपी, रांची; आईआईएचआर, बंगलुरु; जेएनकेवी, जबलपुर; केएयू, केरल; ओयूए एंड टी, भुवनेश्वर; पीएयू, लुधियाना; पीडीकेवी, अकोला; आरएयू, समस्तीपुर; टीएनएयू, कोयम्बटूर आदि शामिल है।



वर्ष 2012-13 के दौरान निजी क्षेत्र से तेईस अभ्यर्थ किस्मों का परीक्षण किया गया। इनमें से एसबीजेएच-32, एसबीजेएच-227, एसबीजेएच-183, एसबीजेएच 305, एसबीजेएच 038, जे.के.कामिनी-333, जेके विजय किरण, एमईबीएच-39, उन्नत, एमएचबीजे-111, एनबीएच-538, महानदी प्लस, हंस, एनबीएच-801, प्रियंका की निगरानी, दावा किए गए सामूहिक लक्षणों के समस्त सामूहिक लक्षणों के अनुरूप की गईं।

भिण्डी

खरीफ 2012 के दौरान आकलन के लिए विभिन्न केन्द्रों से भिण्डी की तेईस किस्मों को एकत्रित किया गया और 31 आकृतिमूलक लक्षणों के लिए इन्हें दर्ज किया गया तथा डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के रूप में इनका रखरखाव किया गया। इन किस्मों को विभिन्न केन्द्रों से एकत्रित किया गया। इनमें आईएआरआई (आरएस),

कटराई; आईआईवीआर, वाराणसी; पीडीकेवी, अकोला; जेएयू जूनागढ़; जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर; एचएयू, हिसार; एमपीकेवी, राहुरी; पीएयू, लुधियाना; एसकेएयूएस एंड टी, जम्मू; एएयू आनंद आदि शामिल हैं।

फूलगोभी

रबी 2012-13 के दौरान आकलन के लिए एआईसीआरपी (वीसी) केन्द्रों से बाहर फूलगोभी किस्मों को एकत्रित किया गया और 28 लक्षणों के लिए आंकड़े दर्ज किए गए तथा डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के रूप में रखरखाव किया जा रहा है। इन किस्मों को विभिन्न केन्द्रों से एकत्रित किया गया जिनमें आईएआरआई, नई दिल्ली; आईएआरआई क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई; आईआईवीआर, वाराणसी; एसकेयूए एंड टी, जम्मू तथा जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर शामिल हैं।



बंदगोभी

विभिन्न एआईसीआरपी (वीसी) केन्द्रों से छह बंदगोभी संदर्भ किस्मों का रबी 2012-13 के दौरान रखरखाव किया गया और डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार 28 आकृतिमूलक लक्षणों को दर्ज किया गया। इन किस्मों को विभिन्न केन्द्रों से एकत्रित किया गया जिनमें आईएआरआई, नई दिल्ली तथा आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई शामिल हैं।



शाकीय मटर

20 लक्षणों के आंकलन के लिए एआईसीआरपी (वीसी) केन्द्रों से मटर की 45 किस्मों को एकत्रित किया गया और रबी 2012-13 के दौरान डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के रूप में इनका रखरखाव किया गया। इन किस्मों को विभिन्न केन्द्रों से एकत्रित किया गया। इनमें आईएआरआई (आरएस), कटराई; आईआईवीआर, वाराणसी; जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर; एचएयू, हिसार; एचएआरपी, रांची; पीएयू, लुधियाना; एमपीकेवी, राहुरी; डॉ. वाईएसपीएचयू एंड एफ, सोलन; वीपीकेएस, अल्मोड़ा आदि शामिल हैं।

फ्रेंचबीन

एआईसीआरपी (वीसी) केन्द्रों से 21 आकृतिमूलक लक्षणों के आकलन के लिए चौबीस फ्रेंचबीन किस्मों को एकत्रित किया गया और 2012-13 के रबी मौसम के दौरान डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के रूप में इनका रखरखाव किया गया। इन किस्मों को विभिन्न केन्द्रों से एकत्रित किया गया, जिनमें आईएआरआई, नई दिल्ली, आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई; आईआईवीआर, वाराणसी; डॉ. वाईएसपीएच एंड एफ, एमपीकेवी, राहुरी, सेलन; बीएचयू, वाराणसी; सीएसएयूए एंड टी, कानपुर, सीएचईएस, रांची; बीपीकेएस, अल्मोड़ा शामिल हैं।

सारणी 16 : आईआईवीआर, वाराणसी में डीयूएस परीक्षण निगरानी (प्रथम वर्ष) की प्रगति

सब्जी	नई	वीसीके	कुल	निगरानी तिथि	अध्यक्ष
भिण्डी	4	4	8	10 अक्टूबर 2012	डॉ. ए.एन. मौर्या
बैंगन	3	20	23	03 दिसम्बर 2012	डॉ. मथुरा राय
फूलगोभी	8	4	12	03 दिसम्बर 2012	डॉ. मथुरा राय
बंदगोभी	6	—	6	11 जनवरी 2013	डॉ. ए.एन. मौर्या
टमाटर	24	15	39	27 फरवरी 2013	डॉ. ए.एन. मौर्या
कुल	42	46	88		

सब्जियों की समस्त किस्में सिर्फ निजी क्षेत्र की हैं डॉ. ए.एन.मौर्या तथा डॉ. मथुरा राय, पूर्व निदेशक, आईआईवीआर, वाराणसी की अध्यक्षता में विभिन्न फसलों के लिए गठित विभिन्न दलों द्वारा डीयूएस की निगरानी की गई। निगरानी

के दौरान यह पाया गया कि फूलगोभी की एक किस्म समानरूपी (एससीएफएच-2178) नहीं है। टमाटर की एक अन्य किस्म (केटीएल 3279) को भी समानरूपी नहीं पाया गया।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान नौकखीनबो, द नीदरलैंड से एक डच प्रतिनिधि मंडल ने आईआईवीआर का दौरा किया तथा 4-6 दिसम्बर 2012 के दौरान सब्जियों के डीयूएस परीक्षण पर प्रशिक्षण प्रदान किया। केन्द्र ने डॉ. आर.आर.हंसीनाल, माननीय कुलपति, यूएएस, धारवाड़ की अध्यक्षता में डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं की 7वीं समीक्षा बैठक का आयोजन आईआईवीआर, वाराणसी में 28 फरवरी से 01 मार्च 2013 को किया गया।

डीयूएस परीक्षण

बैंगन (23), टमाटर (39), फूलगोभी (12), भिण्डी (8) तथा बंदगोभी (6) प्रविष्टियों का डीयूएस परीक्षण के साथ-साथ संदर्भ किस्मों का परीक्षण किया गया तथा डीयूएस परीक्षण की मुख्य उपलब्धियां निम्नवत हैं :

भिण्डी

वर्ष 2012-13 के दौरान निजी क्षेत्र की आठ अभ्यर्थी किस्मों का परीक्षण किया गया। इनमें से एनओकेएच-1004, बीआईओ-228एच तथा एसएलएफएच 7777 को दावा किए गए सामूहिक लक्षणों के अनुसार समस्त सामूहिक लक्षणों की निगरानी की गई।

बैंगन

वर्ष 2012-13 के दौरान निजी क्षेत्र की 23 अभ्यर्थी किस्मों सुंग्रो (13), नुजीवीडू (5), जे.के.एग्री जेनेटिकस (3) तथा माइको (2) का परीक्षण किया गया। इनमें से एसबीजेएच-32, एसबीजेएच-227, एसबीजेएच-183, एसबीजेएच-305, एसबीजेएच-038, जेके कामिनी-333, जेके विजय किरण, एमईबीएच 39 उन्नत, एमएचबीजे-111, एनबीएच 538, महानंदी प्लस, हंसा, एनबीएच 801 प्रियंका की निगरानी दावा किए गए सामूहिक लक्षणों के अनुरूप सभी सामूहिक लक्षणों के लिए की गई। जबकि सिर्फ एक किस्म अर्थात् एनबीएच 801 प्रियंका में सभी दावा किए गए तथा सामूहिक लक्षणों का प्रदर्शन पाया गया।

फूलगोभी

वर्ष 2012-13 के दौरान निजी क्षेत्र से 12 अभ्यर्थी किस्मों का परीक्षण किया गया। सभी किस्मों की निगरानी दावा किए

गए सामूहिक लक्षणों के अनुसार सभी सामूहिक लक्षणों के लिए की गई सिर्फ एससीएफएच 50 तथा एनसीएफडी-60 के अलावा। जबकि सिर्फ एक किस्म अर्थात् एससीएफएच 2178 में दावा किए गए समस्त सामूहिक लक्षणों का प्रदर्शन पाया गया।

टमाटर

वर्ष 2012-13 के दौरान निजी क्षेत्र से उनतालीस कैंडिडेट किस्मों का परीक्षण किया गया। इनमें से अवीथा 1032, उन्नत भाग्य, बीए 1031, एसटीएच-7007, जेकेटीएच-5202, एसटीएच-3585, जेके अक्षय, एसटीएच 7008, एमएचटीएम 401, एचटीएम 8021, एमएचटीएस 256, आरएक्स 15660814, आरएक्स 15672356, आरएक्स 15660635, केटीएच-331, केटीएच-354, केटीएल-3287, केटीएल-3285, केटीएल 3290, प्रथम, साईन-टू-1952, साईन-टू-1389, निर्मल 2257 को दावा किए गए सामूहिक लक्षणों के अनुरूप सभी सामूहिक लक्षणों की निगरानी की गई। जबकि उन्नत भाग्य, बीए 1031 तथा केटीएल 3285 में दावा किए गए सभी सामूहिक लक्षण प्रदर्शित पाए गए।

बंदगोभी

वर्ष 2012-13 के दौरान निजी क्षेत्र से छह अभ्यर्थी किस्मों का परीक्षण किया गया। कोई भी किस्म दावा किए गए लक्षणों के अनुरूप सामूहिक लक्षण वाली नहीं पाई गई।

2.7.29 बीज अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केन्द्र (एसआरटीसी), आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद

इस केन्द्र को मक्का, मूंग तथा उड़द में डीयूएस परीक्षण के लिए बैचमार्क दिया है। वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित डीयूएस परीक्षणों का विवरण निम्नवत है :

सारणी 17 : डीयूएस परीक्षण की प्रगतियां

फसलें	नई	वीसीके	कृषक	कुल	
	प्रथम वर्ष	प्रथम वर्ष	प्रथम वर्ष	प्रथमवर्ष	द्वितीय वर्ष
मक्का (संकर) अंतर प्रजनित	43	08	01	52	06
मूंग	01	01	-	02	-
उड़द	0	01	-	01	-



डॉ. साई दास की अध्यक्षता में गठित निगरानी दल ने 26 सितम्बर 2012 को मक्का, मूंग तथा उड़द की निगरानी की। इस दल में डॉ. ज्योति कॉल, पीएस, डीएमआर; डॉ. ए.विष्णु वर्धन रेड्डी (नोडल अधिकारी) तथा एम. सुधा रानी (सदस्य), बीज अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा डॉ. तेजबीर सिंह, रजिस्ट्रार, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण शामिल थे। डीयूएस परीक्षण पर निगरानी दल की टिप्पणियां निम्नवत हैं :

मक्का

- डीयूएस जांच दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षण आयोजित किए गए। अभ्यर्थी किस्मों में दावा किए गए लक्षणों के प्रदर्शनों को दर्ज किया गया तथा उचित और प्रासंगिक संदर्भों के साथ इनकी तुलना की गई।
- मुक्त परागणकर्ता किस्मों के डीयूएस परीक्षण को हतोत्साहित किया जाए, जब तक कि दावेदार किस्म के पादप की अधिकता में 1-2 स्थाई अनिवार्य लक्षण को दावेदार द्वारा दर्शाया न जाए।
- प्रतिरूपण को तीन से कम करके दो किया जाए साथ ही 4 मीटर की 6 पंक्ति होनी चाहिए। यह कार्य करते हुए छोटे खेत आकार के साथ समानरूपी सामग्री में लक्षणों के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

उड़द

डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुरूप परीक्षण आयोजित किए गए। उड़द की एक प्रविष्टि की जांच की गई और निगरानी में पाया गया कि दावा किए गए लक्षण तथा निगरानी दल द्वारा पाए गए लक्षण समानरूपी थे। अभ्यर्थी प्रविष्टियों की तुलना उपयुक्त तथा प्रासंगिक संदर्भों के साथ की गई।

मूंग

डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षण किए गए। मूंग की दो प्रविष्टियों का परीक्षण किया गया और पाया गया

कि दावा किए गए लक्षण तथा निगरानी दल को पाए गए लक्षण समान रूपी थे। अभ्यर्थी प्रविष्टियों की उचित तथा प्रासंगिक संदर्भों के साथ तुलना की गई।

2.7.30 कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएसएस), धारवाड़

विश्वविद्यालय में सोयाबीन की 98 तथा गेहूं की 132 किस्मों का रखरखाव/प्रजनन तथा लक्षण वर्णन किया गया जो मुख्य रूप से भा.कृ.अ.प. संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त या स्वयं इनके द्वारा जारी किस्मों थी। खरीफ 2012 के दौरान कपास की 61 अभ्यर्थी किस्मों का परीक्षण किया गया। इनमें 20 अनिवार्य उत्पन्न किस्मों (ईडीवी + IV) तथा 32 संदर्भ किस्मों शामिल हैं। संरक्षित तथा गैर संरक्षित स्थितियों के तहत 2 प्रतिरूपण के साथ आरबीडी में ईडीवी परीक्षण किए गए। इसके अलावा गेहूं की 132 किस्मों तथा सोयाबीन की 98 किस्मों तथा 2 अभ्यर्थी किस्मों की जांच इनके डीयूएस लक्षण-वर्णन के लिए की गई। सभी तीन मुख्य फसलों में डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नलिखित है :

सारणी 18 : वर्ष 2012-13 के दौरान डीयूएस परीक्षण तथा लक्षण-वर्णन के तहत किस्मों की संख्या

फसलें	नई	वीसीके	ईडीवी + IV	कुल
	प्रथम वर्ष		प्रथम वर्ष	
कपास	16	25	20	61
सोयाबीन	1 (नई) + 1 (वीसीके)	98 (संदर्भ किस्मों)	-	100
गेहूं		132 (संदर्भ किस्मों)	-	132
कुल	18	255	20	293

कपास निगरानी

कपास के डीयूएस परीक्षण, बेहतर वृद्धि तथा तीन प्रतिरूपण में विकास के साथ उत्कृष्ट थे। फसल डोडा/बीज कोष निरूपण स्तर में थे। इनमें 61 अभ्यर्थी किस्मों हैं जिनमें 32 संदर्भ किस्मों शामिल हैं। एक अभ्यर्थी किस्म जे.के. वरुण बीटी का अंकुरण नहीं हुआ। अभ्यर्थी किस्मों के आवेदक द्वारा किए गए दावे की पुष्टि आमतौर पर निगरानी में हुई। यद्यपि कुछ लक्षणों जैसे पत्ती और तना रोमिलता, पुष्प पंखुड़ी, तना पराग रंग से संबंधित कुछ कमियां भी नोट की गईं। निगरानी कार्य डॉ. एम.एस. कैरों, पूर्व निदेशक, सीआईसीआर, नागपुर

की अध्यक्षता में 2-3 नवम्बर 2012 को किया गया। इस निगरानी कार्य में डॉ. एन.के.बिरादर पाटिल, विशेष अधिकारी (बीज), यूएएस, धारवाड़ तथा इनका दल डॉ. सुमा मोगली, वैज्ञानिक (आनुवंशिक और पादप प्रजनन), श्री संजय डांगी, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता, डीयूएस परीक्षण तथा श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त रजिस्ट्रार भी शामिल थे। निजी कंपनियों के प्रतिनिधि भी इसमें उपस्थित थे।

सोयाबीन निगरानी

डॉ. ओ.पी.जोशी, पूर्व निदेशक, डीएसआर, इंदौर की अध्यक्षता में 22 अगस्त 2012 को सोयाबीन की निगरानी की गई। इसमें प्राधिकरण के प्रतिनिधि के रूप में डॉ. तेजवीर सिंह, रजिस्ट्रार भी उपस्थित थे। फसल फूल लगने के चरण में थी और फसल खेत में संतोषजनक स्थिति में पाई गई। निगरानी दल द्वारा यह सिफारिश की गई कि रखरखाव तथा अभ्यर्थी किस्मों के परीक्षण खेतों में किस्मों के बीच एक पंक्ति अंतराल अवश्य छोड़ा जाए। अभ्यर्थी किस्मों का रोपण अलग से किया जाए, ताकि फसल विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार पादप वृद्धि स्वयंप का पता लगाया जा सके। सोयाबीन निगरानी में पादप वृद्धि टाइप (तना टर्मिनेशन) को भी दर्ज किया जाए। अध्यक्ष द्वारा सलाह दी गई कि एक वैज्ञानिक/एसआरएफ को सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, इंदौर का दौरा करके डीयूएस परीक्षण तथा विभिन्न आकृतिमूलक लक्षणों पर दर्ज आंकड़ों की विधि (मिट्टी-ग्रीटी) का शिक्षण लेना चाहिए और यूएएस, धारवाड़ में प्रजनन कार्यक्रम के लिए उपयोगी प्रजनन सामग्री/अग्रत प्रजनन वंशक्रमों की उपयोगिता भी देखनी चाहिए।

2.7.31 भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर), कानपुर

केन्द्र द्वारा मूंग की 74 किस्मों तथा उड़द की 46 किस्मों का रखरखाव खरीफ 2012 के दौरान किया गया। इसके अलावा मटर की पचपन किस्मों, मसूर की 36 किस्मों तथा राजमा की 13 किस्मों का भी रखरखाव किया गया। इन किस्मों के रखरखाव के लिए प्रत्येक किस्म से 10 एकल पादप चुने गए और रबी 2012-13 के दौरान इनकी एकल रूप में कटाई की गई। खरीफ 2012 के दौरान मूंग (एनवीएल 605, एनवीएल 1) की दो किस्मों तथा उड़द की (एनयूएल 7) एक किस्म के साथ संदर्भ किस्मों का परीक्षण किया गया तथा डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़ों को दर्ज किया और रबी 2012-13 में राजमा की दो किस्म (सफेद झुलू सावंत तथा सफेद सावंत) के साथ संदर्भ किस्मों का परीक्षण किया और डीयूएस दिशानिर्देशों

के अनुसार आंकड़ों को दर्ज किया गया।

सारणी 19: रखरखाव प्रजनन के तहत संदर्भ किस्में

क्र. सं.	फसल प्रजातियां	किस्मों का नाम
1.	मूंग (विग्ना रेडियाटा (एल. विल्कजैक)	संदर्भ किस्में (74) पीडीएम 11, पीडीएम 54, पीडीएम 139, पंत एम 1, पंत एम 2, पंत एम 3, पंत एम 4, पंत एम 5, पीएस 10, पूसा 105, ओबीजीजी 53, पूसा 9531, पूसा बैशाखी, पूसा विशाल, पीएस 16, पूसा 9072, पूसा रत्ना, प्रताप, पीकेवीएम 8802, आरएमजी 62, आरएमजी 268, आरएमजी 344, आरएमजी 492, सुजाता, सालीमार एम 1, सोना, एसएमएल 32, एसएमएल 134, एसएमएल 668, टीएआरएम 1, टीएआरएम 2, टीएआरएम 18, टीएपी 7, टी 44, वम्बन 1, आशा, एकेएम 8802, एकेएम 8803, एकेएम 9910, एएयू 34, बीएम 4, बीपीएमआर 145, बीडीएन 2, सीओ 4, ओयूएम 11-5, सीओ 6, सीओजीजी 912, धोली गंगा 1, जीएम 3, जीएम 4, गंगा 8, एचयूएम 1, एचयूएम 6, एचयूएम 12, आईपीएम 99-125, जेएम 721, कोपरगांव, के 851, लैम एम 2, एलजीजी 407, एलजीजी 410, एलजीजी 450, एलजीजी 460, एमएल 5, एमएल 131, एमएल 267, एमएल 613, एमएल 818, एमजीजी 295, एमएच 96-1, एमयूएम 2, एनडीएम 1
2.	उड़द (विग्ना मुंगो (एल) हैप्पर)	संदर्भ किस्में (46) आजाद यू 1, आजाद यू 2, एकेयू 9904, सीओ 5, जीयू 1, जेयू 2, केयू 96-3, एलबीजी 17, एलबीजी 611, एलबीजी 623, एलबीजी 645, एलबीजी 648, एलबीजी 685, एलबीजी 402, मणिक्या, मैश 1, नवीन, एनडीयू 1, पीडीयू 1, पंत यू 19, पंत यू 30, पंत यू 35, आरबीयू 38, शेखर यू 1, शेखर यू 2, शेखर यू 3, सरला, टीयू 94-2, टीएयू 1, टीएयू 2, टी 9, टीएमवी 1, पीपीयू 4, उत्तरा (आईपीयू 94-1), यूएल 338, वम्बन 1, वम्बन 2, डब्ल्यूबीयू 108, जी 338, एलबीजी 20, मैश 1-1, मैश 414, यूजी 1008, प्राग्य, पंत यू 40, पंत यू 31

क्र. सं.	फसल प्रजातियां	किस्मों का नाम
3.	मसूर (लैंस क्यूलीनेरिस मेडिक)	संदर्भ किस्में (36) डीपीएल 15, डीपीएल 62, आईपीएल 81, पीएल 406, पीएल 639, पीएल 4, पीएल 5, पीएल 234, एल 4147, एल 4076, आशा, रंजन, सुभ्रता, जेएल 1, जेएल 3, एलएच 84-8, के-75, एनडीएल 1, वीएल 1, वीएल 4, वीएल 103, पीएल 77-12, एलएल 56, एलएल 147, एलएल 699, वीएल 507, केएलएस 218, आईपीएल 406, वीएल 126, एचयूएल 57, पीएल 24, पीएल 63, डब्ल्यूबीएल 77, बरैया लोकल, विदोखर लोकल, आईपीएल 315
4.	मटर (पाइसम सेटाइवम एल.)	संदर्भ किस्में (55) आर्केल, आजाद पी 1, आजाद पी2, आजाद पी3, आजादी पी4, आजाद पी5, अगेता 6, डीडीआर 23, डीडीआर 27, वीआरपी 3, पीआरपी 5, पीआरपी 6, पीआरपी 7, पीआरपी 22, पीआरपीएमआर 9, डीडीआर 44, एचयूडीपी152, एचएफपी 4, एचएफपी 529, एचएफपी 8909, आईपीएफडी 99-13, आईपीएफडी 1-10, आईपीएफडी 6-3, ज्यंति, केपीएमआर 144-1, केपीएमआर 400, केपीएमआर 522, एलएफपी 48, पीजी 3, पंत पी 74, स्वाति, वीएल 3, बी 22, डीएमआर 7, एचयूपी 2, आईएम 9101, आईएम 9102, आईपीएफ 99-25, आईपीएफ 4-9, आईपीएफ 4-26, आईपीएम 5-19, जेएम 6, जेपी 885, केएफपी 103, पंत पी 5, पंत पी 42, रचना, टीआरसीपी 8, वीएल 1, वीएल 42, वीएल 45, वीएल 46, एचएफपी 9426, एचएफपी 9907बी
5.	राजमा (फ़ैसियोलस वल्नोरिस एल.)	संदर्भ किस्में (13) पीडीआर 14, आईपीआर 96- 4, एचयूआर 15, एचयूआर 137, आईपीआर 98-5, एचपीआर 35, आईपीआर 98-3-1, एचयूआर 203, आईवीएफबी 1, अनूप, स्वीधा, कोमल, गुजरात राजमा 1

2.7.32 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल

केन्द्र ने अब तक (2004-2010) 441 चावल किस्मों/

कल्टीवर्स का लक्षण वर्णन किया है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान तीन अभ्यर्थी किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया गया तथा किसानों की दो किस्मों की जांच (जीओटी0 की गई अर्थात् (1) सिग्नेट 44 (नई, विशिष्ट), (2) सिग्नेट 5050 (नई, संकर), (3) सिग्नेट 5051 (नई, संकर) के साथ-साथ सात संदर्भ किस्मों (आरवी) तथा दो किसानों की किस्मों (एफवी) का जीओटी किया गया अर्थात् (प) बिलिंडली, (पप) धनिया, यह कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल में खरीफ 2012 के दौरान किए गए। 7 जून 2012 को नर्सरी उगाई गई तथा प्रतिरोपण का कार्य 7 जुलाई 2012 को पूरा किया गया। डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न चरणों में निगरानी दर्ज की गई। डॉ. एस.एस. मलिक, पूर्व प्रभागाध्यक्ष, एनबीपीजीआर, नई दिल्ली की अध्यक्षता में डीयूएस निगरानी दल द्वारा अभ्यर्थी किस्मों के डीयूएस परीक्षण की निगरानी तथा कृषक किस्मों को उगाने की जांच की निगरानी 26 अक्टूबर 2012 को की गई। निगरानी दल ने यह पाया कि डीयूएस परीक्षण और कृषक किस्मों की सामान्य फसल वृद्धि बेहतर और समरूप थी। केन्द्र द्वारा दर्ज निगरानी क्रमबद्ध है। डीयूएस आंकड़े और रिपोर्ट को नोडल अधिकारी (चावल) डीआरआर, हैदराबाद को प्रस्तुत किया गया।



2.7.33 असम कृषि विश्वविद्यालय (एएयू), जोरहट

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान केन्द्र में चावल की 48 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया। चावल की 4 नई अभ्यर्थी किस्मों का डीयूएस परीक्षण (दूसरा वर्ष) और कृषकों की 23 किस्मों के वर्धन परीक्षण रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। 48 संदर्भ किस्मों तथा कृषक किस्मों का रखरखाव/लक्षण वर्णन भी किया गया। डीयूएस जांच तथा वर्धन जांच से संबंधित आंकड़ों को नोडल केन्द्र को प्रस्तुत किया गया। नोडल तथा सह-नोडल अधिकारियों ने विश्वविद्यालय के आईपीआर सैल के संचालन



के तहत आयोजित पीपीवी एंड एफआर अधिनियम पर प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चावल के डीयूएस परीक्षणों की निगरानी 20 नवम्बर 2012 को आयोजित की गई। परीक्षणों को डीयूएस जांच दिशानिर्देशों के अनुसार उचित रूप से किया गया तथा फसल वृद्धि तथा जमाव को संतोषजनक पाया गया।

2.7.34 औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय (डीएमएपीआर), बोरिवी, आनंद

निदेशालय का अधिदेश ईसबगोल नामक औषधीय पादप के लिए डीयूएस जांच उपलब्ध कराना है। यहां ईसबगोल (प्लेंटोगो ओवाटा फोस्क) की 11 किस्मों का रखरखाव तथा लक्षण-वर्णन किया गया। डीयूएस निरूपक का विकास और कालमेघ (एंड्रोग्रेफिस पेनीक्यूलेटानीस) में वंशक्रमों के लक्षण-वर्णन का कार्य प्रगति पर है। इस आकृतिमूलक लक्षणों में डीयूएस निरूपक की पहचान की गई तथा तदनुसार विशिष्ट वंशक्रम विकसित किए गए। विचार किए गए मुख्य लक्षणों में पादप व्यवहार (इरेक्ट या ट्रेलिंग); पत्ती स्वरूप : संकरी (लंबी संकरी या लघु संकरी); विशाल (लघु व्यापक या लंबे विशाल); पत्ती रंग (हल्का हरा या गहरा हरा); पादप कैनोपी बनावट (नुकीला, गोल); पुष्पन पैटर्न (अगेती, सामान्य और पछेती); पुष्पक्रम स्वरूप (फूल की कमी निकटतम व्यवस्थित या दूरस्थ रूप से व्यवस्थित); पादप ऊंचाई (लंबा, सामान्य, बौना), तना इंटरनोड लंबाई (सामान्य या सघन) आदि शामिल हैं। डीएमएपीआर एपी 11,16,19 तथा 35 ऊर्ध्व (इरेक्ट) प्रकार तथा डीएमएपीआर 21 तलसर्पी (ट्रेलिंग) प्रकार की हैं। पादप कैनोपी (वितान) डीएमएपीआरएपी 39, 40 में नुकीली तथा डीएमएपीआरएपी 35 तथा 6 में गोलाकार है। डीएमएपीआर एपी 6 तथा लघु संकरे पत्ते तथा डीएमएपीआर एपी3 में लंबे संकरे पत्ते

पाए गए। डीएमएपीआर एपी 18, 19, 25 लंबे विशाल पत्ती प्रकार के थे। डीएमएपीआर एपी 6 तथा डीएमएपीआर एपी 19 हल्के हरे रंग के थे तथा डीएमएपीआर एपी3 तथा 42 गहरे हरे रंग के थे। डीएमएपीआर एपी15 में पत्ती पटल अंदर को मुड़े थे तथा डीएमएपीआर एपी16 में बाहर को मुड़े थे। डीएमएपीआर एपी36 अगेती पुष्पन प्रकार के और डीएमएपीआर एपी1 तथा 2 पछेती पुष्पन प्रकार की हैं। पुष्प कलियां डीएमएपीआर 3, 33 तथा 34 में निकटतम थी और डीएमएपीआर एपी 37 में दूर-दूर स्थित थी। डीएमएपीआर एपी 21 तथा 22 लंबी प्रकार तथा डीएमएपीआर एपी 42 बौनी प्रकार की थी। तदनुसार 45 विशिष्ट संदर्भ किस्मों की पहचान की गई। घास पत्ता पैदावार एन्ड्रोग्रेफोलाइड तत्व के आधार पर चयनित वंशक्रमों के आकलन के लिए अध्ययन किए गए। एचपीएलसी विधि द्वारा एन्ड्रोग्रेफोलाइड तत्व का आकलन किया गया। वंशक्रमों में पत्ती और तने में एन्ड्रोग्रेफोलाइड तत्व क्रमशः 3.25 से 1.05 प्रतिशत तथा 0.97 से 0.22 प्रतिशत के बीच था।

2.8 डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं की दो समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इनमें से पहली बैठक पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार समारोह के अवसर पर दिनांक 21-22 मई, 2012 को एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में आयोजित की गई। छठी समीक्षा बैठक के विभिन्न सत्रों में डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं के 125 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इन सत्रों की अध्यक्षता विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा की गई। विभिन्न डीयूएस केन्द्रों/परियोजना द्वारा अलग-अलग विषय पर पोस्टर तथा चार्ट की प्रदर्शनी लगाई गई। इसे ए.पी.



शिंदे हाल में प्रदर्शित किया गया। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- रखरखाव प्रजनन पर ज्यादा जोर दिया जाए तथा निधिकरण पर विचार किया जाए।
- समरूपता के लिए कृषक किस्मों (एफवी) के लिए 'ऑफ टाइप' हेतु कुछ छूट दी गई तथा आगामी प्रजनन के लिए कुछ विशिष्ट एफवी आनुवंशिक आधार के रूप में काम करेंगे और एफवी के परीक्षण करने वाले केन्द्रों को राशि प्रदान की जाए।
- विशिष्ट फसलों जैसे मीठी ज्वार, चारा ज्वार, विशेष कोर्न, सजावटी सूरजमुखी के लिए डीयूएस जांच दिशानिर्देश विकसित किए गए।
- किस्मगत जीन बैंक न कि जननद्रव्य बैंक के लिए फील्ड जीन बैंक स्थापित किया जाए।
- फील्ड डेटा की रिकॉर्डिंग के लिए पॉकेट मैनुअल विकसित किया जाए।
- नए केन्द्रों द्वारा विकसित दिशानिर्देश सिर्फ आकृतिमूलक निरूपक सृजन किस्मगत डेटाबेस तक सीमित रखा जाए। इसमें सामान्य जानकारी, वंशक्रम की समस्त किस्में शामिल हैं तथा मौजूदा डेटाबेस को भी मजबूत किया जाए।
- पिछले वित्तीय वर्ष के लिए यू.सी. को वर्तमान वित्तीय वर्ष के 31 मई तक प्रस्तुत किया जाए और डीयूएस जांच शुल्क के लिए स्टेटमेंट आफ एक्सपेन्डीचर (एसओई) को अलग से प्रस्तुत किया जाए।

इसके बाद 28 फरवरी से 1 मार्च 2013 के दौरान डीयूएस समीक्षा की एक और बैठक भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (आईआईवीआर), वाराणसी, उत्तर प्रदेश में बुलाई गई। अध्यक्ष नामित, प्रो. आर.आर. हंचिनाल, माननीय कुलपति, यूएएस धारवाड़ इसमें मुख्य अतिथि थे तथा डीयूएस केन्द्र/परियोजनाओं से लगभग 100 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया तथा वर्ष 2012-13 के दौरान अपने कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति तथा 2013-14 की कार्य योजना को प्रस्तुत किया। डॉ. पी. एस. नाईक, निदेशक, आईआईवीआर ने "पादप किस्म संरक्षण में जैवप्रौद्योगिकी विधि" विषय पर व्याख्यान दिया तथा ईडीवी जांच तथा ईयूएस जांच में आण्विक मार्कर के उपयोग पर विचार-विमर्श किया।



समीक्षा समिति की बैठक की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

- रखरखाव प्रजनन को सख्ती से लागू किया जाए ताकि उचित रैफरल संग्रहण का रखरखाव किया जा सके जिसे डीयूएस परीक्षण में विश्वसनीय रूप से उपयोग किया जा सकता है तथा संदर्भ/ उदाहरण किस्मों के बीजों की उपलब्धता के बारे में भा.कृ.अ.प. तथा डीएसी के साथ विचार-विमर्श किया जाए।
- डाटाबेस को सुदृढ़ किया जाए और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के लिए पहुंच उपलब्ध कराई जाए। समस्त नोडल केन्द्रों को वित्तीय वर्ष 2012-13 के समापन से पहले रखरखाव प्रजनन के आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए।
- प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि डीयूएस परीक्षण के तहत अभ्यर्थी प्रविष्टी के साथ वार्षिक अनुदान सहायता और तकनीकी मानवशक्ति की संख्या को समानुपातिक बनाया जाए और जिन केन्द्रों में काफी संख्या में किस्मों का परीक्षण किया जाता है वहां ज्यादा सुविधाएं, आकस्मिक व्यय तथा ज्यादा तकनीकी मानवशक्ति उपलब्ध कराई जाए।
- प्राधिकरण द्वारा बंदगोभी/फूलगोभी में पुष्प लगने/बीज लक्षण दर्ज करने के लिए डीयूएस परीक्षण करने के लिए अन्य केन्द्रों की संभावना की जांच की जाए।

- समस्त फसल निदेशालयों द्वारा 'फसल मौसम में डीयूएस निरूपक दर्ज करने की विधि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के प्रजनकों को आमंत्रित किया जाए तथा प्राधिकरण द्वारा वित्तीय सहायता दी जाए।
- सार्वजनिक क्षेत्र की किस्मों को संरक्षित किया जाए तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भा.कृ.अ.प. के संस्थानों द्वारा समन्वयक रूप में जोर देने की जरूरत है।
- सीआईसीआर; कोयम्बटूर द्वारा ईडीवी परीक्षण के लिए दक्षता विश्लेषण तथा कीट बायोएसे, जीन अभिव्यंजक अध्ययन के लिए प्रोटोकॉल विकसित किए जाएं तथा सीआईसीआर नोडल केन्द्र द्वारा कपास में (मध्य/पश्चिमी भारत) एक अन्य केन्द्र की पहचान का प्रस्ताव अग्रेषित किया जाए।
- पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, 2001 तथ कृषक अधिकार के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए नवोन्मेषी तरीकों को अपनाने की शुरुआत करना जरूरी है, जैसे एफएम रेडियो तथा समुदाय रेडियो, ग्राम सड़क प्रदर्शन।
- सीटीसीआरआई, तिरुवनंतपुरम द्वारा भारतीयडीयूएस दिशानिर्देशों में यूपीओवी में उपलब्ध निरूपक पर विचार किया जाए।
- परियोजना समन्वयक (कृषि वानिकी) के साथ विचार-विमर्शसे एआईसीआरपी कृषि वानिकी समूह बैठक में वानिकी फसलों के निरूपक पर विचार-विमर्श किया जाए।
- 'ऑन साईट' डीयूएस परीक्षण के लिए दिशानिर्देशों पर विचार-विमर्श किया जाए और लक्ष्य दल द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जाए।
- आईआईएचआर, बंगलुरु को डीयूएस दिशानिर्देशों के बारे में विचार-विमर्श के लिए व्यवस्थापक प्रजनकों, नर्सरी कार्मिकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के साथ बैठक करनी चाहिए।

2.9 राष्ट्रीय जीन बैंक

आरंभिक वर्षों के दौरान पंजीकृत किस्मों के बीजों के भंडारण और रखरखाव के लिए पृथक सुविधाएं हैं और वर्ष 2007 के दौरान प्रासंगिक स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत

विचार-विमर्श किया गया, पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण के राष्ट्रीय जीन बैंक को राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर), पूसा नई दिल्ली के पुराने भवन में स्थापित किया गया। पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण द्वारा मध्यम अवधि भंडारण के तहत सुरक्षित भंडारण के लिए किराए की सुविधा संभावित की गई। मध्यम भंडारण स्थिति के तहत पंजीकृत किस्मों के तथा डीयूएस जांच/वर्धन जांच के तहत किस्मों के लिए बीज नमूनों का भंडारण किया गया। पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 27 में राष्ट्रीय जीन बैंक का प्रावधान किया गया। पीपीवी एंड एफआर अधिनियम 2001 की धारा 27 में राष्ट्रीय जीन बैंक का प्रावधान किया और यह निर्धारित किया कि प्रजनकों को बीज की इस मात्रा को या संक्षरण सामग्री जिसमें पंजीकृत किस्मों के पैतृक वंशक्रम बीजों के राष्ट्रीय जीन बैंक में जमा करना जरूरी है। इसके अलावा पीपीवी एंड एफआर नियम 2003 के अनुसार बीजों के नमूने तथा और प्रवर्धित आनुवंशिक शुद्धता, समरूपता तथा अंकुरण, सफाई तथा पादप स्वच्छता मानकों का स्तर रखरखाव योग्य होना चाहिए। किसी भी बाह्य स्थाने जननद्रव्य बैंक की तुलना में अधिदेशित कार्यकलाप काफी अलग हैं जैसे मध्यम अवधि भंडारण, बीज रखरखाव, री-पैकेजिंग, पादप किस्म संरक्षण के लिए अपेक्षित डीयूएस जांच केन्द्र में खेत परीक्षण के लिए डिस्पैच, बीज गुणवत्ता प्राचलों का आकलन आदि तथा कानूनी बाध्यताओं का पालन किया गया है। पंजीकृत किस्मों के लिए भंडारित बीजों का उपयोग, विवाद समाधान, अनिवार्य लाइसेंसिंग के लिए तथा अन्य इस तरह के मामलों में जिनमें अधिनियम के तहत उपयुक्त माना गया है, हेतु किया जा सकता है।

2.9.1 पंजीकृत किस्मों के बीजों का मध्यम अवधि भंडारण

बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के तहत 516 अधिसूचित वर्तमान किस्मों के बीज नमूनों, 22 वीसीके किस्मों, 56 नई किस्मों, 1 ईडीवी तथा 6 कृषक किस्मों (जिनके लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र पहले ही जारी कर दिए हैं) को बीज भंडारण के लिए विशेष रूप से तैयार सीड कैबिनेट में रखा जा रहा है। बीज नमूनों को लंबी अवधि के लिए शरीरक्रिया विज्ञान के तौर पर व्यवहारिक बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करने के लिए 40 से. तापमान के साथ 30 + 5% परस्पर नमी में नियंत्रित जलवायु स्थितियों के तहत रखा गया।

पंजीकृत किस्मों के बीज नमूनों को संरक्षण अवधि तक भंडारित किया गया तथा फसल विशिष्ट मानकों तथा जरूरत के अनुसार निर्धारित अंतराल पर इसकी व्यवहारिकता की जांच की गई।

सारणी 20 : मध्यम अवधि भंडारण के तहत राष्ट्रीय जीन बैंक में संरक्षित पंजीकृत किस्मों के बीज नमूनों की प्रगति (31 मार्च 2013 की स्थिति)

क्र. सं.	फसल	2011-12 तक	2012-2013			कुल योग
			सार्वजनिक	निजी	कुल	
1	उडद	10	02	...	02	12
2	चना	15	14	...	14	29
3	कपास	36	11	22	33	69
4	अरण्ड	...	03	...	03	03
5	फूलगोभी	...	01	...	01	01
6	मटर	20	20
7	मूंग	20	02	...	02	22
8	पटसन	07	04	...	04	11
9	राजमा	05	05
10	मसूर	10	10
11	मक्का	76	08	35	43	119
12	बाजरा	40	05	02	07	47
13	अरहर	02	16	...	16	18
14	चावल	21	60	02	62	83
15	तोरिया	...	02	...	02	02
16	ज्वार	20	13	02	15	35
17	तिल	...	02	...	02	02
18	छोटी इलायची	...	01	...	01	01
19	सूरजमुखी	...	03	...	03	03
20	सोयाबीन	...	01	...	01	01
21	कुसुम	...	01	...	01	01
22	गन्ना	...	11	...	11	11
23	गेहूं	62	28	...	28	90
	कुल	344	188	63	251	595
	कृषक	03			03	06
	कुल योग	347			254	601

*रोपण/प्रवर्धन सामग्री के जीन बैंक में भंडारित नहीं किया गया

2.9.2 डीयूएस परीक्षण के तहत किस्मों के बीजों का लघु अवधि भंडारण

डीयूएस परीक्षण का आयोजन संवैधानिक प्रावधान के अनुसार निम्न रूप में किया गया :

- नई श्रेणियों के तहत किस्मों के लिए दो वर्ष और दो स्थानों में किए गए;
- सामान्य जानकारी की किस्मों के लिए दो स्थानों में एक वर्ष; तथा कृषक किस्मों :

आवेदक को फसल विशिष्ट मानकों के साथ पंजीकरण तथा नई और वीसीके श्रेणी के लिए डीयूएस परीक्षण शुल्क के अनुसार बीजों की मात्रा प्रस्तुत करना अपेक्षित है। कृषक किस्मों के लिए आवेदक को बीजों की निर्धारित मात्रा प्रस्तुत करना जरूरी होता है क्योंकि किसानों को डीयूएस परीक्षण/वर्धन जांच के लिए किसी तरह के शुल्क का भुगतान करना जरूरी नहीं होता।

नई किस्मों (841), वीसीके (745) तथा ईडीवी (पैतृक वंशक्रम सामग्री सहित दोनों) के बीज नमूनों का 31 मार्च 2013 को रखरखाव लघु अवधि भंडारण के तहत किया गया। प्रतिनिधित्व बीज नमूनों को डीयूएस जांच केन्द्रों के लिए रखा गया। बीज पैकेटों को 20 ± 2 से. पर तक भंडारित करके रखा गया जब तक पंजीकरण प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। यद्यपि जब अभ्यर्थी किस्म पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए पात्र होती है उस समय आवेदक को मध्यम अवधि स्थितियों के तहत भंडारण के लिए ताजे बीज नमूनों की आपूर्ति की सलाह दी गई।

2.9.3 बीज मानक

आवेदक को निर्धारित आकार के तीन परत वाले एल्यूमीनियम फोइल पाउच में सील्ड बीज प्रस्तुत करना जरूरी है जिसमें निम्नलिखित रूप में उचित लेवलिंग होगी :

- अभ्यर्थी किस्म का विवरण
- पादप किस्म रजिस्ट्री द्वारा आबंटित आवेदन पावती संख्या
- श्रेणी (नई/वर्तमान/वीसीके/कृषक आदि)
- कटाई का वर्ष और
- बीज गुणवत्ता पैरामीटर (नमी प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत तथा भौतिक शुद्धता प्रतिशत)

सम्पूर्ण बीज लॉट को समान रूप में दस (नई किस्मों

के लिए) या पांच (वीसीके या कृषक किस्मों) या दो (बीज अधिनियम 1966 के तहत अधिसूचित वर्तमान किस्मों) पैकेट / पाउच में प्रस्तुत किया जाए। बीज लॉट में फसल विशिष्ट

डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मानकों का पालन किया जाए। कुछ मुख्य फसलों के बीज मानक की विस्तृत सूची को निम्नवत दिया है :

सारणी 21 : मध्यम अवधि भंडारण तथा डीयूएस परीक्षण के लिए बीज मानक

क्र. सं.	फसल	बीज आवश्यकता अभ्यर्थी / पैतृक वंशक्रम हाइब्रिड (प्रत्येक) ग्रा. में		अंकुरण प्रतिशत	नमी प्रतिशत	भौतिक शुद्धता प्रतिशत	प्रारंभिक मौसम डीयूएस परीक्षण के लिए बीज प्रस्तुत करने का माह	बीज पैकेटों का निर्धारण आकार (मि.मी.)
1	चावल	3000	1500	80	11-12	98	खरीफ-मार्च-अप्रैल	230 × 300
2	जौ	1500	1000	95	8	98	अगस्त-सितम्बर	230 × 300
3	चपाती गेहूं	3000	1500	95	8-9	98	रबी-अगस्त	230 × 300
4	अन्य ट्रिटिकम प्रजाति	3000	1500	95	8-9	98	गेहूं के जैसा	230 × 300
5	मक्का	3000	1500	80 (अंतरप्रजनित / एससीएच) 90 (किस्म / डीसीएच)	8-10	98	खरीफ-मार्च-अप्रैल रबी-अगस्त	230 × 300
6	ज्वार	3000	1500	80 (अंतरप्रजनित / एससीएच) 90 (किस्म / डीसीएच)	10-12	98	खरीफ मार्च रबी-अगस्त	230 × 300
7	बाजरा	1000	500	80 अंतरप्रजनित / एससीएच) 90 (किस्म / डीसीएच)	10-12	98	खरीफ-मार्च	165 × 220
8	मूंग	1000	लागू नहीं	80	8-9	98	खरीफ-मार्च	230 × 300
9	राजमा	3000	लागू नहीं	80	8-9	98	जून - जुलाई	230 × 300
10	चना (देसी) 3000 (काबुली)	2000 3000	लागू नहीं	80	8-9	98	रबी - अगस्त	230ग300
11	अरहर	2000	1500	80	8-9	98	खरीफ-मार्च	230 × 300
12	मसूर	1000	लागू नहीं	80	8-9	98	रबी-अगस्त	230 × 300
13	मटर	2000	लागू नहीं	80	8-9	98	रबी-अगस्त	230 × 300
14	उड़द	1000	लागू नहीं	80	8-9	98	खरीफ-मार्च	165 × 220
15	पटसन	1000	500	85	9	97	पछेती- खरीफ अगेती-जन.	165 × 220
16	कपास	2000	1000	75	10	98	खरीफ उत्तरी-फरवरी दक्षिण-मई	230 × 300

क्र. सं.	फसल	बीज आवश्यकता अभ्यर्थी / पैतृक वंशक्रम हाइब्रिड (प्रत्येक) ग्रा. में		अंकुरण प्रतिशत	नमी प्रतिशत	भौतिक शुद्धता प्रतिशत	प्रारंभिक मौसम डीयूएस परीक्षण के लिए बीज प्रस्तुत करने का माह	बीज पैकेटों का निर्धारण आकार (मि.मी.)
17	टमाटर	15 (खुले खेत) 8 (ग्रीन हाउस)	वही	85	8	98	अप्रैल-मई	165 × 100
18	बंदगोभी	15	15	*	*	*	अप्रैल-मई	165 × 100
19	फूलगोभी	15	15	*	*	*	अप्रैल-मई	165 × 100
20	बैंगन	15 (मुक्त)	15 (मुक्त)	85	8	98	अप्रैल-मई	165 × 100
21	करेला	300 मी. या 1500 नं.	—	80	8	98	अप्रैल	230 × 300
22	लौकी	250 मी. या 1500 नं.	—	80	8	98	अप्रैल	230 × 300
23	खीरा	50 मी. या 1500 नं.	—	80	8	98	अप्रैल	230 × 300
24	कद्दू	200 मी. या 1500 नं.	—	80	8	98	अप्रैल	230 × 300
25	तोरिया-सरसों	500	250	85	8	98	अप्रैल-अगस्त	165 × 100
26	सोयाबीन	3000	—	70	9	98	अप्रैल-मई	230 × 300
27	सूरजमुखी	3000	2000	70	9	98	जुलाई-अगस्त	230 × 300
28	कुसुम	3000	1500	80	9	98	जून-जुलाई	230 × 300
29	मूंगफली	3000 स्पैनिश एवं वैलेंसिया 8000 (केरनेल) वर्जिनिया बंच तथा ममर टाईप	1500 4000	80	9	98	खरीफ : मई-जून रबी: अगस्त-सितम्बर	300 × 450
30	अलसी	500	250	85	9	98	जुलाई-अगस्त	165 × 100
31	अरण्ड	6000	2500	70	10	98	अप्रैल-मई	300 × 450
32	तिल	500	250	80	9	97	अप्रैल-मई	165 × 100

क्र. सं.	फसल	बीज आवश्यकता अभ्यर्थी / पैतृक वंशक्रम हाइब्रिड (प्रत्येक) ग्रा. में		अंकुरण प्रतिशत	नमी प्रतिशत	भौतिक शुद्धता प्रतिशत	प्रारंभिक मौसम डीयूएस परीक्षण के लिए बीज प्रस्तुत करने का माह	बीज पैकेटों का निर्धारण आकार (मि.मी.)
33	प्याज	100 1200 (बहुगुणक) 50 (एमएस वंशक्रम)	50	70	*	*	मौसम को दर्शाने वाले	
34	लहसुन	2000 वायबल क्लोव	—	*	*	*	अगस्त-सितम्बर	—
35	धनिया	250	—	80	8-9	98	अगस्त-सितम्बर	165ग100
36	सौंफ	250	—	80	8-9	98	अगस्त-सितम्बर	165ग100

* प्रजनक बीज मानकों के अनुसार

2.10 फील्ड जीन बैंक

2.10.1 क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केन्द्र (आरएचआरएस), मशोबरा

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान केन्द्र ने सेब के रखरखाव प्रजनन ब्लॉक स्थापित किए। इसमें 222 किस्में शामिल हैं। इसमें 2011-12 की 158 किस्में तथा वर्तमान वर्ष की 64 नई किस्में शामिल हैं। नाशपाती तथा स्वीट चैरी के रखरखाव प्रजनन ब्लॉक स्थापित किए गए। इसके साथ ही सेब, नाशपाती तथा स्वीट चैरी की संदर्भ/उदाहरण किस्मों की स्थापना की गई। सेब, स्वीट चैरी की पुरानी किस्मों का लक्षण वर्णन किया गया तथा अखरोट, वृक्ष, पत्ती, फूल तथा फल के लक्षणों को दर्ज किया गया। पत्ती और प्ररोह लक्षणों के लिए नाशपाती के पुराने रखरखाव प्रजनन ब्लॉक की किस्मों का लक्षण-वर्णन किया गया। सीआईटीएच, श्रीनगर; पीसीडीओ, बाजौरा, आएचआरएस, सियोबाग; टीएचआरएस, कोटखी; पीसीडीओ, अन्नु; बागवानी विभाग नवनहार से फील्ड जीन बैंक की समृद्धि के लिए फरवरी 2013 के दौरान सेब, नाशपाती तथा स्वीट चैरी की एकत्रित कलम को नर्सरी कलम-रोपण किया गया।

आरएचआरएस, मशोबरा ने सेब, नाशपाती, स्वीट चैरी की रिपोर्टिंग का रखरखाव किया गया। इनका उक्त फसलों की 'ऑन साइट' डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में किया जाएगा। संदर्भ किस्मों के रखरखाव तथा लक्षण-वर्णन की प्रगति का विवरण निम्नलिखित है :

सारणी 22: बागवानी फसलों की प्रजातिवार संख्या

विवरण	सेब	नाशपाती	स्वीट चैरी	अखरोट
रखरखाव	222	63	35	-
लक्षण-वर्णन	57	55	13	9

2.10.2 डॉ. बालासाहेब कोंकण कृषि विद्यापीठ (बीएसकेकेवी), दपोली

परियोजना के उद्देश्य के अनुसार इस केन्द्र ने आम, केला, नींबू वर्गीय फल, हल्दी, इलायची में पूर्व में एकत्रित जननद्रव्य का रखरखाव किया। हल्दी की 39 किस्मों के लक्षण-वर्णन का काम पूरा किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्र ने आम की 15 किस्मों की 36 नए इकोटाइप को एकत्रित किया गया। 2013-14 के दौरान कलम रोपण किया गया। नए एकत्रित जननद्रव्य का पत्ती लक्षण-वर्णन को पूरा किया गया, जबकि इस फल लगने के मौसम के दौरान उपलब्ध इकोटाइप का पुष्पक्रम और फल लक्षण-वर्णन पूरा किया गया। केले की 30 किस्मों का लक्षण-वर्णन चल रहा है तथा केले के कुल 113 लक्षणों को दर्ज किया गया।

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान फलदार फसलों की विविध संदर्भ किस्मों के रखरखाव का विवरण निम्नवत है:

सारणी 23: फलदार फसलों की किस्मों/ईकोटाइप का विवरण

क्र. सं.	फसल	रखरखाव के तहत किस्मों/ईकोटाइप की संख्या	स्थान
1	आम	17 किस्में (संदर्भ ब्लॉक)	रामागिरि, सिंधुदुर्ग, गोआ क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश व गुजरात
		34 ईकोटाइप (संदर्भ ब्लॉक)	
		19 किस्में (नर्सरी)	
		37 इकोटाइप (नर्सरी)	
2	अदरक	9	महाराष्ट्र क्षेत्र
		23	एआईसीआरपी मसाले, डॉ. बीएसकेकेवी, दपोली
3	हल्दी	13 इकोटाइप	केरल तथा महाराष्ट्र
		31 किस्में	एआईसीआरपी जातियां, डॉ. बीएसकेकेवी, दपोली
4	इलायची	5	कर्नाटक तथा भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, मिलादम्पारा, केरल
		5	इलायची अनुसंधान केन्द्र, एप्पनगाला
5	नींबू वर्गीय फल	3 जातियां	राष्ट्रीय नींबूवर्गीय अनुसंधान केन्द्र, नागपुर
		1 जातियां	डॉ. बी.एस.कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली
6	काली मिर्च	6	काली मिर्च अनुसंधान केन्द्र, पन्नीयुर, केरल
		9	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान फार्म, पेरुवंन्नामुझी, केरल
7	केला	30	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिची, तमिल नाडु

वर्ष 2012-13 के दौरान सिंधु दुर्ग तथा गोवा क्षेत्र से आम के 36 इकोटाइप की पहचान की गई। केले की 30 किस्मों का लक्षण-वर्णन प्रगति पर है लगभग 113 लक्षणों पर की गई निगरानी को दर्ज किया गया।

2.10.3 केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (सीएजैडआरआई), जौधपुर

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सीएजैडआरआई, जौधपुर को पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण द्वारा शुष्क क्षेत्र किस्मों के लिए फील्ड जीन बैंक की स्थापना की परियोजना सौंपी गई है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान केन्द्र मुख्य शुष्क फसलों/किस्मों के संग्रहण, आकलन, लक्षण-वर्णन तथा प्रलेखीकरण के कार्य में लगा है। इनमें बारानी खेत स्थितियों के तहत बारानी खेत स्थितियों के तहत मोठ बीन (विग्ना एकोनीटिफोलिया), कलस्टरबीन (सियामोप्सिस टेट्रोगोनोलोबा), चरागाह घास (कैंकरस सिलीएरीस, सी.सेटीगेरस) तथा शुष्क फल (बेर) शामिल हैं। इन फसलों के अलावा केन्द्र ने बारहमासी किस्मों को एकत्रित किया (हीना, प्रोसोपिस सीनेरिया, साल्वाडोर तथा एकेशिया सेनेगल आदि) और खेत किस्मों के तहत इन्हें स्थापित किया गया। शुष्क क्षेत्रों की विविध फसलों की प्रजातियों का विवरण निम्नवत है :

सारणी 24: सीएजैडआरआई द्वारा संग्रहण की प्रगति

1	मोठ बीन (<i>विग्ना एकोनीटिफोलिया</i>) : 11 किस्में आरएमओ-40, आरएमओ-225, आरएमओ-257, गाजरी मोठ-1, काजरी मोठ-2, काजरी मोठ-3, मारु मोठ, जीएमओ-1, जीएमओ-2, आईपीसीएमओ-880, आरएमएम-12, ज्वाला
2	क्लस्टरबीन (<i>सियामोप्सिस टेट्रागोनोलोबिक</i>) : 34 किस्में आरजीसी 986, मारु जीयूएआर, आरजीसी 1078, बीजी 1, एम 83, आरजीसी 1066, बीजी 2, एनयूजैडआईवीईडीयू, एचजी 258, एचजी4-875, बीजी 3, एनईओ, आरजीसी 471, आरजीआर-6, एचजी 365, एम 83, एचवीजी 2-30, सुविधा, एचएफजी 119, कोमल एचजी 563, पीएमबी, आरजीसी 1031, थार भदरी, एनपीबीजीआर पीएचबी, एचजी 884, आरजीएम-112, अंकुर सन्नी, आरजीआर 7, एफएस 277, आरजीसी 1003, एचजी 75, आरजी 1088, आरजीसी 936

3	कैंकरस प्रजातियां (कैंकरस सिलिएरिस तथा सी. ऐटिगेरस) पांच जीनप्ररूप : सी. सिलिएरिस के काजरी 358, काजरी 585, गाजरी 2178, काजरी 2221, काजरी 75 और आईजीएफआरआई 3018 तथा सी. सेटिगेरस की काजरी 76
4	बेर (जिजिफस मौरिटियाना) : 25 किस्में काजरी गोला, अलीगंज, डांडन, रश्मी, कैथली, उमरान, बागवडी, छुहारा, इलायची, मुंडिया, महरवाली, तिकडी, जैडजी-3, थोर्नलैस, थ (सेब ग कथा), कथा, गोला, थ (सब ग टिकडी), बनारसी कड़ाका जोगिया, बीसी1त्र थ (सेब ग तिकाडी) ग सेब, बनारसी, पेबेंगी, सनौर-5, सेब, काली

2.10.4 बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची

बीएयू, रांची में 1 अप्रैल 2009 को "पूर्वी भारत पारिस्थितिक प्रणाली के लिए स्वस्थाने संग्रहण के तहत फल वृक्षों तथा औषधीय पादप के लिए जीवित रिपोजिट्री का रखरखाव" नामक परियोजना आरंभ की गई थी। केन्द्र के लिए निर्धारित अधिदेशित फसलें आम, आंवला, शरीफा, अमरुद, बांस, नींबू वर्गीय फल तथा केला (पूर्वी क्षेत्र) हैं तथा उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र की मुख्य किस्मों का आकलन इनके आकृति मूलक लक्षण-वर्णन के लिए डीयूएस के संदर्भ द्वारा करना और पंजीकृत/वर्तमान/किसानों की किस्मों की जीवित रिपोजिट्री की स्थापना और रखरखाव तथा क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण फलदार फसलों के लिए

निरूपक का विकास/परिष्करण/परियोजना के आरंभिक वर्षों में मूल बुनियादी सुविधाएं सृजित की गई (भूमि विकास, भूमि समतलीकरण, चारदीवारी, अस्थाई जल निकायों की स्थापना आदि)। इसके अलावा छोटे कृषि उपकरण रखने के लिए लोहे का दरवाजा और मामूली सुविधाओं के साथ चौकीदार के कमरे भी तैयार किए गए। विभिन्न फलदार फसलों से संबंधित रोपण सामग्री और इनकी वंशावलियों को स्वयं के स्रोतों से विभिन्न केन्द्रों तथा अन्य स्थानों से एकत्रित किया गया। आम की छत्तीस किस्मों तथा किसानों की किस्मों को डीयूएस निगरानी के तहत लाया गया तथा आंकड़े दर्ज किए गए। राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र, नागपुर से साइट्रस, अम्लीय नींबू, मोसम्बी तथा नागपुरी संतरे तथा भा.कृ.अ.प. बड़ापानी, शिलांग से खासी संतरे एकत्रित किए गए। पारंपरिक केला चूषक की तीस किस्मों को राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिची से एकत्र किया गया और फील्ड जीन बैंक में रखा गया। अमरुद की चार किस्मों को फील्ड जीन बैंक में रखा गया तथा साइट्रस के मामले में कागजी कलान किस्मों का जुलाई 2013 के दौरान प्रतिरोपण किया गया।

डॉ. आर.सी.अग्रवाल, रजिस्ट्रार जनरल ने 5 अगस्त 2012 को परियोजना स्थल का दौरा किया गया। इसके बाद डॉ. पी.एल.गौतम, अध्यक्ष ने भी 5 नवम्बर 2012 को दौरा किया। दोनों गणमान्य विशेषज्ञों ने परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

3. किसानों के अधिकारों से संबंधित कार्यकलाप

पीपीवी एंड एफआर अधिनियम 2001 पादप किस्मों में आईपीआर पर एक नया विधायी कानून है। इसके बारे में किसानों, प्रजनकों, वैज्ञानिकों तथा अन्य संबंधित पणधारियों में व्यापक रूप से जागरूकता की जरूरत है। प्राधिकरण का विश्वास किसानों, अनुसंधानकर्ताओं, पादप प्रजनकों, वैज्ञानिकों, छात्रों, एनजीओ तथा सार्वजनिक और निजी संगठनों के साथ निकटतम सम्पर्क रखने का है। पिछले आठ वर्षों के दौरान प्राधिकरण ने प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों, किसान मेलों, किसान उत्सव, कृषि प्रदर्शनी, कृषि पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा कृषि कार्यशालाओं के लिए राशि जारी की है। पीपीवी एवं एफआर अधिनियम 2001 के तहत निर्धारित किसानों के बीच अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता लाने के क्रम में प्राधिकरण में किसान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। किसान प्रकोष्ठ में अधिनियम में किसानों के अधिकारों के प्रावधान के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है। यह प्रकोष्ठ विभिन्न संगठनों/स्टेहोल्डरों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए प्राप्त प्रस्ताव की जांच के बाद वित्तीय सहायता की सिफारिश करने के लिए भी जिम्मेदार है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान आयोजित/समर्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है :

- प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से 68 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/भा.कृ.अ.प. संस्थानों, सरकारी विभागों तथा एनजीओ के माध्यम से 100 से ज्यादा प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका विवरण अनुबंध VIII में दिया गया है।
- प्राधिकरण ने विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित पांच प्रदर्शनियों को प्रायोजित किया तथा इसमें हिस्सा लिया। इसका विवरण निम्नलिखित है :
 - नारियल विकास बोर्ड द्वारा कोचीन में 2-6 जुलाई 2012 के दौरान 'कोकोटैक' आयोजित की गई।
 - एनएनएस इवेंट एंड एक्जीविशन प्रा.लि. द्वारा प्रगति मैदान में 27-29 जुलाई 2012 को "8वीं अंतरराष्ट्रीय कृषि एवं बागवानी एक्सपो 2012" आयोजित की गई।

- आईएआरआई, नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्किल फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2-4 नवम्बर 2012 को "ग्लोबल एग्री. कनेक्ट 2012" आयोजित की गई।
- राष्ट्रीय बीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा गुडगांव में 8-9 फरवरी 2012 को "इंडियन सीड कांग्रेस 2013" का आयोजन किया गया।
- डीडीयू गोरखपुर द्वारा 2-4 मार्च 2013 के दौरान "एक्सपो - यू.पी. साइंस कांग्रेस 2013" का आयोजन किया गया। प्रदर्शनियों के दौरान वीडियो, पोस्टर, चार्ट में प्राधिकरण के कार्यकलापों को प्रदर्शित किया गया। प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रकाशनों, ब्राउचर, साहित्य आदि को आगंतुकों को वितरित किए गए।
- प्राधिकरण ने विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित चार कार्यशालाओं को प्रायोजित किया और इसमें हिस्सा लिया। इसका विवरण निम्नवत है :
 - आसाम कृषि विश्वविद्यालय (एएयू), जोरहाट द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों के कृषि कार्मिकों तथा किसानों के लिए 24-26 मार्च 2013 के दौरान आईपीआर प्रकोष्ठ पादप प्रजनन एवं आनुवंशिक विभाग, एएयू, जोरहाट में क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
 - हरियाणा किसान आयोग द्वारा हिसार में 23 दिसम्बर 2012 किसान दिवस के अवसर पर "विविधीकृत कृषि द्वारा समृद्धि" पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।
 - कोलकाता में 3-7 जनवरी 2013 के दौरान इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा "100 इंडियन साइंस कांग्रेस" का आयोजन किया गया।
 - एमएसएसआरएफ, चैन्नई में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा 28-29 फरवरी को "एनवीए अध्येता का 8वां दीक्षांत समारोह" आयोजित किया गया।

- प्राधिकरण ने आठ राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी/सम्मेलनों को प्रायोजित किया तथा इनमें हिस्सा लिया। इसका विवरण निम्नवत है :
 - केरल में अमेटी इंस्टीट्यूट हर्बल एंड बायोटेक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट द्वारा 15-17 नवम्बर 2012 को "प्राकृतिक उत्पाद विकास के लिए 7वीं अंतरराष्ट्रीय सोसायटी" का आयोजन किया गया।
 - आईएआरआई कैम्पस, नई दिल्ली में भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी द्वारा 18-20 दिसम्बर 2012 को "पादप किस्म संरक्षण में सांख्यिकी और सूचना" विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया।
 - आईआईएम, अहमदाबाद में राष्ट्रीय नवोन्मेषी फाउंडेशन द्वारा 7-8 दिसम्बर 2012 को "जमीनी स्तर पर सृजनात्मकता तथा नवोन्मेषी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन - आईसीसीआईजी" का आयोजन किया गया।
 - चैन्नई में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अक्टूबर 2012 में "ग्रामीण ग्राम ज्ञान अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन" आयोजित किया गया।
 - केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर द्वारा "प्रायद्वीपीय जैवविविधता का संरक्षण" पर 20-22 दिसम्बर 2012 को सम्मेलन आयोजित किया गया।
 - डॉ. वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन (हि.प्र.) द्वारा 18-20 दिसम्बर 2012 को "टिकाऊ कृषि - ग्रामीण विकास की उभरती चुनौतियां और प्रतिमान" विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया।
 - राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, ताबीजी, अजमेर में 2-3 फरवरी 2012 को "मसालों का उत्पादन, उत्पादकता तथा गुणवत्ता" विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया।
 - सिक्किम में 8-9 मार्च 2013 को राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र द्वारा "ऑर्किड 2013 पर राष्ट्रीय वार्ता" आयोजित की गई।

3.1 राष्ट्रीय जीन निधि

पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, 2001 के तहत कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जीन निधि गठित की गई। प्रारंभ में प्राधिकरण को इसके लिए 50.00 लाख रुपये का अंशदान दिया गया। प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन हेतु पृथक लेखा का रखरखाव और संचालन किया गया है। राष्ट्रीय जीन निधि के योगदान में निम्नलिखित शामिल हैं :

- पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, 2001 के तहत किस्म के प्रजनक या अनिवार्य उत्पन्न पंजीकृत किस्म से प्राप्त लाभ का आदान-प्रदान;
- पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण द्वारा प्राप्त वार्षिक शुल्क;
- जमा किया गया मुआवजा; और
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा योगदान; अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय जीन निधि बैठक के लिए आवेदन कर सकता है :
 - लाभ आदान-प्रदान के रूप में भुगतान की जाने वाली कोई भी राशि;
 - भुगतान किया जाने वाला मुआवजा;
 - स्वस्थाने तथा बाह्य स्थाने संग्रहणों सहित आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण तथा टिकाऊ उपयोग की सहायता के लिए व्यय तथा इन संरक्षण और टिकाऊ उपयोग से जुड़े कार्यों को करने में पंचायत की क्षमता में सुदृढ़ करने के लिए; और
 - लाभ आदान-प्रदान से संबंधित योजनाओं के व्यय की राशि।

सारणी 25: वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय जीन निधि की स्थिति

मद	रु. लाख में
01 अप्रैल 2012 को आरंभिक शेष राशि	157.47
जीन निधि के लिए अंशदान	50.00
प्राप्त वार्षिक शुल्क	8.50
बैंक ब्याज	11.44
कुल	227.41
घटाएं :	
पीजीएससी पुरस्कार (2010-11) पर खर्च की गई राशि सति प्रशासनिक व्यय	46.85
31 मार्च 2013 को अंतिम शेष	180.56

3.2 वर्ष 2010–11 का पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार

अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. चरण दास महंत, माननीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार वितरित किए तथा वर्ष 2010–11 के सम्मान प्रमाण-पत्र प्रो. एम.एस.स्वामीनाथन, संसद सदस्य (राज्य सभा) द्वारा किसान समुदाय, किसान और जनजातीय जनता को भारी संख्या में उपस्थित भारत और विदेशी अतिथियों की मौजूदगी में प्रदान किए गए। इस अवसर पर पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष, कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, किसान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक तथा प्राधिकरण के सदस्य 21 मई 2012 के समारोह में उपस्थित थे। यह समारोह ए.पी. शिंदे सिम्पोज़ियम हाल, एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, सामने टोडापुर गांव, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार में 10 लाख रुपये की नकद राशि, प्रशंसा पत्र तथा स्मृति चिह्न; पादप जीनोम संरक्षक किसान पुरस्कार में प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपये नकद राशि, प्रशंसा पत्र तथा स्मृति चिह्न शामिल हैं जिनकी संख्या दस है तथा बीस पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान प्रमाण पत्र इसमें शामिल हैं। पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार 2011–12 का विवरण और किसान समुदायों को प्रस्तुत किया गया विवरण निम्नवत है :

- **श्यामसुन्दर सिस्टर निवेदिता संघ, बुर्दवान, पश्चिम बंगाल :** श्यामसुन्दर निवेदिता संघ ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों को विकासात्मक सेवाएं प्रदान करने के अलावा पारंपरिक चावल किस्मों के संरक्षण और परिरक्षण कार्यों में संलग्न है। इसके तहत भारत की गंगा डेल्टा कृषि जैव विविधता हॉट-स्पॉट क्षेत्र आता है। संघ द्वारा किसान समुदाय के माध्यम से स्थानीय पारंपरिक चावल किस्मों की खेती को सहायता प्रदान की गई तथा जैविक खेती में किस्मों को सुरक्षित किया गया। संघ के बहुत से किसानों ने स्थानीय चावल किस्मों को उगाया। इनमें गोविन्द भोग, गोपाल भोग, झिंगसाल, धारनागारा, सरुंगरा तथा सुंगोकलमा आदि शामिल हैं। इन्होंने पारंपरिक तकनीकों से किस्मों को उगाया तथा प्राचीन तरीकों से अपने बीजों का संरक्षण किया।

- **पोक्काली चावल की खेती से जुड़ा किसान समुदाय, एरनाकुलम, केरल :** पोक्काली का क्षेत्र केरल के त्रिशूर, अलफुजा तथा एरनाकुलम जिलों से संबंधित है। यह निचली भूमि क्षेत्र की तटवर्ती लवणीय क्षेत्र से संबंधित है जहां सामान्य रूप से अन्य प्रकार की कृषि संभव नहीं है। यह क्षेत्र भारत के मालाबार कृषि जैवविविधता हॉट-स्पॉट के तहत आता है। तटवर्ती लवणीय पारिस्थितिक प्रणाली की पोक्काली सबसे पुरस्कृत लवण वहनीय चावल किस्म है जो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई); मनीला, फिलीपींस द्वारा प्रमाणित सेल्टोल जीन का दाता वंशक्रम है। भारत तथा इसके बाहर स्थित अनेक संस्थानों द्वारा अनेक लक्षणों जैसे लवणीयता, अम्लीयता तथा जलमग्नता के प्रति सहिष्णुता के लिए पोक्काली क्षेत्र से जननद्रव्य का उपयोग किया गया। जीनोम के इस मूल्यवान स्रोत को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 के दौरान भौगोलिक संकेतक प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए मान्यता प्रदान की गई है। पोक्काली चावल की खेती वाले समुदाय (काडमकुडी – वारापुजा जाईवा पोक्काली आईसीएस एरनाकुलम) द्वारा निम्न लवणीय चरण में चावल की वृद्धि की टिकाऊ प्रणाली के लिए जैविक खेती की प्रणाली विकसित की गई। किसानों द्वारा चयनित पोक्काली किस्म के किसानों द्वारा संरक्षित किया गया जिसमें लवणता तथा जलमग्नता की सहिष्णुता अंतर्निहित है।
- **वायनाड जिला विकास कार्रवाई परिषद, वायनाड, केरल :** वायनाड जिला जनजातीय विकास कार्रवाई परिवार भारत के मालाबार कृषि जैव विविधता हॉट स्पॉट में केरल के वायनाड तथा समीपस्थ जिले के जनजातीय समुदाय के समग्र विकास कार्यों में संलग्न है। इसमें मुख्य जनजातीय समुदाय शामिल हैं जैसे पीनिया, कुरुमा, कुरीछमा, कट्यूनीक्कड आदिया तथा यूरेलिस है। इस परिषद के प्रयास चावल की पारंपरिक वंशक्रमों के संरक्षण के प्रति और पारंपरिक कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करने के प्रति समर्पित है। परिषद के संरक्षण प्रयास सिर्फ जैव विविधता, देसी और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित ही नहीं करते बल्कि खाद्य और पोषक सुरक्षा को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं।

- **तमिलनाडु बेनाना हित बनाना प्रोवर्स फेडरेशन, डिंडीगुल, तमिलनाडु :** तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पूलनी हिल्स प्रसिद्ध विरूपाक्षी हिल बनाना बनाना का मूल स्थान है। शीर्ष गुच्छ रोग से विरूपाक्षीहिल बनाना का हजारों एकड़ क्षेत्र ग्रस्त है और इसे 1986 में लुप्तप्रायः प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तमिल नाडु हिल बनाना प्रोवर फाउंडेशन के संरक्षण और परिरक्षण प्रयासों के कारण यह पुनर्जीवित हुई और इसे पूलनी हिल में खेती के तहत लाया गया। उत्पादकों की आय में वृद्धि के साथ ही क्षेत्र और उत्पादन में भी वृद्धि हुई। फेडरेशन वर्ष 2008 के दौरान विरूपाक्षी हिल बनाना तथा सिरूमलाई हिल बनाना के लिए भौगोलिक संकेतक पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सफल हुई है।

डॉ. चरण दास महंत, कृषि राज्य मंत्री ने पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना की जो भारतीय कृषि को अनुकूल बनाने के लिए हमारी कृषि जैव विविधता के संरक्षण और उपयोग में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। इसे अलावा चार पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार, सात सम्मान पुरस्कार भी किसानों को पादप आनुवंशिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग और संरक्षण में इनके योगदान के लिए प्रदान किए गए :



- आदर्श ज्ञान विकास ट्रस्ट, अदादारा पंचमहल (गुजरात) स्थानीय किसानों के बीच केरला, स्कवैश तथा टीक प्रवर्धन सामग्री के वितरण में लगी है ताकि जननद्रव्य के प्राकृतिक (इन-सीटू) व्यवहार में संरक्षित किया जा सके। कृषि जैव-विविधता तथा इसके संरक्षण के महत्व के बारे में किसानों

के बीच जागरूकता प्रसार द्वारा इन्होंने सराहनीय काम किया।

- श्री बाबूलाल दहिया, सृजन सामाजिक सांस्कृतिक साहित्यिक मंच, पिठोराबाद, सतना (मध्य प्रदेश) ने स्थानीय क्षेत्र में चावल की अनेक किस्मों का विकास तथा परिरक्षण किया है। समस्त वंशक्रम सूखे और नाशीजीव की प्रतिरोधी हैं। इन पैतृक वंशक्रमों को पारंपरिक समुदाय तथा किसानों द्वारा पारंपरिक विधि से उगाया जा रहा है। श्री बाबूलाल दहिया अपने मंच के माध्यम से जनजातीय समुदाय के बीच समीपस्थ क्षेत्रों में टिकाऊ कृषि के लिए जैवविविधता तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में संलग्न है। इन्होंने स्वयं अपने प्रयासों से बीज बैंक भी आरंभ किया है और चावल की 80 से ज्यादा स्थानीय किस्मों का संरक्षण किया है। जैव विविधता के संरक्षण तथा परिरक्षण के क्षेत्र में जमीन से जुड़े कार्यकर्ता के रूप में इनके कार्यों को कई संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है।
- जय सिद्धेश्वर सहकारी विज्ञान मंडल, भरारी, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) गेहूं की पारंपरिक किस्मों के संरक्षण, परिरक्षण तथा सुधार के क्षेत्र में काम कर रहा है। मंडल के उन्नत हस्तक्षेपों से गेहूं की पारंपरिक किस्मों का आदान-प्रदान क्षेत्र के किसान समुदाय में संरक्षण तथा परिरक्षण प्रयोजन हेतु किया गया। पारंपरिक विधि से उगाई जा रही गेहूं की फसल से मोटे दाने मिलते हैं और यह अनेक रोगों की प्रतिरोधी है तथा बेहतर पैदावार वाली है। गेहूं की पारंपरिक वंशक्रमों के परीक्षण और संरक्षण में मंडल का कार्य काफी प्रशंसनीय है।
- श्री जोस मैथ्यू, केरल ने 15 किस्मों के अपने संग्रहण से उच्च पैदावार वाले पादप का सावधानीपूर्वक चयन करने के बाद जायफल की 'कोछुडुडी' किस्म विकसित की है। यह किस्म मुरझान प्रतिरोधी है और जायफल वृक्ष की सामान्य किस्मों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। केरल में हाल ही में जायफल की इस किस्म की खेती काफी लोकप्रिय हुई तथा जर्मनी से खरीददार इसके लिए सम्पर्क कर रहे हैं इनफेम-केरल में किसानों का एक अभियान था इसे पुरस्कृत किया गया। श्री मैथ्यू ने दो दशक से भी ज्यादा अवधि तक वैज्ञानिक कृषि तकनीकों के

क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री मैथ्यू ने रबर, शरीफा की खेती तथा जननद्रव्य संरक्षण पर भी मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया।

- सैदु, कच्छ (गुजरात) में 1992 से कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहा है जो कृषि और ग्रामीण कार्यकलापों को सहायता प्रदान कर रहा है। कच्छ की मुख्य व्यावसायिक फसल खजूर है जिसकी कोई विशिष्ट किस्म नहीं है। कृषि विज्ञान केन्द्र ने खेतों में उत्कृष्ट खजूर किस्म की पहचान के लिए सर्वेक्षण के लिए किसान समुदाय के बीच जागरूकता लाई गई, व्यापक स्तर पर प्रवर्धन के लिए ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला स्थापित की गई और खजूर की किस्मों का संरक्षण किया तथा इसे किसानों में वितरित किया गया।
- स्व० श्री एन.सीताराम अय्यर ने वंशक्रमों तथा कृषक किस्मों के बीजों के अवतरण द्वारा तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू) के तमिल नाडु चावल अनुसंधान संस्थान (टीआरआरआई) के चावल विकास कार्यक्रमों में काफी योगदान दिया। टीआरआरआई के चावल प्रजनन कार्यक्रम में इन्होंने कारुनुरुवी, ओसीपोन्नी, अनिलवलसम्बा, थंगासम्बा, कुडीरीवलसम्बा तथा सीरागासम्बा जैसे वंशक्रमों में अपना योगदान दिया। इन्होंने कावेरी

डेल्टा क्षेत्र के किसानों के बीच गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में सराहनीय काम किया। स्व० श्री अय्यर लागत प्रभावी क्रियाओं (आईटीके) में शामिल रहे जिससे चावल वंशक्रमों के बीज अंकुरण में सुधार हुआ। यह चावल की बाजार योग्य क्षमता के महत्व को जानते थे और इन्होंने अपने साथी किसानों की जानकारी को और ज्यादा बढ़ाया।

- श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी, टाडिया गांव, वाराणसी उत्तर प्रदेश के किसान हैं जो सुन नहीं सकते। अपने दृढ़ निश्चय तथा उद्यमशीलता से उन्होंने अनाज और सब्जियों की अनेक किस्मों का विकास किया जिन्हें किसानों के बीच वितरित किया गया। इनके द्वारा विकसित चावल और गेहूं किस्मों का नाम क्रमशः कुदरत तथा करिश्मा रखा गया जो खराब जलवायु स्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन करती हैं। श्री रघुवंशी द्वारा विकसित किस्मों का अनेक कृषि विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान केन्द्रों में परीक्षण किया जा रहा है। इन्होंने अनेक बीज रैली में हिस्सा लिया तथा अपने बीज वितरित किए। इन्होंने देसी किस्मों के संरक्षण का समर्थन किया। श्री रघुवंशी के अनेक पुरस्कारों तथा सम्मानों से सम्मानित किया गया है।

4. डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास

4.1 डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास के लिए कार्य दल

पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण को तकनीकी और नीतिगत मामलों पर कार्यक्रम नियोजन तथा नीति समिति (पीपीपीसी) नामक शीर्षस्थ समिति द्वारा निर्देशित किया जाता है। तदनुसार, प्राधिकरण ने प्राथमिकता वाली फसलों के लिए डीयूएस जांच दिशानिर्देशों के विकास पर अनेक कार्य दलों का गठन किया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान नौ फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को कार्य दल की सिफारिशों पर 'पौधा किस्म जरनल' में प्रकाशित किया गया। इन फसल प्रजातियों में ऑर्किड की 2 प्रजातियां (कैटलिया तथा फैलाइनोप्सिस), वानकी की 2 प्रजातियां (कसूरीना तथा मूकलेप्टस), एक फल (अनार) तथा कद्दूवर्गीय की 4 प्रजातियां (केरला, चिचिंडा, खीरा तथा कद्दू) शामिल हैं। कुछ अन्य फसलों के लिए डीयूएस दिशानिर्देश के विकास का कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है इनमें जौ, बेर, केला, खजूर, सेब, आड़ू, नाशपाती, आलूबुखारा, खुबानी, बादाम, अखरोट तथा बीज प्रजातियां शामिल हैं। जौ, अनार, धनिया, सौंफ, सेब, आड़ू तथा आलूबुखारा के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश के कार्य को संबंधित कार्य दल द्वारा अंतिम रूप दे दिया है जिसका विवरण निम्नलिखित है :

4.1.1 जौ के डीयूएस निरूपक के वैद्यीकरण पर कार्य दल

डॉ. एस.सी.गुलाटी, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली की अध्यक्षता में कार्य दल (3/2011) की दूसरी बैठक 8 जनवरी 2013 को एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल द्वारा तैयार डीयूएस निस्पक पर विचार किया गया तथा डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने पर विचार-विमर्श किया गया। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद डीयूएस दिशानिर्देशों को तैयार करने का एक अन्य सह-नोडल केन्द्र है। रबी 2012-13 के दौरान 78 जौ किस्मों को उगाया गया तथा 3 प्रतिरूपण में आरबीडी डिजाइन का आकलन किया गया। खेत स्थितियों में निगरानी के दौरान वृद्धि व्यवहार से परिपक्वता तक 32 लक्षणों को दर्ज किया और प्रयोगशाला

में अनेक दानों से संबंधित प्राचलों को दर्ज किया गया। मसौदा डीयूएस दिशानिर्देश लक्ष्य दल द्वारा अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में चल रही है। सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा संबंधित पीआई को मसौदा डीयूएस दिशानिर्देशों में इन्हें शामिल करने का अनुरोध किया गया जिससे कार्य दल की अगली बैठक में इन पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जा सके।



चित्र : एरिल रंग में विभिन्नता

4.1.2 अनार पर कार्य दल

राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र, पुणे द्वारा अनार के लिए डीयूएस दिशानिर्देश तैयार किए गए जिन्हें कार्य दल (6/2011) द्वारा डॉ. एस.एन. पाण्डे, पूर्व सहायक महानिदेशक (बागवानी), भा.कृ.अ.प. की अध्यक्षता में आयोजित दो बैठकों में अंतिम रूप प्रदान करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। कार्य दल की बैठक 29 मई 2012 को हुई तथा इसके बाद दूसरी बैठक एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 19-20 नवम्बर 2012 को इसे अंतिम रूप देने के लिए हुई।

4.1.3 बीज मसालों पर कार्य दल (धनिया और मेथी)

बीज मसालों (धनिया, मेथी, सफेद जीरा तथा सौंफ) के लिए डीयूएस जांच दिशानिर्देशों का कार्य राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र (रा.ब.म.अ.क.), अजमेर को सौंपा गया। केन्द्र द्वारा धनिया और मेथी के डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है जिन्हें डॉ. जी. कल्लू, पूर्व उप महानिदेशक

(बागवानी एवं फसल विज्ञान), भा.कृ.अ.प. तथा पूर्व कुलपति, जेएनकेवीवी, जबलपुर की अध्यक्षता में गठित लक्ष्य दल द्वारा दो बैठकों में स्वीकृत किया गया। इसमें पहली बैठक 10 दिसम्बर 2012 तथा दूसरी 11 मार्च 2013 को अजमेर (राजस्थान) में हुई।

4.1.4 बेर और खजूर पर कार्य दल

दो परियोजनाओं के तहत कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए डॉ. बी.बी.वशिष्ठ, पूर्व निदेशक, एनआरसीएसएस, अजमेर की अध्यक्षता में 8-9 नवम्बर, 2012 को बेर और खजूर के डीयूएस निरूपक के वैद्यीकरण पर कार्य दल की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में डॉ. वी.एस.सुपे, बागवानी विशेषज्ञ, एमपीकेवी राहुरी और सदस्य, डॉ. आर.एस.सिंह, प्रधान वैज्ञानिक और नोडल अधिकारी, डॉ. आर. भार्गव, सह-पीआई तथा डॉ. हरी कृष्णा, श्री एन.डी.एस मिश्रा, संयुक्त रजिस्ट्रार तथा सदस्य सचिव, प्राधिकरण के प्रतिनिधि के रूप में इसमें उपस्थित हुए। डॉ. आर.एस.सिंह, पीआई, डीयूएस दिशानिर्देशों के लिए खजूर के 21 आकृतिमूलक लक्षणों पर तथा खजूर की 23 किस्मों में फल लगने के लक्षणों पर खजूर के डीयूएस केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। डॉ. हरी कृष्ण ने भी बेर के डीयूएस निरूपक की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जो बेर की संदर्भ किस्मों में आकृतिमूलक विज्ञान तथा फल लगने के लक्षणों पर आधारित थी।



चित्र: विभिन्न बेर जीनोटाइप के बीच फल की बनावट में विविधता

4.1.5 सेब, आड़ू, नाशपाती, अखरोट तथा बादाम पर कार्य दल

डॉ. के.के. जिंदल, प्रख्यात वैज्ञानिक, फल विज्ञान विभाग, डॉ. वाई.एस. परमार, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन की अध्यक्षता में 15-16 जनवरी 2013 को एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में शीतोष्ण फलों (सेब, आड़ू, आलूबुखारा, नाशपाती, अखरोट तथा बादाम) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के वैद्यीकरण के लिए कार्य दल (4/2012) की पहली बैठक हुई। निदेशक, सीआईटीएच श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) जिनहें डीयूएस दिशानिर्देश का कार्य सौंपा गया था। इन्होंने संबंधित पीआई के साथ सेब, आड़ू तथा आलूबुखारा के लिए दिशानिर्देशों को प्रस्तुत किया गया। समय की कमी के कारण नाशपाती, अखरोट तथा बादाम के लिए दिशानिर्देशों पर उक्त बैठक में विचार-विमर्श नहीं हुआ। यह निर्णय लिया गया कि शेष बचे दिशानिर्देशों पर सीआईटीएच, श्रीनगर में आयोजित होने वाली अगली बैठक में विचार-विमर्श तथा कार्य दल द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

4.2 डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास का कार्य

इसके अलावा प्राधिकरण ने विभिन्न भा.कृ.अ.प. संस्थानों तथा भा.कृ.अ.प., सीएसआईआर, आईसीएफआरई तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की एजेंसियों को डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास का काम सौंपा गया है। इन कुछ डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास के कार्य तथा इसके कार्य के लिए जिम्मेदार संस्थानों का विवरण निम्नलिखित है :

4.2.1 राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीसी), नागपुर

“नींबू वर्गीय फल अर्थात् नागपूरी संतरे (सी.रेटिकुलेटा), मौसम्बी (सी.सीनेसिस) तथा एसिड लाईन (सी.औरंटीफेलिया)’ नामक परियोजना के तहत एनआरसीसी ने समस्त तीन नींबूवर्गीय फल प्रजातियों के लिए डीयूएस दिशानिर्देश तैयार किए हैं एनआरसीसी – नींबू वर्गीय फल में सभी चार प्रजातियों की चौदह साइट्रस किस्मों का लक्षण-वर्णन किया गया। तीन प्रजातियों की मसौदा डीयूएस दिशानिर्देशों पर कार्य दल की अगली बैठक में विचार-विमर्श कर अंतिम रूप दिया जाएगा। वर्ष के दौरान अन्य तीन प्रजातियों के आधार आंकड़े एकत्रित किए गए (सी.ग्रेनडिस, सी.जामभीरी तथा सी. लिमोनिया) और अगले वर्ष तक डीयूएस परीक्षण

दिशानिर्देश तैयार हो जाएंगे। लक्षित नींबू वर्गीय प्रजातियों के संदर्भ संग्रहण को बीएयू रांची तथा एसबीएसकेकेवी, दपोली (एमएस) में स्थापित किया गया।

सारणी 26 : नींबू वर्गीय फलों के लक्षण-वर्णन का विवरण

1. नागपुरी संतरे (सी. रेटिकुलेटा)	8. साई सरबती (सी. ओरेंटीफोलिया)
2. मौसम्बी (सी. सिनैसिस)	9. प्रमालिनी (सी. ओरेंटीफोलिया)
3. पम्मीयो (साइट्रस ग्रैन्डिस)	10. चक्रधर (सी. ओरेंटीफोलिया)
4. बालाजी (सी. ओरेंटीफोलिया)	11. खासी मेंडारिन (सी. रेटिक्यूलेटा)
5. एन 28 (सी. रेटिक्यूलेटा)	12. कागजी नींबू (सी. ओरेंटीफोलिया)
6. कुर्ग मेंडारिन (सी. रेटिक्यूलेटा)	13. विक्रम (सी. ओरेंटीफोलिया)
7. सथगुडी (सी. साइनैसिस)	14. एन 4 (सी. रेटिक्यूलेटा)

4.2.2 टोकलई परीक्षण केन्द्र, जोरहट, असम

अनुसंधान केन्द्र को डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करने तथा चाय किस्मों के पंजीकरण के लिए 'चाय निरूपक का वैधीकरण' नामक परियोजना सौंपी गई। परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ टोकलई परीक्षणात्मक केन्द्र, जोरहट, असम, यूपीएसआई चाय अनुसंधान संस्थान, वलपाराई, कोयम्बूर, तमिल नाडु तथा दार्जिलिंग चाय

अनुसंधान एवं विकास केन्द्र टी-बोर्ड, कुर्सियोंग, पश्चिम बंगाल में आरंभ किया गया।

- चाय के पादप और बीज किस्मों का लक्षण-वर्णन तथा डेटा डिजिटलइजेशन किया गया।
- किस्मों की विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) का अध्ययन करना तथा
- पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, 2001 के तहत चाय किस्मों का पंजीकरण

टोकलई परीक्षणात्मक केन्द्र, चाय अनुसंधान एसोसिएशन, जोरहट से जारी समस्त 31 क्लोन्स के लिए विविध चाय अनुसंधान संस्थानों/चाय उद्योगों के आंकड़ों द्वारा विकसित चाय किस्मों के पंजीकरण के लिए चाय (कैमिलिया प्रजाति एल.) पर विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) की जांच के लिए समस्त आकृतिमूलक लक्षण दर्ज किए गए। यूपीएसआई चाय अनुसंधान संस्थान द्वारा 31 क्लोन और डीटीआरडीसी, दार्जिलिंग द्वारा 20 क्लोन विकसित किए गए। सोलह आकृतिमूलक लक्षणों की पहचान की गई इन्हें डीयूएस लक्षणों के रूप में विचार किया जाएगा। कार्य दल की पहली बैठक में वनस्पति लक्षणों अर्थात् कुल के व्यास, स्वरूप की लंबाई, स्वरूप तीक्ष्णता की स्थिति, स्टेमेंस के परस्पर वर्तिकाग्री की स्थिति पर विचार किया गया। इसे डीयूएस लक्षणों में शामिल करने के लिए किया गया तथा समस्त तीन सहयोगी संस्थानों द्वारा इन प्राचलों को दर्ज किया गया। अन्य वृद्धि व्यवहार लक्षण जैसे सम्प्रवाहन व्यवहार वह लक्ष्य होगा जो किस्मों को विशिष्टता रूप से अलग करेगा। डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान करने का कार्य चल रहा है।

सारणी 27 : चाय क्लोनों के रखरखाव का विवरण

क्र. सं.	क्लोन
1	टोकलई प्रायोगिक केन्द्र : शाकीय क्लोन (टीवी 1, टीवी 2, टीवी 3, टीवी 4, टीवी 5, टीवी 6, टीवी 7, टीवी 8, टीवी 9, टीवी 10, टीवी 11, टीवी 12, टीवी 13, टीवी 14, टीवी 15, टीवी 16, टीवी 17, टीवी 18, टीवी 19, टीवी 20, टीवी 21, टीवी 22, टीवी 23, टीवी 24, टीवी 25, टीवी 26, टीवी 27, टीवी 28, टीवी 29, टीवी 30, टीवी 31) टोकलई प्रायोगिक केन्द्र, चाय अनुसंधान एसोसिएशन, जोरहट में तथा 11 किस्में पी-1403, टीएचबीओ-3, टीएचबीओ-9, एसकेएम-1, बी-157, एवी-2, टी-253, आरआर-4,5, टी-135, बी-668, पी-312

2	<p>यूपीएसआई – टीआरएफ :</p> <p>यूपीएसआई-1, यूपीएसआई-2, यूपीएसआई-3, यूपीएसआई-4, यूपीएसआई-5, यूपीएसआई-6, यूपीएसआई-7, यूपीएसआई-8, यूपीएसआई-9, यूपीएसआई-10, यूपीएसआई-11, यूपीएसआई-12, यूपीएसआई-13, यूपीएसआई-14, यूपीएसआई-15, यूपीएसआई-16, यूपीएसआई-17, यूपीएसआई-18, यूपीएसआई-19, यूपीएसआई-20, यूपीएसआई-21, यूपीएसआई-22, यूपीएसआई-23, यूपीएसआई-24, यूपीएसआई-25, यूपीएसआई-26, यूपीएसआई-27, यूपीएसआई-28, टीआरएफ-1, टीआरएफ-2, टीआरएफ-3 तथा टीआरएफ-4</p>
3	<p>डीटीआरडीसी, दार्जलिंग :</p> <p>फूबसेरिंग – 312, बन्नोकबर्न – 157, टुकदाह – 145, अम्बारी वलाई-2, टुकदाह-253, टुकदाह-246, बन्नोकबर्न – 777, रंगली- रंगलोइत –4/5, बन्नोकबर्न- 668, लिंगिया- 12, फूबसेरिंग – 1404, कोपाटी- 1/1, हैप्पी वैली –39, सुन्दरम, फूबसेरिंग – 1258, टीस्टा वैली-1, सिक्किम-1, चिराईड्यू पर्वत-1, टुकदाह – 78, टुकदाह- 135, टुकदाह – 383, रंगली – रंगलोइत – 17/144, बालासुन – 17/1ए/76, बालासुन – 9/3/76, बादामतम – 15/263, थुर्बो – 3, थुर्बो- 9</p>

टोकलई परीक्षण केन्द्र, चाय अनुसंधान संगठन (टीआरए) के वैज्ञानिक सलाहकार तथा पीपीवी एंड एफआरए, गुवाहाटी के उप पंजीकार के बीच परस्पर सम्पर्क सत्र का आयोजन किया गया। माननीय अध्यक्ष चार्य बोर्ड तथा भारत के उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान यूपीएसआई चाय अनुसंधान संस्थान का दौरा किया।

4.2.3 यूपीएसआई, चाय अनुसंधान संस्थान

संस्थान को समान उद्देश्यों के साथ 'डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करने तथा चाय किस्मों के पंजीकरण के लिए चाय निरूपक का वैधीकरण' नामक परियोजना सौंपी गई।

टोकलई परीक्षात्मक केन्द्र, चाय अनुसंधान एसोसिएशन, जोरहाट से जारी समस्त 31 क्लोन्स के लिए विविध चाय अनुसंधान संस्थानों/चाय उद्योगों के आंकड़ों द्वारा विकसित चाय किस्मों के पंजीकरण के लिए चाय (कैमिलिया प्रजाति एल.) पर विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) की जांच के लिए समस्त आकृतिमूलक लक्षण दर्ज किए गए। यूपीएसआई चाय अनुसंधान संस्थान द्वारा 31 क्लोन और डीटीआरडीसी, दार्जलिंग द्वारा 20 क्लोन विकसित किए गए।

टोकलई प्रायोगिक केन्द्र

परियोजना के तहत चाय किस्मों के लक्षण-वर्णन के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र में रखरखाव के तहत टोकलई

प्रायोगिक केन्द्र चाय अनुसंधान एसोसिएशन, जोरहाट में 31 टोकलई वानस्पतिक क्लोन्स (टीवी 1 से टीवी 31), चाय अनुसंधान एसोसिएशन, जिंग टी.ई. दार्जलिंग की 11 किस्मों (पी 1404, टीएचबीओ-3, टीएचबीओ-9, एसकेएम-1, बी-157, एवी-2, टी-253, आरआर-4, आरआर-5, टी 135, वी 668, पी 312) पर विचार किया गया।

यूपीएसआई – टीआरएफ

यूपीएसआई चाय अनुसंधान संस्थान में एकत्रित क्लोन्स हैं यूपीएसआई-1 से यूपीएसआई-28, टीआरएफ-1, टीआरएफ-2, टीआरएफ-3 तथा टीआरएफ 4।

डीटीआरडीसी, दार्जलिंग

दार्जलिंग स्थितियों के तहत लक्षण-वर्णन किए गए क्लोन हैं 'फूबसेरिंग – 312, बन्नोकबर्न – 157, टुकदाह – 145, अम्बारी वलाई – 2, टुकदाह – 253, टुकदाह – 246, बन्नोकबर्न – 777, रंगली – रंगलोइत – 4/5, बन्नोकबर्न – 668, लिंगिया – 12, फूबसेरिंग, 1404, कोपाटी – 1/1, हैप्पीवैली – 39, सुन्दरम, फूबसेरिंग – 1258, टीस्टा वैली – 1, सिक्किम – 1, चैरीड्यू प्रभात – 1, टुकदाह – 78, टुकदाह – 135, टुकदाह – 383, रंगली – रंगलोइत – 17/144, बालासुन – 17/1ए/76, बालासुन – 9/3/76, बडामतम – 15/263, थुर्बो – 3, थुर्बो – 9"। चाय के डीयूएस निरूपक विकसित/पहचाने गए और मसौदा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है।

4.2.4 केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान (सीआएएच), बीकानेर

संस्थान को प्राधिकरण द्वारा 'बेर, खजूर तथा खरबूजा और तरबूज के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए डीयूएस निरूपक का वैधीकरण' नामक परियोजना सौंपी गई। इन प्रत्येक परियोजनाओं की प्रगति निम्नलिखित रूप में दी गई है :

खजूर

खजूर की एकत्र की गई 40 संदर्भ किस्मों का जो ज्यादातर विदेशी और विदेशों से प्रविष्ट हुई हैं, रखरखाव केन्द्र में किया गया। यद्यपि छह किस्में अर्थात् पंजाब रैड, भुकसो, खोथो, बीकानेर लोकल, जावंत्री तथा गुलचाटी देसी किस्में हैं और गरम शुष्क क्षेत्रों के तहत इनके बेहतर निष्पादन के लिए इनका आकलन किया गया। एमडीपी-1 का ऑफसैट तथा डीआरएस, मुंद्रा, भुज, गुजरात से एक स्थानीय किस्म सौफरी को एकत्र किया गया तथा आकलन के लिए इसका रोपण किया गया। अध्ययन के पहले वर्ष के दौरान खजूर किस्मों का आकृतिमूलक और फल लगने का लक्षण-वर्णन दर्ज किया गया।

बेर (जिजीफस प्रजाति)

संस्थान में रखरखाव की जा रही 90 किस्मों में से ज्यादातर किस्में सामान्य जानकारी (वीसीके) वाली हैं, सिर्फ तीन किस्मों को छोड़कर अर्थात् गोमा कीर्ति, थार भुभराज तथा थार सेविका इन्हें संस्थान स्तर पर जारी किया गया था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बेर किस्मों के आकृतिमूलक तथा फल लगने के लक्षणों को दर्ज किया गया। सीआईएएच, बीकानेर में आयोजित कार्य दल की दूसरी बैठक के दौरान डीयूएस जांच दिशानिर्देश तैयार करने के प्रयोजन से बेर/खजूर के डीयूएस निरूपक के वैधीकरण स्टाक पर विचार किया गया। डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास तथा अंतिम रूप देने के लिए बेर के विभिन्न लक्षणों पर दर्ज निगरानी टिप्पणियों को सीआईएएच, बीकानेर तथा एमपीकेपी, राहुरी में दूसरे वर्ष वैधीकृत किया गया।

खरबूजा और तरबूज

'कद्दू वर्गीय अर्थात् खरबूजा तथा तरबूज के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का वैधीकरण' नामक परियोजना सीआईएएच, बीकानेर तथा आईआईवीआर, वाराणसी को सौंपी गई। इसका उद्देश्य (i) तरबूज तथा खरबूजा के लिए निरूपक के मसौदे को वैधीकृत करना,

(ii) कृषि विश्वविद्यालयों, भा.कृ.अ.प. संस्थानों तथा अन्य संगठनों के पास उपलब्ध किस्मगत संग्रहण को एसेम्बल तथा वैधीकृत करना, (iii) रखरखाव प्रजनन द्वारा संदर्भ/उदाहरण किस्मों का रखरखाव करना, (iv) यदि जरूरी है, विशिष्ट आकृतिमूलक लक्षणों की पहचान करना, (v) इंडस में शामिल करने के लिए लक्षित फसलों के निरूपक के लिए डेटाबेस विकसित करना।

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान तरबूज की जारी नौ किस्मों तथा खरबूजे की 13 किस्मों के आकलन के साथ-साथ डीयूएस न्यूनतम निरूपक संयोजक के अनुसार विभिन्न निरूपक के वैधीकरण के लिए खरीफ 2012 के दौरान आशाजनक जननद्रव्य का आकलन किया गया। अध्ययन के तहत सभी किस्मों के बीजों का रखरखाव अंतः प्रजनन द्वारा किया गया। खरबूजे तथा तरबूज के विभिन्न लक्षणों की निगरानी की गई और डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए इन्हें दर्ज किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है :

सारणी 28 : डीयूएस निरूपक

तरबूज	खरबूजा
लक्षण	लक्षण
पत्र दल : आरंभिक लोबिंग की डिग्री	ओवेरी : यौवनारंभ
पत्र दल : द्वितीयक लोबिंग की डिग्री	फल : अनुप्रस्थ भाग में बनावट
ओवेरी : यौवनारंभ	फल : छिलके का रंग
लिंग अभिव्यंजक (पूर्ण पुष्पन पर)	फल : परिपक्वता में पुष्पवृत्त के अटैचमेंट की शक्ति
फल : अनुप्रस्थ भाग में बनावट	फल : पुष्पवृत्त के अंत में बनावट
फल : धारियां	फल : प्रस्फुटन अंत में बनावट
फल : गूदे का रंग	फल : गर्भकेसर धब्बे का व्यास
बीज : खोल का रंग	फल : खांचा
	फल : संधि रेखा
	फल : गूदे का रंग

4.2.5 भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी

आईआईवीआर, वाराणसी को "कद्दूवर्गीय अर्थात् खीरा, करेला, लोकी, कद्दू तथा पाईटेल गॉर्ड के लिए डीयूएस जांच दिशानिर्देशों के वैधीकरण" नामक परियोजना सौंपी

गई। मसौदा डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार लौकी की 31 संदर्भ किस्में (31 लक्षण), करेले की 25 किस्में (31 लक्षण), खीरे की 24 किस्में (35 लक्षण) तथा कद्दू की 18 किस्में का लक्षण-वर्णन किया गया तथा लौकी, करेला, खीरा तथा कद्दू के लिए डेटाबेस को कार्य दल की बैठक में अंतिम रूप दिया तथा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया।

एआईसीआरपी (वीसी) केन्द्रों में कद्दू की 18 किस्में को एकत्रित किया गया और डीयूएस निरीक्षण दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए उदाहरण किस्मों के रूप में इनका आकलन किया गया। इन किस्मों को आईएआरआई, नई दिल्ली; आईआईएचआर, बंगलुरु; आईआईवीआर, वाराणसी; एएयू, गुजरात; सीएसएयूए एंड टी, कानपुर; सीएचईएस, रांची; पीएयू, लुधियाना; एएयू, आनंद; तथा टीएनएयू कोयम्बतूर से एकत्रित किया गया।

सारणी 29: खरीफ 2012 के दौरान उगाई गई किस्मों का विवरण

क्र. सं.	किस्में	क्र. सं.	किस्में
1	अर्का चंदन	10	पूसा विकास
2	सीएम-350	11	पूसा विश्वास
3	सीओ-2	12	स्वर्णा अमृत
4	एचएआरपी-4	13	वीआरपीके-07-01
5	काशी हरित	14	वीआरपीके-09-1
6	केपीएस-1	15	वीआरपीके-222-2-1
7	नरेन्द्र अग्रिम	16	वीआरपीके-62
8	नरेन्द्र अमृत	17	सीओ-1
9	पंजाब सम्राट	18	वीआरपीके-05-01

खरीफ 2012 के दौरान संस्तुत संवर्धन क्रियाओं का उपयोग करके फसलें उचित रखरखाव तथा सैल्फिंग कार्यक्रम हेतु उगाई गई। आफ-टाइप पौधों को हटा दिया गया और सिर्फ आगामी बीज निष्कर्षण के लिए सिर्फ सच्चे-टाइप के पादपों का रखरखाव किया गया।

लौकी

एआईसीआरपी (वीसी) केन्द्रों से लौकी की 31 किस्मों को एकत्रित किया गया और डीयू परीक्षण दिशानिर्देश तैयार करने के लिए उदाहरण किस्मों के रूप में इनका आकलन

किया गया। इन किस्मों को विभिन्न केन्द्रों से एकत्रित किया गया।

सारणी 30 : खरीफ 2012 के दौरान उगाई गई किस्मों का विवरण

क्र.सं.	किस्में	क्र.सं.	किस्में
1	एबीजी-1	17	पंजाब लोंग
2	अर्का बहार	18	पूसा नवीन
3	सीओ-1	19	पूसा समृद्धि
4	जीएच-22	20	पूसा संदेश
5	जोरा बोट्टा	21	पूसा संतुष्टि
6	कल्याणपुर लोंग ग्रीन	22	राजेन्द्र चमत्कार
7	काशी गंगा	23	वीआर-1
8	केबीजीआर-12	24	वीआर-2
9	नरेन्द्र धारीदार	25	वीआरबीजी-136
10	नरेन्द्र ज्योति	26	वीआरबीजी-6
11	नरेन्द्र रश्मि	27	वीआरबीजी-7
12	एनडीबीजी-132	28	सम्राट
13	एनडीबीजी-619	29	जेबीजी-50
14	पंत लौकी-1	30	जेबीजी-51
15	पंत लौकी-3	31	एनडीबीजी-10
16	पंजाब कोमल		

खरीफ 2012 के दौरान संस्तुत संवर्धन क्रियाओं का उपयोग करके फसलें उचित रखरखाव तथा सैल्फिंग कार्यक्रम हेतु उगाई गई। आफ-टाइप पौधों को हटा दिया गया और सिर्फ आगामी बीज निष्कर्षण के लिए सिर्फ सच्चे-टाइप के पादपों का रखरखाव किया गया।

करेला

एआईसीआरपी (वीसी) केन्द्रों से करेले की पच्चीस किस्मों को एकत्रित करा गया तथा डीयूएस एस निरीक्षण दिशानिर्देश तैयार करने के लिए उदाहरण किस्मों के रूप में इनका आकलन किया गया। आफ टाइप पौधों को हटा दिया गया और सिर्फ आगामी बीज निष्कर्षण के लिए सिर्फ सच्चे टाइप के पादपों का रखरखाव किया गया।

सारणी 31 : खरीफ 2012 के दौरान उगाई गई किस्मों का विवरण

क्र.सं.	किस्में	क्र.सं.	किस्में
1	अर्का हरित	14	पंत करेला-1
2	बीबीजीएस-09-01	15	पीबीआईजी-02
3	सीओ-1	16	फुले ग्रीन गोल्ड
4	डीएआरएल-43	17	फुले उज्जवला
5	डीबीजीएस-37	18	प्रीथी (एमसी-84)
6	एचएबीजी-21	19	पंजाब-14
7	एचएबीजी-22	20	पूसा दो मौसमी
8	हिरकाणी	21	पूसा विशेष
9	कल्याणपुर बारामशी	22	सेल-1
10	काशी उर्वशी	23	सेल-5
11	मेघना-2	24	सोलन हारा
12	एनडीबीटी-7	25	वीआर-333
13	एनडीबीटी-9		

खीरा-ककड़ी

एआईसीआरपी (वीसी) केन्द्रों से खीरे की चौबीस किस्मों को एकत्रित किया गया और डीयूएस जांच दिशानिर्देश तैयार करने के लिए उदाहरण किस्मों के रूप में इनका आकलन किया गया। इन किस्मों को विभिन्न केन्द्रों से एकत्रित किया गया।

सारणी 32: खरीफ 2012 के दौरान उगाई गई किस्मों का विवरण

क्र.सं.	किस्में	क्र.सं.	किस्में
1	फूने शूभांगी	13	पीसीयूसी-09
2	पंजाब नवीन	14	पीसीयूसी-10
3	स्वर्ण अगेती	15	केटीसीएस-07
4	स्वर्ण पूर्णा	16	नं. 374
5	स्वर्ण शीतल	17	वीआर-101
6	हिमांगी	18	वीआरसी-26
7	के-75	19	डीसी-54
8	के-90	20	डीसी-78
9	कल्याणपुर ग्रीन	21	गोआ लोकल
10	जेएलजी (कबीरा)	22	गुजरात कुकुम्बर लोंग
11	पंत खीरा-1	23	कुकुम्बर सेवन स्टार
12	कुकुम्बर लोंग ग्रीन	24	देव कमल

खरीफ 2012 के दौरान संस्तुत संवर्धन क्रियाओं का उपयोग करके फसलें उचित रखरखाव तथा सैल्फिंग कार्यक्रम हेतु उगाई गई। आफ-टाइप पौधों को हटा दिया गया और सिर्फ आगामी बीज निष्कर्षण के लिए सिर्फ सच्चे-टाइप के पादपों का रखरखाव किया गया।

परवल

परवल की पांच किस्मों (आईआईवीआर पीजी-1,2,3, नरेन्द्र परवल-260, स्वर्ण अलंकार तथा मेल) को खेत में वानस्पतिक रूप से सितम्बर 2012 में रोपा गया। संस्तुत संवर्धन क्रियाओं का उपयोग करते हुए फसलों का प्रतिरोपण तथा उचित रखरखाव और आगामी आंकड़ों की रिकॉर्डिंग तथा प्रगुणन किया गया।

4.2.6 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), हेसरगट्टा, बंगलुरु

चमेली

आईआईएचआर, बंगलुरु को "चमेली में डीयूएस परीक्षण के लिए दिशानिर्देश विकसित करने हेतु डीयूएस निरूपक का वैधकीकरण" परियोजना सौंपी गई जिसका उद्देश्य डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित करना, राष्ट्रीय डेटाबेस की स्थापना, मुख्य किस्मों/जीनोटाइप की मुख्य विशेषताएं तथा चमेली के निरूपक के आंकड़ों का प्रलेखीकरण तथा वैधकीकरण। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान केन्द्र ने चमेली की चार व्यावसायिक खेती वाली किस्मों तथा चार अन्य किस्मों की 29 प्रविष्टियों का संग्रहण, प्रगुणन तथा स्थापित किए। इनमें जास्मीन सैमबैक (16), जैसमीनम ऑरीक्यूलेटस (4), जैसमीनम ग्रेडीफ्लोरम (2) तथा जैसमीनम मल्टीफ्लोरम (3) शामिल हैं। इन सभी संग्रहणों को खेत में उगाया गया तथा 45 लक्षणों का आकृतिमूलक लक्षण-वर्णन किया गया और इनकी स्थिति चरण तथा आकलन के स्वरूप को दर्ज किया गया। कार्य दल की बैठक में विचार-विमर्श के लिए प्रथम मसौदा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को तैयार किया गया।

रजनीगंधा

विभिन्न आकृतिमूलक लक्षणों के लिए यूपीओवी दिशानिर्देशों के अनुसार रजनीगंधा की 16 जीनोटाइप (वीसीके) के संदर्भ संग्रहण के साथ प्रजनन वंशक्रमों का आकलन किया गया। कुछ वर्गीकरण लक्षण जिनकी निगरानी की गई। इनमें पत्ती चितकबरापन, पत्ती आधार पर रंजकता, कली रंग, पुष्प बनावट, बाली की लंबाई, वर्तिकाग्र

स्वरूप, वर्तिकाग्र लोब्स, पुष्प वृंत पर रंजकता, पुष्पण में लगने वाले दिन तथा फल में लोक्यूल्स शामिल हैं। आगामी अन्य गुणात्मक तथा मात्रात्मक लक्षणों की निगरानी भी वानस्पतिक तथा फ्लोरल दोनों संदर्भ में दर्ज की गई।

किस्मों को चितकबरापन/गैर-चितकबरापन, एकल/दोहरी, हरापन/गुलाबी कली प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पत्ती तथा पुष्पवृंत के आधार पर रंजकता में काफी अंतर था। फूलों की बनावट नलिका से संकरी चिमनी तथा विशाल चिमनी के बीच अलग-अलग थ। बाली की लंबाई के आधार पर इन्हें लघु, मध्यम तथा लंबा रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जीनोटाइप से दोनों पिन टाइप तथा थ्रम टाइप को दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही स्टेमेटिक लोब्स की संख्या में अंतर पाया गया।

कुछ किस्मों के पुष्पण में अगेतीपन तथा कुछ में पछेती रुझान पाया गया। समस्त जीनोटाइप में तीन रंगों की डिम्बग्रंथि थी जबकि अर्क निरंतर किस्म में तीन रंग तथा चार रंगों की डिम्बग्रंथि युक्त विशिष्ट लक्षण वाली थी जिसमें टेट्राफिड स्टिगमा भी था। पुष्प लंबाई, पुष्प व्यास, फूल खिलने, पंखुड़ी की पंक्ति की संख्या, रैकिस लंबाई, पुष्पवृंत की लंबाई, पुष्प नली लंबाई, ब्रैक्ट आकार तथा बीज जमने की क्षमता में काफी अंतर पाया गया।

- गुलाब, क्राइसेंथिमस, स्ट्राबेरी, टमाटर तथा फ्रैंचबीन में डीयूएस परीक्षण का एक विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसे आईआईएचआर, हेसरघट्टा, बंगलुरु में 5-6 दिसम्बर, 2012 को आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण श्री डब्ल्यू.जे.संगस्टर, बौकटुनबो, नीदरलैंड द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसमें श्री दिलीप राय चौधरी, संयुक्त रजिस्ट्रार, पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली भी शामिल थे।
- डॉ. मनोज श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकर की अध्यक्षता में 23 मार्च 2012 को आईआईएचआर, बंगलुरु में एक डीयूएस समीक्षा बैठक आयोजित की गई और रजनीगंधा पर डीयूएस परियोजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करके इस पर विचार-विमर्श किया गया।

गेंदा

गेंदा के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश तैयार करने का कार्य 2011-12 में आईआईएचआर, बंगलुरु को सौंपा

गया। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान गेंदे की 9 संदर्भ किस्मों का रखरखाव और लक्षण-वर्णन किया गया। इन 9 किस्मों में से तीन किस्मों को भा.कृ.अ.प. द्वारा जारी किया गया तथा 6 किस्मों आईआईएचआर से संबंधित हैं डीयूएस निरूपक में हाइपोकोटाइल तथा तना में एंथोसियानिन रंजकता, सगंध, पादप ऊंचाई, वृद्धि व्यवहार, शाखा, पत्ती लक्षण जैसे टाइप, लंबाई, चौड़ाई, पत्रक, पत्ती मार्जिन, पत्ती शीर्ष तथा इसका लक्षण-वर्णन जैसे लिग्यूलेट फ्लोरेट, बनावट, लंबाई, उत्कीर्णन आदि शामिल हैं।

4.2.7 वन महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई), मेट्टूपलायम (टीएनएयू)

प्राधिकरण द्वारा नीम, करंज तथा जट्रोफा में डीयूएस निरूपक तथा मसौदा दिशानिर्देशों के विकास का कार्य पिछले दो वर्षों से वन महाविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान, मेट्टूपलायम को सौंपा गया। मसौदा डीयूएस दिशानिर्देशों के लिए नीम के लगभग 44 आकृतिमूलक निरूपक, करंज के 53 निरूपक तथा जट्रोफा के 36 निरूपकों की पहचान की गई। कार्यक्रमों में विकसित निरूपकों के विवरण का सार निम्नलिखित है :

सारणी 33 : वनीय प्रजायितों में डीयूएस निरूपक की स्थिति

क्र.सं.	प्रजाति	डीयूएस निरूपक विकसित करने के लिए डीयूएस लक्षण	निरूपकों की संख्या (वांछनीय तथा विस्तृत निरूपक)
1	नीम	शीर्ष, पुष्पक्रम, पत्ती, फल, बीज	20 अनिवार्य 24 विस्तृत
		कुल निरूपक	44
2	करंज	शीर्ष, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, फली, बीज	38 अनिवार्य 24 विस्तृत
		कुल निरूपक	53
3	जैट्रोफा	शीर्ष, तना, पत्ती, फल, बीज	24 अनिवार्य 12 विस्तृत
		कुल निरूपक	36

4.2.8 केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (सीटीसीआरआई) क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर

क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर के साथ सह-नोडल केन्द्र के रूप में बीसीकेवी, कल्याणी को एरोइडस की अरेकी

वंश से संबंधित दो मुख्य खाद्य एवं शाकीय फसलों अर्थात् अरबी (कोलोकेशिया एस्क्यूलेटा एल. स्कॉट) तथा जीमीकंद (एमोरफोफेल्लू स्पीनिफोलियस डेन्स. निकोलसन) की डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास पर काम कर रहे हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान जीमीकंद की सतह तथा अरबी की 21 किस्मों को आरबीडी के साथ तीन प्रतिरूपण में रोपित किया गया। आईपीजीआरआई निरूपक के अनुसार लक्षणों को स्पष्ट किया गया तथा रॉयल हार्टिकल्चर सोसायटी कलर-चार्ट का उपयोग करते हुए विजुअल मूल्यांकन किया गया। जीमीकंद में रोपण के बाद (डीएपी) 90-100 दिनों में तथा अरबी में 80-90 डीएपी में कटाई पूर्व लक्षण दर्ज किए गए। जीमीकंद के लिए 31 के कटाई पूर्व आकृतिमूलक लक्षण दर्ज किए तथा अरबी किस्मों के लिए 32 पूर्व कटाई लक्षण दर्ज किए गए। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास के लिए लक्षणों के वैधीकरण की प्रगति का विवरण निम्नलिखित है :

अरबी की 21 किस्मों के आकृतिमूलक लक्षणों की आरंभिक निगरानी से कुछ विशिष्ट लक्षणों का पता लगा है। 21 किस्मों में से चार में पर्णवृंत जंक्शन हरा पाया गया और शेष में बैंगनी रंग पाया गया। किस्मों में से आईजीसीओएल-8 तथा बीसीसी 22 में चूषक की संख्या 6-10 के बीच पाई गई। सिर्फ बीसीसी 47 में पत्रदल शीर्ष का गुलाबी रंग का सैप पाया गया। ज्यादातर किस्मों में पत्ती में मोमियापन था। किस्म पेनीसारू-1, बीसी-1, पेनीसारू 2 तथा श्री रेशमी में मध्यम स्तर का चिकनापन पाया गया। कुछ विशिष्ट लक्षण भी नोटिस किए गए।

जीमीकंद

जीमीकंद की 17 किस्मों पर आकृतिमूलक लक्षणों की आरंभिक निगरानी से अनेक प्रकार की विशिष्टताओं का पता लगा है। 8 किस्मों में पत्रक रंग पीला या पीला हरा तथा 9 किस्मों में हरे के साथ पीला धब्बा पाया गया। पत्रक में ज्यादातर शिरा का रंग हरा (15) जबकि गजेन्द्र और कोवूर जिनके पत्रक शिरा रंग क्रमशः हरे और हल्के बैंगनी पाए गए। 17 किस्मों में से 5 में 'वी' पैटर्न था जो रैकिस जंक्शन से संबंधित था। रैकिस जंक्शन का रंग विशिष्टता को आमंत्रित करता है जिसमें सिर्फ विधान कुसुम में सफेद पैच के साथ हल्के रंग का रंगीन जंक्शन था। पत्ती कोमलता के संबंध में ज्यादातर किस्में (11) कम रेंज वाली थी। कुछ उल्लेखनीय विशिष्ट लक्षण हैं :

अरबी और जीमीकंद के सस्योत्तर लक्षणों की आरंभिक निगरानी से विशिष्ट भिन्नता का पता लगा है और डीयूएस जांच के मुख्य मानदंड हो सकते हैं। बशर्ते कि अगले मौसम तथा अन्य परीक्षण स्थलों में इनका नियमित और समानरूपी प्रकरण हो। फसलवार निगरानी के लिए गए लक्षणों का सार निम्नलिखित है :

टैरोकॉर्न बनावट

- 21 किस्मों में अरबी में धनकन्य (कॉर्न) बनावट को विशिष्ट पाया गया जबकि ज्यादातर किस्मों में गोलाकार धनकन्य पाए गए तथा एएवीसीओएल-46 तथा श्रीकिरण में बेलनाकार थे।
- सोनाजुली, बीसीसी-22 तथा बीसीसी-35 में अंडाकार थे। इसी प्रकार, श्री रेशमी तथा आरए-1 में डम्बल आकार के पाए गए।

धनकन्द गुदा रेशा

- ज्यादातर किस्मों में धनकन्द गुदा रेशा हल्का पीला पाया गया। बीसी-38, पेनीसारू-2, बीसी-1, तेलिया, आरए-1 तथा पेनीसारू-1 किस्मों में धनकन्द गुदा भूरे रंग का था।
- ज्यादातर किस्मों में धनकन्द छिलका सतह थोड़ी सी रेशदार पाई गई, बीसीए-22 में रेशपन की उच्च डिग्री पाई गई।
- सिर्फ एएपीसीओएल 46 तथा आरए-1 में कली का रंग गुलाबी पाया गया तथा 7 किस्मों में सफेद तथा 12 किस्मों में हल्का रंग पाया गया।

कॉर्मल (धनकन्द) लक्षण

- धनकंदक लक्षण अनेक प्रकार के विशिष्ट लक्षणों को आमंत्रित करते हैं सोनाजुली, बीसीसी-39, श्री रेशमी तथा श्री किरण में 10 से ज्यादा धनकंदक पाए गए।
- बीसीसी-47 सतमुखी, आरए-1 तथा आईजीसीओएल-1 में 5 से कम धनकंदक दर्ज किए गए।

जीमीकंद धनकंद लक्षण

- बीसीए 4 में सिर्फ मोटा धनकंद छिलका पाया गया जबकि शेष किस्मों में पतला छिलका पाया गया।

- ज्यादातर किस्मों में धनकंद की संख्या 5 से ज्यादा पाई गई जबकि सीबीए 2, बीसीए 3 तथा एनडीए 5 में धनकंद की संख्या 5 से कम पाई गई।
- किस्मों में से बीसीए 5 में हल्के पीले रंग का धनकंद छाल पाई गई।
- ज्यादातर किस्मों में पीले रंग का धनकंद गूदा पाया गया तथा किस्मों अर्थात एनडीए 4, गजेन्द्र तथा कोवुर में हलका पीला तथा हलका संतरी रंग का धनकंद गूदा की विशिष्टता पाई गई।

श्री उदय महाराज, राम कृष्ण मिशन, देवधर ने सीटीसीआरआई क्षेत्रीय केन्द्र भुवनेश्वर में 12 अक्टूबर 2012 को झारखंड के जनजातीय किसानों के डीयूएस खेत का दौरा किया। इसके बाद अरबी तथा शकरकंदी की जारी किस्मों के अवलोकन के लिए डॉ. आर.सी.अग्रवाल, रजिस्ट्रार जनरल, पीपीवी एंड एफआरए ने 30 नवम्बर, 2012 को दौरा किया। श्री जे.बी.पटनायक माननीय राज्यपाल, असम सरकार ने सीटीसीआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर का दौरा किया और 2 फरवरी 2013 को शकरकंदी के संतरी रंग के गूदे का निरीक्षण किया।

4.2.9 केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (सीटीसीआरआई), श्रीकरियम, तिरुवनंतपुरम, केरल

सीटीसीआरआई को प्राधिकरण द्वारा कसावा तथा शकरकंदी के डीयूएस दिशानिर्देशों को तैयार करने का कार्य सौंपा गया। संस्थान ने शकरकंदी की 37 जारी किस्मों, कसावा की जारी 22 किस्मों तथा स्वस्थाने शकरकंदी के 205 संवर्धन तथा कसावा के 35 संवर्धन का रखरखाव किया गया। इसके अलावा कसावा के 28 वंशक्रमों (संदर्भ किस्मों) तथा शकरकंदी की तीन संदर्भ किस्मों (वंशक्रमों) का रखरखाव भी भविष्य में डीयूएस जांच परीक्षण के लिए किया गया।

इस परियोजना के तहत कसावा के 53 विशिष्ट लक्षणों सहित 9 गुलिंग लक्षणों तथा शकरकंदी के 34 विशिष्ट लक्षणों सहित 7 ग्रुपिंग लक्षणों के साथ डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया गया। कसावा में डीयूएस दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया गया। कसावा में डीयूएस दिशानिर्देशों सहित चार अनिवार्य तथा 40 विस्तृत लक्षण तैयार किए गए। समरूपता तथा स्थायित्व के लिए शकरकंदी

के सत्रह पूर्व कटाई लक्षणों तथा कसावा के 11 लक्षणों को वैधीकृत किया गया। शकरकंदी में दिशानिर्देश सहित चार अनिवार्य तथा 27 विस्तृत लक्षण तैयार किए गए। कसावा तथा शकरकंदी दोनों के लिए संदर्भ किस्मों की पहचान की गई तथा फोटोग्राफ का प्रलेखीकरण किया गया। कसावा तथा शकरकंदी के लिए मसौदा डीयूएस जांच दिशानिर्देश कार्य दल द्वारा समीक्षा के लिए प्राधिकरण को सौंपे गए।

4.2.10 केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (सीटीसीआरआई), भुवनेश्वर

सीटीसीआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र भुवनेश्वर को "उष्णकटिबंधी कंद फसलों जैसे कसावा तथा शकरकंदी की स्थापना के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश तथा किस्मगत जीन बैंक का विकास" परियोजना सौंपी गई। शकरकंदी की जारी सैंतीस किस्मों तथा कसावा की जारी 14 किस्मों का रखरखाव और लक्षण-वर्णन खेत में किया गया। इसके अलावा स्वस्थाने में शकरकंदी के 205 कल्चर तथा कसावा के 45 कल्चर का रखरखाव किया गया। केन्द्र ने शकरकंदी के पूर्व कटाई के 17 लक्षणों तथा कसावा के 11 लक्षणों की पहचान भी की है जिन्हें समरूपता तथा स्थायित्व के लिए वैधीकृत किया गया है। बी-कैरोटिन से प्रचुर संतरी गूदे वाली शकरकंदी की एसटी-14, गौरी तथा एंथोसाइनिन से प्रचुर बैंगनी गूदे वाली शकरकंदी की एसटी 13 विशिष्ट किस्म की पहचान की गई।

4.2.11 राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई), लखनऊ

एनबीआरआई, लखनऊ को "बोगनविलिया, ग्लौडियोलस तथा केन्ना के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश तैयार करना" नामक परियोजना को अपने जीवित जननद्रव्य संग्रहण के रखरखाव तथा डीयूएस परीक्षण और किस्मों के पंजीकरण में उपयोग के लिए उक्त फूलों के लिए डेटाबेस के विकास के लिए सौंपी गई। प्रत्येक परियोजना के कार्य की प्रगति का सार नीचे दिया गया है।

बोगनविलिया

इनके वानस्पतिक उद्याग में डीयूएस जांच में बोगनविलिया की 200 किस्मों के जननद्रव्य संग्रहण का रखरखाव किया गया है। ये किस्में चार अलग-अलग

प्रजातियों से संबंधित हैं। इनमें बोगनविलिया स्पैक्टेबिलिस, बोगनविलिया ग्लैबरा, बोगनविलिया पेरुविएना तथा बोगनविलिया ग बुटियाना शामिल हैं। मुख्य और नैदानिक लक्षणों को ध्यान में रखते हुए वानस्पतिक तथा पुष्प विषयक दोनों के आकृतिमूलक लक्षणों का लक्षणवर्णन दर्ज किया गया जो किस्म की प्रमाणीकता का पता लगाने में सहायक होगा। बोगनविलिया के तना रंग, युवा पत्ती के रंग, परिपक्व पत्ती तथा फूल के विशिष्ट लक्षण जैसे रंग के लिए बोगनविलिया की बीस किस्मों का लक्षण-वर्णन किया गया।



केन्ना

केन्ना की 50 किस्मों के जननद्रव्य संग्रहण का रखरखाव किया गया। ये किस्मों अलग-अलग प्रजातियों से संबंधित हैं। इनमें केन्ना इंडिका, केन्ना जनरेकिस, केन्ना फ्लेसिडा, केन्ना लेटीफोलिया, केन्ना इडलिस तथा केन्ना वारसविकजी शामिल हैं। किस्म की प्रमाणीकता का पता लगाने के लिए वानस्पतिक तथा पुष्प विषयक दोनों आकृतिमूलक लक्षणों के लक्षण-वर्णन को दर्ज किया गया। वानस्पतिक लक्षणों के लिए पंद्रह किस्मों का लक्षण-वर्णन किया गया जैसे राईजोम का ताजा वजन, नोड्स/इंटरनोड्स की संख्या, राईजोम का व्यास, चक्षु तथा जड़ों की संख्या, राईजोम का रंग, तना व्यास, बनावट, लंबाई, रंग आदि पत्ती लक्षण वर्णन में पत्ती पंख का आकार, शीर्ष बनावट, पत्ती की बनावट, पत्ती में चितकबरापन, पत्तियों/पादपों की कुल संख्या, पत्ती का रंग शामिल हैं तथा पुष्प संबंधी लक्षणों में पुष्पक्रम का स्वरूप, पुष्पक्रम की लंबाई, प्रति पुष्पक्रम में फूलों की संख्या, फूल का आकार, फूल का रंग, बंध्य पुंकेसर बनावट, बंध्य पुंकेसर आकार शामिल हैं।



ग्लैडियोलस

वानस्पतिक उद्यान में डीयूएस परीक्षण केन्द्र में ग्लैडियोलस की 100 किस्मों के जननद्रव्य संग्रहण का रखरखाव किया जा रहा है। ये किस्मों ग्लैडियोलस हाईब्रिडस से संबंधित हैं। किस्म की प्रमाणीकता का पता लगाने के लिए मुख्य तना निदान लक्षणों को ध्यान में रखते हुए वानस्पतिक तथा पुष्प विषयक दोनों के आकृतिमूलक लक्षणों के लक्षण-वर्णन को दर्ज किया गया। पंद्रह किस्मों का लक्षण-वर्णन विभिन्न



लक्षणों के लिए किया गया। इन लक्षणों में पादप ऊंचाई, पत्ती का आकार, पत्ती/पादप की कुल संख्या, पत्ती का रंग, पुष्पक्रम का स्वरूप, स्पाइक की लंबाई, प्रति स्पाइक सैट फूलों की संख्या, स्पाइक बनने के दिन, पुष्पन अवधि, फूलों का आकार (लंबाई और चौड़ाई), पंखुड़ी का रंग, पंखुड़ी के पिछले भाग का रंग, सम्पूर्ण रंग, पंखुड़ी की बनावट, पंखुड़ी का आकार (लंबाई और चौड़ाई) तथा पुमंग (एंड्रोसियम) लंबाई, तन्तु लंबाई, परागकोष (एंथर) लंबाई, तन्तु का रंग, परागकोष का रंग, स्टाइल की लंबाई तथा तुष व इसका रंग शामिल हैं।

4.2.12 राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीपी), शोलापुर

एनआरसीपी, शोलापुर को 'अनार के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकास और वैधीकरण नई किस्मों की तुलना के लिए डेटाबेस तैयार करना तथा अनार की मुख्य किस्मों/जीनोटाइप की प्रमुख विशेषताओं का प्रलेखीकरण तथा रिकॉर्डिंग' नामक परियोजना सौंपी गई। अनार के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश तैयार करने के लिए विभिन्न केन्द्रों से सूचना एकत्रित की गई। यूएसडीए, कैलीफोर्निया से अनार के 92 विदेशी जननद्रव्य को प्रविष्ट किया गया और इनका भवाली में रखरखाव किया गया तथा एनआरसीपी, शोलापुर को स्थानांतरित किया गया। एनआरसीपी फील्ड जीन बैंक और नर्सरी में 282 जननद्रव्य का रखरखाव किया जा रहा है। इन्हें विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किया गया अर्थात् पश्चिमी हिमालय, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि। अनार के अंतिम रूप दिए गए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश, 20 किस्मों का डेटाबेस जिसमें 32 लक्षणों को शामिल किया, इसमें आकृतिमूलक, रासायनिक तथा भौतिक लक्षण शामिल हैं, तैयार किया गया जो अनार के कैटलॉग (सूचीपत्र) तैयार करने में सहायक होगा। फोटो पुस्तकालय तैयार करने के लिए पत्ती, कुल, फल, बीजचोल के डिजिटल फोटो लिए गए। अनार जननद्रव्य का डेटाबेस तैयार करने के लिए वृद्धि, फल गुणवत्ता तथा मोर्फो-मैट्रिक लक्षणों पर आंकड़े दर्ज किए गए जो जीनोटाइप/किस्मों के पंजीकरण में उपयोगी होंगे। मुख्य किस्मों/जीनोटाइप के सभी विशिष्ट लक्षणों का प्रलेखीकरण किया गया। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान कार्य दल ने डॉ. एस.एन.पाण्डे, पूर्व सहायक महानिदेशक (बागवानी), भा.कृ.अ.प. की अध्यक्षता में कार्य दल ने अनार के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान किया। इसमें डीयूएस परीक्षण के लिए राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र, केगांव, शोलापुर ने नोडल केन्द्र तथा केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ने सह-नोडल केन्द्र के रूप में काम किया।

4.2.13 कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएएस), जीकेवीके, बंगलुरु

छोटे-मोटे अनाज (मंडुआ, फास्कटेल मिलेट, कोदो मिलेट, कुटकी, सांवां तथा प्रोसो मिलेट) में विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व के लिए परीक्षण करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का कार्य परियोजना समन्वयक, अखिल भारतीय छोटे-मोटे अनाज समन्वित अनुसंधान सुधार परियोजना, यूएएस, बंगलुरु को सौंपी गई। परियोजना में छोटे-मोटे अनाज में परीक्षण दिशानिर्देश तथा डीयूएस लक्षण की पहचान करना शामिल है। इसमें विशिष्टता स्थापित करने के लिए छोटे-मोटे अनाज की जारी सभी किस्मों की पहचान और लक्षण-वर्णन तथा छोटे-मोटे अनाज के लिए डीयूएस परीक्षण के सैट का संरक्षण पहचान/वैधीकरण और विभिन्न गुणात्मक तथा मात्रात्मक लक्षणों के लिए बहुस्थानिक आकलन के आकधार पर जारी समस्त किस्मों के लिए डेटाबेस सृजन करना शामिल है।

कुटकी : पुष्पक्रम आकार



फैला हुआ

आर्कड

अंडाकार-गोलाकार

परियोजना केन्द्र, बंगलुरु ने नोडल केन्द्र के रूप में काम किया और मोटा अनाज विभाग, टीएनएयू, कोयम्बटूर, एआईसीआरपी छोटे-मोटे अनाज, डिंडोरी तथा एआईसीआरआईपी - छोटे-मोटे अनाज, विजयानगरम ने समन्वयक केन्द्र के रूप में अगस्त 2012 के दौरान परियोजना आरंभ की थी। समस्त जारी किस्मों के बीज संबंधित केन्द्रों से प्राप्त किए गए तथा बुवाई और आकृतिमूलक लक्षण दर्ज करने के लिए इन्हें समन्वय केन्द्रों को भेजा गया। खरीफ 2012 के दौरान नोडल केन्द्र में समस्त किस्मों के बीजों को उगाया तथा परिष्करण किया गया। नोडल केन्द्र को सामान्य रूप में संचालित करते हुए प्रत्येक फसल के लिए दो केन्द्रों को चुना गया। प्रत्येक समन्वय केन्द्र की अपनी अलग स्थान विशिष्टता है अर्थात् अभिव्यंजकता तथा विशिष्टता के आकलन के लिए ऊंचाई तथा वर्षा स्थितियां। विभिन्न छोटे-मोटे अनाज के लक्षण-वर्णन की प्रगति निम्नलिखित है :

सारणी 34: छोटे-मोटे अनाज का संदर्भ संग्रहण और लक्षण-वर्णन

फसल	प्रविष्टियों/स्थानों की संख्या	लक्षण
मंडुआ	100/बंगलुरु तथा विजयानगरम	<ul style="list-style-type: none"> वनस्पति चरण : वृद्धि व्यवहार, पादप रंजकता पुष्पन चरण : बाली आकार, 50 प्रतिशत पुष्पन के दिन बीज जमने तथा कटाई का चरण : तना (कल्म) नाल ब्रांचिंग, आंगुलिक शाखा, ग्लूम रंग, आंगुलिक पर पंख की गैर-निरंतरता, तना नाल, शक्ति, पंखड़ी घनत्व, परिपक्वता पर समकालिकता, बीज शोटरिंग, ग्लूम द्वारा बीज आवरण, लोजिंग की डिग्री, मुख्य टिल्लर पर पत्ती संख्या, आंगुलिग संख्या, बाली आकार, उत्पादक टिल्लर, परिपक्वता के दिवस, फ्लैग पत्रदल की लंबाई, आंगुलिक लंबाई, आंगुलिक चौड़ाई, पादप ऊंचाई, प्रति स्पाइकलेट बीज संख्या, पत्ती स्थान से पुष्प गुच्छ लंबाई, पत्ती शीथ स्थान से थम्ब के बीज दूरी, बाली वजन, दाने की पैदावार (ग्रा./पादप), दाने की पैदावार (कि.ग्रा./प्लॉट)। फसल कटाई के बाद का चरण : बीज रंग, बीज बनावट, बीज सतह, गहाई के बाद पैरीकार्प स्थायित्व।
कुटकी	48/बंगलुरु, कोयम्बटूर	<ul style="list-style-type: none"> वनस्पति चरण : वृद्धि व्यवहार, शीथ यौवनारंभ, ब्लेड यौवनारंभ, पादप रंजकता, लिग्यूल रंजकता पुष्पन चरण : पुष्पक्रम बनावट, पुष्पक्रम ठोसपन। बीज जमना तथा कटाई चरण : लॉजिंग की डिग्री, प्रविष्टी की समस्त सस्यविज्ञान संबंधी उत्कृष्टता के पादप पहलू, सीनीसेंस, कल्म शाखा, 50 प्रतिशत पुष्पन, पादप ऊंचाई, मूल टिल्लर की संख्या, पुष्पवृंत की लंबाई, पुष्पक्रम की लंबाई तथा दाने की पैदावार। फसल कटाई के बाद का चरण : दाने का रंग, दाना बनावट
फाक्सटेल मिलेट	39/बंगलुरु तथा विजयानगरम	<ul style="list-style-type: none"> वनस्पति चरण : वृद्धि व्यवहार, पादप रंजकता, पत्ती रंग, ब्लेड यौवनारंभ, शीथ यौवनारंभ पुष्पन चरण : पुष्पक्रम लोब्स, पुष्प कम ब्रिस्टल, पुष्पकम ठोसपन, पुष्पक्रम बनावट, पुष्पक्रम रंग, 50 प्रतिशत पुष्पन तक दिन। बीज जमना तथा कटाई चरण : लॉजिंग की डिग्री, अग्रस्थनरवंध्यता, औरीकल रंजकता, कटाई में पादप रंजकता, पादप ऊंचाई, उत्पादक टिल्लर की संख्या, पत्ती लंबाई, पत्ती चौड़ाई, पत्ती शीथ लंबाई, पुष्प वृंत लंबाई, पुष्पवृंत चौड़ाई, परिपक्वता के दिवस, पुष्पवृंत लंबाई, बाली वजन, दाने की पैदावार (ग्रा./पादप) तना दाने की पैदावार (ग्रा./खेत)। फसल कटाई के बाद का चरण : बीज बनावट, बीज रंग
सांवां	29/बंगलुरु और कोयम्बटूर	<ul style="list-style-type: none"> वनस्पति चरण : वृद्धि व्यवहार पुष्पन चरण : पुष्पक्रम का रंग, पुष्पक्रम की बनावट, पुष्पक्रम ठोसपन, 50 प्रतिशत पुष्पन बीज जमना और कटाई चरण : लॉजिंग की डिग्री, निचले असीमीक्ष की बनावट, कल्म शाखा की डिग्री फ्लैग पत्ती, पादप ऊंचाई, उत्पादक टिल्लर की संख्या, शूकी व्यवस्था, पुष्प वृंत की लंबाई, सठियान, पुष्पवृंत की लंबाई तथा निचले असीमाक्ष पर शाखा फसल कटाई के बाद का चरण : बीज बनावट, बीज रंग

फसल	प्रविष्टियों/स्थानों की संख्या	लक्षण
कोदो मिलेट	48 / बंगलुरु, कोयम्बटूर तथा डिंडोरी	<ul style="list-style-type: none"> वनस्पति चरण : वृद्धि व्यवहार, पुष्पण चरण : शीथ रंजकता, शीथ आधारित रंजकता, जंकवर रंजकता, आंतरिक नोडल रंजकता, तुष में नर्वस, पुष्पगुच्छ बाहर निकला हुआ, पुष्पगुच्छ प्रकार, 50 प्रतिशत पुष्पन बीज जमना तथा कटाई चरण : नाली शाखन, लॉजिंग की डिग्री, दूसरे आंतरिक किनारे नोड पर पताका पत्ती, रैकिस पर कणशिका, पादप ऊंचाई, उत्पादक टिल्लर की संख्या, परिपक्वता के दिन, दाने की पैदावार तथा चारा पैदावार फसल कटाई के बाद का चरण : बीज बनावट, बीज रंग
प्रोसो मिलेट	22 / बंगलुरु और कोयम्बटूर	<ul style="list-style-type: none"> वनस्पति चरण : वृद्धि व्यवहार, पुष्पण चरण : पादप रंजकता, शीथ यौनारंभ, ब्लेड यौवनारंभ, लिग्यूल यौवनारंभ, पुष्पक्रम बनावट, पुष्पक्रम ठोसपन, 50 प्रतिशत पुष्पण बीज जमना तथा कटाई चरण : डिग्री ऑफ लॉजिंग, साठियव, मूल टिल्लर की संख्या, पादप ऊंचाई, पुष्पवृंत की लंबाई तथा पुष्पक्रम की लंबाई। फसल कटाई के बाद का चरण : बीज बनावट, बीज रंग

4.2.14 पुष्पोत्पादन तथा भूमि-परिदृश्य प्रभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली

बोगनविलिया के लिए डीयूएस दिशानिर्देश के वैधीकरण के लिए नोडल केन्द्र के रूप में एनबीआरआई, लखनऊ के अलावा भा.कृ.अ.सं. से नई दिल्ली के पुष्पोत्पादन तथा भूमि-परिदृश्य प्रभाग को भी उक्त परियोजना के लिए सह-नोडल केन्द्र के रूप में काम करने के लिए चुना गया। अंतरराष्ट्रीय बोगनविलिया रिपोजिट्री को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान (एसबीआरआई), लखनऊ से बोगनविलिया की 24 नई किस्मों को एकत्र किया गया और संदर्भ संग्रहण के रूप में मौजूदा जननद्रव्य में इन्हें शामिल किया गया।

सारणी 35: बोगनविलिया संग्रहण

अरुणा	गोल्डन ग्लो	स्पेसिओसा
पालेकर	जूबिली	एलिजाबेथ
डॉग स्टार	एनाबेल्ला	प्रसीडेंट
ज़िन्नारी बरात	पिक्सी वेरीगेटा	बेगम सिकंदर
मिसेज मैक क्लीन	लेटरीटिया	ड्रीम
जुलू क्वीन	न्यू रैड	डॉ. पी.वी.साने
मिसेज ओलकर पैरी	किल्ली कैम्बेल	ब्रिलियंट
जॉय	ग्लोब्रा मैग्नीफिका	ग्लोब्रा सेंड्रीएना

मानकीकरण डीयूएस लक्षणवर्णन के लिए यूपीओवी दिशानिर्देशों के अनुसार बोगनविलिया की लगभग 75 किस्मों का आकलन किया गया।

प्रकाशन

- बोगनविलिया – 'ग्लोरी ऑफ द गार्डन' टी. जानकीराम, ऋतु जैन, किशन स्वरूप तथा निखिल दिलीप नटकर, आईसीएआर न्यूज, खंड 19, अंक 1 जनवरी – मार्च 2013
- बोगनविलिया रिपोजिट्री – टी.जानकीराम, ऋतु जैन, किशन स्वरूप, कमलेश कुमार तथा पवन कुमार द्वारा संकलित तथा भा.कृ.अ.सं. के पुष्पोत्पादन एवं भूमि परिदृश्य प्रभाग और पीपीवी एंड एफआरए प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

4.2.15 सीआईएसएच, लखनऊ (आईआईएचआर, बंगलुरु; आरएफआरएस, वेनगुरेल; एचएआरपी, रांची; जीबीपीयूएटी, पंतनगर)

सारणी 36: वर्ष 2012-13 के दौरान रखरखाव तथा लक्षण-वर्णन की गई किस्मों की संख्या

फसल	सीआईएसएच, लखनऊ		आईआईएचआर, बंगलुरु		आरएफआरएस, वेनगुरेल		एचएआरपी, रांची		जीबीपीयूएटी	
	प्रविष्टि	लक्षण-वर्णन	प्रविष्टि	लक्षण-वर्णन	प्रविष्टि	लक्षण-वर्णन	प्रविष्टि	लक्षण-वर्णन	प्रविष्टि	लक्षण-वर्णन
आम	750	120	550	78	303	47				
अमरुद	124	24	70	15						
लीची	35	-					41	24	31	21

- अमरुद और लीची पर लक्षण-वर्णन के संग्रहण के लिए अस्थाई डीयूएस दिशानिर्देश बनाए गए तथा आंकड़े एकत्र करने के लिए इनका उपयोग किया गया।
- आम की किस्मों का स्वयं लक्षण-वर्णन किया गया (100), आईआईएचआर (78)
- लीची की एचएआरपी, रांची की 24 किस्मों तथा जीबीपीयूएटी पंतनगर में 21 किस्मों का लक्षण-वर्णन तथा आंकड़े दर्ज किए गए।
- प्रलेखीकरण प्रयोजन के लिए अमरुद की 150 कृषक किस्मों पर सूचना एकत्रित की गई।
- इस अवधि के दौरान तीन किसान मेले आयोजित किए गए।

4.2.16 राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर), नई दिल्ली

एनबीपीजीआर को 'ग्रेन चौलाई, कूदू तथा फाबा बीन में डीयूएस निरूपक का वैधीकरण' नामक परियोजना सौंपी गई। दो स्थानों में परीक्षण किए गए अर्थात् ग्रेन चौलाई के लिए एनबीपीजीआर क्षेत्रीय केन्द्र, शिमला, अकोला तथा नई दिल्ली में; कूदू के लिए एनबीपीजीआर, क्षेत्रीय केन्द्र, शिमला (एचपी) तथा आरएचआरएस सांगला (हिमाचल प्रदेश) में तथा फाबा बीन में एनबीपीजीआर, नई दिल्ली तथा पूर्वी

क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.पं. अनुसंधान परिसर, पटना में फसल परीक्षण किए गए। ग्रेन अमरनाथ की कुल 21 प्रविष्टियां, कूदू की 14 प्रविष्टियां तथा फाबा बीन की 16 प्रविष्टियों को आरबीडी डिजाइन में तैयार किया गया। परीक्षा के 3 प्रतिरूपण संख्या निर्धारित की गई तथा अंतः पादप दूरी को चौलाई तथा कूदू दोनों मामलों में 15 सें.मी. दूर रखा गया, जबकि अंतः पक्ति अंतराल चौलाई में 50 सें.मी., कूदू में 30 सें.मी. तथा फाबा बीन में 45 सें.मी. था। ग्रेन चौलाई तथा कूदू के लक्षण दर्ज किए गए जिनमें पत्ती लंबाई, पादप ऊंचाई, लेटरल स्पाइकलेट लंबाई, तना रंग, पुष्पन के दिवस, परिपक्वता के दिवस, दानों की पैदावार, 1000 दानों का वजन, बीज रंग शामिल हैं।

कूदू में पत्ती लंबाई, पत्ती चौड़ाई, पत्ती रंग, पत्ती बनावट, पादप ऊंचाई, पुष्पक्रम लंबाई, पुष्पन के दिवस, परिपक्वता के दिवस, दानों की पैदावार, पादप तना रंग, बीज रंग लक्षण शामिल हैं।

फाबा बीन के दर्ज लक्षणों में – बीज टैनिन, पत्ती लंबाई, पत्ती चौड़ाई, पत्ती रंग, फूल का रंग, फूल की लंबाई, विंग : मैलानिन धब्बा, मेलानिन धब्बा रंग, पर्णवृत लंबाई, पादप ऊंचाई, तना : एंथोसियानिन रंजकता, तना : संख्या, असीमाक्ष : पुष्पों की संख्या, मानक : एंथोसियानिन रंजकता, फली की संख्या, पुष्पन के दिवस, परिपक्वता के दिन, दाने की पैदावार, बीज का भार 1000 दाने, बीज रंग।

सारणी 37: रखरखाव प्रजनन/लक्षण-वर्णन के तहत किस्मों का विवरण

फसल का नाम	किस्मों का नाम	
	किस्मे	प्रगत वंशक्रम
चौलाई (एमरंथस एल.)	दुर्गा, अन्नपूर्णा, सुवर्णा, पीआरए-1, पीआरए-2, पीआरए-3, वीएल 101, वीएल 102, जीए1, जीए2, पीआरए 2010-1, पीआरए-2010-2, पीआरए 2011-2, पीआरए 2012-1, पीआरए 2012-2	आईसी 4226, आईसी 42008, आ. ईसी 42271, आईसी 38136, आईसी 42328
कूदू (फैगोपाइरम एस्क्यूलेटम मोयंक)	सांग्ला बी-1, सांग्ला बी-129, सांग्ला बी-214, सांग्ला बी-5, सांग्ला बी-118, हिमप्रिया, शिमला बी-1, पीआरबी-1 और वीएल-7	आईसी42426, आईसी 274425, आ. ईसी 17371, आईसी 202268, आ. ईसी109728, आईसी 109729
फाबा बीन (विसिया फाबा एल.)	विक्रांत पीआरटी 12, आरएफबी 3, पूसा सुमित	पटना 1 से पटना 7

4.3 परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी)

प्राधिकरण द्वारा डॉ. एच.पी.सिंह, पूर्व उप महानिदेशक (बागवानी) भा.कृ.अ.प. की अध्यक्षता में परियोजना मूल्यांकन समिति का गठन किया गया। समिति में सदस्य के रूप में डॉ. सलित तिवारी, संयुक्त निदेशक (कृषि वानिकी), कृषि महाविद्यालय, जी.बी.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर तथा डॉ. विलास ए.टोनापी, अध्यक्ष, बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली शामिल थे।

पीएसी की बैठक एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 12 नवम्बर 2012 को हुई। उच्च स्तरीय समीक्षा में 15 में से 13 परियोजनाओं की सिफारिश करने के बाद पीएसी ने प्राधिकरण में निधिकरण हेतु प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया। पीएसी द्वारा फसलों की प्राथमिकतावश सूची के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए परियोजनाओं की सिफारिश की गई इस सूची में वानिकी, बागवानी तथा रोपण फसलें शामिल हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है :

सारणी 38 : पीएसी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना	केन्द्र का नाम	राशि (लाख रु. में)
1	शहतूत (मोरस प्रजाति) के लिए विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) का विकास और इसका वैधीकरण	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर	5.00
2	जायफल (माईरिस्टिका फ्रेग्रेन्स) के लिए निरूपक का विकास	डॉ. बाला साहेब कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली	7.00
3	देसी वन वृक्ष प्रजातियों के लिए निरूपक तथा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश (टेक्टोना ग्रेन्डिस, टामारिडस इंडिका तथा मिलिया जूबिया) तथा फील्ड जीन बैंक की स्थापना	आईएफजीटीवी, कोयम्बटूर (टैक्टाना ग्रेन्डिस)	8.13
4	क्लोनल बैंक (नर्सरी) की स्थापना तथा लोकप्रिय जननद्रव्य के डीयूएस विशिष्ट लक्षण वर्णन का विकास	डॉ. वाई.एस.परमार, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन	5.53

क्र. सं.	परियोजना	केन्द्र का नाम	राशि (लाख रु. में)
5	क्लोनल बैंक (नर्सरी) की स्थापना तथा भिसा (विल्लो) सैंसिक्स प्रजातियां जननदव्य का लक्षण-वर्णन	डॉ. वाई.एस.परमार, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन	5.25
6	नोनी (मोरिंडा सिट्रीफोलिया) के लिए डीयूएस लक्षण-वर्णन का विकास और लक्षण-वर्णन	सीएआरआई, पोर्ट ब्लेयर (नोनी)	1.62
7	रैफरल प्रयोगशाला की स्थापना/बागवानी फसलों में पादप किस्म संरक्षण के लिए विशिष्ट जांच का प्रत्यायन	आईआईएचआर, बंगलुरु	6.70
8	चिरौंजी (बूचानानिया लेनजेन स्प्रेंग) तथा इमली (टामरिंडस इंडिका एल.) के लिए डीयूएस निरूपक का वैधीकरण	केन्द्रीय बागवानी परीक्षण केन्द्र, गोधरा (सीआईएच, बीकानेर)	6.97
9	क्रॉसेन्ड्रा के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र की स्थापना (क्रॉसेन्ड्रा अनडुलेईफोलिया सैलिश)	आईआईएचआर, बंगलुरु	4.28
योग			50.48



5. भारतीय पौधा किस्म जरनल, पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर तथा प्राधिकरण के प्रकाशन

पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 के नियम 2(ह) के अनुसार प्राधिकरण हिंदी और अंग्रेजी में एक द्विभाषी प्रकाशन भारतीय पौधा किस्म जरनल अपने अधिकारिक जरनल के रूप में प्रति माह प्रकाशित करता है। अधिनियम के उद्देश्य से इन जरनल को राजपत्र का दर्जा प्राप्त है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वानिकी प्रजातियों, खीरा-ककड़ी, पुष्पों और फलों के लिए डीयूएस परीक्षण हेतु 9 दिशानिर्देश, दो शाखा कार्यालयों तथा उनकी क्षेत्रीय सीमाओं, पीपीवी और एफआर (सम्मान एवं जीन निधि से पुरस्कार) नियमावली, 2012, अधिनियम की धारा 11(ख) के अंतर्गत अनुमत्य लागतों के पैमाने, प्राधिकरण या रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कार्यवृत्त, कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन, इसके अतिरिक्त नई विद्यमान और ईडीवी किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदनों को प्रकाशित किया गया। 98 विद्यमान अधिसूचित किस्मों, 01 अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों तथा 08 प्रतिशत किस्मों को भी पीवीजे में प्रकाशित किया गया। इसके साथ ही डीयूएस परीक्षण के लिए स्वीकृत किस्मों और आपत्तियों

के मांगे जाने, यदि कोई हो तो उन्हें भी यदि किसी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त किया जाना है, प्रकाशित किया गया। इसे अलावा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 26 की उपधारा (2) के अंतर्गत लाभ में भागीदारी के लिए दावे आमंत्रित करने हेतु पंजीकरण प्रमाण-पत्रों का वितरण तथा पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 के नियम 40 को भी पीवीजे में प्रकाशित किया गया। इस संदर्भ में 332 पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के विवरण रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पीवीजे में प्रकाशित हुए।

5.1 पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 13 के अनुपालन में मुख्यालय में पौधा किस्मों की रजिस्ट्री के लिए पौधा किस्मों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर खोला है। इसमें सभी पंजीकृत पौधा किस्मों के नामों के अलावा संबंधित प्रजनकों के नाम और पतों, किस्म के नाम, विशिष्टताओं, विशेष गुणों आदि का पूर्ण विवरण दर्ज किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 254 प्रत्याशी किस्मों जिनमें 34 नई किस्में और 216 विद्यमान किस्में, 3 कृषक किस्में तथा 1 ईडीवी शामिल है, को अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। मुख्यालय में



रखे जा रहे पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर की एक प्रति गुवहाटी तथा रांची स्थित शाखा कार्यालयों को भी उपलब्ध कराई गई है।

5.2 प्राधिकरण के प्रकाशन

भारतीय पौधा किस्म जरनल को नियमित रूप से प्रकाशित करने के अलावा प्राधिकरण द्वारा 'पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001' तथा 'कृषकों के अधिकार' पर दो ब्रॉशर प्रकाशित किए गए जिन्हें बाद में अनेक बैठकों, प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में जारी किया गया। अन्य पैम्फलेट और पोस्टर, वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य प्रकाशन भी प्राधिकरण द्वारा अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी निकाले गए। प्राधिकरण की द्विभाषी वेबसाइट भी है। प्राधिकरण द्वारा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश नियमित रूप से हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित किए गए। वर्तमान वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने लगभग 15 डीयूएस दिशानिर्देश विकसित किए हैं लेकिन इनमें से वानिकी, खीरा-ककड़ी, पुष्पों और फलों से संबंधित केवल 9 डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश ही प्रकाशित हुए हैं।

हिन्दी में प्राप्त होने वाले पत्रों तथा अन्य शासकीय संचारों का उत्तर हिन्दी में दिया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने अवसर की आवश्यकता के अनुसार हिन्दी और अंग्रेजी में व्याख्यान दिए।

5.3 पुस्तकालय

प्राधिकरण में स्टाफ/कर्मचारियों के संदर्भ के लिए एक पुस्तकालय है। इसमें 31 मार्च 2013 तक विभिन्न विषयों पर 631 पुस्तकें (हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में) हैं जो कृषि, बागवानी, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों, पादप प्रजनन, जैव-विविधता संरक्षण आनुवंशिकी, बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के नियमों व विनियमों, कानूनी मामलों आदि से संबंधित हैं। यह पुस्तकालय कृषि, विधिक तथा प्रशासनिक जर्नलों के लिए भी अंशदान देता है। पुस्तकालय में सामान्य तथा फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों के दिशानिर्देशों, आवेदन-पत्रों के प्ररूपों, कृषि जैव-विविधता के हॉट-स्पॉट व कृषकों के अधिकारों पर जागरूकता सृजन से संबंधित कुछ प्रकाशन भी मौजूद हैं। प्राधिकरण के कुछ प्रकाशन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं।

6. डेटाबेस, इंडस, नॉर्व तथा वेबसाइट का विकास

6.1 डेटाबेस

डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डीयूएस दिशानिर्देशों (इंडस) के अनुसार भारतीय सूचना प्रणाली तथा भारत की अधिसूचित व जारी किस्मों (नॉर्व) नामक सॉफ्टवेयरों का विकास किया गया तथा प्राधिकरण अधिकांश समान संदर्भ किस्मों के चयन, नामों के सत्यापन तथा अधिसूचना संबंधी विवरण के लिए इन डेटाबेसों का रखरखाव कर रहा है। नॉर्व में केन्द्रीय किस्म निर्मुक्त समिति (सीवीआरसी), कृषि अनुसंधान संस्थानों व राज्य कृषि/बागवानी विभाग का विवरण मौजूद है तथा इसका उपयोग मुख्यतः विद्यमान अधिसूचित श्रेणी के अंतर्गत दावा की गई किस्मों के विवरण के सत्यापन के लिए किया जाता है। इंडस का उपयोग संदर्भ किस्मों को प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण हेतु चुनने के लिए किया जाता है।

6.2 वेबसाइट

प्राधिकरण की वेबसाइट www.plantauthority.gov.in हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है तथा यह राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) सर्वर पर डाली गई है। इस वेबसाइट में प्राधिकरण के सदस्यों, पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 का परिदृश्य, प्राप्त किए गए फसलवार कुल आवेदनों का विवरण, डीयूएस केन्द्रों का विवरण,

प्रकाशन, पौधा किस्म पंजीकरण हेतु पात्र फसल प्रजातियों की सूची, डीयूएस दिशानिर्देश, आवेदनों, महत्वपूर्ण निर्णयों, प्राधिकरण के समाचारों, रिक्त पदों, घोषणाओं, निविदाओं तथा अन्य प्रासंगिक सूचनाओं को दिया गया है। इसे नियमित रूप से नवीनतम सूचना शामिल करके अद्यतन किया जाता है।

6.3 प्राधिकरण के पोर्टल का विकास


अनेक विशेषताएं जो वेबसाइट उपयोगकर्ताओं को मित्र बनाने के लिए आवश्यक हैं तथा इंटरएक्टिव हैं, विद्यमान स्थिर वेबसाइट में उपलब्ध नहीं हैं जिससे प्रभावी और गतिशील आंकड़ा प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त गुणों को शामिल करने के लिए एनआईसीएसआई के पैनेल में मौजूद फर्म मैसर्स सहारा नेक्स्ट प्राधिकरण का वेब पोर्टल विकसित कर रही है। प्राधिकरण के वेबपोर्टल में डिज़ाइन फीचरों जैसे एक्सएचटीएमएल और सीएसएस कम्पलेंट, ऑटो जेनरेटिड मैनुयू, थीम आधारित उपयोगकर्ता लॉगिन, कंटेन्ट एडिटर्स से सुरक्षित डिज़ाइन, एक पृष्ठ पर अनेक विषय-वस्तु क्षेत्र, विषय-वस्तु की गतिशील खोज की सुविधाएं, पोल, पिक्चर एल्बम, थम्ब नेल, समाचार तथा



अन्य फीचर होंगे। इसमें फंडली यूआरएल के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का उपयोग होगा जिससे प्राधिकरण के बारे में और अधिक जागरूकता सृजित होगी। ड्रूपल सीएमएस के स्थापित होने तथा इसके कस्टमाइज़ होने पर पीपीवी और एफआरए पोर्टल के लिए टैम्पलेट डिज़ाइन करना तथा पीपीवी और एफआरए के लिए वेबसाइट का विकास विविध गुणों/डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से किया जा सकेगा। ये गुण और डिस्ट्रिक्ट हैं फसल दिशानिर्देश, छाया अनुरक्षण, यूज़र लॉगिंग का प्रावधान, ई-जरनल, डाउन लोड आदि। आरएसएस फीड से अन्य वेबसाइटों के साथ वास्तविक समय में ताल-मेल स्थापित होगा। इसमें आंकड़ों को अलग करने व उनके समेकन के लिए पीपीवीआईएस के साथ द्विभाषी आंकड़ों की सुविधा होगी। आवेदन के लिए पर्यावरण को पीएचपी, ड्रूपल, एमवाईएसक्यूएल, अपाच्य, एचटीएमएल तथा लाइनेक्स के उपयोग से तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल का प्रोटोटाइप परीक्षण सर्वर पर लोड कर दिया गया है तथा एनआईसी के सर्वर पर इसके कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है।


6.4 पंजीकरण हेतु ऑन लाइन आवेदन दाखिल करना

प्राधिकरण द्वारा पौधा किस्मों का पंजीकरण 2007 में 12 फसल प्रजातियों के साथ आरंभ किया गया था जो अब 57 फसल प्रजातियों के लिए लागू हो गया है। प्राधिकरण आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों को निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त करता है (शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराया जाता है)। यह शुल्क या तो दस्ती तौर पर या डाक सेवाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। पौधा किस्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करने व शुल्क की अदायगी करने से आवेदकों को प्राधिकरण में ऑन-लाइन आवेदन दाखिल करने में सुविधा होगी तथा वे शुल्क की अदायगी भी 'पेमेंट गेटवे' के माध्यम से कर सकेंगे जो डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से की जा सकेगी। यह प्रणाली मैसर्स सहारा नेक्स्ट द्वारा विकसित की जा रही है जो राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र सेवाओं आईएनसी (एनआईसीएसआई) के पैनल में है। इसका उपयोग परीक्षणाधीन है तथा इसका पैनल में शामिल लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षण किया जा चुका है और यह परीक्षण व डीबगिंग के उद्देश्य से एनआईसी के सर्वर पर होस्ट की जा चुकी है।



6.5 पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर डिजिटल स्वरूप में

पंजीकृत किस्मों का डेटाबेस पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में एक रजिस्टर में रखा जाता है जिसे पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर कहा गया है, जैसा कि अध्याय 5 के पैरा 5.1 में उल्लिखित है। यही डेटाबेस डिजिटल स्वरूप में ई-राष्ट्रीय रजिस्टर में भी रखा जाता है। इस साफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पंजीकरण संख्या, फसल का नाम खोज सकता है तथा रिपोर्ट तैयार कर सकता है। इसमें अनेक महत्वपूर्ण प्रविष्टियां हैं जैसे पंजीकरण संख्या,



प्रजनक की राष्ट्रीयता, पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने की तिथि, प्रदान किए गए नाम, राजपत्र अधिसूचना की तिथि, किस्म को विशिष्ट बनाने के अनिवार्य गुण आदि शामिल हैं। इस सॉफ्टवेयर में डेटा बैकअप यूएसबी, सीडी, डीवीडी या किसी अन्य भंडारण युक्ति में लिया जा सकता है।

6.6 ई-शासन

इस संबंध में निम्नलिखित पहलें की गई हैं :

- बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली: यह प्रणाली मुख्यालय में स्थापित कर दी गई है और कार्यशील है।

- दस्तावेजों की स्कैनिंग और माइक्रोफिल्मिंग : प्राधिकरण में दाखिल किए गए आवेदनों और फाइलों को क्षति तथा सूचना की क्षति से बचाने के लिए दस्तावेजों की स्कैनिंग और माइक्रोफिल्में तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। छांटे गए दस्तावेजों को रिट्राइवल प्रणाली के माध्यम से रोल आधारित पहुंच के लिए सर्वर पर अपलोड कर दिया गया है।
- सीसीटीवी कैमरों को लगाना : प्राधिकरण के परिसर की सुरक्षा के लिए प्राधिकरण ने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं।

7. विधायी कोष्ठ और आरटीआई से संबंधित मामले

7.1 विधायी कोष्ठ

प्राधिकरण के विधायी कोष्ठ ने प्राधिकरण के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमों की सफल पैरवी की है। रजिस्ट्री तथा प्राधिकरण के सम्मुख अर्ध न्यायिक कार्यवाहियों के मामले में कानूनी राय दी गई तथा दैनिक आदेश शीटें संबंधित पक्षों को शीघ्रता से डिस्पैच की गई। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश को निरस्त नहीं किया गया। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी (सी) संख्या 4527/2010 दिनांक 640/212 में 22 मार्च 2013 के आदेश द्वारा यह निर्णय दिया कि लिमिटेड रजिस्ट्रार पौधा किस्म रजिस्ट्री द्वारा पारित आदेश ठीक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संधियों/समझौतों तथा पौधा किस्मों के पंजीकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी कानूनी राय दी गई। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान भारत के गजट में निम्नलिखित अधिसूचनाएं प्रकाशित हुईं।

- किस्मों के पंजीकरण के उद्देश्य से बैम्बू लीफ ऑर्किड या बोट ऑर्किड, स्प्रे ऑर्किड या सिंगापुर ऑर्किड, वेंडा या ब्लू ऑर्किड फसल प्रजातियों पर अधिसूचना के संबंध में राजपत्र अधिसूचना सं. 617 दिनांक 27 मार्च 2012
- दो शाखा कार्यालयों तथा उनकी क्षेत्रीय सीमाओं पर अधिसूचना के संबंध में राजपत्र अधिसूचना सं. 929 दिनांक 27 अप्रैल 2012
- महिला संगठन के प्राधिकरण के सदस्य पर अधिसूचना के संबंध में राजपत्र अधिसूचना सं. 1726 दिनांक 31 जुलाई 2012
- पीपीवी और एफआर (जीन निधि से सम्मान और पुरस्कार) नियमावली 2012 पर अधिसूचना के संबंध में राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 601, दिनांक 31 जुलाई 2012
- पंजीकृत किस्मों के बीजों के उत्पादन और बिक्री पर अधिसूचना के संबंध में राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 900 दिनांक 17 दिसम्बर 2012
- अधिसूचना की लागत के संबंध में राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 901 दिनांक 17 दिसम्बर 2012

- वार्षिक विवरण की अधिसूचना के संबंध में राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 902 दिनांक 17 दिसम्बर 2012
- नाम के उपयोग के संबंध में अधिसूचना के बारे में राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 903 दिनांक 17 दिसम्बर 2012
- शाखा कार्यालयों में रखे गए दस्तावेजों की अधिसूचना के संबंध में राजपत्र अधिसूचना सं. एसओ 2931 दिनांक 17 दिसम्बर 2012
- कृषक किस्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन फार्मों की अधिसूचना के संबंध में राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 115 (ई) दिनांक 20 फरवरी 2013
- नई, विद्यमान, ईडीवी किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन फार्मों की अधिसूचना के संबंध में राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 116 (ई) दिनांक 20 फरवरी 2013

कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा प्राधिकरण को संदर्भित अंतरराष्ट्रीय मामलों सहित विभिन्न तकनीकी व कानूनी मामलों में कानूनी राय दी गई।

7.2 संसद तथा अन्य संबंधित मामले

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण को कृषि एवं सहकारिता विभाग के माध्यम से पांच राज्य सभा प्रश्न प्राप्त हुए जिनके मसौदा उत्तर/सूचना, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को मसौदा उत्तर तैयार करने के लिए भेजे गए। इसके अतिरिक्त औद्योगिक नीति एवं प्रवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त अनेक मंत्रिमण्डलीय टिप्पणियों पर टिप्पणियां उपलब्ध कराई गईं।

7.3 सूचना का अधिकार (आरटीआई)

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने संबंधित व्यक्तियों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया है। नामित अधिकारियों का विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट पर आरटीआई शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) को प्रस्तुत किए जाने

के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 25 (2) के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधान का अनुपालन किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान प्राधिकरण को या तो सीधे या अन्य विभागों से हस्तांतरित होकर आए कुल 31 आवेदन प्राप्त हुए

जिनमें आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी। प्राप्त सूचना को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या सीआईसी के पास कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है।

8. प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम

8.1 ज्वार अनुसंधान निदेशालय (डीएसआर), हैदराबाद

पौधों किस्मों की सुरक्षा तथा डीयूएस परीक्षण पर 22 मार्च 2013 को चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में एक जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के 6 वैज्ञानिकों, निजी क्षेत्र के 4 वैज्ञानिकों, 2 बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों और 90 छात्रों/अनुसंधान अध्येताओं/परियोजना अध्येताओं सहित लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संसाधन व्यक्तियों तथा उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों का विवरण निम्नानुसार है :

सारणी 39 : व्याख्यानों तथा संसाधन व्यक्तियों का विवरण

व्याख्यान	संसाधन व्यक्ति
पौधा किस्म और कृषक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 2001	डॉ. एम. इलांगोवान, चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद
कृषि में जीआई सुरक्षा	डॉ. सोम्या विनयन, सहायक प्राध्यापक, सामाजिक विकास परिसर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक आईसीएसएसआर संस्थान, हैदराबाद
चावल में डीयूएस परीक्षण	डॉ. एल. वी. सुब्बाराव, डीआरआर, हैदराबाद
अरण्ड, कुसुम तथा सूरजमुखी में डीयूएस परीक्षण	डॉ. एन. मुक्ता, डीओआर, हैदराबाद
ज्वार में डीयूएस परीक्षण	डॉ. के. हरि प्रसन्ना, डीएसआर, हैदराबाद
पादप किस्मों की सुरक्षा के लिए आवेदन पत्रों को भरना तथा आवेदन को अंतिम रूप देने में आने वाली समस्याओं के हल	डॉ. एम. इलांगोवन तथा डॉ. के. हरिप्रसन्ना

8.2 राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीओ), पॉक्यांग, सिक्किम

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकारों की सुरक्षा के लिए 21 मार्च 2013 को सियालवन, केवीके, मणिपुर में ऑर्किडों के

राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र द्वारा एक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्य बल के अध्यक्ष व सदस्य, भा.कृ.अ.प. मणिपुर केन्द्र के संयुक्त निदेशक व वैज्ञानिकों, पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लिए ऑर्किड जीन संरक्षण केन्द्र के वैज्ञानिकों, अनुसंधानक कर्मियों तथा अन्य स्टाफ; सियालवन केवीके के स्टाफ, सेनापति जिले, एफईईडीएस, हैंगबंग, मणिपुर के स्टाफ व कर्मचारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. मनोज श्रीवास्तव, पंजीकार, पीपीवी और एफआरए ने अपनी उद्घाटन टिप्पणियों के साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। डॉ. ए.एन.राव, निदेशक (आर एंड डी), ऑर्किड जीन संरक्षण केन्द्र (पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लिए), सेनापति जिला, मणिपुर में उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में ऑर्किड संपदा पर व्याख्यान दिया जिसके पश्चात् क्रमशः प्रोफेसर पी.के. राजीवन, केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर; डॉ. एल.सी.डे, प्रधान वैज्ञानिक (बागवानी), राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, पॉक्यांग, सिक्किम ने ऑर्किडों पर डीयूएस परीक्षणों के बारे में चर्चा की। सचिव, कृषि विज्ञान केन्द्र, सियालवन, मणिपुर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

8.3 भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर), कानपुर

“पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम” पर कृषकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 मार्च 2013 को कल्याणपुर, कानपुर में आयोजित किया गया जिसमें 100 से अधिक कृषक मौजूद थे। डॉ. संजीव गुप्ता, नोडल अधिकारी, डॉ. पी.के.कटियार और डॉ. बंसा सिंह ने



पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत कृषकों के अधिकारों सहित विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए।

8.4 केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएफ), बैरकपुर

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों, पटसन किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा के बारे में प्रतिभागियों की जागरूकता सृजित करने के लिए "पीपीवी और एफआर" पर एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सीआरआईजेएफ, बैरकपुर में किया गया। डॉ. डी.के.डे, प्राध्यापक, पादप प्रजनन विभाग, बी.सी.के.वी. तथा सदस्य, डीयूएस परीक्षण निगरानी दल; डॉ. ए.के.बसु, अध्यक्ष, बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बीसीकेवी; डॉ. सतपति, निदेशक, सीआरआईजेएफ तथा अन्य महानुभाव इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए सम्मानीय अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित थे। बदौरिया, देबक, स्वरूपनगर, इस्वारीगाचा, जगददल, नौपाड़ा, अमडांगा, कैरापाड़ा, बैरकपुर तथा 24 परगना (उत्तर), सिंगुर, तारकेश्वर व हुगली के विभिन्न गांवों के लगभग 80 किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अपने स्वागत भाषण में डॉ. एस.सतपती, निदेशक, सीआरआईजेएफ ने पौधा किस्मों की सुरक्षा के महत्व और आवश्यकता के बारे में बताया। डॉ. जे.मित्रा, नोडल अधिकारी, डीयूएस ने पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, प्रजनकों के अधिकारों, अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों, राष्ट्रीय जीन निधि के अधिदेश तथा अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में व्याख्यान दिए। अपने व्याख्यान में सम्मानीय अतिथि डॉ. डी.के.डे ने आनुवंशिक विविधता के संरक्षक तथा कस्टोडियन के रूप में किसानों की भूमिका, जैविक तथा अजैविक प्रतिबलों के प्रतिरोध से युक्त नई व उन्नत किस्मों के प्रजनक के रूप में उनके महत्व को सम्मान करने के बारे में अपने विस्तार अनुभव का वर्णन किया। डॉ. ए.के.बसु तथा अन्य महानुभावों ने किसानों को सुरक्षा की क्रियाविधियों, पौधा किस्मों के पंजीकरण के तरीकों आदि के बारे में परामर्श दिए। डॉ. जे.मित्रा (नोडल अधिकारी, डीयूएस) तथा अन्य संसाधन व्यक्तियों ने डॉ. डी.के.डे तथा डॉ. ए.के.बसु की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न तकनीकी सत्रों में व्याख्यान दिए। ये व्याख्यान पौधा किस्म और कृषक रजिस्ट्रार संरक्षण अधिनियम, पटसन के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों, पटसन के लिए संदर्भ संकलन और उनके रखरखाव, नई किस्मों की सुरक्षा के लिए आवेदन पत्रों को भरने, पटसन की वाणिज्यिक

किस्मों की पहचान के लिए आण्विक टैग का विकास करने और पटसन के डीयूएस परीक्षण की स्थिति के बारे में थे। कार्यक्रम के अंत में समापन सत्र में डॉ. एस.सतपति, निदेशक, सीआरआईजेएफ द्वारा किसानों को प्रमाण पत्र बांटे गए।

8.5 महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ (एमपीकेवी), राहुड़ी

"पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001" के अंतर्गत कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा पर एक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम 26 मार्च 2013 को एमपीकेवी, राहुड़ी में आयोजित किया गया जिसमें 58 अनुसंधानकर्ताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के 46 अधिकारियों, 19 कृषकों, 4 छात्रों व निजी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधियों सहित लगभग 131 प्रतिभागी उपस्थित थे। एक अन्य जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 मार्च 2013 को केन्द्रीय परिसर, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी में आयोजित किया गया। डॉ. एच.एस.चावला, अध्यक्ष, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर ने कृषक किस्मों के पंजीकरण की क्रियाविधि के बारे में बताया। इसके पश्चात् डॉ. एफ.बी.पाटिल, निदेशक, कीर्तिमान सीड्स औरंगाबाद तथा प्राधिकरण के भूतपूर्व सदस्य ने पीपीवी और एफआर अधिनियम के अंतर्गत किस्मों के पंजीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला।



8.6 चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू), हिसार

दिनांक 21 और 30 मार्च 2013 को दो प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन दोनों कार्यक्रमों में विभिन्न संगठनों से लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पीपीवी और एफआर अधिनियम, कृषकों

के अधिकारों, किस्मों के पंजीकरण, प्राधिकरण के महत्व, डीयूएस परीक्षण, भारत में विभिन्न फसलों के लिए डीयूएस केन्द्रों व उनके कार्यों आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिए गए, ताकि प्रतिभागियों के पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 से संबंधित ज्ञान का उन्नयन किया जा सके।

8.7 चावल अनुसंधान निदेशालय (डीआरआर), हैदराबाद

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान दो जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहला, 15 नवम्बर 2012 को और दूसरा 25 मार्च 2013 को आयोजित किया गया। प्रत्येक कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें अनुसंधानकर्ता, कृषि अधिकारी व कृषि विभाग के कृषि के सहायक निदेशक एवं बागवानी के सहायक निदेशक जैसे अधिकारी शामिल थे। इसके अतिरिक्त रेशम पालन एवं वानिकी, पीएच.डी. के छात्रों तथा आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों से कई स्वयं सेवी संगठनों ने भी इन प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया।



8.8 मक्का अनुसंधान निदेशालय (डीएमआर), नई दिल्ली

डीएमआर ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 2 प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। “पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा” पर पहला कार्यक्रम मक्का के विशेष संदर्भ में 11 फरवरी 2013 को मुरथल, हरियाणा में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 78 प्रगतशील कृषक, प्रजनक, स्वयंसेवी संगठन उपस्थित थे। दूसरा, प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम हैदराबाद में 9-10 मार्च 2013 को

आयोजित किया गया जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के 70 प्रजनकों ने भाग लिया। डॉ. साईदास और डॉ. ज्योति कॉल, प्रधान वैज्ञानिक ने पीपीवी और एफआर अधिनियम के प्रावधानों, कृषकों के अधिकारों, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों, कृषकों की किस्मों के पंजीकरण आदि जैसे विषयों पर प्रतिभागियों की सूचना के उन्नयन के लिए व्याख्यान दिए।

8.9 जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय (जेएयू), जामनगर (गुजरात)

पीपीवी और एफआर की ओर से बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान इकाई, बाजरा अनुसंधान केन्द्र, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर में 25 फरवरी 2013 को “अरण्ड के विशेष संदर्भ में पौधा किस्म तथा कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा” पर एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। दो विश्वविद्यालय अधिकारियों, बाजरा अनुसंधान केन्द्र के 20 वैज्ञानिकों, केवीके, जामनगर के अधिकारियों, बाजरा अनुसंधान केन्द्र, केवीके तथा एफटीसी जामनगर के 16 स्टाफ सदस्यों, जीएसएससी, राजकोट / जामनगर के 5 स्टाफ सदस्यों, जीएसएससीए, राजकोट के पांच स्टाफ कर्मियों, जामनगर जिले के 44 ग्राम सेवकों, जामनगर जिले के विभिन्न ग्रामों से आए 108 कृषकों/बीज उत्पादकों सहित लगभग 200 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अनुसंधान निदेशक, जेएयू, जूनागढ़; प्राचार्य, कृषि महाविद्यालय, अमरेली और बाजरा अनुसंधान केन्द्र, जेएयू के वैज्ञानिकों ने संबंधित विषय पर व्याख्यान दिए। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों में पीपीवी और एफआर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जागरूकता सृजित करना और विशेष रूप से पीपीवी तथा कृषकों के अधिकारों, नई किस्मों के पंजीकरण, अरण्ड बीज पादप प्रौद्योगिकी, अरण्ड के डीयूएस परीक्षण, नई बीज नीति पर विहंगम दृश्य उपलब्ध कराना था, ताकि किसानों और वैज्ञानिकों के बीच विशेष रूप से बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों और पौधा किस्मों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के लिए एक सामान्य मंच उपलब्ध हो सके।

8.10 गेहूं अनुसंधान निदेशालय (डीडब्ल्यूआर), करनाल

गेहूं अनुसंधान निदेशाल, करनाल तथा कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर, भरतपुर द्वारा संयुक्त रूप से पौधा किस्म

और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के क्रियाकलापों के अंतर्गत नई दिल्ली में 4 मार्च 2013 को "पौधा किस्म और कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा" पर एक दिवसीय कृषक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. (श्रीमती) इंदु शर्मा, परियोजना निदेशक, डीडब्ल्यूआर, करनाल ने किसानों को सम्बोधित किया तथा अधिनियम में उल्लिखित कृषक अधिकारों के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। डॉ. अरुण गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक, फसल सुधार ने सामान्य रूप से पीपीवी और एफआर से संबंधित मुद्दों का परिचय कराया तथा वैधानिक ढांचे व डीयूएस नेटवर्किंग प्रणाली पर प्रकाश डाला। डॉ. आर.पी.एस. वर्मा ने जौ में पीपीवी और एफआर की स्थिति व जौ की खेती में आधुनिक प्रौद्योगिकी की

स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने निजी उद्योग के साथ "ठेके पर खेती प्रणाली" के अंतर्गत माल्ट प्रकार के जौ की खेती की संभावना का वर्णन किया, जैसा कि पंजाब और हरियाणा में किया जा रहा है। श्री अनिल गोयल, सवेरा समिति, भरतपुर ने क्षेत्र में किसानों की सेवा के संदर्भ में सवेरा समिति के क्रियाकलापों का वर्णन किया तथा अपना सहयोग सुनिश्चित किया।

डीडब्ल्यूआर ने लेह (लद्दाख), पाली और भरतपुर (राजस्थान) और अमृतसर (पंजाब) में भी किसानों, राज्य कृषि अधिकारियों को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के बारे में अवगत कराने के लिए 4 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जिनका विवरण निम्नानुसार है :

सारणी 40: वर्ष 2012-13 के दौरान डीडब्ल्यूआर द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों का वर्णन

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों की संख्या	विषय
20 सितम्बर 2012	खरगुंडा गांव, लेह	25 किसान	पीपीवी और एफआर अधिनियम व कृषकों के अधिकार और पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार, अधिनियम के अंतर्गत लाभ में भागीदारी
21 सितम्बर 2012	एसकेएयूएसटी, केवीके, लेह	50 (केवीके वैज्ञानिक, विस्तार अधिकारी, किसान और बीज उत्पादक)	पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001, कृषकों, समुदाय तथा अनुसंधानकर्ताओं के अधिकार, किस्मों का पंजीकरण, पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय जीन निधि व लाभ में भागीदारी, पर्वतों में गेहूं की खेती, गेहूं के रोग व उनका नियंत्रण आदि
27 जनवरी 2013	ग्राम वीरूम, अमृतसर	242 कृषको अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी, अमृतसर, एफएएसएस के - अमृतसर तथा पीएयू लुधियाना के वैज्ञानिक, 60 महिला प्रतिभागी और कृषक	पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001, इसके उद्देश्य और कार्य, कृषकों के अधिकार, प्र. जनकों के अधिकार, समुदाय के अधिकार, अनुसंधानकर्ताओं के अधिकार, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण की क्रियाविधि, राष्ट्रीय जीन निधि और लाभ में भागीदारी, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार, जीन बैंक, कृषक किस्म के लिए आवेदन पत्र भरना, खरपतवार नियंत्रण, मृदा संरक्षण, सस्यविज्ञानी विधियां, गेहूं की खेती, पंजाब में गेहूं, चावल और सब्जियों की खेती में पादप सुरक्षा के उपाय।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों की संख्या	विषय
23 फरवरी 2013	पाली, रा. जस्थान	180 (केवीके, पालि, काजरी, जोधपुर के 15 वैज्ञानिक, 05 राज्य कृषि अधिकारी, डीडीए, 160 कृषक)	पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001, कृषकों, समुदाय तथा अनुसंधान कर्ताओं के अधिकार, राष्ट्रीय जीन निधि और किस्मों के पंजीकरण में लाभ की भागीदारी, पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार, गेहूं की खेती और विकसित नवीनतम प्रौद्योगिकियां, गेहूं रोग व उनका नियंत्रण, खरपतवार व उनका नियंत्रण, मृदा परीक्षण, गेहूं की किस्मों व शुद्ध बीज का उत्पादन, आईपीआर संबंधित मुद्दे और पादप आनुवंशिक विविधता आदि।
4 मार्च 2013	भरतपुर रा. जस्थान	250 किसान	पौधा किस्मों की सुरक्षा, कृषकों के अधिकार, पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार, प्रतिदान व सम्मान।

8.11 केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बतूर

“पौधा किस्म और कृषक अधिकार सुरक्षा” पर एक दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बतूर में 7 मार्च 2013 को किया गया। डॉ. एस.उषारानी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीआईसीआर, कोयम्बतूर ने प्रतिभागियों का स्वागत किया जिसके बाद डॉ. ए.एच. प्रकाश, परियोजना समन्वयक एवं अध्यक्ष, सीआईसीआर, क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बतूर ने उद्घाटन भाषण दिया। लगभग 90 प्रतिभागियों जिनमें अन्नूर ताल्लुक के कांजा पल्ली और अल्लपालयम गांवों के 36 प्रगतिशील किसान भी शामिल थे, ने इसमें भाग लिया। प्रतिभागियों को भारतीय कृषि में आईपीआर, कपास में आईपीआर व इसके कार्यान्वयन की स्थिति, कृषक किस्मों की सुरक्षा व पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार, पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 में उल्लिखित कृषकों के अधिकार, पौधा किस्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन तैयार करना और आवेदन पत्र भरना, कपास की स्थिति, पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001, पौधा किस्मों के गुण-निर्धारण तथा अनुसंधानकर्ताओं, किसानों और बीज उत्पादकों के अधिकारों जैसे विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया।

8.12 केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), नागपुर

सीआईसीआर, नागपुर में केवीके नागपुर के सहयोग से 23 जनवरी 2013 को जिले के विस्तार कर्मियों के लिए “पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत सुरक्षा के लिए कपास जीन प्ररूपों के प्रशिक्षण” पर प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. वी.शांति, प्रधान वैज्ञानिक व प्रशिक्षण संयोजक ने प्रतिभागियों का स्वागत किया जिसके पश्चात् डॉ. आर.वी. सिंगन दुबे, अध्यक्ष व प्रभारी कृषि विज्ञान केन्द्र ने परिचयात्मक टिप्पणियां दी। निदेशक, प्रभारी, सीआईसीआर डॉ. संध्या क्रांति ने उद्घाटन भाषण दिया जिसके पश्चात् पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर संसाधन व्यक्तियों द्वारा अनेक व्याख्यान दिए गए।

8.13 भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), लखनऊ

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के क्रियाकलापों पर आयोजित एक प्रदर्शनी के साथ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में “पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 का भारत में कार्यान्वयन” विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम 23-24 मार्च 2013

को वैज्ञानिकों, तकनीकी विदों, किसानों, छात्रों आदि के लिए आयोजित किए। कृषि अनुसंधान एवं विकास कान्क्लेव में गन्ना में डीयूएस परीक्षण और पीपीवी तथा एफआर अधिनियम, 2001 के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश किसान, विज्ञान संगम, 2012 जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया था, के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया गया।

8.14 गन्ना प्रजनन संस्थान (एसबीआई), कोयम्बतूर

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण जागरूकता व प्रशिक्षण पर एक दिवसीय कार्यक्रम तिन्मानालूर, थोंडामुथूर गांव, कोयम्बतूर में 16 मार्च 2013 को आयोजित किया गया। ये स्थान परंपरागत कृषि क्षेत्र था जहां छोटी और मझोली जोत के प्रगतिशील किसान रहते थे। इस कार्यक्रम में 90 से अधिक किसानों, 3 विस्तार कर्मियों के अतिरिक्त संसाधन व्यक्तियों व तकनीकी स्टाफ ने भाग लिया। उद्घाटन भाषण श्री पलनीस्वामी, सेवानिवृत्त अपर निदेशक, कृषि विभाग, तमिल नाडु ने दिया। मुख्य अतिथि श्री कंडास्वामी और श्री वजहूकुपरई बालू, एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। संसाधन व्यक्ति थे : डॉ. वी.ए.अमलराज, प्रधान वैज्ञानिक एवं नोडल अधिकारी, डीयूएस, एसबीआई, कोयम्बतूर; डॉ. राजुला शांति, प्रधान वैज्ञानिक और डॉ. सी.जया बोस, वरिष्ठ वैज्ञानिक। विभिन्न विषयों जैसे कृषि में आईपीआर, पीपीवी और एफआर अधिनियम, कृषकों के अधिकार, किस्मों के पंजीकरण, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों पर स्थानीय भाषा में व्याख्यान दिए गए और चर्चाएं हुईं। प्रतिभागियों ने चर्चाओं में बढ़-चढ़कर भाग लिया और कृषक किस्मों के पंजीकरण तथा पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार के बारे में अनेक प्रश्न पूछे गए।



8.15 केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान (सीआईटीएच), श्रीनगर

सीआईटीएच में "पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001" पर एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सीआईटीएच, श्रीनगर में आयोजित किया गया। इसमें लगभग 100 किसानों ने भाग लिया। प्रो. नजीर अहमद, निदेशक, सीआईटीएच, जो समारोह के मुख्य अतिथि थे, ने पंजीकरण के लिए पात्र किस्मों की विशेषताओं को बनाए रखने और उन्हें विकसित करने पर बल दिया तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2010 के लाभों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो किसान पंजीकृत किस्मों का उपयोग कर रहे हैं उनको बचाकर रखने, उपयोग करने, बोनो और किस्म के फार्म उत्पाद को बेचने का अधिकार है। तथापि, वे वाणिज्यिक विपणन व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें नहीं बेच सकते हैं।

8.16 तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू), कोयम्बतूर

'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' पर पादप आनुवंशिक संसाधन विभाग, केन्द्रीय गन्ना प्रजनन एवं आनुवंशिकी केन्द्र द्वारा कोयम्बतूर परिसर में 21 मार्च 2013 को प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमिल नाडु के 7 जिलों से आए लगभग 150 किसानों ने इसमें भाग लिया। डॉ. के.थियागराजन, निदेशक, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी केन्द्र ने किसानों के अधिकारों के बारे में उन्हें ज्ञान प्रदान करने तथा उनकी किस्मों के पंजीकरण में पादप आनुवंशिक संसाधन विभाग



TNAU, Coimbatore



की भूमिका के बारे में बताया। डॉ. एकमलराज, प्रधान वैज्ञानिक ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों की व्याख्या की। डॉ. सी.आर.आनंद कुमार, प्राध्याक, एसी और आरआई, मदुरै ने मदुरै जैस्मीन के लिए जीआई के पंजीकरण से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताया। श्री मोहनराज यादव, निदेशक, 'वांघई' जो नागाटिटनम में कार्यरत एक स्वयं सेवी संगठन है, ने कावेरी डेल्टा की चावल की परंपरागत किस्मों के पंजीकरण के बारे में अपने अनुभव बताए।

इसके अतिरिक्त "पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की सुरक्षा" पर विश्वविद्यालय द्वारा रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान तीन अन्य जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है :

सारणी 41 : प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों की संख्या
4 जनवरी 2013	बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कोयम्बतूर	100 (कृषक 93, सार्वजनिक प्रतिनिधि : 7)
8 मार्च 2013	बागवानी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, कोयम्बतूर	100 (कृषक 89, सार्वजनिक प्रतिनिधि 11)
15 मार्च 2013	राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केन्द्र एवं कृषि विज्ञान केन्द्र, वाम्बन, तमिल नाडु	100 प्रतिभागी

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संसाधन व्यक्तियों ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए जैसे पौधा किस्मों की सुरक्षा (डॉ. एम.भास्करन), पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के कार्य (डॉ. पी.बालामुर्गन), प्रजनकों के अधिकार, कृषकों

के अधिकार और किस्मों का पंजीकरण (डॉ. वी.वनंगामुडी), किस्मों की पात्रता – कृषक किस्म (डॉ.पी. श्रीमती), पीपीवी और एफआर के अंतर्गत पंजीकरण हेतु नई किस्म (डॉ. प्रेम चंदर, पीएस, एसबीआई, कोयम्बतूर), पीपीवी और एफआर के अंतर्गत फसल किस्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करना तथा डीयूएस परीक्षा क्रियाविधि, डीयूएस विवरण – डीयूएस के लिए दिशानिर्देश – चावल और सूरजमुखी (डॉ. जे.रेणुकादेवी तथा डॉ. वी.मनोनमणि) तथा बागवानी फसलों में जैव-विविधता का संरक्षण और पेटेंट जैसे आईपीआर मुद्दे (डॉ. एन.कुमार)।



8.17 शियाट (पूर्व – इलाहाबाद कृषि संस्थान), इलाहाबाद

सैम हिगेनबोटम कृषि प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान (एसएचआईटीएस, इलाहाबाद) प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से वर्ष 2012-13 के दौरान दो प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहला एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम" पर उत्तर प्रदेश में पौधा किस्मों के संरक्षण के संबंध में शियाट, इलाहाबाद के बागवानी विभाग में 21 दिसम्बर 2012 को आयोजित किया गया। इसमें 100 से अधिक किसानों, छात्रों तथा अनुसंधानकर्ताओं ने भाग लिया। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 से संबंधित दूसरा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बागवानी विभाग, शियाट, इलाहाबाद में 11 फरवरी 2013 को आयोजित किया गया। वैज्ञानिकों ने किसानों, छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं को सम्बोधित किया। पीपीवी और एफआर अधिनियम पर पर्वी उत्तर प्रदेश में पौधा किस्मों के संरक्षण से संबंधित इस प्रकार की कार्यशाला विश्वविद्यालय में पहली बार आयोजित की गई तथा किसानों ने इसकी बहुत सराहना की।



8.18 एसकेयूएसटी, जम्मू

वर्ष 2012-13 के दौरान एसकेयूएसटी, जम्मू में "पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001" पर एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2012 को डाक बंगला, रजौरी में आयोजित हुआ जिसमें 100 से अधिक किसानों तथा पंचायत के सदस्यों ने भाग लिया जो पास के गांवों से आए थे। एसकेयू एसटी के कुलपति प्रो. डी.के. अरोड़ा, एसोसिएट निदेशक, अनुसंधान – रजौरी तथा डॉ. ए.के. शर्मा ने कार्यक्रम का संक्षिप्त लेखा-जोखा प्रस्तुत किया तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत किसानों के अधिकारों के बारे में बताया।

डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने किसानों के योगदान के महत्व पर बल दिया तथा उन्हें उन पादप प्रजनकों के समान बताया जो भावी पीढ़ी के लिए पौधों की परंपरागत किस्मों को सृजित और संरक्षित करते हैं और इस प्रकार देश की कृषि के विकास में तेजी लाते हैं। उन्होंने कहा कि पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा अनिवार्य है, ताकि नई किस्मों के विकास में व अनुसंधान में निवेश को प्रेरित किया जा सके। डॉ. ए.के.राजदान, नोडल अधिकारी ने क्षेत्र की जैव-विविधता के महत्व पर प्रकाश डाला और किसानों से क्षेत्र की संबंधित फसलों की परंपरागत किस्मों को पंजीकृत कराने की अपील की। कृषि पंडित श्री बक्खी गणेश दास ने भी जनसमूह को सम्बोधित किया।



8.19 कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएसएस), धारवाड़

कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के सहयोग से "पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001" पर 25 मार्च 2013 को धारवाड़ में एक दिवसीय जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। डॉ. एन.के. बिरदारपाटिल, विशेष अधिकारी (बीज), यूएसएस धारवाड़ ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. आर.आर. हंचिनाल, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति ने किया। डॉ. एस. प्रभु कुमार, परियोजना निदेशक, दक्षिणी आंचल, भा.कृ.अ.प., बंगलुरु; डॉ. ए.सी.घोष, कृषि विस्तार और सामान्य प्रशासन निदेशक, भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली; डॉ. एल.कृष्णानायर, निदेशक विस्तार, यूएसएस, धारवाड़; डॉ. जी.एस.डसोग, डीन (कृषि), यूएसएस, धारवाड़ मुख्य अतिथि थे तथा डॉ. एम.बी.चेट्टी, निदेशक (शिक्षा) यूएसएस, धारवाड़ ने समारोह की अध्यक्षता की। उत्तर कर्नाटक के विभिन्न जिलों से आए 200 से अधिक किसानों ने इसमें भाग लिया तथा पौधा किस्मों में वर्तमान संदर्भ में आईपीआर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। डॉ. रवि हंजे, एसोसिएट प्राध्यापक, बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।



8.20 डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ (बीएसकेकेवी), धपोली

"पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001" पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन स्वामीनाथन हाल, डॉ. बी.एस. कोंकण कृषि विद्यापीठ, धपोली में 17 दिसम्बर 2012 को

किया गया। इसमें लगभग 81 वैज्ञानिकों तथा 142 छात्रों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता डॉ. के.ई. लवांडे, माननीय कुलपति, बी.एस.के.के.वी. धपोली ने की। उन्होंने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के महत्व पर प्रकाश डाला तथा विशेष रूप से अनाजों और दलहनों की पौधा किस्मों के पंजीकरण के लिए आवेदनों को दाखिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. आर.के.चौधरी, पूर्व परियोजना निदेशक (राष्ट्रीय बीज परियोजना), भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की समीक्षा की जा सकती है तथा वार्षिक फसलों के लिए 6 वर्षों के बाद और वृक्षों तथा लताओं के लिए 9 वर्षों के बाद निर्धारित शुल्कों की अदायगी पर समीक्षा की जा सकती है। डॉ. करीम मारेडियर, प्राध्यापक, मिशीगन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए में बौद्धिक सम्पदा संबंधी नीतियों तथा दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की विधियों पर एक व्याख्यान दिया।



इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने किसानों, छात्रों तथा वैज्ञानिकों/शैक्षणिक स्टाफ के लिए 3 अन्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जिनका विवरण निम्नानुसार है :

सारणी 42: जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण

कृषक जागरूकता कार्यक्रम				
क्र. सं.	स्थान	दिनांक	प्रतिभागी	संख्या
1.	ताल्सुरे	16 अगस्त 2012	किसान और छात्र	46
2.	देवके	29 अगस्त 2012	किसान और छात्र	43
3.	उम्बार्ले	30 अगस्त 2012	किसान और छात्र	60

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण तथा इसके क्रियाकलापों से युक्त सूचना वाला मराठी भाषा में तैयार किया गया एक सूचना फोल्डर जो किसानों, पादप प्रजनकों, अनुसंधानकर्ताओं और बीज उद्योगों के लिए था, उसका विमोचन डॉ. करीम मारेडिया, वरिष्ठ संकाय सदस्य, मिशीगन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए में डॉ. के.ई.लवांडे, माननीय कुलपति, डॉ. बी.एस.कोंकण कृषि विद्यापीठ, धपोली की उपस्थिति में किया। यह फोल्डर किसानों सहित सभी प्रतिभागियों को निशुल्क वितरित किया गया।

8.21 असम कृषि विश्वविद्यालय (एएयू), जोरहट

असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट में 25-26 मार्च 2013 को "पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001" पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉ. के.एम.बुजरबर्वा, कुलपति एएयू इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे तथा श्री जाधव पायेंग, पर्यावरणविद् एवं जैव-विविधता संरक्षक सम्मानीय अतिथि थे। डॉ. बुजरबर्वा ने बताया कि भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैव-विविधता का एक महत्वपूर्ण हॉट-स्पॉट है और यहां अनेक परंपरागत किस्में अब भी उपलब्ध हैं। लोग जिनकी खेती करते हैं उन्होंने कहा कि पीपीवी और एफआर प्राधिकरण उत्तर-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के जननद्रव्य की सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में रुचि ले रहा है।



8.22 विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (बीसीकेवी), नादिया, पश्चिम बंगाल

बीसीकेवी ने "पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001" पर कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, कल्याण, नादिया में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से 14 जनवरी 2013 को एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में पर्णधारियों के बीच पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के

बारे में जागरूकता सृजित करने और इसके साथ-साथ किसानों की क्षमता निर्माण, कृषक समुदाय, वैज्ञानिकों, अधिकारियों, कार्पोरेट व्यक्तियों की किस्मों के अनुरक्षण, विकास, प्रजनन एवं पंजीकरण की क्षमता विकसित करने के बारे में विशेष ध्यान दिया गया। प्रो. बी.मोंडल, प्रो. कुलपति एवं निदेशक अनुसंधान ने आवधिक प्रशिक्षण पर बल दिया और इसके साथ विश्वविद्यालय के कोष में चल रहे पीपीवी और एफआर के क्रियाकलापों के बारे में बताया। प्रतिभागियों में बंगाल क्षेत्र के 6 जिलों (नादिया, बर्दवान, मुर्शिदाबाद, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना) से आए किसान तथा अन्य लोग थे।

8.23 राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी), बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ने प्राधिकरण के सहयोग से वर्ष 2012-13 में "पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001" पर दो प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। पहला "पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण के प्रावधानों" के बारे में था जिसमें मक्का का विशेष उल्लेख किया गया। यह कार्यक्रम 23 मार्च 2013 को उगाची, कृषिनगर, नादिया, पश्चिम बंगाल में किसानों के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता सृजित करने तथा उन्हें संकर मक्का का उच्च गुणवत्ता वाला बीज उत्पन्न करने व क्षेत्र की अन्य महत्वपूर्ण फसलों के बीज तैयार करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए था। डॉ. स्वप्न कुमार दत्ता, अध्यक्ष/उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भा.कृ.अ.प. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में लगभग 150 किसानों ने भाग लिया। दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 मार्च



2013 को पूजा खिलडी गांव तथा बंसवार में आयोजित किया गया जिसमें लगभग 170 किसानों ने भाग लिया।

8.24 आदर्श ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण सोसायटी, आंध्र प्रदेश

"पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001" पर एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन वसवी कल्याण मंतप्पा, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश द्वारा आदर्श ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण सोसायटी, कोडिकोंडाइन द्वारा प्राधिकरण के सहयोग से 9 मार्च 2013 को आयोजित किया गया जिसमें लगभग 100 किसानों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री पी. पार्थासारथी तथा संयुक्त निदेशक कृषि, अनंतपुर, श्री बी. सम्बाशिवाराव ने जन समुदाय को सम्बोधित किया। उन्होंने सक्षम व परीक्षित प्रौद्योगिकियों को किसानों तक हस्तांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि वे सर्वाधिक लाभ उठा सकें। उन्होंने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अनूटेपन के बारे में और कृषकों व प्रजनकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में भी बताया।



8.25 नंद एजुकेशनल फाउंडेशन फार रूरल डेवलपमेंट (एनईएफओआरडी)

एक गैर लाभकारी संगठन एनईएफओआरडी ग्रामीण निर्धनों तथा वंचित वर्ग के लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में प्रतिबद्ध है। यह समुदायों को शामिल करके सृजनात्मक व टिकाऊ हल खोजने, सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन विधियों को लागू करने तथा परिस्थितियों के उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को पणधारियों द्वारा अपनाने की दिशा में कार्यरत है। यह समाज में महिलाओं और बालिकाओं की भूमिका को सम्मान देता है तथा बेहतर विश्व के निर्माण में उनके योगदान की महत्ता को पहचानता है।



एम.एस.स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने देश के विभिन्न भागों में आईसीटी – सक्षम विकासात्मक क्रियाकलापों के मॉडल को प्रसारित करने की पहल की है जिसमें 6 लाख गांवों का नेटवर्क है जिसे ग्रामीण ज्ञान अभिज्ञान कहा जाता है (15 अगस्त 2007 से)। शिक्षाविद् कारपोरेट सैक्टर तथा नीति निर्माता इस मंच का उपयोग ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सशक्तीकरण के लिए कर रहे हैं। प्राधिकरण ने एनईएफओआरडी की सेवाएं रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान “पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001” के प्रति जागरूकता सृजित करने के लिए लीं और इसके अंतर्गत 5 मार्च 2013 को मऊ, वाराणसी में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पड़ोस के गांव से आए लगभग 120 किसानों और अन्य पणधारियों ने इसमें भाग लिया। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि डॉ. एस.राजेन्द्र प्रसाद, निदेशक, डीएसआर ने जननद्रव्य के संरक्षण के महत्व व इसकी सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। निदेशक, एनईएफओआरडी; डॉ. रेणु, एनबीएआईएम और डॉ. ज्योत्सेन्द्र सिंह, आईआईएसआर ने इस अवसर पर “पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001” के प्रावधानों के बारे में, विशेष रूप से कृषकों और प्रजनकों के अधिकारों के संदर्भ में बताया।

8.26 कृषि एवं ग्रामीण विकास केन्द्र (सीएआरडी)

कृषि एवं ग्रामीण विकास केन्द्र एक प्रमुख स्वयं सेवी संगठन है जो कृषि द्वारा रूपांतरण के माध्यम से भारत के विकास के राष्ट्रीय प्रयासों में ऊर्जावान भूमिका निभा रहा है। सीएआरडी ग्रामीण समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कृषक समुदाय तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है तथा तकनीकी, आर्थिक और नीतिगत मुद्दों को हल करके ग्रामीण समुदायों की जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में लगा हुआ है और इस प्रकार कृषि व ग्रामीण समाज के विकास में अपना योगदान दे रहा है। यह कृषि, बागवानी और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों में रत है और जिसका क्षेत्र सम्पूर्ण भारत है। प्राधिकरण ने इसकी सेवाओं का उपयोग “पौधा किस्म और कृषक अधिकार

संरक्षण अधिनियम, 2001” पर 3 प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में लिया जिसके लिए प्राधिकरण ने वित्तीय सहायता प्रदान की। “पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001” पर प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम इग्लास जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में 23 फरवरी 2013 को आयोजित किया गया जिसमें 100 किसानों ने भाग लिया। डॉ. मुख्तार आलम, कार्यपालक निदेशक, सीएआरडी और श्री संतराम कश्यप, परियोजना प्रबंधक ने “पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001” के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी व इसके लाभों के बारे में बताया। दूसरा एक दिवसीय कार्यक्रम करहल, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में 25 फरवरी 2013 को आयोजित किया गया जिसमें 108 किसानों ने भाग लिया। राज्य के कृषि विभाग के अधिकारी इस कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति थे। तीसरा एक दिवसीय कार्यक्रम अछनेरा, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी 2013 को आयोजित किया गया जिसमें आस-पास के गांवों के 126 किसानों ने भाग लिया।



8.27 एम.एस.स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, एमएसएसआरएफ, चैन्नई

एमएसएसआरएफ ने “पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001” पर किसानों की क्षमता निर्माण करने व जागरूकता सृजित करने के लिए वायनाड, नामक्कन, केरल और जयपोर, ओडिशा में तीन एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया। केरल के वायनाड जिले में 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें 16 महिलाएं भी थीं। इसका आयोजन सुल्थान बाथेरी में 25 फरवरी 2013 को किया गया। नामक्कन और कोल्ली पहाड़ियों से लगभग 117 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए जिसमें 25 महिलाएं भी थीं। यह आयोजन 19 मार्च 2013 को हुआ

जिसमें 92 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें 2 महिलाएं शामिल थीं। स्वयं सेवी संगठन व नवरंगपुर के किसानों, एमएसएसआरएफ कुदरा स्थल, कोरापुट से 34 किसानों ने 29 मार्च 2013 को एमएसएसआरएफ, जयपोर, ओडिशा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।



कार्यक्रम में पीपीवी विधान, विशेष रूप से कृषकों के अधिकारों; लाभ में भागीदारी, सम्मान एवं उपयुक्त पुरस्कारों के द्वारा जागरूकता सृजित करने व किसानों की क्षमता के निर्माण के बारे में बताते हुए यह भी बताया गया कि किसानों को पीपीवी और एफआर के अंतर्गत किस प्रकार उचित रूप से पुरस्कृत किया जा सकता है; प्राधिकरण के प्रमुख कार्य क्या हैं; अधिनियम के अंतर्गत किसानों को कौन-कौन से लाभ प्राप्त हैं; अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण अधिकार कौन से हैं; किसान अपनी किस्में कैसे पंजीकृत करा सकते हैं; अब तक किन किस्मों के लिए आवेदन दिया गया है और किसान व कृषक समूह पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार के लिए किस प्रकार आवेदन देते हैं। किस्मों के डीयूएस गुण-निर्धारण की प्रक्रिया और विशेष रूप से चावल की किस्मों के लिए रिकॉर्ड किए गए विवरणों; पीपीवी और एफआर के अंतर्गत किस्म पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया; और पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार के लिए आवेदन देने जैसे मुद्दों पर विशेष बल दिया गया।

इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला गया जैसे किसानों का अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित किस्मों के बीज को बचाने, उपयोग करने, बोने, पुनः बोने, विनिमय करने, भागीदारी करने या बांटने का कार्य उसी प्रकार है जिस प्रकार इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व था। इसके साथ

ही कृषक किस्म को पंजीकृत कराने, लाभ में समान भागीदारी प्राप्त करने, पुरस्कार और सम्मान प्राप्त करने, पंजीकृत किस्मों के पर्याप्त बीज प्राप्त करने, पंजीकृत किस्म का कम निष्पादन होने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने, किसानों की सहमति प्राप्त करने, अज्ञानतावश किसानों द्वारा अधिकारों का उल्लंघन होने पर उसका संज्ञान न लेने और किसानों को किसी प्रकार के शुल्क अदायगी की छूट के बारे में बताया गया।

समूह चर्चा में मुख्य बल वर्तमान में उगाई जाने वाली फसलों पर दिया गया; कार्यक्रम के द्वारा क्या सीखा गया, परंपरागत फसलों की खेती में किसानों के समक्ष कौन-कौन सी समस्याएं आती हैं; किस्मों के पंजीकरण के लिए किन किस्मों को चुना जाए; किस्मों के पंजीकरण के लिए कैसे आवेदन किया जाए, आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है; डीयूएस गुणों और उनके महत्व; तथा पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार, पुरस्कारों व सम्मानों जैसे विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

प्रतिभागियों ने इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने में फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की और उन्होंने पाया कि इस प्रकार के कार्यक्रम पीपीवी और एफआर नियम के महत्व को बेहतर रूप से समझने में बहुत सहायक सिद्ध हुए।

284 प्रतिभागियों में से 241 पुरुष और 43 महिलाएं थे जिन्होंने 3 स्थानों पर कार्यक्रम में भाग लेकर लाभ उठाया। डॉ. गीता रानी, परियोजना की समन्वयक ने तीनों स्थानों पर दल के सदस्यों को कार्यक्रम संचालन में सहायता देने के लिए धन्यवाद दिया। डॉ. एम.एस.स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन पीपीवी और एफआर का आदिवासी क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आभार व्यक्त करता है।

8.28 मूंगफली अनुसंधान निदेशालय (डीजीआर), जूनागढ़

निदेशालय में 18-19 मार्च 2013 को दो एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 18 मार्च 2013 को केवीके, राजकोट से आए लगभग 52 किसानों ने और 19 मार्च 2013 को केवीके, कोडिनगर से आए लगभग 56 किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। तकनीकी मार्गदर्शन व व्याख्यान स्थानीय भाषाओं में दिए गए, ताकि किसान उन्हें आसानी से समझ सकें। हिन्दी और गुजराती भाषाओं में तैयार किए गए पम्फ्लैट प्रशिक्षार्थियों को दोनों दिन निशुल्क वितरित किए गए। किसानों के

ज्ञान को अद्यतन बनाने व उनके संदेहों को दूर करने के लिए समूह चर्चा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय नवोन्मेष फाउंडेशन, अहमदाबाद के वैज्ञानिकों के एक दल तथा जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य, जो किसानों की बौद्धिक सम्पदा संबंधी अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े थे, ने संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्य किया। केसर आम – जो गुजरात से भौगोलिक संकेत (जीआई) का एक परीक्षण मामला है, पर ही चर्चा हुई। राष्ट्रीय नवोन्मेष निधि (एनआईएफ), अहमदाबाद ने किसानों के साथ विचार-विमर्श किया तथा उन्हें अपने क्रियाकलापों के बारे में बताया। डीजीआर के एक वरिष्ठ स्तर के वैज्ञानिक ने किसानों से चर्चा की और यह चर्चा बहुत उपयोगी रही। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण तथा पीपीवी और एफआरए प्राधिकरण के क्रियाकलापों के बारे में भी किसानों को बताया गया। प्रतिभागियों को पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की सुरक्षा व डीयूएस परीक्षण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण से सामान्य रूप से आईपीआर व विशेष रूप से पीपीवी और एफआर से संबंधित अनेक शंकाओं का निवारण हुआ।



8.29 केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, (सीपीआरआई), शिमला

सीपीआरआई, शिमला द्वारा तीन प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है :

- पहला प्रशिक्षण सोलन में आयोजित हुआ जिसमें 26 नवम्बर 2012 को 128 किसानों और ग्राम पंचायत सलोग्रा के छात्रों ने भाग लिया।
- दूसरा प्रशिक्षण सीपीआरआई शिमला में आयोजित किया गया जिसमें 10 जनवरी 2013 को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के 95 किसानों ने भाग लिया।
- तीसरा प्रशिक्षण करसौग, मण्डी में आयोजित हुआ जिसमें 28 फरवरी 2013 को 140 किसानों ने भाग लिया।

सारणी 43: व्याख्यान एवं संसाधन व्यक्तियों का विवरण

1.	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण के उद्देश्य तथा प्रमुख विशेषताएं	डॉ. दालामु डॉ. विनोद कुमार डॉ. विनय भारद्वाज
2.	कृषि जैव-विविधताओं का संरक्षण व पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित फसलें	
3.	आलू में डी.यू.एस. परीक्षण	
4.	किसानों के हितों की रक्षा एवं उनके विभिन्न फसलों की प्रजातियों के पंजीकरण का तरीका	
5.	राष्ट्रीय जीन बैंक – उद्देश्य तथा प्रमुख विशेषताएं	

8.30 प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय (डीओजीआर), राजगुरुनगर, पुणे

‘पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001’ पर प्याज एवं लहसुन के विशेष संदर्भ में दो प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम डीओजीआर द्वारा 19 जनवरी 2013 को डीओजीआर परिसर राजगुरुनगर में तथा अन्य 14 फरवरी 2013 को केवीके, नारायण गांव, पुणे में आयोजित किए गए। लगभग 160 और 180 प्रतिभागियों ने इनमें भाग लिया जिनमें प्रगतशील किसान, छात्र, विस्तारकर्मी, कृषि अधिकारी, केवीके के स्टाफ सदस्यों व निजी कंपनियों ने भाग लिया। प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. डी.जी.बाक्वार्ड, निदेशक (बागवानी), महाराष्ट्र सरकार थे। कार्यक्रम के दौरान 4 व्याख्यान दिए गए। डॉ. अजय गुप्ता, नोडल अधिकारी, डीयूएस तथा पाठ्यक्रम समन्वयक ने प्याज और लहसुन के डीयूएस परीक्षण तथा किस्मीय विवरणों पर प्रकाश डाला। डॉ. वी. महाजन ने लाभ में भागीदारी की चर्चा की, जबकि डॉ. अनिल खार ने पंजीकरण फार्म भरने के बारे में श्रोताओं को अवगत कराया। इसके पश्चात् किसानों ने फीडबैक लिया गया तथा डीयूएस दिशानिर्देश के अनुसार डेटा रिकॉर्ड करने का प्रदर्शन किया गया। किसानों के लिए एक खेत भ्रमण आयोजित किया गया, ताकि उन्हें प्याज और लहसुन की खेती की नवीनतम विधियों से परिचित कराया जा सके। सत्र के अंत में सभी प्रतिभागियों को पीपीवी और एफआरए प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रमाण-पत्र दिए गए। इस अवसर पर निदेशालय द्वारा निम्नलिखित दो प्रकाशन भी विमोचित किए गए।



- डीयूएस परियोजना के अंतर्गत प्रकाशित एक तकनीकी बुलेटिन
- महाजन, वी, खार, ए., गुप्ता, ए.जे. और गोपाल, जे. 2012 ओनियन एंड गार्लिक वेरायटीज़ ऑफ डीओजीआर, तकनीकी बुलेटिन सं. 20, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राजगुरुनगर, पुणे

8.31 केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (सीटीसीआरआई), श्रीकारियम, तिरुअनंतपुरम, केरल

सीटीसीआरआई ने अपने परिसर में 26 मार्च 2013 को "पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001" पर एक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। डॉ. एस.के. चक्रवर्ती, निदेशक, सीटीसीआरआई ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की और अध्यक्षीय व्याख्यान दिया। डॉ. स्वेरूप जॉन, डीन, कृषि महाविद्यालय, वेलयानी ने उद्घाटन भाषण दिया। वनस्पति विज्ञान/पादप प्रजनन के छात्रों, जो विभिन्न महाविद्यालयों से आए थे, अनेक किसानों सहित 125 से अधिक प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। डॉ. रेजी, जे.थॉमस, सी.पी.सी.आर.आई., डॉ. रेगीना, एस. विशेष अधिकारी, डब्ल्यूटीओ पोस्ट; और डॉ. विल्सन, केएयू ने सीटीसीआरआई के वैज्ञानिकों से कक्षाओं में व्याख्यान दिए। सभी कक्षाएं स्थानीय भाषा मलयालम में चलाई गईं तथा श्रोताओं ने जिनमें से अधिकांश केरल के दक्षिणी भागों के किसान और छात्र थे, इनसे बहुत लाभ उठाया। कसावा तथा शकरकंद के डीयूएस गुण-निर्धारण पर प्रयोगात्मक कक्षा आयोजित की गई तथा सभी प्रतिभागियों ने सीटीसीआरआई में मौजूद किस्मीय जीन बैंक का दौरा किया। यह पूरा कार्यक्रम मलयाली भाषा में था और इस दौरान वक्ताओं

तथा प्रतिभागियों के बीच बेहतर संवाद हुआ। पीपीवी और एफआर अधिनियम पर साहित्य और एक फोल्डर मुद्रित करके प्रतिभागियों में बांटे गए।

8.32 केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (सीआईएसएच), लखनऊ

चलाए गए प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :

- लगभग 600 कृषक किस्मों का अंतरराष्ट्रीय आम उत्सव, नई दिल्ली में प्रदर्शन किया गया।
- बे-मौसमी आम की किस्मों के पंजीकरण पर कन्याकुमारी, केरल में 14-15 मार्च 2013 को एक व्याख्यान दिया गया।
- 425 कृषक किस्मों के प्रदर्शन के लिए 2 जुलाई 2012 को कसमंदिकलां में एक आम विविधता मेला आयोजित किया गया।



8.33 राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई), लखनऊ

जैव-सूचना विज्ञान पर एक राष्ट्रीय सिम्पोजियम: जैव-विविधता प्रबंध में जैव-सूचना विज्ञान की भूमिका पर सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया जिसे जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली ने प्रायोजित किया। इसमें 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें वैज्ञानिक, प्राध्यापक, विभिन्न विश्वविद्यालय के अनुसंधान छात्र, अनुसंधान संगठनों तथा मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल थे।

इस राष्ट्रीय सिम्पोजियम से उन सभी प्रतिभागियों को उत्कृष्ट अवसर प्राप्त हुआ जो बोगेनवीलिया, केन्ना और ग्लेडियोलस पर डेटाबेस के रूप में शामिल थे। इस सिम्पोजियम ने बिट्स राष्ट्रीय नेटवर्क के छात्रों और समन्वयकों के बीच पारस्परिक चर्चा का एक श्रेष्ठ अवसर प्रदान किया ताकि, उगाई जाने वाली फसलों सहित जैव-विविधता के विभिन्न डेटाबेसों की स्थिति की समीक्षा की जा सके, जैव-सूचना विज्ञान के बेहतर उपयोग के लिए भागीदारी के क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और नई कार्यनीतियां नियोजित की जा सके, सक्षम डेटाबेस और सॉफ्टवेयर विकसित किया जा सके और राष्ट्रीय नेटवर्क के अंतर्गत क्रियाविधियों की भागीदारी विकसित की जा सके, ताकि भारत में सूचना के प्रचार-प्रसार में वृद्धि हो सके। इस सिम्पोजियम में विभिन्न विषयों पर 8 सत्रों के दौरान विभिन्न संसाधन व्यक्तियों ने अपने प्रस्तुतीकरण दिए।

8.34 राष्ट्रीय नीबूवर्गीय फसल अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीसी), नागपुर

नीबूवर्गीय फलों के विशेष संदर्भ में "पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001" पर एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सोशल मोबेलाइजेशन एक्सीपेरिमेंटेशन एंड लर्निंग सेंटर, पश्चिम गारो पहाड़ियां, तूरा, मेघालय (उत्तर पूर्वी क्षेत्र) में 13 दिसम्बर 2012 को एनआरसी सिट्रस द्वारा आयोजित किया गया। यह जैव-विविधता हॉट-स्पॉट का वह क्षेत्र है जहां भा.कृ.अ.प.द्वारा 1981 में विश्व का प्रथम सिट्रस जीन अभयारण्य (नोक्रेक) स्थापित किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों और व्यवसायविदों



को नीबूवर्गीय फलों तथा कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा के बारे में जानकारी देना था। एनईएचएयू, सीएयू, केवीके (उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर) के व्यवसायविद् स्टाफ/वैज्ञानिकों; कृषि/बागवानी विभाग के अधिकारियों तथा गारो पहाड़ियों, तूरा, मेघालय के नीबू वर्गीय फल उगाने वाले क्षेत्रों के किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

8.35 पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण प्रभाग, (भा.कृ.अ.प.), नई दिल्ली

"पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001" पर एक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 20 फरवरी 2013 को किसानों व पणधारियों के बीच कृषकों के अधिकारों के प्रावधानों के प्रचार-प्रसार के लिए आयोजित किया गया।



8.36 सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय (डीएसआर), इंदौर

"पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की सुरक्षा" पर प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन डीएसआर, इंदौर में 28 सितम्बर 2012 को हुआ, जिसमें प्रगतशील किसानों, वैज्ञानिकों/प्रजनकों तथा राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रतिभागियों में सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय और सोयाबीन पर एआईसीआरपी केन्द्रों के वैज्ञानिकों, कृषि महाविद्यालय, इंदौर (राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय) के छात्रों व वैज्ञानिकों तथा इंदौर जिले के विभिन्न गांवों के प्रगतशील किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर सहायक निदेशक कृषि, कृषि विभाग, मध्य प्रदेश सरकार भी उपस्थित थे।



डॉ. एम.एस. हुसैन, प्रधान वैज्ञानिक, डीएसआर, इंदौर ने सोयाबीन में डीयूएस परीक्षण और पौधा किस्मों की सुरक्षा पर; डॉ. साईदास, पूर्व निदेशक, मक्का अनुसंधान निदेशालय, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली ने गेहूं में डीयूएस परीक्षण पर; डॉ. एन.के. कुचलन, वरिष्ठ वैज्ञानिक, डीएसआर ने "पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001" पर किसानों के लिए प्रावधानों और पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार पर व्याख्यान दिए।

8.37 केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, सीआरआरआई, कटक

"पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001" पर 8 मार्च 2013 को प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 106 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें से अधिकांश छात्र और अनुसंधानकर्ता थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुक्रिया परीक्षण के विशेष संदर्भ में डीयूएस – विशेष परीक्षणों पर बल दिया गया। 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001', पौधा किस्मों के पंजीकरण, रोगों, कीटों व नाशकजीवों व अजैविक प्रतिबलों के प्रति पादप अनुक्रिया पर व्याख्यान दिए गए। संसाधन व्यक्ति थे : डॉ. बी.सी.पात्र, आर्थिक वनस्पति विज्ञान; डॉ. आर.के. सरकार, पादप कार्यिकी, सीआरआरआई, कटक।

8.38 केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान (सीपीसीआरआई), कैसरगोड

वर्ष के दौरान सीपीआरआई, कैसरगोड व सीपीआरआई क्षेत्रीय केन्द्र कायनगुलम और विट्टल में तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कायनगुलम में लगभग 160 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी, 33 किसान, केएयू के 24 प्रतिनिधि, एनजीओ व भा.कृ.अ.प. संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित 47 छात्र, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता और सीपीसीआरआई के स्टाफ सदस्य शामिल थे। प्रशिक्षण व्याख्यानों के दौरान पीपीवी

और एफआर अधिनियम, आईपीआर संबंधी मुद्दों, डीयूएस दिशानिर्देश (नारियल) पर पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों, प्रतिदानों और सम्मानों पर व्याख्यान डॉ. सी.आर. एल.सी. कन्वीनर, आईपीआर पोस्ट (केएयू) व प्राध्यापक पादप प्रजनन विभाग, बागवानी महाविद्यालय, वेल्लानिकारा, केरल; डॉ. एस.रेगीना, विशेष अधिकारी, कृषि (डब्ल्यूटीओ कोष्ठ), शासकीय सचिवालय, त्रिवेन्द्रम; डॉ. वी.निराल, प्रधान वैज्ञानिक, सीपीसीआरआई, कैसरगोड, डॉ. रेगी, जे.थॉमस, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीपीसीआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कायामकुलम द्वारा दिए गए। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय ट्रेवनकोर गुड़ तथा पोक्कली चावल के संदर्भ में भी प्रकाश डाला गया जो भौगोलिक संकेतकों के रूप में पंजीकृत हैं।



23 मार्च 2013 को सीपीसीआरआई, कैसरगोड में एक अन्य प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें किसानों, छात्रों, राज्य कृषि विभाग, भा.कृ. अ.प./राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा स्वयं सेवी संगठनों के लगभग 148 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पीपीवी और एफआरए के विशेष संदर्भ में कृषि में आईपीआर, पश्चिमी घाटों में औषधीय पौधों के वर्तमान संदर्भ, चावल, मसालों, नारियल के डीयूएस दिशानिर्देश व परीक्षण सिद्धांतों पर छह व्याख्यान आयोजित किए गए। श्री दिनेश नायर, अध्यक्ष, सस्यश्यामला विट्टल, डॉ. जॉनसन जॉर्ज, प्रधान वैज्ञानिक, आईआईएसआर, काजीकोड, डॉ. वनजा, एसोसिएट प्राध्यापक, केएयू, पडनक्कड, डॉ. वी.निराल, प्रधान वैज्ञानिक, सीपीसीआरआई, कैसरगोड, डॉ. बी. ए.जेराल्ड और डॉ. के.समसुद्दीन, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीपीसीआरआई, कैसरगोड संसाधन व्यक्ति थे।

सीपीसीआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र में तीसरा प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम 26 मार्च 2013 को आयोजित किया गया जिसमें राज्य कृषि विभागों, भा.कृ.अ.प./राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, स्वयं सेवी संगठनों तथा सहकारिता सोसायटियों के लगभग 150 प्रतिनिधि मौजूद थे जिनमें 74 किसान भी थे।

डॉ. निरंजन मूर्ति, प्राध्यापक, यूएएस, बंगलुरु; डॉ. एस.वी. हित्तल मणि, अपर निदेशक, बागवानी, बागवानी विभाग, बंगलुरु; डॉ. पी.महादेवू, प्राध्यापक (जी एंड पीबी), यूएएस, कृषि महाविद्यालय, हसन; डॉ. एस.जे.अंकेगोडा, अध्यक्ष, सीआरसी, आईआईएसआर, अप्पनगाला, डॉ. जी.एस. मोहन, वरिष्ठ वैज्ञानिक, डीसीआर, पुत्तूर; डॉ. के.एस. आनंद, अध्यक्ष, सीपीसीआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, विट्टल; श्री सदाशिव भट्ट, उप वन संरक्षक, पुत्तूर और श्री एम. दिनेश नायर, परामर्शक (ग्रीन बैल्ट), एम.एस.ई.जैड., मंगलौर, संसाधन व्यक्तियों में थे जिन्होंने "पौधा किस्म और कृषक संरक्षण अधिनियम, 2001", बागवानी फसलों में भौगोलिक संकेत, चावल, मसालों, काजू, नारियल, सुपारी और कोको, सौंदर्य तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वन प्रजातियों, औषधीय पौधों तथा पश्चिमी घाटों की लुप्तप्राय प्रजातियों पर व्याख्यान दिए।

8.39 तिलहन अनुसंधान निदेशालय (डीओआर), हैदराबाद

"पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण" पर जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम डीओआर, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद में 24 जनवरी 2013 को आयोजित किया गया। यह जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यतः पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों को प्रजनकों, किसानों व समुदायों के अधिकारों तथा तिलहनों पर डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों जन-सामान्य तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अंचल ट से आए केवीके कर्मियों सहित सरकारी तथा स्वयं सेवी संगठनों, निजी बीज कंपनी के प्रतिनिधियों और आंध्र प्रदेश के 5 जिलों नामतः महबूब नगर, कूरनूल, सांगारेड्डी, रांगारेड्डी और मेंढक से आए नवोन्मेषी/प्रगतशील किसानों सहित लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. एन. मूर्ति एनिसेट्टी, खाद्य एवं कृषि संगठन (संयुक्त राष्ट्र संघ) के पूर्व परामर्शक इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। अपने सम्बोधन में डॉ. मूर्ति ने पौधा किस्मों की सुरक्षा की संकल्पना तथा वैश्विक स्तर पर इसके प्रभावों के बारे में बताया।

इस जागरूकता कार्यक्रम में डॉ. के.एस. वाराप्रसाद (परियोजना निदेशक, डीओआर); डॉ. हरबीर सिंह, अध्यक्ष, फसल सुरक्षा (डीओआर); डॉ. सारथ बाबू, प्रधान वैज्ञानिक, एनबीपीजीआर क्षेत्रीय केन्द्र, हैदराबाद; डॉ. एल.बी. सुब्बाराव, प्रधान वैज्ञानिक, डीआरआर, हैदराबाद; डॉ. सी.लावण्य, प्रधान वैज्ञानिक और डॉ. मुख्तार, प्रधान वैज्ञानिक, डीओआर ने परिचर्चात्मक व्याख्यान दिए। इसके साथ ही "पौधा किस्म और कृषक संरक्षण अधिनियम, 2001" पर फिल्म जिसे पीपीवी

और एफआर प्राधिकरण ने तैयार किया था, दिखाई गई। किसान कृषक किस्मों की सुरक्षा तथा "पौधा किस्म और कृषक संरक्षण अधिनियम, 2001" के अंतर्गत कृषकों और समुदायों के अधिकारों के बारे में जानने को बहुत उत्सुक थे और उन्होंने अनेक ऐसे पशु पूछे जिनके उत्तर संसाधन व्यक्तियों ने दिए। डॉ. के.एस. वाराप्रसाद, परियोजना निदेशक, डीओआर ने किसानों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों को परामर्श दिया कि वे अपने द्वारा विकसित या अनुरक्षित सामग्री का पुनरावलोकन करें ताकि वे अपने हित के लिए अधिनियम के प्रावधानों से लाभ उठा सकें।

8.40 केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (सीएजैडआरआई), जोधपुर

दिनांक 18 फरवरी 2013 को सीएजैडआरआई के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें जैसलमेर के बाढ़मेर, पोखरण, चंदन आदि जैसे गांवों के 100 से अधिक किसानों तथा स्वयंसेवी संगठनों व कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

8.41 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, आईआईएचआर (भा.कृ.अ.प.), बंगलुरु

सारणी 44 : प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

दिनांक	कार्यक्रम	स्थान	प्रतिभागी
17 जुलाई 2012	घटना 1	आईआईएचआर, बंगलुरु	किसान-95, वैज्ञानिक-15, छात्र-3
22 जनवरी 2013	घटना 2	आईआईएचआर, बंगलुरु	एमएनसी बीज कंपनियां-45, किसान-6, राज्य कृषि विश्वविद्यालय-6, एसएयू-9, एसआरएफ/टीए-16
13 फरवरी 2013	घटना 3	केवीके, हिरेहल्ली	किसान-96 और वैज्ञानिक एस-15
27 फरवरी 2013	घटना 4	सीएचईएस, चेत्ताहल्ली	किसान-74, वैज्ञानिक-27, छात्र-13, विकास अधिकारी-10, तकनीकीविद-15

ये कार्यक्रम कृषकों की किस्मों के पंजीकरण, कृषकों के अधिकारों, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों और प्राधिकरण के क्रियाकलापों के बारे में स्टेकहोल्डरों तक सूचना पहुंचाने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए।

8.42 बीज अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (एसआरटीसी), राजेन्द्रनगर, हैदराबाद

दिनांक 23 फरवरी 2012 को सेमिनार कक्ष, आरएआरएस, तिरुपति में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 92 प्रतिभागियों में प्रगतशील किसान, स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. छात्र (आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन), एस.वी. कृषि महाविद्यालय, तिरुपति; दक्षिणी क्षेत्र के पादप प्रजनक; स्वयं सेवी संगठन; अनुसंधान अध्येताओं व वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं को शामिल किया गया। विशेष रूप से कृषकों के अधिकारों व पौधा किस्मों की सुरक्षा पर व्याख्या दिए गए। व्याख्यानों के जो विशिष्ट विषय थे, वे हैं : खेत फसलों में डीयूएस परीक्षण का महत्व, विकसित और विकासशील देशों में पौधों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार। ये व्याख्यान डॉ. एन.वी.नायडु, एसोसिएट डीन, एस.वी. कृषि महाविद्यालय, तिरुपति ने दिए। इसके अतिरिक्त 'पौधा किस्म और कृषक संरक्षण अधिनियम, 2001' (कृषक किस्मों सहित) के अंतर्गत किस्मों का पंजीकरण और डीयूएस परीक्षण के संदर्भ में आनुवंशिक शुद्धता के महत्व पर व्याख्यान डॉ. एल.वी. सुब्बाराव, प्रधान वैज्ञानिक (फसल सुधार प्रभाग), चावल अनुसंधान निदेशालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद ने दिए और कृषक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण बीज के उत्पादन व बीज उत्पादन में आनुवंशिक शुद्धता के महत्व पर डॉ. आर.पी. वसंती, प्रधान वैज्ञानिक (पादप प्रजनन), आर.ए.आर.एस., तिरुपति ने व्याख्यान दिया।



8.43 अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना (एआईसीपीएमआईपी), मंदौर, जोधपुर

पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा पर डीयूएस परीक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम एआईसीपीएमआईपी, मंदौर, जोधपुर में 28 सितम्बर 2012 को आयोजित किया गया जिसमें 15 वैज्ञानिकों/तकनीकी कर्मियों (12 सार्वजनिक, 3 निजी) को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार बाजरा के पर्यवेक्षण रिकॉर्डिंग का प्रयोगात्मक परीक्षण दिया गया।



8.44 भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (आईआईवीआर), वाराणसी

आईआईवीआर— केवीके, संत रविदास नगर (भदौली) में 16 मार्च 2013 को पहला प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम छात्रों, किसानों, केवीके के अधिकारियों और स्टाफ, राज्य कृषि विभागों के कार्मिकों व स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित किया गया। इसमें लगभग 134 प्रतिभागी मौजूद थे। डॉ. बी. सिंह (परियोजना समन्वयक,



एआईसीआरपी – वीसी, आईआईवीआर, वाराणसी); डॉ. आर. एन. प्रसाद (प्रधान वैज्ञानिक), डॉ. सुधाकर पाण्डे (वरिष्ठ वैज्ञानिक), डॉ. टी. चौबे (वरिष्ठ वैज्ञानिक), डॉ. शैलेश कुमार तिवारी (वैज्ञानिक), डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (परियोजना समन्वयक), श्री राजेन्द्र प्रसाद (सहायक निदेशक – कृषि), डॉ. संजय सिंह (डीएओ), श्री सुभाष कुमार (डीएचओ, भदौली), श्री रवि शंकर राय (बीडीओ, औरई, भदौई) ने व्याख्यान दिए।

दूसरा प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आईआईवीआर-केवीके, देवरिया में 25 मार्च 2013 को किसानों, छात्रों, केवीके के अधिकारियों व स्टाफ, राज्य सरकार के विभागों और स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के लाभ के लिए आयोजित किया गया और इसमें 140 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में डॉ. बी.सिंह (परियोजना समन्वयक, एआईसीआरपी-वीसी, आईआईवीआर, वाराणसी), डॉ. टी. चौबे (वरिष्ठ वैज्ञानिक), डॉ. अनुराधा रंजन कुमारी (परियोजना समन्वयक), डॉ. रजनीश मिश्रा (सहायक निदेशक, एनएचआरडीएफ, देवरिया), श्री रामानुज सिंह (एसडीएम), श्री जे.एम. श्रीवास्तव (सहायक निदेशक – कृषि), श्री अशरफी प्रसाद (डीएचओ, देवरिया) ने व्याख्यान दिए।

8.45 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), हैसरगट्टा, बंगलुरु

“पौधा किस्म और कृषक संरक्षण अधिनियम, 2001” पर जागरूकता कार्यक्रम तथा केपिसिकम एनम एल. (मिर्च, बैल पैपर और पैपरिका) तथा खीरा-ककड़ी वर्गीय सब्जियों (लौकी, करेला, तोरई, तरबूज, खरबूजा, कद्दू या सीताफल और खीरा-ककड़ी) पर डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के मसौदे हेतु चर्चा का आयोजन 20 फरवरी 2013 को किया गया। अनेक निजी बीज कंपनियों से आए लगभग 50 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। तरबूज और खरबूजा के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों का मसौदा प्रस्तुत किया गया तथा सुझाव प्राप्त किए गए।

8.46 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना

“पौधा किस्म और कृषक संरक्षण अधिनियम, 2001” पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के कृषि विज्ञान केन्द्र संगराला में 22 जनवरी 2013 को आयोजित किया गया। लगभग 100 किसानों, छात्रों तथा विस्तार कर्मियों ने इसमें भाग लिया। “पौधा किस्म और कृषक संरक्षण अधिनियम, 2001” पर एक अन्य

एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 जनवरी 2013 को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, गुरदासपुर में आयोजित किया गया जिसमें लगभग 100 किसानों ने भाग लिया। जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर पीएयू का नियमित हिस्सा हैं और इनके दौरान किसानों को पम्फलेटों के रूप में सूचना प्रदान की जाती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विश्वविद्यालय ने सितम्बर 2012 और मार्च 2013 में किसान मेले आयोजित किए जिनमें वैज्ञानिक समुदायों, फील्ड स्टाफ तथा किसानों के लिए बीजोत्पादन जैसे विभिन्न विषयों पर अल्पकालीन प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

8.47 महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ (एमपीकेवी), राहुड़ी

“पौधा किस्म और कृषक संरक्षण अधिनियम, 2001” पर एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम 16 मार्च 2013 को वैज्ञानिकों और किसानों के लिए एमपीकेवी, राहुड़ी में आयोजित किया गया। माननीय कुलपति डॉ. टी.ए. मोरे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। पीपीवी और एफआर अधिनियम व पौधा किस्मों के पंजीकरण, किस्मों के पंजीकरण के लिए क्रियाविधियों, लाभ में भागीदारी की प्रक्रिया, किसानों तथा अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों व डीयूएस परीक्षण से संबंधित व्याख्यान डॉ. एच.एस.चावला, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर व डॉ. एफ.बी. पाटिल, निदेशक, कीर्तिमान सीड्स, औरंगाबाद एवं पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के पूर्व सदस्य ने दिए। कुल 19 किसानों सहित 131 वैज्ञानिकों ने इस प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।

8.48 केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान (सीआईएएच), बीकानेर

पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित “पौधा किस्म और कृषक संरक्षण अधिनियम, 2001” पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 18 मार्च 2013 को बीछवाल परिसर में किया गया। किसानों, छात्रों, विस्तारकर्मियों, राज्य सरकार के अधिकारियों, अम्बुजा फाउंडेशन (एनजीओ) के प्रतिनिधियों, मारवाड़ मुण्डावा, नागौर; नौहार, हनुमानगढ़, अनूपनगर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों के प्रगतशील किसानों; महाविद्यालय, बीकानेर के कृषि छात्रों; एस.के.आर. ए.यू. बीकानेर के स्नातकोत्तर व पीजी छात्रों, एआईबीएम छात्रों, अनुसंधान अध्येताओं, अध्यापकों, सीआईएएच से आए वैज्ञानिकों, केन्द्रीय राज्य फार्म, तेजसर, श्री गंगानगर तथा

अनेक महिलाओं सहित 100 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

आरंभ में, डॉ. आर.एस.सिंह, प्रधान वैज्ञानिक ने "पौधा किस्म और कृषक संरक्षण अधिनियम, 2001" के बारे में किसानों के बीच जागरूकता सृजित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. एन.वी. पाटिल, निदेशक, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। डॉ. एस.के.शर्मा, निदेशक, सीआईएएच, बीकानेर ने सम्माननीय अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डॉ. पाटिल ने अपने उद्घाटन भाषण में किसानों के अधिकारों की सुरक्षा की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। डॉ. एस.के.शर्मा, निदेशक, सीआईएएच ने अपने मुख्य व्याख्यान में पौधा किस्मों और प्रजनकों के अधिकारों व किसानों के अधिकारों की सुरक्षा, जननद्रव्य व पुराने कृषक किस्मों के महत्व व टिकाऊ उपयोग के लिए उनके संरक्षण पर बल दिया। डॉ. बी.डी.शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

विषय से संबंधित अनेक तकनीकी सत्र आयोजित किए गए तथा कृषकों के अधिकार, पौधा किस्मों की सुरक्षा, प्रजनकों के अधिकार, पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 शुष्क बागवानी के परिदृश्य व डीयूएस परीक्षण पर विभिन्न संसाधन व्यक्तियों ने व्याख्यान दिए। कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. जे.पी.सिंह, अध्यक्ष, सीएसजैडआरआई, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, जैसलमेर, राजस्थान द्वारा जैव-विविधता के संरक्षण में किसानों की भूमिका पर दिए गए व्याख्यान से हुई। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से थार रेगिस्तान में किसानों द्वारा सम्पन्न किए जा रहे संरक्षण के प्रयासों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जिनसे प्रतिबल सहिष्णुता के लिए जीनों के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में मूल्यवान जननद्रव्य को संरक्षित करने में सहायता मिली। इसके पश्चात् सीआईएएच, बीकानेर के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. आर.भार्गव ने बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर एक व्याख्यान दिया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की बौद्धिक सम्पदाओं जैसे साहित्यिक कार्य, पेटेंटों, डिज़ाइनों, ट्रेड मार्को आदि के कॉपीराइट की चर्चा की और बताया कि किस प्रकार कोई व्यक्ति अपने अधिकार का दावा कर सकता है। कुछ उदाहरण भौगोलिक संकेतकों के रूप में उत्पादों को बेचने तथा पंजीकरण द्वारा उन्हें सुरक्षित करने से भी संबंधित थे।

डॉ. आर.एस. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक और नोडल अधिकारी, खजूर ताड़ ने "पौधा किस्म और कृषक संरक्षण

अधिनियम, 2001" पर वार्ता प्रस्तुत की और किसानों को उनके अधिकारों पर पीपीवी और एफआर नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई फिल्म दिखाई गई। किसानों और छात्रों के साथ हुई चर्चा के साथ उन्होंने पीपीवी और एफआर के क्रियाकलापों और इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रतिभागियों द्वारा अधिकांशतः अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए और उनकी संकायों का समाधान किया। डॉ. बी. डी. शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक ने शुष्क क्षेत्र बागवानी के परिदृश्य को प्रस्तुत किया। डॉ. हरे कृष्ण, वरिष्ठ वैज्ञानिक ने किसानों के अधिकारों के संदर्भ में डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों पर वार्ता प्रस्तुत की। अपने प्रस्तुतीकरण में उन्होंने प्रजनकों और किसानों द्वारा विकसित किस्मों की सुरक्षा के लिए डीयूएस परीक्षण की प्रासंगिकता पर प्रश्न डाला। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सीआईएएच पर एक फिल्म भी प्रतिभागियों को दिखाई गई, ताकि वे संस्थान के अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रियाकलापों से परिचित हो सकें।

प्रतिभागियों/प्रशिक्षणार्थियों/किसानों के लिए डॉ. एस. के. महेश्वरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक ने संस्थान के संग्रहालय तथा प्रायोगिक ब्लॉकों/नर्सरी के भ्रमण की व्यवस्था की। एक प्रगतशील किसान, नौहार, हनुमानगढ़ ने एलोवेरा की खेती, जैविक खेती तथा विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों की खेती के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। संसाधन व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराए गए व्याख्यानों/सामग्री पर हिन्दी भाषा में तैयार किया गया बुलेटिन व पीपीवी और एफआर प्राधिकरण का एक ब्रॉशर प्रशिक्षणार्थियों/प्रतिभागियों को निःशुल्क बांटा गया। डॉ. मनोज श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार, पीपीवी और एफआर, नई दिल्ली ने 21 सितम्बर 2012 को बीकानेर का दौरा किया तथा सीआईएएच, बीकानेर में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी की।

निदेशक, सीआईएएच ने 19-20 फरवरी 2013 को सीआईएएच, बीकानेर में सहयोगी केन्द्रों के प्रधान अन्वेषकों की एक बैठक भी आयोजित की तथा परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया।

8.49 केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (सीटीसीआरआई), क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर

'संरक्षण आधारित समुदाय पर लिंग संवेदी जागरूकता कार्यक्रम जो कंद फसलों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व परिरक्षण पर आधारित था तथा आजीविका सुरक्षा के लिए पौधा किस्मों की सुरक्षा' विषय पर एक दिवसीय

प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर के क्षेत्रीय केन्द्र तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से 15 मार्च 2013 को सीटीसीआरआई, भुवनेश्वर के क्षेत्रीय केन्द्र में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों, प्रजनकों, अनुसंधानकर्ताओं और विशेष रूप से खेतिहर महिलाओं के बीच प्रमुख खाद्य फसलों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व उनकी सुरक्षा तथा कृषकों के अधिकारों और लिंग संवेदीकरण विशेष रूप से, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने व सांस्कृतिक स्तर को बढ़ाने में कंद फसलों के आनुवंशिक साधनों के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करना था। लगभग 120 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। ये प्रतिभागी ओडिशा के विभिन्न भागों से आए थे और इनमें 79 महिला प्रतिभागी थीं।

डॉ. डी.पी. रे, पूर्व कुलपति, उडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई प्राधिकरण के क्रियाकलापों से संबंधित एक सीडी का प्रदर्शन आरंभ करके की।

8.50 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा अनेक जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 व डीयूएस परीक्षण की उपयोगिता के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 300 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों, समुदायों व अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों, राष्ट्रीय जीन निधि व लाभ में भागीदारी, किस्मों के पंजीकरण, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

8.5.1 केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (सीटीसीआरआई), श्रीकारियम, तिरुअनंतपुरम, केरल

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण तथा केरल सरकार के कृषि विभाग के डब्ल्यूटीओ कोष्ठ ने पीपीवी और एफआर अधिनियम तथा किसानों के अधिकारों के बारे में किसानों, वैज्ञानिक समुदाय और सिविल सोसायटियों को प्रेरित तथा शिक्षित करने के लिए 20 नवम्बर 2012

को सीटीसीआरआई ने राज्य स्तर की एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्घाटन केरल के माननीय कृषि मंत्री ने किया जिन्होंने परंपरागत किस्मों के संरक्षण के महत्व, केरल सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक स्कीमों के महत्व पर बल दिया। डॉ. एस.के.चक्रबोर्ती, निदेशक, सीटीसीआरआई ने संस्थान द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया तथा केरल में जैव-विविधता के संरक्षण के महत्व के बारे में बताया। तकनीकी प्रस्तुतीकरण के अंतर्गत "पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001"; वैधानिक प्रावधानों, कृषकों के अधिकारों आदि का एक संक्षिप्त सिंहावलोकन प्रस्तुत किया गया। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के महापंजीकार डॉ. आर.सी.अग्रवाल ने अधिनियम के लाभदायक प्रावधानों, पीजीएससी पुरस्कार, किसानों के लिए सम्मान तथा संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। प्राधिकरण को कार्यशाला के प्रतिभागियों और विशेष रूप से पड़ोसी क्षेत्र से आए किसानों की उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई जिन्होंने इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में गहन रुचि प्रदर्शित की।



9. प्राधिकरण के सामान्य क्रियाकलाप

9.1 प्राधिकरण का स्थापना दिवस

प्राधिकरण का आठवां स्थापना दिवस 12 नवम्बर 2012 को समिति कक्ष III, नास (एनएएससी परिसर), नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आरंभ में डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार ने स्थापना दिवस पर अधिकारियों व स्टाफ का स्वागत किया तथा उन्हें विशेष रूप से पिछले एक वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा की गई प्रगति के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. पी.एल.गौतम ने प्राधिकरण के स्टाफ को सम्बोधित किया तथा उन्हें प्राधिकरण की प्रगति के लिए उनके द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए बधाई दी। उन्होंने स्टाफ से प्राधिकरण की आगामी प्रगति तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर दल के रूप में कार्य करने की अपील की। उन्होंने 1-30 सितम्बर 2012 को आयोजित हिन्दी चेतना मास के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए।



9.2 प्राधिकरण का सतर्कता जागरूकता सप्ताह

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने 29 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. पी.एल. गौतम ने अपने मुख्य व्याख्यान में प्राधिकरण के अधिकारियों व स्टाफ को कर्तव्यनिष्ठा व इमानदारी से कार्य करने का परामर्श दिया। उन्होंने सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में कार्यों को निपटाने की अपील की। डॉ. आर.सी.अग्रवाल, महा पंजीकार ने भी उपस्थित जनों को

सम्बोधित किया और प्राधिकरण की भावी प्रगति के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दल के रूप में एकजुट होकर कार्य करने की स्टाफकर्मियों व अधिकारियों से अपील की। डॉ. मनोज श्रीवास्तव, डॉ. तेजवीर सिंह और डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार एवं अन्य अधिकारियों व स्टाफ इस अवसर पर उपस्थित थे तथा अध्यक्ष ने उन्हें एक सादे समारोह में ईमानदारी के साथ कार्य करने की शपथ दिलाई।



9.3 सरकारी कामकाज में हिन्दी के उपयोग की प्रगति

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में 1-30 सितम्बर 2012 को हिन्दी चेतना मास का आयोजन किया गया। जैव-विविधता पर निबंध लेखन, कविता लेखन और हिन्दी में टिप्पण व मसौदा लेखन पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें प्राधिकरण के कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेताओं को पुरस्कार व सराहना प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए जो इस प्रकार हैं :

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पुरस्कार और सराहना प्रमाण-पत्र	पुरस्कार
1.	डॉ. डी.एस. पिलानिया,	प्रमाण-पत्र	500/-रु. नकद
2.	श्री श्याम नारायण प्रसाद,	प्रमाण-पत्र	300/-रु. नकद
3.	श्री नीतेश वर्मा, कम्प्यूटरस	प्रमाण-पत्र	200/-रु. नकद
4.	श्रीमती सुदेश, कार्यालय सहायक	प्रमाण-पत्र	100/-रु. नकद
			प्रथम पुरस्कार
			द्वितीय पुरस्कार
			तृतीय पुरस्कार
			चतुर्थ पुरस्कार

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पुरस्कार और सराहना प्रमाण-पत्र	पुरस्कार
5.	श्री राजगणेश, विधि सहायक	प्रमाण-पत्र	75/-रु. नकद
6.	श्री संजय गुप्ता, कम्प्यूटर सहायक	प्रमाण-पत्र	75/-रु. नकद
7.	श्री पी.के.छावड़ा, परामर्शक	प्रमाण-पत्र	75/-रु. नकद

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. पी. एल. गौतम ने प्राधिकरण के अधिकारियों की उपस्थिति में विजेताओं को पुरस्कार व सराहना प्रमाण-पत्र प्रदान किए।

9.4 शाखा कार्यालय, गुवहाटी

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के शाखा कार्यालय ने गुवहाटी में असम कृषि विश्वविद्यालय, एएयू खानपाड़ा, गुवहाटी के परिसर में 20 मई 2011 से कार्य करना प्रारंभ किया था। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट के बीच एक समझौते के करार पर हस्ताक्षर किए गए और कार्यालय को 5 मार्च 2012 को नए परिसर में हस्तांतरित किया गया। यह कार्यालय अब सभी सुविधाओं सहित पूर्णतः कार्य कर रहा है। शाखा कार्यालय का उद्घाटन श्री नील मणि सेन डेका, माननीय कृषि एवं बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण व संसदीय मामले मंत्री, असम सरकार ने 15 नवम्बर 2012 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. पी.एल. गौतम व प्राधिकरण के महापंजीकार डॉ. आर.सी.अग्रवाल तथा असम कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉ. एम.के. बुजरबरवा की उपस्थिति में किया। इस समारोह के पश्चात् पणधारियों के साथ एक परिचर्चा बैठक आयोजित



की गई जिसमें वैज्ञानिकों, विधायी अधिकारियों, अनुसंधान निदेशक, विस्तार निदेशक, असम कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य वैज्ञानिकों, असम सरकार के कृषि एवं बागवानी अधिकारियों, भा.कृ.अ.प., वैज्ञानिकों व किसानों सहित लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पंजीकरण हेतु 121 आवेदन प्राप्त हुए तथा प्रारंभिक जांच के बाद इन्हें अगली कार्रवाई के लिए मुख्यालय भेजा गया। एएयू, जोरहट में खरीफ 2012 के दौरान चावल की 11 किस्मों पर ग्रीनहाउट परीक्षण किए गए तथा 19 नवम्बर 2012 को इनकी निगरानी की गई। चाय, बांस तथा ऑर्किड पर डीयूएस विवरण तैयार करने के लिए कार्यदल की बैठक में शाखा कार्यालय ने प्रतिनिधित्व किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें डॉ. ए.सी.शर्मा, उप पंजीकार तथा डॉ. अमित दीक्षित, पादप किस्म परीक्षक ने भाग लिया। इनका विवरण इस प्रकार है :

- उप पंजीकार ने कामरूप जिले के कृषि अधिकारियों की बैठक में भाग लिया। यह बैठक एडीओ की मासिक बैठकों के क्रम में 2 जून 2012 को आयोजित हुई थी। इस बैठक में उन्हें "पौधा किस्म और कृषक संरक्षण अधिनियम, 2001" के प्रावधानों व कृषकों के अधिकारों से अवगत कराया गया।
- उप-पंजीकार ने पादप किस्म मूल्यांकनकर्ता के साथ 4 जून 2012 को सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र, लिछुबाड़ी में कृषि विभाग की मासिक आंचलिक कार्यशाला में भाग लिया और "पौधा किस्म और कृषक संरक्षण अधिनियम, 2001" व पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों के महत्व के बारे में चर्चा की। बुराकुरी गांव के ज्ञानदीप पुस्तकालय में 5 जून 2012 को एक कृषक बैठक का आयोजन किया गया।
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों को 13 जून 2012 को एएयू, खानपाड़ा में आयोजित अभिमुखन बैठक में सम्बोधित किया तथा कृषक अधिकारों के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। केवीके, टेओक (जोरहट) में 27 दिसम्बर 2012 को एक अन्य कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने पर चर्चा करने के लिए 23 जून 2012 को केन्द्रीय कृषि

विश्वविद्यालय, सीएयू, इम्फाल का दौरा किया तथा डॉ. जे.एम. लेइशराम, अध्यक्ष, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग; डॉ. एन.आई.सिंह, डीन कृषि महाविद्यालय, सीएयू, इम्फाल; और डॉ. पी. देवकांत, अध्यक्ष, आल मणिपुर ट्रेड, मेडिशनल एंड एरोमेटिक प्लांट, प्रमोटर्स कंसोर्टियम के साथ इस विषय पर चर्चा की।

- केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल में 19 दिसम्बर 2012 को आयोजित उस एक दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया जिसमें लगभग 100 किसान और वैज्ञानिक उपस्थित थे।
- उप पंजीकार को 1-19 अक्टूबर 2012 को हैदराबाद में जैव-विविधता के संरक्षण के पक्षों (सीओपी 11) पर आयोजित 11वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए हैदराबाद में प्रतिनियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त उप पंजीकार एवं पीवीई ने साल्ट लेक, कोलकाता में 3-7 जनवरी 2013 को आयोजित 100वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भाग लिया और पोस्टरों तथा चार्टरों के माध्यम से प्राधिकरण की गतिविधियों को प्रदर्शित किया।
- उप पंजीकार, गुवहाटी तथा पौधा किस्म परीक्षक, गुवहाटी शाखा कार्यालय ने 3-7 जनवरी 2013 को साल्ट लेक, कोलकाता में आयोजित 100वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भाग लिया। प्राधिकरण ने इस मंच का उपयोग चार्टों, पोस्टरों, वीडियो, श्रव्य डाक्यूमेंटरी के माध्यम से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को प्रदर्शित करने



तथा छात्रों और सामान्य व्यक्तियों सहित सिविल सोसायटियों को अधिनियम के बारे में शिक्षित करने के लिए किया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के स्टाल को देखा और इस क्षेत्र में अपनी गहन रुचि प्रदर्शित की।

9.5 शाखा कार्यालय, रांची

शाखा कार्यालय, रांची को उप रजिस्ट्रार (डॉ. मनोज कुमार), पादप किस्म परीक्षक (डॉ. एस.पी.यादव) और वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (डॉ. पद्मनी दास) के पदों पर कांट्रेक्टचुअल अधिकारियों के रूप में नियुक्त करके 1 अप्रैल 2012 में कार्यशील बनाया गया।



यह शाखा कार्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची के कम्प्यूटर केन्द्र ईमारत परिसर में स्थित है। इस कार्यालय का उद्घाटन डॉ. एस.के.दत्ता, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भा.कृ.अ.प. ने डॉ. एम.पी.पाण्डे, कुलपति, बी.ए. यू. और डॉ. आर.सी.अग्रवाल, महा पंजीकार, पीपीवी और एफआरए प्राधिकरण की उपस्थिति में 4 अगस्त 2012 को किया। शाखा कार्यालय के अधिकारियों को मुख्यालय द्वारा ये निर्देश दिया गया कि वे पीपीव और एफआर अधिनियम, कृषकों के अधिकारों, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों, प्रतिदानों तथा सम्मानों, कृषक किस्मों आदि के पंजीकरण के बारे में सूचना के प्रसार-प्रचार के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में विभिन्न विभागों/संगठनों/एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, संगोष्ठियों व किसान मेलों में भाग लें। कार्यालयों का विवरण निम्नानुसार है :

- रांची शाखा कार्यालय के अधिकारियों ने शाखा कार्यालय, गुवहाटी में 1-5 मई 2012 को ऑर्किड के कार्यबल की बैठक में भाग लिया।

- शाखा कार्यालय के अधिकारियों ने निदेशक (अनुसंधान) तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सैबोर (बिहार) के साथ जुलाई 2012 में आयोजित एक बैठक में भाग लिया।
- बीसीकेवी, कल्याणी (पश्चिमी बंगाल) का दौरा किया तथा निदेशक (अनुसंधान) तथा विभिन्न विषयों पर कार्य कर रहे वैज्ञानिकों के साथ एक बैठक आयोजित की और परवल तथा पान-सुपारी पर डीयूएस परियोजनाओं के प्रधान अन्वेषक से मुलाकात की।
- जीओएनटीआरए सम्बाया कृषि उद्यान समिति लिमिटेड जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक कृषक सहकारी समिति है, का दौरा किया। यह संस्था चावल की लगभग 150 लोक भू-प्रजातियों का संरक्षण कर रही है।
- आईजीकेवी, रायपुर द्वारा 6-9 अक्टूबर 2012 को आयोजित किसान मेले में भाग लिया।
- निदेशक, सीएआरआई के साथ बैठक आयोजित करने के लिए केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई), गाराचारमा, दक्षिणी अण्डमान, पोर्ट ब्लेयर का दौरा किया तथा सीएआरआई के खेतों के साथ-साथ किसानों के खेतों को भी देखा। कृषि विभाग के अधिकारियों व किसानों के समक्ष "पौधा किस्म और कृषक संरक्षण अधिनियम, 2001" पर एक प्रस्तुतीकरण भी दिया गया।
- बीएयू, रांची, झारखण्ड द्वारा 22-24 फरवरी 2013 को आयोजित पूर्वांचल क्षेत्र अनुसंधान मेले व एग्रोटेक-2013, किसान मेले में भाग लिया। इस मेले का मुख्य विषय 'गौण कृषि के माध्यम से बेहतर आजीविका सुरक्षा एवं आय सुनिश्चित करना' था।



शाखा कार्यालय के रांची में खुलने के बाद वर्ष के दौरान लगभग 15 जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए तथा किसानों को उनकी किस्मों के पंजीकरण के उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। विभिन्न फसलों के पंजीकरण के लिए लगभग 161 आवेदन प्राप्त हुए।

9.6 पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की बैठक

बैठक	दिनांक	स्थान
प्राधिकरण की 16वीं बैठक	23 मई 2012	एनएएससी परिसर, नई दिल्ली
प्राधिकरण की 17वीं बैठक	19 अक्टूबर 2012	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

9.6.1 बैठकों के दौरान प्राधिकरण द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय

- प्राधिकरण ने पंजीकरण के लिए ऑर्किडों नामतः कैम्बीडियम एसडब्ल्यू, डैड्रोबियम एसडब्ल्यू और वेंडाजॉस ईएक्सआर के तीन वंशों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया (एसओ संख्या 617(ई) दिनांक 27 मार्च 2012)
- विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित अदालत के मुकदमों की स्थिति को अद्यतन करने के लिए (माननीय सर्वोच्च न्यायालय – भारत– 04, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय,– 09 और माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय – 07) उनकी निगरानी की और प्रभावी परामर्श दिए।
- पीपीवी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना तक पंजीकार तथा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के संबंध में अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड के प्रावधानों को लागू करने की प्रगति को अद्यतन किया।
- प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार दिए गए तथा 2011-12 के लिए पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों के लिए पात्र आवेदकों व आवेदनों की सूची को अंतिम रूप दिया।
- स्वस्थाने और बर्हिस्थाने पादप आनुवंशिक संसाधनों (पीजीआर) के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग में सहायता के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए और बीएमसी के माध्यम से पंचायतों के क्षमता

निर्माण को सबल बनाने के लिए भी दिशानिर्देश दिए। इस संदर्भ में प्राधिकरण की वित्तीय सहायता का भी लाभ उठाया गया।

- प्राधिकरण के पोर्टल के विकास व पंजीकरण हेतु आवेदनों को ऑन-लाइन दाखिल करने के लिए एनआईसीएसआई के पैनल में मौजूद फर्म सहारा नेक्स्ट द्वारा कार्रवाई को करके पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में ई-शासन का कार्यान्वयन किया गया।
- प्राधिकरण के विभिन्न रिक्त पदों पर चयन किया गया जैसे डॉ. रबी प्रकाश, पंजीकार, मुख्यालय; डॉ. मनोज कुमार, उप-पंजीकार, रांची; डॉ. एस.पी. यादव और डॉ. अमित दीक्षित, पादप किस्म परीक्षक, रांची और गुवहाटी; डॉ. पद्मनी दास और श्रीमती शप्तद्वीप भट्टाचार्य, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, रांची और गुवहाटी। ये सभी अधिकारी, डॉ. रवि प्रकाश, रजिस्ट्रार को छोड़कर समाहन के आधार पर अल्पावधि के कांट्रैक्ट पर चुने गए हैं।
- डीयूएस परीक्षण शुल्क को जारी करने व उसके लेखे की क्रियाविधि।
- विद्यमान किस्म विमोचन समिति (ईवीआरसी) की अनुशंसाएं।
- प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए वर्ष 2011-12 के लिए प्राधिकरण के वार्षिक खातों की स्वीकृति तथा संसद में प्रस्तुत किए जाने के लिए उसे कृषि एवं सहकारिता विभाग को अग्रेषित करना।
- श्रीमती नीलम त्यागी, सचिव, लक्ष्मीजन कल्याण सेवा समिति, मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को महिलाओं के संगठन के प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकरण के सदस्य के तौर पर व डीबीटी के प्रतिनिधि डॉ. के.एस.चरक को पदेन प्रतिनिधि के रूप में डॉ. नतेश के स्थान पर पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में नामित करना।
- वार्षिक एवं नवीकरण शुल्क की अदायगी के लिए किसानों को छूट देने पर विचार करने हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग को प्रस्ताव की अनुशंसा करना।

- अधिनियम की धारा 27 के अनुसार बीज जीन बैंक के संबंध में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण तथा एनबीपीजीआर के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन का अवलोकन करना।
- प्राधिकरण के मुख्यालय, अपीलीय न्यायाधीकरण, राष्ट्रीय जीन बैंक और पौधा किस्म रजिस्ट्री के लिए और इसके साथ ही राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण व कृषि एवं सहकारिता विभाग को वांछित स्थान उपलब्ध कराने के लिए पीपीवी और एफआर भवन का निर्माण।
- संयुक्त पंजीकार, उप-पंजीकार व वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों की स्थायी नियुक्तियों के लिए प्रत्याशियों के अनुरोध पर विचार करना।

9.7 प्राधिकरण भवन का निर्माण

राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण, कृषि एवं सहकारिता विभाग और पीपीवी एवं एफआर की स्थान संबंधी आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की गई और यह स्वीकृत किया गया कि 4 स्टार ग्रीन रेटिंग सहित बेसमेंटों में जी+8 का प्रावधान होगा। निर्माण के लिए संशोधित आकलन आवश्यक स्वीकृति हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग को प्रस्तुत किए गए हैं। इमारत में मौजूद 8 दलों में से 5 तल केवल पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के होंगे जो पूर्व अनुमोदित ड्राइंग में दिए गए विवरण के अनुसार हैं। छठे तल पर कृषि एवं सहकारिता विभाग का कार्यालय होगा तथा 7वां और 8वां तल राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण के लिए होगा। वास्तुकार द्वारा राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण और कृषि व सहकारिता विभाग के परामर्श से तैयार किए गए ले-आउट डिजाइन का मसौदा प्रस्तुत किया गया।

9.8 स्टाफ कल्याण तथा समाचार

- डॉ. सुशील कुमार, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी को एसकेआरए विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान) में सहायक प्राध्यापक (बागवानी) के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए 13 अप्रैल 2012 को कार्यमुक्त किया गया।
- श्री राजीव तलवार, वरिष्ठ लेखाधिकारी को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली में वरिष्ठ वित्त

अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए 30 अप्रैल 2012 को कार्यमुक्त किया गया।

- सुश्री ज्योति, कम्प्यूटर सहायक को वायु सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए 30 अप्रैल 2012 को कार्यमुक्त किया गया।
- डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार ने 15 मई 2012 को प्राधिकरण में पदभार ग्रहण किया।
- डॉ. पी.एल.गौतम, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआरए 11 दिसम्बर 2012 को अपने पद के कार्यभार से मुक्त हुए।

9.9 डॉ. पी.एल.गौतम, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआरए की भागीदारी

- बायो-पायरेसी को रोकने के लिए 4 अप्रैल 2012 को गोलमेज बैठक में भाग लिया तथा 'जैव विविधता तथा परंपरागत ज्ञान को बचाने के लिए संस्थाएं और उपाय' विषय पर सत्र की अध्यक्षता की।
- परिनगरीय तथा नगरीय कृषि पर एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली में 14 अप्रैल 2012 को आयोजित विचारोत्तेजन सत्र में भाग लिया।
- जैव-विविधता नीति एवं विधि केन्द्र (सीईबीपीओएल), का शुभारंभ किया जिसके पश्चात् 24 अप्रैल 2012 को चैन्नई में 'जैव-विविधता तथा शासन' पर संगोष्ठी में भाग लिया।
- एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली में 25 अप्रैल 2012 को जलवायु समुत्थानशील कृषि पर विचारोत्तेजक सत्र में भागीदारी।
- ओडिशा कृषि विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में 28-31 मई 2012 को आयोजित खाद्य, पोषणिक एवं आजीविका सुरक्षा विकल्प के लिए बागवानी पर वैश्विक सम्मेलन में सहभागिता।
- एनएएससी सम्मेलन कक्ष, नई दिल्ली में 2 जुलाई 2012 को उच्च कृषि शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति के संबंध में आयोजित बैठक में एक सत्र की अध्यक्षता की।

- एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 16 जुलाई 2012 को भा.कृ.अ.प. के 84वें स्थापना दिवस एवं पुरस्कार समारोह में भागीदारी।
- उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवोन्मेष (सैंसिस्ट) के राष्ट्रीय सचिवालय में प्रतिनिधित्व तथा वहां के अध्यक्ष के साथ 23 जुलाई 2012 को एक सौहार्द वार्ता।
- एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली में 21-22 अगस्त 2012 को 'नॉलेज मीट' में भागीदारी।
- कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा, जयपुर में 25 अगस्त 2012 को अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार परियोजना कार्यशाला में भागीदारी।
- सॉइल कंजर्वेशन सोसायटी ऑफ इंडिया, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 27 अगस्त 2012 को भारत में कृषि एवं जैविक खेती समूह की कार्यशाला में भागीदारी।
- एनएएससी सम्मेलन कक्ष में 10 सितम्बर 2012 को "कृषि के बहु-कार्यशील पहलुओं का उपयोग" विषय पर परिचर्चात्मक संवाद।
- अधीनस्थ विधान समिति, राज्य सभा - 19 अक्टूबर 2012 को संसद भवन, नई दिल्ली में "पीपीवी और एफआरए अधीनस्थ विधान का गठन"
- दिनांक 27 अक्टूबर 2012 को एनएएससी सम्मेलन कक्ष में अनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य बैठक में भागीदारी।

9.10 महा पंजीकार द्वारा भागीदारी

9.10.1 विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बैठक

- आईएनआईए, मुख्यालय, मैड्रिड, स्पेन में 24-26 अप्रैल 2012 को पीजीआरएफए संरक्षण के लिए उच्च स्तर के संकेतों तथा खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों हेतु द्वितीय वैश्विक कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए संकेतों तथा रिपोर्टिंग फार्मेट पर तकनीकी परामर्श की एक बैठक में भाग लिया।
- दिनांक 11 जुलाई 2012 को द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों के कार्यान्वयन

के संबंध में नीदरलैण्ड के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक। इसके पश्चात् 16 जुलाई 2012 को नीदरलैण्ड में प्रस्तावित भारतीय प्रतिनिधि मंडल के संबंध में डीयूएस केन्द्र हेतु नोडल अधिकारियों के साथ एक तैयारी बैठक में भाग लिया।



- डच प्रतिनिधि मण्डल ने 3-7 सितम्बर 2012 को भारत का दौरा किया।

9.10.2 अन्य बैठकें

- 1) "बायो-पायरेसी को रोकना : परंपरागत ज्ञान की सुरक्षा पर" इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मैक्स मुलर रोड, नई दिल्ली में आयोजित गोलमेज बैठक
- 2) इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इन्फोर्मेशन प्रोसेसिंग (आईएफआईपी) तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा 16-18 अप्रैल 2012 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली, भारत में आयोजित पांचवां विश्व आईटी फोरम (डब्ल्यूआईटीएफओआर 2012)।
- 3) उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, उमियम, शिलांग, मेघालय में 10-13 मई 2012 को "पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भारत के लिए पादप आनुवंशिक अनुसंधान" पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।
- 4) एनबीए, चैन्नई में 19-20 जून 2012 को कृषि जैव-विविधता पर विशेषज्ञता समिति की दूसरी बैठक।
- 5) एसएमटीए पर तदर्थ परामर्शदायी तकनीकी समिति तथा आईटीपीजीआरएफए की बहुपक्षीय प्रणाली पर 26-28 जून 2012 को आयोजित तीसरी बैठक।



- 6) क्षमता निर्माण पर आईटीपीजीआरएफए की विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 30 जून - 1 जुलाई 2012 को आयोजित कार्यशाला।
- 7) शाखा कार्यालय के लिए कार्यालय स्थान की उपलब्धता के बारे में चर्चा करने के लिए केरल सरकार के कृषि मंत्री से मिलने हेतु 12-13 जुलाई 2012 को तिरुवनंतपुरम का दौरा।
- 8) एनएसएस परिसर, नई दिल्ली में 30 जुलाई 2012 को आयोजित "राष्ट्रीय जैव-विविधता लक्ष्यों का निर्धारण" विषय पर राष्ट्रीय परामर्श।
- 9) कृषि एवं सहकारिता विभाग, एनएसएआई और जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फूड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जर्मन एसोसिएशन प्लांट ब्रीडर्स के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर 11 सितम्बर 2012 को कृषि भवन में बैठक।
- 10) आंध्र प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी (एपीएसएससीए), हैदराबाद में ओईसीडी किस्मीय प्रमाणीकरण प्रणाली पर 27-28 सितम्बर 2012 को जागरूकता कार्यशाला।
- 11) जर्मनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर 5 नवम्बर 2012 को कृषि भवन में बैठक।
- 12) किस्मों की पहचान व उन्हें जारी किए जाने के लिए विद्यमान क्रियाविधियों, दिशानिर्देशों एवं मानदंडों की जांच के लिए बैठक
- 13) तिरुवनंतपुरम, केरल में 19-21 नवम्बर 2012 को पीपीवी और एफआर अधिनियम पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।
- 14) ओयूएटी, भुवनेश्वर, ओडिशा में 30 नवम्बर 2012 को वैज्ञानिकों-किसानों के बीच परिचर्चा बैठक।

- 15) दिल्ली हार्ट, आईएनए में 14 दिसम्बर 2012 को "उत्तर पूर्व में जैविक उत्पादों की क्षमता" पर गोलमेज सम्मेलन।
- 16) चिकित्सीय एवं औषधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, बोरियाबी, आनंद, गुजरात में "ग्रामीण विकास एवं सम्पन्नता के लिए चिकित्सीय एवं सगंधीय पौधों का समेकन" विषय पर 22-23 जनवरी 2013 को दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन।
- 17) नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 7-8 फरवरी 2013 को लीला होटल, गुड़गांव में बीजों संबंधी विनियमों पर पैनल चर्चा।
- 18) यूएएस, धारवाड़ में 16-17 फरवरी 2013 को राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला व प्रशिक्षण
- 19) कृषकों के अधिकारों के संबंध में 13 मार्च 2013 को खेरा ग्राम, बागपत, उत्तर प्रदेश का दौरा।
- 20) जीन बैंक तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम के बारे में 18 मार्च 2013 को एनबीपीजीआर में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम।
- 21) इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली में 19 मार्च 2013 को बीसीआईएल और डीबीटी द्वारा पीपीवी और एफआर अधिनियम पर जागरूकता कार्यशाला।

10. अंतरराष्ट्रीय सहयोग

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने दिसम्बर 2011 में पौधा किस्मों की सुरक्षा, डीयूएस परीक्षण तथा प्रजनकों के अधिकारों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए नीदरलैंड्स के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में डॉ. तेजबीर सिंह, पंजीकार, पीपीवी और एफआरए ने 18-29 जून 2012 को नीदरलैंड में आयोजित 15वें पौधा किस्म सुरक्षा पाठ्यक्रम में भाग लिया। यह पाठ्यक्रम डीयूएस परीक्षण के लिए कार्यविधियों को सीखने, आईपीआर, पुष्पों के निर्यात, आयात, पुष्पों की विभिन्न किस्मों, फ्लोरा होलैंड फ्लावर ऑक्सन नर्सरी की गुणवत्ता, पंजीकरण प्रक्रिया की यूरोपीय विधि, प्रजनक के अधिकारों को लागू करने, अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों, अधिकारों की सुरक्षा तथा उन्हें प्रदान करने व पौधा किस्मों के संबंध में प्रजनकों के वैध हितों पर केन्द्रित था।

इसके पश्चात् एक छह सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने जिसमें डॉ. मनोज श्रीवास्तव, पंजीकार, पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली; डॉ. सुशील कुंडू, प्रधान वैज्ञानिक, डीडब्ल्यूआर, करनाल; डॉ. तेजस्वनी, प्रधान वैज्ञानिक, आईआईएचआर, बंगलुरु; श्री गोरेला देवाकर, सहायक आयुक्त (बीज) और श्री महामणि गुणशेखरन, सहायक निदेशक (बीज), ये दोनों कृषि एवं सहकारिता विभाग नई दिल्ली से थे तथा डॉ. पूमारुथई मसिलामणी, निदेशक, एनएसआरटीसी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश शामिल थे। डच पादप प्रजनन उद्योग के विकास तथा कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में विकास पर पौधा किस्मों की सुरक्षा (पीपीवी) के अध्ययन के लिए 10-14 सितम्बर 2012 को नीदरलैंड्स का दौरा किया। दल ने डच बीज उद्योगों के विकास पर पौधा किस्मों की सुरक्षा के प्रभाव को समझने के लिए नक्तूइनबोउफ, प्लांटम, एनएके, बीज उद्योगों, बीज कंपनियों, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एयेयर्स, एग्रीकल्चरल एंड इनोवेशन का दौरा किया।

श्री मैरियन वाल्टर, इकोनॉमिक एफेयर्स एग्रीकल्चरल एंड इनोवेशन मिनिस्ट्री; श्री कीस वान एटेकोवन, श्रीमती एमांडा वान डिज्क, श्री विलेम वेइत्स्मा, श्री हैंक डी ग्रीफ, श्री विम सांग्रस्टर, श्रीमती मैरिन वैन, ल्यूवैन, श्रीमती जैकलिंग स्टारथाफ, श्री हैंक बॉथियस, श्री पीटर लेंलिजेस से युक्त



10 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने समझौता ज्ञापन (दिसम्बर 2011 को पीपीवी और एफआरए तथा नाक्तुनिन बाउफ, नीदरलैंड के बीच हस्ताक्षरित) प्रगति पर चर्चा करने के लिए एक द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया। 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल को 4 विभिन्न स्थानों पर बैठकें आयोजित करने के लिए पीपीवी और एफआरए के अधिकारियों के साथ 4 समूहों में बांटा गया। ये 4 स्थान थे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु; भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी; और केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला/मोदीपुरम। कुछ चुनी हुई फसलों में डीयूएस परीक्षण प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक समूह द्वारा केन्द्र के भ्रमण का विवरण निम्नानुसार है:

- डच प्रतिनिधि मण्डल ने शाकीय विज्ञान प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में 3-4 दिसम्बर 2012 को द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया तथा सब्जियों तथा अलंकारित फसलों के डीयूएस परीक्षण पर प्रशिक्षण प्रदान किया।
- डॉ. मनोज श्रीवास्तव और डच प्रतिनिधि मण्डल ने 5-6 दिसम्बर 2012 को सब्जियों के डीयूएस परीक्षण पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी में आयोजित एक बैठक में भाग लिया।
- डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार ने डच प्रतिनिधि मण्डल के साथ 5-6 दिसम्बर 2012 को आलू के डीयूएस परीक्षण के संबंध में केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला/मोदीपुरम में एक द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया।

- श्री दीपल रॉय चौधरी, संयुक्त पंजीकार ने डच प्रतिनिधि मण्डल के साथ 5-6 दिसम्बर 2012 को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु में आयोजित एक द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया।



डच प्रतिनिधि मण्डल के नई दिल्ली में उपस्थित होने के समय भारत व नीदरलैण्ड्स के अधिकारियों के बीच एक परिचर्चा बैठक आयोजित की गई जिसमें यह अनुभव किया गया कि कार्य योजना 2011 के लक्ष्य संतोषजनक थे और इस अवस्था में इस सहयोग को सफल माना जा सकता है। विशेष रूप से भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के 10-14 सितम्बर 2012 के नीदरलैण्ड के दौरे को बहुत सफल माना गया क्योंकि इस भ्रमणकारी प्रतिनिधि मण्डल ने डच उद्योग के प्रतिनिधियों को पीपीवी और एफआर अधिनियम के भारतीय पक्ष के बारे में बताया और उसे स्पष्ट किया जिससे डच उद्योग में भारतीय कानून के विशेष तत्वों के प्रति जागरूकता और समझ के स्तर को बढ़ाने में बहुत सहायता मिली।

10.1 द्विपक्षीय सहयोग

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने अनेक पहलें कीं तथा विभिन्न देशों जैसे जर्मनी, ग्रीस, अर्जेंटीना, स्पेन, स्वीटजरलैण्ड, अल्जीरिया, एल्बानिया, पेरू, रोमानिया, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान आदि के साथ द्विपक्षीय सहयोग का कृषि एवं सहकारिता विभाग को प्रस्ताव दिया। उल्लेखनीय है कि यह देश पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (उपोव) सदस्य हैं तथा इन देशों में पौधा किस्मों की सुरक्षा के लिए विधान मौजूद हैं।

10.2 कृषि एवं सहकारिता विभाग को इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस फार फूड एंड एग्रीकल्चर (आईटीपीजीआरएफए) के सचिवालय द्वारा कृषि मंत्रालय

के कृषि एवं सहकारिता विभाग को किए गए अनुरोध पर पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने 26-28 जून 2012 को एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में आईटीपीजीआरएफए के एसएमटीए तथा बहुपक्षीय प्रणाली पर गठित तदर्थ सलाहकार तकनीकी समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। यह बैठक हैदराबाद में अक्टूबर 2012 में भारत में आयोजित होने वाले जैव-विविधता पर कन्वेंशन के लिए पक्षों के सम्मेलन की 11वीं बैठक के पहले आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न देशों के विदेशी प्रतिनिधियों के साथ-साथ कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया।

10.3 पक्षों के 11वें सम्मेलन (सीओपी) में भागीदारी

जैविक विविधता पर समझौते के पक्षों के सम्मेलन की 11वीं बैठक (सीओपी 11) का आयोजन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने 8-19 अक्टूबर 2012 को हैदराबाद में किया। भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत में जैव-विविधता संरक्षण के लिए संस्थागत यांत्रिकी को सबल बनाने और हैदराबाद प्लेज के नाम से अन्य विकसित देशों व भारत के लिए 50 मिलियन डालर की अनुदान सहायता की। केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री जयंती नटराजन ने अगले दो वर्षों के लिए सीओपी 11 के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया तथा उन संसाधनों को सचल बनाने के मुद्दे पर बल दिया जो जापान में नागोया में आयोजित सीओपी - 10 की कार्यसूची के अंतर्गत थे लेकिन पूरे नहीं हो पाए।



XI Conference of Parties
CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY
HYDERABAD INDIA 2012



यह सम्मेलन 2011 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव-विविधता दशक आरंभ होने के बाद आयोजित किया गया पहला सम्मेलन था। 1-19 अक्टूबर 2012 को हैदराबाद में इस सम्मेलन के साथ-साथ कई अन्य आयोजन भी किए गए जैसे बैठक के प्रतिभागियों के बीच सूचनागत संवाद के लिए अनुभवों को बांटने तथा अवसरों को बढ़ाने हेतु प्रमुख अधिकारियों की बैठकों का आयोजन हुआ। प्राधिकरण ने जैव विविधता पर सम्मेलन के पक्षों के 11वीं बैठक (सीओपी 11) में आयोजित पारस्परिक चर्चा युक्त मेले में भाग लिया। प्राधिकरण के क्रियाकलापों तथा पीपीवी और एफआर



अधिनियम, 2001 के प्रावधानों को दर्शाने वाले पोस्टर चार्ट और वीडियो प्रदर्शन आगंतुकों को दिखाए गए तथा प्राधिकरण के अनेक पम्फलेट और प्रकाशन मेले में आने वाले अतिथियों को दिए गए। इस प्रदर्शनी को विद्यालय के छात्रों के अतिरिक्त सीओपी 11 में भाग लेने वाले अनेक भारतीय तथा विदेशी अतिथियों ने देखा और इसकी सराहना की।

10.4 विदेशी अतिथि

- प्रो. ह्यूग डब्ल्यू.प्रिचार्ड, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, कीव, यू.के. के साथ 2 मई 2012 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में चर्चा।
- श्री बॉब नौटलमैन, कैलिफोर्निया के साथ 15 जून 2012 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में बैठक
- जी2जी कोऑपरेशन (नीदरलैंड से आए प्रतिनिधि मण्डल) का 11 जुलाई 2012 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण का दौरा।
- पादप किस्मों की सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के संबंध में 23 जुलाई 2012 को इक्वाडोरियन प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक
- जैव विविधता पर समझौते के पक्षों के सम्मेलन की 11वीं बैठक के अवसर पर क्रियाकलापों के प्रदर्शन के लिए विभिन्न पर्णधारियों के साथ 11-19 अक्टूबर 2012 को हैदराबाद, भारत में तैयारी बैठक।
- भा.कृ.अ.प. के विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों को डीयूएस परीक्षण का प्रशिक्षण देने के लिए डच प्रतिनिधि मंडल का 3-7 दिसम्बर 2012 को भारत का दौरा। प्रतिनिधि मण्डल ने 4 दिसम्बर 2012 को प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. पी.एल.गौतम से एक सौहार्दपूर्ण मुलाकात की।

11. प्राधिकरण के वित्तीय विवरण 2012-13

वित्तीय विवरण सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), लागू अधिदेशित लेखा मानकों (एएस) जो भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए हैं और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीजीए) द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों की प्रासंगिक प्रस्तुतीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। प्राधिकरण जब तक अन्यथा उल्लेखन न हो व्यय तथा आय की सभी मदों के संदर्भ में लेखाकरण की संभूति प्रणाली का पालन करता है। 31 मार्च 2013 को तुलन-पत्र के आय और व्यय के लेखे तथा प्राप्तियों और अदायगियों के लेखे निम्नानुसार हैं :

लेखापरीक्षित लेखे तथा लेखापरीक्षा की रिपोर्ट तथा

प्रबंधन संबंधी उत्तर प्राधिकरण की 18.10.2013 को नई दिल्ली में आयोजित 19वीं बैठक में स्वीकृत किये गये।

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 62(2) के अनुपालन में प्राधिकरण के लेखे भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक को प्रस्तुत किए गए। लेखापरीक्षित लेखे तथा लेखापरीक्षा की रिपोर्ट तथा प्रबंधन संबंधी उत्तर मंत्रालय को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए अलग से भेजे जाएंगे। वर्ष 2012-13 के दौरान प्राधिकरण को 1602.33 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई तथा 1588.82 लाख रुपये की अनुदान राशि का उपयोग हुआ। शेष 13.51 लाख रुपये बचे रहे।

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण 31 मार्च 2013 को तुलन पत्र

राशि (रु० में)

कॉर्पस/पूंजी निधि तथा देयताएं	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कॉर्पस/पूंजी निधि	13,24,08,267	10,12,55,675
आरक्षित राशि और अतिरिक्त राशि	—	—
निर्धारित/स्थायी निधि	—	—
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	—	—
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	—	—
आगे खिसकाई गई ऋण देयताएं	—	—
चालू देयताएं और प्रावधान	4,03,40,487	1,91,77,979
योग	17,27,48,754	12,04,33,654
परिसम्पत्तियां		
स्थिर परिसम्पत्तियां	2,76,74,241	2,12,03,696
घटाएं : संचयित मूल्यह्रास	1,78,53,194	1,47,54,455
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां	98,21,047	64,49,241
पूंजीगत कार्य में प्रगतियां		
निवेश – निर्धारित/स्थायी निधियों से	1,78,38,219	.
निवेश – अन्य से		
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, पेशगियां आदि	—	—
फुटकर व्यय	—	—
(जो बट्टे खाते में न डाली गई हों या समायोजित न की गई हो)	14,50,89,488	11,39,84,413
योग	17,27,48,754	12,04,33,654

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय का लेखा

राशि (रु० में)

आय	प्राधिकृत निधि		जीन निधि	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बिक्री/सेवाओं से हुई आय	—	—	—	—
अनुदान/सहायता	15,32,70,863	14,45,84,986	50,00,000	50,00,000
शुल्क/चंदा	31,72,900	41,02,650	8,49,983	6,78,000
निवेशों से हुई आय	—	—	—	—
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	—	—	—	—
अर्जित ब्याज	38,22,363	17,67,274	11,44,301	7,62,378
अन्य आय	2,36,569	3,15,027	—	—
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (गिरावट) और चालू कार्य	—	—	—	—
आस्थगित आय (अचल सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास)	35,83,531	31,00,540	—	—
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध क)	—	—	—	2,23,473
योग (क)	16,40,86,226	15,38,70,478	69,94,284	66,63,851
व्यय				
स्थापना व्यय	3,64,99,570	3,00,50,111	—	—
अन्य प्रशासनिक आय आदि	2,84,59,357	2,09,61,424	46,04,021	22,13,178
अनुदान/चंदों आदि पर हुआ व्यय	6,30,04,554	5,97,39,470	—	—
ब्याज	3,632	9,562	—	—
मूलह्रास (अनुसूची 8 से सम्बद्ध वर्ष के अंत में निवल योग)	35,83,531	31,00,540	—	—
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध-क)	70,70,668	1,15,98,662	81,191	—
योग (ख)	13,86,21,312	12,54,59,769	46,85,212	22,13,178
व्यय की तुलना में आय घटाकर शेष राशि (क-ख)	2,54,64,914	2,84,10,708	23,09,072	44,50,673
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्रत्येक को अलग-अलग बताएं)	—	—	—	—
सामान्य आरक्षित निधि को/से हस्तांतरण	—	—	—	—
कॉर्पस/पूंजी निधि तक ले जाई गई शेष अतिरिक्त राशि (अंतर)	2,54,64,914	2,84,10,708	23,09,072	44,50,673

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष की प्राप्ति एवं अदायगी का लेखा

राशि (रु० में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. आदिशेष			1. व्यय		
क. मौजूद नकद राशि	5,000	5,300	क) स्थापना व्यय	2,75,83,421	2,08,69,459
ख. बैंक अधिशेष			ख) प्रशासनिक व्यय (प्राधिकरण)	2,21,83,390	1,83,08,129
जीन निधि	58,53,950	1,20,923	2. निधियों के विरुद्ध भुगतान		
प्राधिकरण निधि (एसबीआई) मोड लेखा सहित	4,63,722	99,30,186	क) नए विद्यमान डीयूएस केन्द्र (अनुबंध ग और घ)	3,24,08,334	3,46,16,124
सिंडिकेट बैंक	2,41,96,312	25,06,758	ख) नए डीयूएस केन्द्र (अनुबंध डं. और च)	2,96,31,098	2,60,07,244
गुवहाटी बैंक	48,856	—	ग) संदर्भ प्रयोगशालाएं (अनुबंध छ)	63,70,000	22,10,500
रांची बैंक	93,062	—	घ) फील्ड जीन बैंक (अनुबंध ज)	53,42,243	71,19,353
			3. अचल परिसम्पत्तियों पर व्यय तथा चालू पूंजी कार्यों पर व्यय		
2. प्राप्त अनुदान	16,02,33,000	15,00,00,000	क) अचल सम्पत्तियों की खरीद (प्राधिकरण)	68,60,060	46,37,286
क) भारत सरकार से	—	—	ख) पूंजीगत चालू कार्यों पर व्यय	64,93,543	—
ख) राज्य सरकार से	—	—			
ग) अन्य स्रोतों से	—	—	4. प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशगी (अनुबंध झ)	81,03,165	53,21,499
3. प्राप्त ब्याज	—	—			
क) बैंक में जमा राशि पर			5. आपूर्तिकर्ताओं को पेशगी (अनुबंध त)	7,16,653	—
ख) ऋण, पेशगियां आदि					
जीन निधि	40,268	—	6. बाहरी व्यक्तियों को पेशगी (अनुबंध त)	27,53,256	30,98,574
प्राधिकरण निधि	10,86,257	10,48,775	7. प्राधिकरण भवन के लिए पेशगी	—	1,55,23,604
4. प्राप्त पेशगियां	—	1,05,000	8. डीयूएस परीक्षण के लिए पेशगी (अनुबंध ठ)	51,79,250	9,24,000
5. पेशगी की वसूली (अनुबंध ड)	4,12,626	3,41,675	9. फेंकिंग मशीन की रीफीलिंग	1,50,000	1,75,000
6. शुल्क/अंशदान/अन्य आय			10. डीओसी को वापसी	—	185
प्राप्त आवेदन/पंजीकरण शुल्क	30,32,000	39,20,000	11. संगठनों/संस्थानों को योगदान	26,24,015	—
पीवीजे शुल्क	39,800	49,000	12. स्टाफ को पेशगी (अनुबंध ट)	41,43,829	28,41,414
आपत्ति के नोटिस के लिए शुल्क	1,48,500	1,27,500	13. वित्त प्रभार	7,909	6,908
वार्षिक शुल्क—जीन निधि	7,39,983	5,26,000	14. प्राप्त पेशगी के विरुद्ध अदायगी	55,000	55,000
पुराने समाचार-पत्रों, रद्दी की बिक्री	26,240	600	15. मियादी जमा	13,24,00,000	3,40,00,000
प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क	2,03,61,000	57,97,500	16. पुराने डिमांड ड्राफ्ट की राशि की वापसी	32,600	600
अन्य शुल्क	5,693	683	17. पुराने दावों के विरुद्ध डीयूएस केन्द्रों को भुगतान	—	22,38,064

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
7. स्टाफ से पेशगी की वसूली (अनुबंध ण)	11,99,503	10,39,389	18. अदा की गई विधिक देयताएं (अनुबंध ढ)	44,09,252	37,04,910
8. मियादी जमा का नकदीकरण	11,16,80,872	3,67,97,466	19. अंत शेष		
			क) मौजूद नकद	10,000	5,000
9. पुराने चैकों की राशि की वापसी	38,503	—	ख) बैंक में शेष राशि		
			भारतीय स्टेट बैंक (मोड सहित)	1,61,84,501	4,63,722
10. सीपीएफ (एफडी) का नकदीकरण	7,99,394	—	सिंडिकेट बैंक	58,28,425	2,41,96,312
			जीन निधि	1,12,88,001	58,53,950
11. जीवन बीमा निगम से प्राप्त अनुदान का दावा	2,88,927	—	गुवाहाटी बैंक	17,160	48,856
			रांची बैंक	14,825	93,062
12. बैंक द्वारा गलत नामे का सुधार	200	2,000	बैंक इन ट्रांजिट	3,739	
कुल	33,07,93,669	21,23,18,755	कुल	33,07,93,669	21,23,18,755

12. नागरिक आचार संहिता

परिदृश्य

पौधा किस्मों, कृषकों के अधिकारों तथा पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली सुनिश्चित करना।

मिशन

पौधा किस्मों के नवोन्मुखी को उद्दीप्त करने के लिए पौधा किस्मों के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की सुरक्षा तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों व परंपरागत किस्मों की संपदा के परिरक्षण और संरक्षण में किए गए योगदानों के लिए किसानों को सम्मान व पुरस्कार प्रदान करना।

अधिदेश

- पौधा किस्मों और कृषक के अधिकारों, पादप प्रजनकों व अनुसंधानकर्ताओं की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करना।
- अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ावा देने तथा नई किस्मों के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए पादप प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा।
- पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार व उन्हें उपलब्ध कराने के लिए किसानों के योगदानों को मान्यता प्रदान करना।
- किसानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण बीजों तथा रोपण सामग्री का उत्पादन व उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बीज उद्योग की वृद्धि में सुविधा प्रदान करना।

कार्य

- कृषकों और पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना।
- परंपरागत बीज के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक और बहुवार्षिक फसलों के लिए फील्ड जीन बैंक की स्थापना।
- पौधों की नई और विद्यमान किस्मों का पंजीकरण

- पंजीकृत पौधा किस्मों के गुणों का निर्धारण व उनका प्रलेखन
- कृषक किस्मों का प्रलेखन, सूचीकरण और सूची पत्रकरण
- पौधों की सभी किस्मों के लिए अनिवार्य सूचीपत्रकरण की सुविधा
- यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध हों और यदि आवश्यकता हो तो अनिवार्य लाइसेंस उपलब्ध कराना।
- पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव सुनिश्चित करना।
- पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग को सहायता देने तथा इस प्रकार का संरक्षण करने के लिए पंचायतों की क्षमता निर्माण व टिकाऊ उपयोग तथा लाभ में भागीदारी से संबंधित स्कीमों के व्यय के साथ-साथ पणधारियों को क्षतिपूर्ति के लिए दी जाने वाली राशि पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए जीन निधि का उपयोग।

स्टेकहोल्डर्स

पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की सुरक्षा एक अनूठा विषय है जिसमें विविध क्रियाकलाप पहले व स्टेकहोल्डर शामिल हैं। पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित स्टेकहोल्डर हैं, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, कृषि विश्वविद्यालयों सहित अनुसंधान संगठन, बीज उद्योग, स्वयं सेवी संगठन और इन सबसे बढ़कर आदिवासी कृषक समुदायों सहित सभी किसान।

प्रदान की जाने वाली सेवाएं

- कृषकों, अनुसंधानकर्ताओं/पादप प्रजनकों द्वारा प्रजनित पौधों की किस्मों को पौधा किस्म पंजीकरण के रूप में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) की सुरक्षा प्रदान करना।
- पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव जिसमें पौधा किस्मों तथा संबंधित प्रजनकों के अधिकारों का उल्लेख हो।

- यदि कोई पंजीकृत किस्म उस प्रकार निष्पादन नहीं करती है, जिसका दावा प्रजनकों द्वारा किया गया है तो किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना।
- समुदायों/किसानों को पादप आनुवंशिक संसाधनों के योगदान/साझीदारी के लिए लाभ में भागीदारी।
- पीपीवी और एफआर अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पौधा प्रजनकों तथा किसानों के अधिकारों के लिए जागरूकता का सृजन व क्षमता का निर्माण।
- स्टैकहोल्डरों को पौधा किस्मों का डेटाबेस उपलब्ध कराना।
- आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार तथा परिरक्षण में लगे किसानों, कृषक समुदायों, विशेष रूप से आदिम जाति और ग्रामीण समुदायों को सहायता प्रदान करना व पुरस्कृत करना।

शिकायत के निपटारे की क्रियाविधि

महा पंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, जन-शिकायतों के निपटान के लिए पद-नामित अधिकारी हैं और शिकायतें निम्न पते पर भेजी जा सकती हैं :

महा पंजीकार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के निकट नई दिल्ली- 110 012

फोन - 011-25843316, फैक्स : 011-25840478

ई-मेल : rg-ppvfra@nic.in
www.plantauthority.gov.in

आरटीआई कोष्ठ

मुख्य जन-सूचना अधिकारी

डॉ. रवि प्रकाश

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के निकट नई दिल्ली-110 012

फोन : 011-25843316, फैक्स : 011-25840478

ई-मेल : prakash.ravi@nic.in

डॉ. आर.सी.अग्रवाल

अपीलीय प्राधिकारी

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के निकट नई दिल्ली-110 012

फोन : 011-25843316, फैक्स : 011-25840478

ई-मेल : rg-ppvfra@nic.in

प्राधिकरण के सदस्य (1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013)

1. प्राधिकरण के अध्यक्ष : डॉ. पी.एल.गौतम, 11 दिसम्बर 2012 तक
डॉ. स्वप्न कुमार दत्ता, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भा.कृ.अ.प., कृषि भवन, नई दिल्ली (अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किए हुए), पीपीवी और एफआर प्राधिकरण (19 दिसम्बर 2012 से)

पदेन सदस्य

2. कृषि आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. डॉ. स्वप्न कुमार दत्ता, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भा.कृ.अ.प., कृषि भवन, नई दिल्ली
4. श्री एस.के.जे. रहाटे (22 मई 2012 तक)
श्री अतनु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव (बीज) (23 मई 2012 से), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली
5. डॉ. गोरख सिंह, बागवानी आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली
6. डॉ. के.सी. बंसल, निदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, पूसा परिसर, नई दिल्ली
7. डॉ. के.एस.चरक, परामर्शक ग्रेड 1, भारत सरकार, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
8. श्री सतीश चन्द्र, संयुक्त सचिव एवं विधिक सलाहकार, विधिक मंत्रालय मामले, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
9. श्री हेम पाण्डे, संयुक्त सचिव (जैवविविधता से संबंधित), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली

नामित सदस्य

10. श्री वी. नागीरेड्डी, प्रधान सचिव (कृषि), आंध्र प्रदेश सरकार, डी ब्लॉक, प्रथम तल, कमरा सं. 270, सचिवालय कार्यालय, हैदराबाद,
11. डॉ. एस.एन. पुरी, कुलपति, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर, इम्फाल
12. श्री रोशन लाल, आईएएस, वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव (कृषि), कमरा सं. 434, चौथा तल, सैक्टर-17, नई हरियाणा सचिवालय ईमारत, चंडीगढ़,
13. श्री राजू बड़वाले, प्रबंध निदेशक, मायको, रेशम भवन, चौथा तल, 78 वीर नारिमन रोड, चर्च गेट, मुम्बई
14. श्री पी. नारायण उन्नी (कृषक संगठन प्रतिनिधि के रूप में), नवारा इको फार्म, करुकामिनी कलम, चित्तोर कॉलेज, डाकघर, पालघाट जिला, केरल
15. श्री ए.सी. जोनुमाविया, समव्यक एवं अध्यक्ष (आदिवासी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में), सैंटर फार इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बी-27/1, टुइकल दक्षिण, एइजवाल
16. सुश्री नीलम त्यागी, लक्ष्मी जन कल्याण सेवा संस्थान, रावली रोड, जीतपुर, गली नं.5, मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

सदस्य सचिव (पदेन)

17. डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के स्वीकृत पद

(31 मार्च 2013 को)

प्रधान कार्यालय (नई दिल्ली)	स्वीकृत पद
वेतनमान सहित पदनाम	
अध्यक्ष ₹ 80000 /- (निर्धारित)	1
महा पंजीकार ₹ 67000-79000/-	1
पंजीकार ₹ 37400-67000 (ग्रेड पे ₹ 8700)	3
वित्तीय सलाहकार ₹ 37400-67000 (ग्रेड पे ₹ 8700)	1
संयुक्त पंजीकार ₹ 15600-39100 (ग्रेड पे ₹ 7600)	2
उप पंजीकार ₹ 15600-39100 (ग्रेड पे ₹ 6600)	1
विधि सलाहकार ₹ 15600-39100 (ग्रेड पे ₹ 6600)	2
वरिष्ठ लेखा अधिकारी ₹ 15600-39100 (ग्रेड पे ₹ 6600)	1
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी ₹ 9300-34800 (ग्रेड पे ₹ 4600)	3
तकनीकी सहायक ₹ 9300-34800 (ग्रेड पे ₹ 4200)	1
कम्प्यूटर सहायक ₹ 9300-34800 (ग्रेड पे ₹ 4200)	6
	उप योग
	22
शाखा कार्यालय (गुवाहाटी एवं रांची)	
उप पंजीकार ₹ 15600-39100 (ग्रेड पे ₹ 6600)	2
पौधा किस्म परीक्षक ₹ 15600-39100 (ग्रेड पे ₹ 5400)	2
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी ₹ 9300-34800 (ग्रेड पे ₹ 4600)	2
कार्यकारी सहायक ₹ 9300-34800 (ग्रेड पे ₹ 4200)	2
	उप योग
	8
	योग
	30

मानव संसाधन का विवरण
प्रधान कार्यालय एवं शाखा कार्यालय

पदनाम एवं उनके पदस्थ	भरे गए पद	रिक्त पद
अध्यक्ष डॉ. पी.एल. गौतम – 11.12.2012 तक डॉ. स्वप्न कुमार दत्ता (अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किए हुए), पीपीवी और एफआर प्राधिकरण (19.12.2012 से 31 मार्च 2013)	1	—
महा पंजीकार डॉ. आर.सी. अग्रवाल	1	—
पंजीकार डॉ. मनोज श्रीवास्तव डॉ. तेजबीर सिंह डॉ. रवि प्रकाश	3	—
वित्तीय सलाहकार श्री जे.पी. सिंह	1	—
संयुक्त रजिस्ट्रार श्री डी.आर. चौधरी श्री डी.एस. मिश्रा	2	—
उप पंजीकार श्री उमा कांत दुबे	1	—
विधि सलाहकार श्री डी.एस. राज गणेश श्री आर.आर. प्रधान	2	—
वरिष्ठ लेखा अधिकारी	—	1
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी डॉ. ए.के. सिंह	1	2
तकनीकी सहायक डॉ. डी.एस. पिलानिया	1	—
कम्प्यूटर सहायक श्री अरविंद कुमार राय श्री संजय कुमार गुप्ता श्रीमती शिप्रा माथुर श्री नितेश कुमार वर्मा श्री श्याम नारायण प्रसाद	5	1
शाखा कार्यालय गुवहाटी उप पंजीकार, डॉ. ए.सी. शर्मा पौधा किस्म परीक्षक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी कार्यपालक सहायक	1	3
शाखा कार्यालय रांची उप पंजीकार पौधा किस्म परीक्षक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी / कार्यपालक	—	4

वर्ष 2012-13 के दौरान विद्यमान डीसूएस केन्द्रों को जारी की गई राशि दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	डीसूएस केन्द्र का नाम	राशि (रु० लाख में)
1	आईआईवीआर, वाराणसी	7.74
2	एएयू, जोरहट	2.77
3	अंगारू, हैदराबाद	6.39
4	सीसीएस एचएयू, हिसार	4.28
5	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कैसरगोड	4.32
6	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	4.38
7	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	11.30
8	सीआईसीआर, नागपुर	4.55
9	सीआईएनएपी, लखनऊ	6.62
10	सीआईएसएच, लखनऊ	13.96
11	सीआरआईजे और एएफ, बैरकपुर (बुदबुद)	5.69
12	सीएसएयूए और टी, कानपुर	3.75
13	निदेशक, आईआईएचआर, बंगलुरु (गुलाब)	7.13
14	निदेशक, राष्ट्रीय सिट्रस अनुसंधान केन्द्र, नागपुर	5.38
15	निदेशक, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिची	17.83
16	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	12.59
17	सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, इंदौर	5.26
18	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	7.50
19	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	8.91
20	ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	6.28
21	पुष्प विज्ञान प्रभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	2.18
22	डीएमएपीआर, आनंद	4.59
23	डीडब्ल्यूआर, करनाल	6.85
24	जीबीपीयूए और टी, पंतनगर	4.26
25	भा.कृ.अ.सं., सब्जी विज्ञान संभाग, नई दिल्ली	1.00
26	आईआईएचआर, हैसरगट्टा, (अलंकारित फसलें), बंगलुरु	3.78
27	आईआईएचआर, हैसरगट्टा, (शाकीय फसलें), बंगलुरु	4.07
28	आईआईपीआर, (मुलार्प), कानपुर	4.63
29	आईआईएसआर, कालीकट	2.88

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	राशि (रु० लाख में)
30	आईआईवीआर, वाराणसी	16.53
31	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	5.37
32	जेएयू, जामनगर	1.88
33	जेएनकेवीवी, जबलपुर	4.50
34	मंदौर, (आरएयू), बीकानेर	6.90
35	एमपीकेवी, राहुड़ी	10.67
36	एनडीयूए और टी, फैजाबाद (जौ)	1.82
37	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, पुणे	5.00
38	राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिक्किम	3.44
39	राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र, जूनागढ़	3.33
40	राष्ट्रीय प्याज और लहसुन अनुसंधान केन्द्र, राजगुरुनगर, पुणे	3.29
41	एनआरसीआर और एम, भरतपुर	3.17
42	एनआरसीएसएस, अजमेर	2.97
43	पीएयू, लुधियाना	5.61
44	पीसी, सीआईसीआर, कोयम्बतूर	9.79
45	पीसी, अलसी, कानपुर (सीएसएयूए और टी), कानपुर	1.87
46	परियोजना समन्वयक, तिल और नाइजर, जेएनकेवी, जबलपुर	4.50
47	पीडीकेवी, अकोला	4.50
48	क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., इंदौर	2.20
49	क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., करनाल	2.60
50	क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., कटराई	3.93
51	गन्ना प्रजनन केन्द्र संस्थान, अगाली	3.13
52	गन्ना प्रजनन संस्थान, करनाल	3.11
53	गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर	2.92
54	टीएनएयू, कोयम्बतूर	16.50
55	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	9.21
56	वीपीकेएस, अल्मोड़ा	4.50
	कुल	324.11

वर्ष 2012-13 के दौरान नए डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की जाने वाली निधियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्रों का नाम	राशि (रु० लाख में)
1	सीआईएएच, बीकानेर (खजूर)	5.50
2	कृषि एवं खाद्य उत्पादन, भुवनेश्वर	7.32
3	बीसीकेवी कल्याणी (परवल)	3.75
4	बीसीकेवी कल्याणी (सुपारी)	2.25
5	बीसीकेवी कल्याणी (जीमीकंद)	2.10
6	सीएआरआई, पोर्ट ब्लेयर (नोनी) (मोरिंडा), अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.62
7	काजरी, जोधपुर (अनार)	4.50
8	केन्द्रीय सरिकल्चर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, श्रीरामपुर, मैसूर	5.00
9	सीआईएएच, बीकानेर (आंवला)	1.00
10	सीआईएएच, बीकानेर (बेल)	2.88
11	सीआईएएच, बीकानेर (चिरौंजी और ईमली)	6.97
12	सीआईएएच, बीकानेर (बेर)	5.50
13	सीआईएएच, बीकानेर (आंवला)	3.00
14	सीआईएएच, बीकानेर (जामुन)	3.00
15	डॉ. वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (कार्नेशन)	5.25
16	डॉ. वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (पॉपलर जननद्रव्य)	5.53
17	यूएएस, जीकेवीके, बंगलौर	8.82
18	अंगारू, हैदराबाद	3.32
19	सीटीसीआरआई, (शकरकंदी एवं कसावा), तिरुअनंतपुरम	5.00
20	सीटीसीआरआई, तिरुअनंतपुरम	3.00
21	सीटीसीआरआई, (जीमीकंद), तिरुअनंतपुरम	2.75
22	पुष्पविज्ञान अनुसंधान निदेशालय, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली (ग्लेडियोलस)	2.25
23	आईजीएफआरआई, झांसी	16.30
24	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान	17.18
25	एचएफआरआई, शिमला	2.25
26	वर्षा वानिकी अनुसंधान संस्थान, जोरहट	7.40
27	डॉ. बालासाहेब कोंकण कृषि विद्यापीठ, धपोली (जायफल)	7.00
28	एफसीआरआई, कोयम्बतूर (टीएनएयू) (नीम, करंज, रतनजोत)	6.41
29	जीबीपीयूए एंड टी, पंत नगर	4.82
30	जीन कम्पेइन्, नई दिल्ली	4.40
31	भा.कृ.अ.सं. (बोगनविलिया), नई दिल्ली	5.05
32	भा.कृ.अ.सं. (मिर्च), नई दिल्ली	3.30

क्र. सं.	डीयूस केन्द्रों का नाम	राशि (रु० लाख में)
33	भा.कृ.अ.सं, नई दिल्ली (चौलाई)	3.50
34	भा.कृ.अ.सं, नई दिल्ली (गंदा)	1.10
35	आई.एफ.जी.टी.बी., कोयम्बतूर	0.95
36	आई.एफ.जी.टी.बी., कोयम्बतूर (टेंकटाना ग्रेंडिस)	8.13
37	आईआईएचआर, बंगलुरु (चाइना एस्टर)	2.99
38	आईआईएचआर, बंगलुरु (चमेली)	4.50
39	आईआईएचआर, बंगलुरु (पपीता और शरीफा)	5.50
40	आईआईएचआर, बंगलुरु (स्ट्राबेरी)	3.00
41	आईआईएचआर, बंगलुरु (क्रोसेंट्रा)	4.28
42	आईआईएचआर, बंगलुरु (चौलाई)	4.45
43	आईआईएचआर, बंगलुरु (सुपारी)	3.50
44	आईआईएचआर, बंगलुरु (कार्नेशन)	4.50
45	आईआईएचआर, बंगलुरु (मिर्च)	7.50
46	आईआईएचआर, बंगलुरु (गंदा)	4.50
47	आईआईएचआर, बंगलुरु (रजनीगंधा)	3.00
48	जेएनकेवीवी, जबलपुर (लघु मोट अनाज)	10.32
49	एनबीआरआई लखनऊ (बोगेनवीलिया)	7.71
50	एनबीआरआई लखनऊ (कैन्ना)	6.73
51	एनबीआरआई लखनऊ (ग्लेडियोलस)	6.85
52	एनआरसीपी, शोलापुर (अनार)	4.76
53	सीआईटीएच, श्रीनगर (आलुबुखारा)	12.96
54	पीएयू, लुधियाना	3.71
55	टीएनएयू, कोयम्बतूर (पपीता और शरीफा)	3.50
56	जेएनएयू, कोयम्बतूर	4.15
57	टोकलई प्रायोगिक अनुसंधान केन्द्र, जोरहट	8.58
58	वांघई, नागापट्टिनम	1.23
	कुल	296.32

वर्ष 2012-13 के दौरान प्रयोगशालाओं को जारी निधियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	प्रयोगशाला का नाम	राशि (रु० लाख में)
1	सीआरआरआई, कटक (चावल)	5.00
2	सीआरआरआई, नागपुर (कपास)	18.00
3	चावल अनुसंधान निदेशालय (तिलहन)	24.00
4	आईआईएचआर, बंगलुरु (बागवानी फसलें)	6.70
5	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली (मक्का)	10.00
	कुल	63.70

वर्ष 2012-13 के दौरान फील्ड जीन बैंक (कों)/जीन बैंक को जारी निधियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	राशि (रु० लाख में)
1	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	10.00
2	डॉ. बालासाहेब कोंकण कृषि विद्यापीठ, धपोली	14.68
3	डॉ. वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	19.34
4	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	9.40
	कुल	53.42

वर्ष 2012-13 के दौरान प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता

क्र. सं.	लाभार्थियों के नाम	राशि (रु० ..लाख में)
1	आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	0.80
2	सीएआरआई, पोर्ट ब्लेयर	1.30
3	सीआईसीआर, कोयम्बतूर	0.80
4	सीआईसीआर, नागपुर	1.60
5	सीआईएमएपी, लखनऊ	0.80
6	केएयू, त्रिशूर	0.80
7	जीबीपीयूए एंड टी	0.80
8	टीएनएयू, कोयम्बटूर	3.20
9	टीएनएयू, हैदराबाद	0.80
10	एएयू, जोरहट	2.80
11	सीसीएस एचएयू, हिसार	1.60
12	सीएसएयू एंड टी, कानपुर	0.80
13	सीएसकेउचपीकेवी	2.40
14	सीपीसीआरआई, केरल	0.80
15	सीआरआईजेएएफ, बैरकपुर	0.80
16	सीआरआरआई, कटक	0.80
17	डीन (अनुसंधान), ओयूएटी	0.23
18	वीपीकेएस, अल्मोड़ा	1.60
19	एमएसएसआरएफ, चैन्नई	2.40
20	डीआरएमआर, भरतपुर	0.80
21	आईएआरआई, नई दिल्ली	0.80
22	आईएआरआई (केवीके गुड़गांव)	0.80
23	मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़, गुजरात	0.80
24	औषध एवं संगरोध पादप अनुसंधान निदेशालय	0.80
25	प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राजगुरुनगर, पुणे	0.80
26	डीडब्ल्यूआर, करनाल	1.60
27	आईआईएचआर बंगलुरु (सुगंधित फसल संभाग)	1.60
28	आईआईएचआर बंगलुरु (शाकीय फसलें संभाग)	2.40
29	आईआईपीआर बंगलुरु (चना)	0.80
30	आईआईपीआर कानपुर (मुलार्प)	0.80
31	जेएयू, जूनागढ़	0.80
32	एमपीकेवी, राहुड़ी	0.80
33	सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, इंदौर	0.80

क्र. सं.	लाभार्थियों के नाम	राशि (रु० ..लाख में)
34	राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिक्किम	1.60
35	डीआरआर, हैदराबाद	2.60
36	एसबीआई, कोयम्बटूर	0.80
37	डॉ. वाईएसपीयूएच एवं एफ, नौनी, सोलन	0.80
38	आईआईएसआर, कालीकट	0.80
39	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	0.80
40	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	1.60
41	आईआईवीआर, वाराणसी	1.60
42	आदर्श ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण सोसायटी	0.80
43	कृषि निदेशक, ओडिशा	0.80
44	यूएएस, रायचुर	0.80
45	शूलिमी विश्वविद्यालय, सोलन	0.80
46	कृषि एवं ग्रामीण विकास केन्द्र	2.40
47	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर	1.60
48	एसएचआईएटीएस, इलाहाबाद	1.60
49	डीएसआर, हैदराबाद	2.40
50	डीएमआर, नई दिल्ली	2.40
51	आईआईएसआर, लखनऊ	1.30
52	नंद ग्रामीण विकास शैक्षिक फाउंडेशन	0.80
53	सीपीआरआई शिमला (मोदीपुरम)	0.80
54	सीटीसीआरआई, तिरुअनंतपुरम	1.60
55	काजरी, जोधपुर	1.60
56	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	0.80
57	एनबीआरआई, लखनऊ	0.80
58	सीआईएएच, बीकानेर	0.80
59	एसएफआरआई, अरुणाचल प्रदेश	0.80
60	सीआईएसएच, लखनऊ	0.80
61	एसकेयूएसटी, राजौरी	0.80
62	सीएचईएस, वेजलपुर, गोधरा	0.80
63	सीआईटीएच, श्रीनगर	0.80
64	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली	1.60
65	राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केन्द्र, नागपुर	0.80
66	संगठन सचिव, एफएफसीएसडब्लूआर, बिलारी	0.80
67	बीएसकेकेवी, दपोली	0.80
68	बीसीकेवी, कल्याणी, पश्चिम बंगाल	0.80
	कुल	81.03

वर्ष 2012-13 के दौरान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने का वर्ष	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक का नाम
1	2012 का 14 / 04.04.2012	कृषक	दादाजी एचएमटी	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	श्री दादाजी रामाजी खोबरागडे
2	2012 का 15 / 04.04.2012	कृषक	कुदरत 9	चपाती गेहूं	ट्रिटिकम एस्टीवम एल.	श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी
3	2012 का 16 / 04.04.2012	विद्यमान	पंत चरी-4 (फोरेज सोरघम)	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	जी.बी.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
4	2012 का 17 / 04.04.2012	विद्यमान	जवाहर जोवर-1041	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय
5	2012 का 18 / 04.04.2012	विद्यमान	परभणी मोती (पीवीआर-396 / एसपीवी-1411)	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	मराठावाड़ा कृषि विश्वविद्यालय
6	2012 का 19 / 04.04.2012	विद्यमान	बीएसआर-1	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय
7	2012 का 20 / 04.04.2012	विद्यमान	सीओ (एस)-28	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय
8	2012 का 21 / 04.04.2012	विद्यमान	के-11	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय
9	2012 का 22 / 04.04.2012	विद्यमान	पाययूर-2	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय
10	2012 का 23 / 04.04.2012	विद्यमान	पूसा-991	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) (मिल्स्प.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
11	2012 का 24 / 04.04.2012	विद्यमान	पूसा 992	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) (मिल्स्प.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
12	2012 का 25 / 04.04.2012	विद्यमान	मालवीय विकास (एमए-6)	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) (मिल्स्प.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
13	2012 का 26 / 04.04.2012	विद्यमान	मालवीय चमत्कार (एमएएल-13)	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) (मिल्स्प.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
14	2012 का 27 / 13.04.2012	विद्यमान	नरेन्द्र अरहर-2 (एनडीए 98-1)	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) (मिल्स्प.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
15	2012 का 28 / 13.04.2012	विद्यमान	बीआरजी-1	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) (मिल्स्प.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने का वर्ष	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक का नाम
16	2012 का 29 / 13.04.2012	विद्यमान	पूसा-2001	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) (मिल्स्प.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
17	2012 का 30 / 13.04.2012	विद्यमान	पीकेवी काबुली-2	चना	साइसर एरिटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
18	2012 का 31 / 13.04.2012	विद्यमान	पूसा 1105	चना	साइसर एरिटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
19	2012 का 32 / 06.06.2012	विद्यमान	डीसीपी-92-3	चना	साइसर एरिटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
20	2012 का 33 / 06.06.2012	विद्यमान	आरसीएच-2	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम	रासि सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
21	2012 का 34 / 06.06.2012	विद्यमान	विहार फुले (जी-95311)	चना	साइसर एरिटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
22	2012 का 35 / 06.06.2012	विद्यमान	वीएल 804	चपाती गेहूं	ट्रिटिकम एस्टाइवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
23	2012 का 36 / 06.06.2012	विद्यमान	गुजरात कपास-23 (जीबीएचवी-179)	द्विगुणित कपास	गोसिपियम आर्बोरियम एल.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय
24	2012 का 37 / 06.06.2012	विद्यमान	प्रसाद	उड़द	विग्ना मुंगो (एल.) हैप्पर	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
25	2012 का 38 / 06.06.2012	विद्यमान	गुजरात तिल-3 (एटी-93)	तिल	सेसेमम इंडिकम एल.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय
26	2012 का 39 / 06.06.2012	विद्यमान	गुजरात तिल-10	तिल	सेसेमम इंडिकम एल.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय
27	2012 का 40 / 06.06.2012	नई	जेकेएमएच-45	मक्का	जी.मेज एल.	जे.के.एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
28	2012 का 41 / 06.06.2012	नई	इंडम 100-001	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स (इं.) लिमिटेड
29	2012 का 42 / 02.07.2012	नई	केसीएच-14 के59 बीजी II	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम	कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड
30	2012 का 43 / 02.07.2012	विद्यमान	एचएचबी 146 (एमएच 960)	बाजरा	पैनिसेटम ग्लाउकम (एल.) आरबीआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
31	2012 का 44 / 02.07.2012	विद्यमान	अमोल (बीडीएन-708)	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) (मिल्स्प.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
32	2012 का 45 / 02.07.2012	विद्यमान	सीओआरजी-9701	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) (मिल्स्प.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने का वर्ष	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक का नाम
33	2012 का 46 / 02.07.2012	विद्यमान	जीटीएच-1 (एसकेएनपीसीएच-10)	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) (मिल्स्प.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
34	2012 का 47 / 02.07.2012	विद्यमान	बीएसएमआर 853 (वैशाली)	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) (मिल्स्प.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
35	2012 का 48 / 02.07.2012	विद्यमान	बाम्लेश्वरी (आईईटी सं. 14444 आर 738-1-64-2-2)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
36	2012 का 49 / 02.07.2012	विद्यमान	अर्ली साम्बा (आरएनआरएम-7)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
37	2012 का 50 / 02.07.2012	विद्यमान	एडीटी-43 (आईईटी-14878)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
38	2012 का 51 / 02.07.2012	विद्यमान	एडीटी-44	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
39	2012 का 52 / 02.07.2012	विद्यमान	स्वाथी (एनएलआर-33057)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
40	2012 का 53 / 02.07.2012	विद्यमान	भरणी (एनएलआर 30491)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
41	2012 का 54 / 02.07.2012	विद्यमान	एचपीआर-1156 (आईईटी 16007)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
42	2012 का 55 / 02.07.2012	विद्यमान	तपस्वनी (आईईटी 9945)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
43	2012 का 56 / 02.07.2012	विद्यमान	सरला सीआर-260-77 (आईईटी-10279)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
44	2012 का 57 / 02.07.2012	विद्यमान	पीटीवी-51 (आधिरा)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
45	2012 का 58 / 02.07.2012	विद्यमान	शांति (आईईटी-12884)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
46	2012 का 59 / 02.07.2012	विद्यमान	सीओ-47 (आईईटी 14298)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
47	2012 का 60 / 02.07.2012	विद्यमान	सीएसआर-27 (आईईटी 13765, सीएसआर-88, आईआर-66)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
48	2012 का 61 / 02.07.2012	विद्यमान	पीआर-115	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने का वर्ष	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक का नाम
49	2012 का 62 / 02.07.2012	विद्यमान	पीआर-114	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
50	2012 का 63 / 02.07.2012	विद्यमान	सोमालिसा (एनएलआर 33358)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
51	2012 का 64 / 02.07.2012	विद्यमान	एडीटी (आर)-48	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
52	2012 का 65 / 02.07.2012	विद्यमान	एचपीआर 1068	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
53	2012 का 66 / 02.07.2012	विद्यमान	एचपीआर 2143	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
54	2012 का 67 / 02.07.2012	विद्यमान	पूजा (आईईटी 12241)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
55	2012 का 68 / 02.07.2012	विद्यमान	केएयूए 4-4-2 (हर्ष)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
56	2012 का 69 / 02.07.2012	विद्यमान	कृष्ण हंस	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
57	2012 का 70 / 02.07.2012	विद्यमान	श्रावणी (एनएलआर-33359)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
58	2012 का 71 / 02.07.2012	विद्यमान	एचआई 1418	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
59	2012 का 72 / 02.07.2012	विद्यमान	वीएल गेहूं-738 (वीएल-738)	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
60	2012 का 73 / 02.07.2012	विद्यमान	प्रताप ज्वार-1430 (एसपीवी 1430)	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
61	2012 का 74 / 02.07.2012	विद्यमान	उत्तरा (आरएसएसजीवी-3)	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
62	2012 का 75 / 02.07.2012	विद्यमान	वसुधा (आरएसवी 423)	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
63	2012 का 76 / 02.07.2012	विद्यमान	परभणी श्वेता (पीवीके 801) (एसपीवी-1333)	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय
64	2012 का 77 / 02.07.2012	विद्यमान	आरएसएलजी-262 (मौली)	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ
65	2012 का 78 / 02.07.2012	विद्यमान	पीकेवी एचवाई-5 (सीएचएच-99)	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम	डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने का वर्ष	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक का नाम
66	2012 का 79 / 02.07.2012	विद्यमान	केएन 3	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	डॉ. राम चेत चौधरी, चेयरमैन, पीआरडीएफ
67	2012 का 80 / 02.07.2012	विद्यमान	इम्प्रूव्ड संबा महसुरी	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
68	2012 का 81 / 02.07.2012	विद्यमान	ओआरटी (एम) 2-4 (परबती)	तोरिया	ब्रैसिका रैपा एल.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
69	2012 का 82 / 02.07.2012	विद्यमान	ओआरटी (एम) 6-2 (अनुराधा)	तोरिया	ब्रैसिका रैपा एल.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
70	2012 का 83 / 02.07.2012	विद्यमान	निर्मला (ओएस-एसईएल-64)	तिल	सिसेमम इंडिकम एल.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
71	2012 का 84 / 02.07.2012	विद्यमान	दीपक (डीसीएच-177 (हाइब्रिड)	अरण्ड	रिसिनस कोम्युनिस एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
72	2012 का 85 / 02.07.2012	विद्यमान	डीसीएच-519	अरण्ड	रिसिनस कोम्युनिस एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
73	2012 का 86 / 02.07.2012	विद्यमान	ज्वाला (48-1)	अरण्ड	रिसिनस कोम्युनिस एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
74	2012 का 87 / 02.07.2012	विद्यमान	गीतांजलि (सीआरएम-2007-1) (आईईटी-17276)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
75	2012 का 88 / 02.07.2012	नई	जे 1127	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड
76	2012 का 89 / 02.07.2012	नई	एमआईएम 612	मक्का	जी.मेज एल.	मोनसंटो इंडिया लिमिटेड
77	2012 का 90 / 02.07.2012	नई	जेकेएमएच-142 (व्हाइट)	मक्का	जी.मेज एल.	जे.के.एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
78	2012 का 91 / 02.08.2012	विद्यमान	जेकेएमएच-502	मक्का	जी.मेज एल.	जे.के.एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
79	2012 का 92 / 02.08.2012	विद्यमान	टीएमबी-37 (टीएम 99-37)	मूंग	विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजैक	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
80	2012 का 93 / 02.08.2012	विद्यमान	डीबीडब्ल्यू-14	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
81	2012 का 94 / 02.08.2012	विद्यमान	स्वर्णिल (जेडब्ल्यूएस-17)	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
82	2012 का 95 / 02.08.2012	विद्यमान	शालीमार व्हीट-1 (एसकेडब्ल्यू 96)	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने का वर्ष	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक का नाम
83	2012 का 96 / 02.08.2012	विद्यमान	जीडब्ल्यू 366	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
84	2012 का 97 / 02.08.2012	विद्यमान	नरेन्द्र व्हीट 2036	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
85	2012 का 98 / 02.08.2012	विद्यमान	प्रताप मक्का-5 (ईसी 3116)	मक्का	जी.मेज एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
86	2012 का 99 / 02.08.2012	विद्यमान	दांतेश्वरी (आईईटी संख्या 15450, आर 302-111)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
87	2012 का 100 / 02.08.2012	विद्यमान	पीआर-116	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
88	2012 का 101 / 02.08.2012	विद्यमान	गुजरात ग्राम-4 (जीसीपी-105)	चना	साइसर एरिटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
89	2012 का 102 / 02.08.2012	विद्यमान	जे.जी. 11	चना	साइसर एरिटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
90	2012 का 103 / 02.08.2012	विद्यमान	मालवीय व्हीट 468 (एचयूडब्ल्यू-468)	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
91	2012 का 104 / 02.08.2012	विद्यमान	जेआरसी-698 (शर्बन्ती व्हाइट पीबीसी 6)	पटसन	कार्कोरस कैप्सुलेरिस एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
92	2012 का 105 / 02.08.2012	विद्यमान	बिधान पट-3 (डी-110)	पटसन	कार्कोरस कैप्सुलेरिस एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
93	2012 का 106 / 02.08.2012	विद्यमान	पीकेवी एचएमटी	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ
94	2012 का 107 / 02.08.2012	विद्यमान	एकेए-7 (एकेए-8307)	द्विगुणित कपास	गोसिपियम आर्बोरियम एल.	डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ
95	2012 का 108 / 02.08.2012	विद्यमान	एनएएच-2049	मक्का	जी.मेज एल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
96	2012 का 109 / 02.08.2012	विद्यमान	एकेएच-8828	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम	डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ
97	2012 का 110 / 16.08.2012	विद्यमान	मोनालिसा (आरआरपीएस-27-सी-3)	पटसन	कार्कोरस कैप्सुलेरिस एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
98	2012 का 111 / 16.08.2012	विद्यमान	कैलाश	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने का वर्ष	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक का नाम
99	2012 का 112 / 16.08.2012	विद्यमान	पूर्णा (एचआई 1544)	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
100	2012 का 113 / 16.08.2012	नई	आरसीएच 515 (बीजी II)	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम	रासि सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
101	2012 का 114 / 16.08.2012	विद्यमान	डब्ल्यूएच 711	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
102	2012 का 115 / 16.08.2012	नई	सीआईएसए 310	द्विगुणित कपास	गोसिपियम आर्बोरियम	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
103	2012 का 116 / 16.08.2012	विद्यमान	केएमएच – सुपर 2020	मक्का	जी.मेज एल.	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
104	2012 का 117 / 16.08.2012	विद्यमान	पीवाई-6 (आईईटी 11898)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
105	2012 का 118 / 16.08.2012	विद्यमान (वीसीके)	केएमएच-25के 55	मक्का	जी.मेज एल.	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
106	2012 का 119 / 04.04.2012	विद्यमान	पीकेवीडीएच-1 (एकेडीएच-7)	द्विगुणित कपास	गोसिपियम आर्बोरियम एल.	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ
107	2012 का 120 / 04.04.2012	नई	वीबीसीएच-1018 बीजी (कैश बीजी)	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	विभा एग्रोटेक लिमिटेड
108	2012 का 121 / 04.04.2012	नई	वीबीसीएच-1076 बीजी (बॉण्ड बीजी)	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	विभा एग्रोटेक लिमिटेड
109	2012 का 122 / 04.09.2012	नई	पीएफसी 1	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	अंकुर सीड (प्रा.) लिमिटेड
110	2012 का 123 / 04.09.2012	नई	सी-96	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	अंकुर सीड (प्रा.) लिमिटेड
111	2012 का 124 / 04.09.2012	नई	आरसीएच 530 बीजी II	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	रासी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
112	2012 का 125 / 04.09.2012	विद्यमान (वीसीके)	एसवाईएन-सीओ 6661	मक्का	जी.मेज एल.	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
113	2012 का 126 / 04.09.2012	विद्यमान	नरिन्या-6 (एनएसीएच-6)	द्विगुणित कपास	गोसिपियम आर्बोरियम एल.	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
114	2012 का 127 / 04.09.2012	विद्यमान	हिमगिरी एचएस 375	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
115	2012 का 128 / 04.09.2012	विद्यमान	ऊर्जा (एचडी 2864)	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने का वर्ष	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक का नाम
116	2012 का 129 / 04.09.2012	विद्यमान	पीएसी 740	मक्का	जी.मेज एल.	एडवेंटा इंडिया लिमिटेड
117	2012 का 130 / 19.09.2012	विद्यमान	विपुल	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) (मिल्स्प.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
118	2012 का 131 / 19.09.2012	विद्यमान	पीबीएन (आरजी) 3	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) (मिल्स्प.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
119	2012 का 132 / 19.09.2012	विद्यमान	जीटी 101	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) (मिल्स्प.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
120	2012 का 133 / 19.09.2012	विद्यमान	पीआर 113	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
121	2012 का 134 / 19.09.2012	विद्यमान	अप्पनंगला	छोटी इलायची	इलेटेरिया कार्डॉमम मैटन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
122	2012 का 135 / 19.09.2012	विद्यमान (वीसीके)	एसवाईएन-सीओ-5258	मक्का	जी.मेज एल.	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
123	2012 का 136 / 19.09.2012	विद्यमान	सीएसएच-21 (एमसीएसएच-151) (एसपीएच 1342)	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	देवगन एन.वी.
124	2012 का 137 / 19.09.2012	नई	वीबीसीएच-1501 बीजी-II	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	नुसुन जेनेटिक रिसर्च लिमिटेड
125	2012 का 138 / 24.09.2012	विद्यमान (वीसीके)	केएमएच-25के60	मक्का	जी.मेज एल.	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
126	2012 का 139 / 24.09.2012	विद्यमान (वीसीके)	केएमएच-सुपर 244	मक्का	जी.मेज एल.	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
127	2012 का 140 / 24.09.2012	विद्यमान (वीसीके)	केएमएच-280	मक्का	जी.मेज एल.	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
128	2012 का 141 / 24.09.2012	विद्यमान	नरेन्द्र व्हीट-1067	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
129	2012 का 142 / 24.09.2012	विद्यमान	पूसा आरएच-10	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
130	2012 का 143 / 03.10.2012	विद्यमान (वीसीके)	केएमएच 218	मक्का	जी.मेज एल.	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
131	2012 का 144 / 03.10.2012	विद्यमान (वीसीके)	केएमएच-2288 (एक्का)	मक्का	जी.मेज एल.	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
132	2012 का 145 / 03.10.2012	विद्यमान (वीसीके)	एसवाईएन-सीओ 6240	मक्का	जी.मेज एल.	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने का वर्ष	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक का नाम
133	2012 का 146 / 03.10.2012	विद्यमान (वीसीके)	एसवाईएन सीओ 5440	मक्का	जी.मेज एल.	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
134	2012 का 147 / 03.10.2012	विद्यमान (वीसीके)	एलाइट	मक्का	जी.मेज एल.	विभा एग्रोटेक लिमिटेड
135	2012 का 148 / 03.10.2012	नई	वीबीसीएच 1505	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	विभा एग्रोटेक लिमिटेड
136	2012 का 149 / 03.10.2012	नई	वीबीसीएच 1503	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	नुसुन जेनेटिक रिसर्च लिमिटेड
137	2012 का 150 / 03.10.2012	नई	एमआरसी-7160	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड
138	2012 का 151 / 03.10.2012	नई	आरसीएच-533 बीजी II	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	रासी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
139	2012 का 152 / 03.10.2012	विद्यमान (वीसीके)	बीसीएन 401	मक्का	जी.मेज एल.	बायर बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
140	2012 का 153 / 03.10.2012	कृषक	व्हीट रवि नं.1	चपाती गेहूं	ट्रिटिकम सेटाइवम एल.	श्री कुलदीप सिंह संघु, सुपुत्र श्री फौजदार सिंह संघु ग्राम व पोस्ट आफिस बनुर जिला पटियाला, पंजाब
141	2012 का 154 / 16.10.2012	विद्यमान	डीआरएसफ-113	सूरजमुखी	हेलिएंथस ऐनस एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
142	2012 का 155 / 16.10.2012	विद्यमान	इंदिरा सोना	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (सीजी) कृषक नगर, लबहांडी, रायपुर
143	2012 का 156 / 16.10.2012	विद्यमान	अहिल्या-4 (एनआरसी एस 37)	सोयाबीन	ग्लाइसीन मैक्स (एल.) मैरिल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
144	2012 का 157 / 16.10.2012	विद्यमान	डीआरएसएच 1 (पीसीएसएच-243)	सूरजमुखी	हेलिएंथस ऐनस एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
145	2012 का 158 / 16.10.2012	विद्यमान	पूसा शरद (एसईएल-309-1-2)	फूलगोभी	ब्रेसिका ओलिरिसिया एल. किस्म बोट्राइटिस एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
146	2012 का 159 / 16.10.2012	विद्यमान	जाल्दवी (आईईटी-17153)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (सीजी) कृषक नगर, लबहांडी, रायपुर

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने का वर्ष	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक का नाम
147	2012 का 160 / 16.10.2012	विद्यमान	सामलेश्वरी (आईईटी 17455)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (सीजी) कृषक नगर, लबहांडी, रायपुर
148	2012 का 161 / 16.10.2012	विद्यमान	चंद्रहासिनी (आईईटी 16800)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (सीजी) कृषक नगर, लबहांडी, रायपुर
149	2012 का 162 / 16.10.2012	विद्यमान	धनुष (सीओ 91010)	गन्ना	सैकरम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
150	2012 का 163 / 16.10.2012	विद्यमान	कल्याणी (सीओ 87025)	गन्ना	सैकरम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
151	2012 का 164 / 16.10.2012	विद्यमान	नैना (सीओ 86032)	गन्ना	सैकरम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
152	2012 का 165 / 16.10.2012	विद्यमान	भीम (सीओ 8371)	गन्ना	सैकरम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
153	2012 का 166 / 16.10.2012	विद्यमान	मोती (सीओ 8726ए)	गन्ना	सैकरम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
154	2012 का 167 / 16.10.2012	विद्यमान	भवानी (सीओ 86249)	गन्ना	सैकरम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
155	2012 का 168 / 16.10.2012	विद्यमान	उत्तरा (सीओ 87044)	गन्ना	सैकरम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
156	2012 का 169 / 16.10.2012	विद्यमान	सरयू (सीओ 87263)	गन्ना	सैकरम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
157	2012 का 170 / 16.10.2012	विद्यमान	प्रभा (सीओ 58004)	गन्ना	सैकरम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
158	2012 का 171 / 16.10.2012	विद्यमान	गंडक (सीओ 89029)	गन्ना	सैकरम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
159	2012 का 172 / 16.10.2012	विद्यमान	श्यामा (सीओ 94008)	गन्ना	सैकरम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
160	2012 का 173 / 16.10.2012	विद्यमान	डब्ल्यूआरपी-1	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) (मिल्स्प.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
161	2012 का 174 / 16.10.2012	विद्यमान	मालवीया विकल्प (एमए-3)	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) (मिल्स्प.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने का वर्ष	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक का नाम
162	2012 का 175 / 16.10.2012	विद्यमान	एकेएस-207	कुसुम	कार्थेमस टिक्टोरियस एल.	डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ
163	2012 का 176 / 16.10.2012	विद्यमान	टीएस-82	सूरजमुखी	हेलिएंथस ऐनस एल.	डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ
164	2012 का 177 / 16.10.2012	विद्यमान	प्रो एग्रो-9443 (एमएच 846)	बाजरा	पेनिसैटम ग्लाउकम (एल) आर.बीआर	बायर बायोसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
165	2012 का 178 / 16.10.2012	विद्यमान	कर्मा महसुरी (आईईटी-19991)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (सीजी) कृषक नगर, लबहांडी, रायपुर
166	2012 का 179 / 05.11.2012	नई	30बी 11	मक्का	जी.मेज एल.	पायनियर ओवरसीस कारपोरेशन इंडिया शाखा कार्यालय
167	2012 का 180 / 05.11.2012	विद्यमान (वीसीके)	बीसीएन 404	मक्का	जी.मेज एल.	बायर बायोसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
168	2012 का 181 / 05.11.2012	विद्यमान (वीसीके)	बीसीएन 403	मक्का	जी.मेज एल.	बायर बायोसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
169	2012 का 182 / 09.11.2012	विद्यमान	सुरभि (एचपीडब्ल्यू 89)	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
170	2012 का 183 / 09.11.2012	विद्यमान	पीबीडब्ल्यू 396	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
171	2012 का 184 / 09.11.2012	विद्यमान	स्वर्ण (एचआई 1479)	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
172	2012 का 185 / 09.11.2012	विद्यमान	एचआई-1451	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
173	2012 का 186 / 09.11.2012	विद्यमान	सिंगचेन (एसडब्ल्यूएल 8)	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
174	2012 का 187 / 09.11.2012	विद्यमान	एमपी (जेडब्ल्यू 1202) एमपी (1202)	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
175	2012 का 188 / 09.11.2012	विद्यमान	सीबीडब्ल्यू 38	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
176	2012 का 189 / 09.11.2012	विद्यमान	वीएल गेहूं 907	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
177	2012 का 190 / 09.11.2012	विद्यमान	वीएल गेहूं 892	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने का वर्ष	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक का नाम
178	2012 का 191 / 09.11.2012	विद्यमान	एचपीडब्ल्यू 251	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
179	2012 का 192 / 09.11.2012	विद्यमान	एमएसीएस 6222	चपाती गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
180	2012 का 193 / 09.11.2012	विद्यमान	पूसा काबुली ग्राम-128 (पूसा शुभ्रा बीजीडी-128)	चना	साइसर एरिटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
181	2012 का 194 / 09.11.2012	विद्यमान	धारवाड़ प्रगति (बीजीडी-72)	चना	साइसर एरिटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
182	2012 का 195 / 09.11.2012	विद्यमान	पूसा 605 (एमएच 564)	बाजरा	पैनिसेटम ग्लाउकम (एल.) आरबीआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
183	2012 का 196 / 09.11.2012	विद्यमान	पूसा कम्पोजिट 334 (एमपी 334)	बाजरा	पैनिसेटम ग्लाउकम (एल.) आरबीआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
184	2012 का 197 / 09.11.2012	विद्यमान	पूसा 415	बाजरा	पैनिसेटम ग्लाउकम (एल.) आरबीआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
185	2012 का 198 / 09.11.2012	विद्यमान	डीडब्ल्यूआर-17	बाजरा	पैनिसेटम ग्लाउकम (एल.) आरबीआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
186	2012 का 199 / 09.11.2012	विद्यमान	पूसा-1103	चना	साइसर एरिटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
187	2012 का 200 / 09.11.2012	विद्यमान	पूसा-1108	चना	साइसर एरिटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
188	2012 का 201 / 09.11.2012	विद्यमान	करनाल चना-1 (सीएसजी-8962)	चना	साइसर एरिटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
189	2012 का 202 / 09.11.2012	विद्यमान	पूसा-1088	चना	साइसर एरिटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
190	2012 का 203 / 09.11.2012	विद्यमान	गुजरात ग्राम-1 (जीजी 1)	चना	साइसर एरिटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
191	2012 का 204 / 21.11.2012	विद्यमान	एसवाईएन-सीओ-एसडब्ल्यूसी 75	मक्का	जी.मेज एल.	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
192	2012 का 205 / 21.11.2012	विद्यमान (वीसीके)	एसवाईएन-सीओ-जीएस 5592	मक्का	जी.मेज एल.	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
193	2012 का 206 / 21.11.2012	विद्यमान	एनएम-74बी	मक्का	जी.मेज एल.	नुजिवीदु सीड्स लिमिटेड
194	2012 का 207 / 21.11.2012	विद्यमान (वीसीके)	एनएम-74ए	मक्का	जी.मेज एल.	नुजिवीदु सीड्स लिमिटेड

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने का वर्ष	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक का नाम
195	2012 का 208 / 21.11.2012	विद्यमान	एमआईएम 001	मक्का	जी.मेज एल.	मोनसंटो इंडिया लिमिटेड
196	2012 का 209 / 21.11.2012	विद्यमान (वीसीके)	जेके सुरभि	मक्का	जी.मेज एल.	जे.के.एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
197	2012 का 210 / 21.11.2012	विद्यमान (वीसीके)	महाराजा-999	मक्का	जी.मेज एल.	कृषि धान सीड्स लिमिटेड
198	2012 का 211 / 21.11.2012	नई	लेजेंड	मक्का	जी.मेज एल.	नुसुन जेनेटिक रिसर्च लिमिटेड
199	2012 का 212 / 21.11.2012	ईडीवी	वीआईसीएच-5 बीजी II	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	विक्रम सीड्स लिमिटेड
200	2013 का 01 / 18.01.2013	विद्यमान (वीसीके)	बिस्को 855 (बिस्को भीम)	मक्का	जी.मेज एल.	बिस्को बायोसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
201	2013 का 02 / 18.01.2013	विद्यमान (वीसीके)	बिस्को 111 (बिस्को 840)	मक्का	जी.मेज एल.	बिस्को बायोसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
202	2013 का 03 / 31.01.2013	विद्यमान (वीसीके)	विवेक संकुल मक्का-11	मक्का	जी.मेज एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
203	2013 का 04 / 17.01.2013	नई	एमआरसी 7918	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड
204	2013 का 05 / 18.01.2013	नई	जेसी 761	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
205	2013 का 06 / 18.01.2013	नई	एमआरसी 7041	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड
206	2013 का 07 / 18.01.2013	नई	जेआरओ 204	पटसन	कार्कोरस कैपेसुलेरिस एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
207	2013 का 08 / 30.01.2013	विद्यमान	एएडीएचएआर (आरएसजी 963)	चना	साइसर एरिटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
208	2013 का 09 / 17.01.2013	विद्यमान	एसवाईएन-सीओ-7303	मक्का	जी.मेज एल.	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
209	2013 का 10 / 17.01.2013	नई	विवेक क्यूपीएम 9	मक्का	जी.मेज एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
210	2013 का 11 / 31.01.2013	विद्यमान	फुले-388 (आरएचबी 388)	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी
211	2013 का 12 / 31.01.2013	विद्यमान	पीए-402	द्विगुणित कपास	गोसिपियम आर्बोरियम एल.	कपास अनुसंधान केन्द्र, मराडवाडा कृषि विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने का वर्ष	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक का नाम
212	2013 का 13 / 31.01.2013	विद्यमान	पीए-255	द्विगुणित कपास	गोसिपियम आर्बोरियम एल.	कपास अनुसंधान केन्द्र, मराडवाडा कृषि विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र
213	2013 का 14 / 31.01.2013	विद्यमान	एचएचएम-1 (एचकेएच-1082)	मक्का	जी.मेज एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
214	2013 का 15 / 31.01.2013	विद्यमान	शेखर 1 (केयू-301)	उड़द	विग्ना मुंगो (एल.) हैप्पर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
215	2013 का 16 / 31.01.2013	विद्यमान	पंत मूंग 5	मूंग	विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजैक	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
216	2013 का 17 / 31.01.2013	विद्यमान	एमपी (जेडब्ल्यू 3173)	चपाती गेहूं	ट्रिटिकम एस्टीवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
217	2013 का 18 / 31.01.2013	नई	जीके 3060	मक्का	जी.मेज एल.	गंगा कावेरी सीड प्रा.लि., हैदराबाद
218	2013 का 19 / 31.01.2013	नई	जय बीटी	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	अंकुर सीड (प्रा.) लिमिटेड
219	2013 का 20 / 01.02.2013	विद्यमान	आईसी 8209 (72 ए)	मक्का	जी.मेज एल.	मोनसॅटो इंडिया लिमिटेड
220	2013 का 21 / 01.02.2013	विद्यमान	एचएचबी 197 (एमएच-1302)	बाजरा	पेनिसेटम ग्लाउकम (एल) आर.बीआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
221	2013 का 22 / 05.02.2013	नई	एचक्यूपीएम-7	मक्का	जी.मेज एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
222	2013 का 23 / 06.02.2013	नई	विवेक मेज हाइब्रिड 33	मक्का	जी.मेज एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
223	2013 का 24 / 06.02.2013	नई	ईडीईएन	मक्का	जी.मेज एल.	विभा एग्रोटेक लिमिटेड
224	2013 का 25 / 06.02.2013	नई	जेसी 348	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
225	2013 का 26 / 12.02.2013	नई	पीएयू 352 (जेएच 3982)	मक्का	जी.मेज एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
226	2013 का 27 / 06.03.2013	विद्यमान	वसंत (नवकर 5)	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	नवकार हाइब्रिड सीड प्राइवेट लिमिटेड
227	2013 का 28 / 06.03.2013	नई	वीबीसीएच 1006 बीजी (एसीई बीजी)	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	विभा एग्रोटेक लिमिटेड
228	2013 का 29 / 06.03.2013	विद्यमान	वासुमती (आईईटी 15391)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने का वर्ष	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक का नाम
229	2013 का 30 / 06.03.2013	विद्यमान	प्रोएग्रो 555 (एमएसएच 16) (पीबी 727)	बाजरा	पैनिसेटम ग्लाउकम (एल.) आरबीआर	बायर बायोसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
230	2013 का 31 / 06.03.2013	विद्यमान	काउम 57-9-1-1 (के-16) (एमओ18-कृष्णा) आईईटी 15015	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
231	2013 का 32 / 06.03.2013	विद्यमान	इंद्राधान-1 (आईईटी-15376) (आर636-405)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
232	2013 का 33 / 06.03.2013	विद्यमान	विवेक धान-154	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
233	2013 का 34 / 06.03.2013	विद्यमान	वीएल धान 61 (आईईटी 13485) (वीएल 89-1179)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
234	2013 का 35 / 06.03.2013	विद्यमान	काउम-42-6-3 (डीआई एमओ 16-यूएमए) (आईईटी 14758)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
235	2013 का 36 / 06.03.2013	विद्यमान	नीरजा (आईईटी 11865)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
236	2013 का 37 / 06.03.2013	विद्यमान	वीएल धान 85 (आईईटी 16455)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
237	2013 का 38 / 06.03.2013	विद्यमान	ल्यूइट (टीटीबी 127-216-2 / आईईटी 13622)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
238	2013 का 39 / 06.03.2013	विद्यमान	सुगंधमति (आईईटी-16775)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
239	2013 का 40 / 06.03.2013	विद्यमान	त्रिगुणा (आईईटी 12857)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
240	2013 का 41 / 06.03.2013	विद्यमान	सीएसआर-13 (आईईटी 10348)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
241	2013 का 42 / 06.03.2013	विद्यमान	काउम20-19-4 (एमओ 15-रमणिका) आईईटी 13981	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
242	2013 का 43 / 06.03.2013	विद्यमान	धनराशि (आईईटी 15358)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने का वर्ष	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक का नाम
243	2013 का 44 / 06.03.2013	विद्यमान	काउम 45-20-1 (डी 6) (एमओ 17-रेवती) (आईईटी-15322)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
244	2013 का 45 / 06.03.2013	विद्यमान	गौरी (एमओ-20)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
245	2013 का 46 / 06.03.2013	विद्यमान	बीआर 2655	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
246	2013 का 47 / 06.03.2013	विद्यमान	जर्वा (आईईटी 15420)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
247	2013 का 48 / 06.03.2013	विद्यमान	काउम 57-18-1-1 (के-180 (एमओ-19 कृष्णांजना) आईईटी 15096	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
248	2013 का 49 / 06.03.2013	विद्यमान	काउम 59-29-2-1-2 (जीएम-1) (एमओ 13-पवित्र) आईईटी 13983	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
249	2013 का 50 / 06.03.2013	विद्यमान	जीआर-9	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
250	2013 का 51 / 06.03.2013	विद्यमान	जीआर 12	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
251	2013 का 52 / 06.03.2013	विद्यमान	डांडी (आईईटी 14905)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
252	2013 का 53 / 06.03.2013	विद्यमान	जीआर-104	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
253	2013 का 54 / 06.03.2013	विद्यमान	फुले एलजेए-794	द्विगुणित कपास	गोसिपियम आर्बोरियम एल.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ
254	2013 का 55 / 06.03.2013	विद्यमान	जवाहर कपास 4 (जेके-4)	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय

संक्षिप्तियां

एआईसीआरपी	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना
बीएयू	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
बीएमसी	जैवविविधता प्रबंध समिति
बीसीआईएल	बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
सीएआरआई	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान
सीबीडी	जैविक विविधता पर सम्मेलन
सीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीटीसीआरआई	केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान
सीवीआरसी	केन्द्रीय किस्म विमोचन समिति
डीएसी	कृषि एवं सहकारिता विभाग
डीयूस	विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व
ईवीआरसी	विद्यमान किस्म अनुशांसा समिति
जीएटीटी	सीमा शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता
आईएआरआई	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईसीएफआरई	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
आईएनडीयूस	डीयूस दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय सूचना प्रणाली
आईपीजीआरआई	अंतरराष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन संस्थान (बायोवर्सिटी इंटरनेशनल)
आईआईएसआर	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान
आईटीपीजीआरएफए	खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन पर अंतरराष्ट्रीय संधि
केएयू	केरल कृषि विश्वविद्यालय
केवीके	कृषि विज्ञान केन्द्र
एनएससी	राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र
एनबीपीजीआर	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो
एनजीओ	गैर-शासकीय संगठन
एनओआरवी	भारत की अधिसूचित एवं जारी की गई किस्में
एनएसएआई	नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एनएसआरटीसी	राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र
ओईसीडी	आर्थिक सहकारिता एवं विकास संगठन
पीबीआरएस	पादप प्रजनकों के अधिकार

पीजीआर	पादप आनुवंशिक संसाधन
पीपीवी एंड एफआरए	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
पीवीई	पौधा किस्म परीक्षक
पीवीआईएस	पौधा किस्म सूचना प्रणाली
पीवीजे	भारतीय पौधा किस्म जर्नल
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एसएओ	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
एसएयू	राज्य कृषि विश्वविद्यालय
एसटीओ	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी
टीआरआईपीएस	बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू
यूपीओवी	पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा की अंतरराष्ट्रीय यूनियन
पूएसडीए	यूनाईटेड स्टेट्स कृषि विभाग
वीसीके	सामान्य ज्ञान की किस्म
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन

i kkk fdLe vkj d"kd vf/kdkj I j {k.k i kf/kdj .k
dh ubZ fnYyh ea 18-10-2013 dks vk; kstr
mlUhl oha cBd ea Lohdr fd; k x; k
1/2dk; 1 ph en I d; k 18½



Printed at India Offset Press, Mayapuri, New Delhi. Ph.: 23116094

भारतीय पौधे विज्ञान संस्थान
, उदयपुर, दिल्ली 110012
www.plantauthority.gov.in

150 Copies